खण्ड–503, अंक–8
मंगलवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1939
(06 मार्च, 2018 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2018)

(खण्ड 503 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2018

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	1-6
प्रश्नोत्तर	...	...	...	7-124
औचित्य के प्रश्न की सूचना	...	...	...	124-125
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा			...	125-129
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मुद्रण की त्रुटि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	...	...	...	129-172
महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ सं0-3 की द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति में संशोधन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	...	...	172-181
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की नगर पंचायत शीशगढ़ के दक्षिण पूर्व से बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश देवल आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...			...	181
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सल्था-पल्था का नदी द्वारा कटान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	...	...	...	181
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के फतेहगंज पश्चिमी में बन्द सिंथेटिक एवं केमिकल प्रा0 लि0 की लगभग 1400 एकड़ रिक्त पड़ी भूमि पर उ0प्र0 सरकार द्वारा एम्स स्तर का राजकीय मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में श्री सचिन चौहान आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	...	...	...	181
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहपुरा जागीर की भूमि का रिकार्ड चकबंदी विभाग से तहसील में भिजवाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	...	...		182
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जौनेर व नरखेड़ा के बीच भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	...			182
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में सखा नदी पुल के पास हाई-वे से वाया दौली जवाहर लाल नैनीताल रोड तक का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चमन सिंह लोधी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	...	...	...	182

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में सिधौली चौराहा से धनेटा शीशगढ़ रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	182
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा शाही में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश रस्तोगी आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	183
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में सुल्तानपुर का नदी द्वारा कटान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	183
जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह गंगवार आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	183
जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा शेषनगर, पुरवा, दाऊदपुर में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री उदय पटेल आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	183
जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम मथुरा (फुटहा) एवं ग्राम सभा-करौंदा के (फुटहा) नाला पर पुलिया निर्माण जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण पटेल आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	184
जिला जौनपुर के वि0ख0 मुंगराबादशाहपुर, ग्राम सभा हैदरेपुर, पोस्ट-निभापुर में सरोज बस्ती के सामने शारदा सहायक बड़ी नहर पर पुलिया का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सरोज आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	184
जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेलवई पाल बस्ती से ग्राम सभा थलोई तक छोटी नहर पर 4 किमी0 पक्की सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र पटेल आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	184
जनपद गोरखपुर सहजनवां तहसील के ग्राम परसाडांड के चकरोड सं0-358 के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश दूबे आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	184

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गोरखपुर में तैराना नाला को चेक डेम बनाकर सिंचाई के उपयोग के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	185
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	185
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)... ...	186
उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	186
उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)... ...	186-187
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 (पुरःस्थापित)	187
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	187
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	188
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	189
उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	189-190
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	190-191
बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक मरीजों के द्वारा इलाज हेतु जमा की गयी अग्रिम धनराशि वापस करने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	192
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के नोनार व कुम्बर मऊ के बीच मट्टन नाले पर पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	192
जनपद मथुरा के नेशनल हाइ-वे-2 महुअन टोल टैक्स फरह पर अवैध रूप से टोल टैक्स वसूले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	192-193
जनपद आगरा के सदर चौराह से ईदगाह रेलवे स्टेशन के ऊपर दिल्ली बम्बई रेल मार्ग तक बारह खम्भा रेल फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	193

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर के कतपय पार्कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	193-194
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में वन दरोगा पुष्पेन्द्र व रेन्ज आफिसर कौडिया रेन्जर राम गोपाल द्वारा निर्दोष गुर्जर यासीन पुत्र नूर आलम को झूठे सांभर के शिकार के केस में फसाने व 5 लाख रुपये घूस मांगने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	194-195
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में क्षेत्राधिकारी का आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	195
जनपद लखनऊ के बालागंज चौराहे और मोहान रोड को मिलाने वाले मार्ग कैम्पवेल रोड पर अतिक्रमण हटाये जाने एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	195
जनपद पीलीभीत के जंगल में शेरों द्वारा शिकार हुये लोगों को मुआवजा दिलाये जाने/फेसिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	196
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में देईपार-भैंसवा जर्जर मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	196-197
सीवर कनेक्शन के बड़े टेण्डर को विभाजित कर समस्या का समाधान करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	197
जनपद बलिया के ब्लाक नगरा को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	197-198
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा ब्लाक हिलौली में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	198
जनपद शाहजहांपुर के बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर ग्राम हसौआ में गल्ला मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	198-199
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में 100 बेड का महिला चिकित्सालय स्थापित किय जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	199
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	199-208
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	208-209
उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा वर्ष 2006 में जारी की गई नियमावली में किये गये संशोधन के अनुसार वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वित्त मंत्री का वक्तव्य	210-211

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद	लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2018 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	211-212
जनपद	शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को ग्राम कोटवारी ने दीवाल गिरने से हुई दुर्घटना में मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	212-215
जनपद	श्रावस्ती के इकौना बाजार से सब्जी मण्डी को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य	215-216
जनपद	बुलन्दशहर के आवास विकास कालोनी में लिंक मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (स्थगित) ...	216
जी0एस0टी0	लागू होने के उपरान्त भी मण्डी शुल्क समाप्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य	216-217
जनपद	रायबरेली के सदर विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा उद्यान, बेहटा पुल एवं शहीद स्मारक का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री अदिति सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	217-218
जनपद	पीलीभीत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश राम सरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	218
जनपद	गोरखपुर के कतिपय राजस्व ग्रामों में किसानों की भूमि नदी के कटान से प्रभावित होने के सम्बन्ध में श्री संत प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	218-219
भारत	नेपाल सीमा पर अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना नेपाल बार्डर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमनमणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	219-220
जनपद	कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बी0एम0सी0टी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार ''लल्लू'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	220-221

विषय		पृष्ठ-संख्या
जनपद मथुरा में हो रही लूट डकैती एवं हत्या को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	... ...	221-225
जनपद औरैया स्थित तिलक महाविद्यालय से सेवानिवृत्त एसो0 प्रो0 (शा0शि0) को सामान्य भविष्य निधि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	... ...	225-226
प्रदेश के राजस्व विभाग भू-लेख अधिष्ठान समूह 'घ' के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त चैन मैनों का समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)	... ...	226
जनपद बांदा में दिनांक 12 एवं 13 जनवरी, 2018 को हुये ओलावृष्टि से किसानों को हुये नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...		226-228
नत्थियां	... ...	229-253

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 06 मार्च, 2018 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-258

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
6. अजीत पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
9. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
10. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
11. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
12. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
13. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
14. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
15. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
16. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
17. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
18. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
19. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
20. अवतार सिंह भडाना, श्री — मुजफ्फरनगर
21. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
22. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
23. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
24. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
25. असलम अली, श्री — हापुड़
26. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
27. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
28. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री — चित्रकूट
29. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
30. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
31. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
32. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
33. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
34. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
35. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा
36. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
37. उपेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
38. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
39. उमेश मलिक, श्री — मुजफ्फरनगर
40. ओमकार सिंह, श्री — बदायूं
41. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
42. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
43. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
44. कमलेश शुक्ल, श्री — देवरिया
45. कमलेश सैनी, श्रीमती — बिजनौर

46. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
47. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
48. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
49. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
50. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
51. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
52. केसर सिंह, श्री बरेली
53. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
54. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
55. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
56. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
57. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
58. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
59. गौरी शंकर, श्री जालौन
60. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
61. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
62. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
63. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
64. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
65. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
66. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
67. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
68. जयमंगल, श्री महाराजगंज
69. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
70. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
71. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
72. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
73. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
74. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
75. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
76. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
77. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
78. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
79. दल बहादुर, श्री रायबरेली
80. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
81. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
82. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
83. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
84. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
85. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
86. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
87. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
88. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
89. नन्द किशोर गुर्जर, श्री गाजियाबाद
90. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
91. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
92. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
93. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
94. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
95. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
96. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
97. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
98. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
99. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
100. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
101. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
102. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
103. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
104. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
105. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
106. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
107. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
108. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर

109. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
110. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
111. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
112. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
113. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
114. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
115. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
116. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
117. बावन सिंह, श्री गोण्डा
118. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
119. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
120. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
121. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
122. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
123. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
124. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
125. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
126. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
127. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
128. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
129. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
130. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
131. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
132. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
133. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
134. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
135. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
136. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
137. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
138. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
139. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
140. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
141. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
142. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
143. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
144. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
145. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
146. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
147. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
148. यासर शाह, श्री बहराइच
149. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
150. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
151. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
152. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
153. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
154. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
155. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
156. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
157. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
158. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
159. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
160. राजबाला, श्रीमती रामपुर
161. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
162. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
163. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
164. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
165. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
166. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
167. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
168. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं

169. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
170. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
171. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
172. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
173. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
174. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
175. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
176. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
177. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
178. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
179. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
180. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
181. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
182. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
183. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
184. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
185. लाखन सिंह, श्री औरैया
186. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
187. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
188. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
189. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
190. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
191. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
192. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
193. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
194. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
195. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
196. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
197. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
198. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
199. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
200. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
201. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
202. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
203. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
204. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
205. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
206. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
207. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
208. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
209. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
210. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
211. संजय, श्री बुलन्दशहर
212. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
213. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
214. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
215. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
216. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
217. सतीश चंद्र शर्मा, श्री बाराबंकी
218. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
219. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
220. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
221. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
222. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
223. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
224. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
225. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
226. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
227. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
228. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
229. सुचि, श्रीमती बिजनौर

230. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
231. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
232. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
233. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
234. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्री बहराइच
235. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
236. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
237. सुरेश कुमार, श्री शामली
238. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
239. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
240. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
241. सुरेश राही, श्री सीतापुर
242. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
243. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
244. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
245. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
246. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
247. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
248. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
249. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
250. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
251. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
252. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
253. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
254. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
255. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
256. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
257. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
258. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रोद्योगिकी, मुस्लिम वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

नत्थी (क)

[11:00] प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजना के सम्बन्ध में

***01-श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री लाल जी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री पारसनाथ यादव तथा श्री सुखदेव राजभर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कानून-व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा प्रदेश में डकैती, साम्प्रदायिक दंगा, दिनदहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, छिनैती, चोरी आदि की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रभावी कार्य योजना के कारण ही प्रदेश में आपराधिक घटनाओं यथा डकैती, हत्या एवं फिरौती हेतु अपहरण आदि में कमी आयी है।

प्रदेश में विगत वर्ष के सापेक्ष डकैती में 5.70 प्रतिशत हत्या में 7.35 प्रतिशत फिरौती हेतु अपहरण में 13.21 प्रतिशत की कमी आयी है। प्रदेश में घटित घटनाओं में डकैती में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध 82.32 प्रतिशत लूट में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध 92.20 प्रतिशत हत्या में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध 76.81 प्रतिशत फिरौती हेतु अपहरण में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध 86.12 प्रतिशत एवं बलात्कार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध 71.93 प्रतिशत की कार्रवाई की गयी है।

प्रदेश में घटित होने वाले अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाती है। अपराधों की रोकथाम हेतु हत्या के प्रकरणों में विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा उन पर सतर्क दृष्टि रखते हुये अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0 गैंगेस्टर ऐक्ट एवं गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है।

लूट डकैती एवं अपहरण के अपराधों में विगत 10 वर्षों में इस प्रकार की घटनाओं में प्रकाश में आये अभियुक्तों की वर्तमान गतिविधियों की गहनता से जानकारी कर आवश्यकतानुसार सक्रिय

अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अभियोगों का न्यायालय में विचारण के दौरान प्रभावी पैरवी करके अभियुक्तगण को सजा दिलाने की समुचित व्यवस्था की गयी है।

अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु आपराधिक दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कराकर वहां पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे अतिरिक्त पेट्रोल कारें गश्त/चेकिंग व पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है।

वेब बेस्ड क्राइम मैपिंग सिस्टम में हॉट स्पॉट चिन्हित कर सुनियोजित गश्त/पिकेट व चेकिंग कराकर इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की गयी है।

अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु यू0पी0 100 परियोजना को और अधिक सक्रिय किया गया है। इसके लिये 100 मोटर साइकिलें संचालित कर योजना का शुभारम्भ किया गया है तथा 1500 मोटर साइकिलें और संचालित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में एण्टी रोमियो दल को गठित करते हुये महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त वूमेन पावर लाइन 1090 भी क्रियाशील है।

वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटनाओं के संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

महिलाओं के फोन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अश्लील एस0एम0एस0 एवं अवांछनीय फोन काल्स किये जाने की घटनाओं की रोकथाम हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में एन्टी आब्सीन काल सेल का गठन किया गया है।

प्रदेश में सरकारी/निजी सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

प्रदेश में सभी नगारिकों के लिये भयमुक्त वातावरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट काउन्टर खोले गये हैं।

प्रदेश में अपराध तथा अपराधियों पर जीरो टालरेन्स के सिद्धान्त पर कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

बीट प्रणाली/पुलिस गश्त एवं पिकेट व्यवस्था में सुधार हेतु क्षेत्राधिकारी स्तर से थानों पर तैनात पुलिस कर्मियों का आडिट कर अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों को पुलिस की कोर ड्यूटी पर नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश के समस्त जनपदों में सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सायं काल में प्रतिदिन 60 मिनट भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में 'फुट पेट्रोलिंग' करते हुये सुदृढ़ पुलिसिंग के द्वारा आम नागरिकों के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित करने एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने के निर्देशों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यह सरकार संकल्पित है और इसी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए यह सत्ता में आए और आज कानून व्यवस्था का आलम क्या है यह जगजाहिर है। महोदय, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार कुल देशभर में आई0पी0सी0 के तहत 2,82,171 मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें 9.5 प्रतिशत केवल यू0पी0 के मामले हैं। मान्यवर, मैं थोड़ा विवरण प्रस्तुत करूंगा, यू0पी0 में सबसे अधिक अपहरण के 15,898 मामले हैं जिसमें 12,070 मामले केवल शादी के नाम पर फिरौती और हत्या के मामले 868 हैं। देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगभग 3,38,954 हैं, जिसमें अधिकतर मामले उत्तर प्रदेश के हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, उन्होंने दो पन्ने पढ़े हैं तो कम से कम हमें दो-चार मिनट बोल लेने दीजिए। 49,262 मामले हैं जो 14.5 प्रतिशत है। बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल दर्जे में है। अपहरण और बंधक बनाए जाने की घटना 9,657 और पॉस्को ऐक्ट के तहत 4,954 मामले दर्ज हैं। महोदय, कल ही विधान परिषद् में इसी सवाल के जवाब में...

श्री अध्यक्ष-

अब आप विधान परिषद् वाला सवाल लेकर यहां आप बैठे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, मैं बता रहा हूं इन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया किस तरह भ्रामक किया पूरे उत्तर प्रदेश के सदन को। हत्या में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लूट में 20.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है आगजनी में 120 प्रतिशत और बलात्कार में 11.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। महोदय, इतना ही नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, प्रश्न पूछ रहे हैं एक मिनट थोड़ा-सा बोल लें अब दो पन्ना पढ़े हैं तो कम से कम दो-चार मिनट बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

आप तो सूचित कर रहे हैं आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महोदय, यही नहीं अलीगढ़ में छेड़छाड़ का विरोध करते वक्त 9 महिलाओं पर तेजाब फेंका गया। फतेहपुर में दुष्कर्म का विरोध करने वाली औरत की आंख फोड़ दिया गया। राजधानी में अभी जिस तरह की डकैती की घटना हुई वह जगजाहिर है। मेडिकल कालेज नोएडा में एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। मथुरा में माननीय कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार की हत्या।

श्री अध्यक्ष-

आप जानते हैं कि प्रश्न करना चाहिए आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह के कानून व्यवस्था की स्थिति है, उत्तर प्रदेश आज लकवाग्रस्त हो चुका है। महोदय, मैं आपके माध्यम से दो छोटे-छोटे सवाल माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हत्या के मामले में संलिप्त अपराध जो 23.19 प्रतिशत है उस पर कब तक कार्यवाही कर ली जाएगी और इन घटनाओं का कब तक खुलासा कर लिया जायेगा। जो आपने उत्तर दिया है उसी के अनुसार मैं पूछ रहा हूं। मान्यवर, जो महिलाओं के साथ बलात्कार के 28 प्रतिशत मामलों में अभी तक कार्यवाही नहीं हो पायी है इन घटनाओं पर कब तक कार्रवाई यह सरकार कर लेगी ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से जानना चाहता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की बात माननीय सदस्य ने की है, इनको यह भी बता देना चाहिये था कि वह आंकड़ा कब का है। तो वह हमारी सरकार का आंकड़ा नहीं है तो सदन को गुमराह मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि सदन को गुमराह माननीय सदस्य कर रहे हैं, जिनको या तो जानकारी की कमी है या ठीक से देखा नहीं है। दूसरी बात मान्यवर, आपने दो बातें पूछीं। एक तो नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की बात आपने कही है तो मैं आपको उस संदर्भ में 2016 का भी बता सकता हूं लेकिन चूंकि वह हमारी सरकार से संबंधित नहीं है और क्राइम रिकार्ड का अभी ठीक प्रकार से पंजीकरण भी नहीं किया गया है और आपने पुरानी सरकार का आंकड़ा पढ़ दिया। जो आपने हत्या की बात पूछी तो हत्याओं के मामले में पूरी तरह से रिपोर्ट लिखने से लेकर इन्वेस्टीगेशन तक केस-टू-केस इस बात की समीक्षा भी होती है कि हमने कितने मामलों में क्या कार्रवाई की और जिन-जिन केसेज में मान्यवर, हत्या का मामला संज्ञान में आया उसमें हन्ड्रेड परसेंट रिपोर्ट भी दर्ज हुयी है और उसमें मान्यवर, कार्रवाई भी हुयी है। हम आपके माध्यम से पूरे सदन को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह सरकार अपराधियों के खिलाफ है और अपराध को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करने के पक्ष में है और केस-टू-केस की हम समीक्षा करके अपराधियों को दंड दिलाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं के संबंध में जो आपने जानकारी चाही है

तो हम आपको बता दें कि इस अभी एक महीने के पीरियड में यह मेरे ख्याल से जो आंकड़ा है उसमें हमने महिलाओं की हत्या के मामलों में 16 लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया। बलात्कार के मामलों में 18 लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया। अपहरण के मामलों में फिर 16 के ऊपर गैंगस्टर लगाया। तो कुल मिलाकर महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं की हत्या, महिलाओं के साथ बलात्कार और अपहरण के मामले में हमने 50 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर में कार्यवाही की है। इसके अलावा मान्यवर, 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। इसमें से बलात्कार के 4 मामले और अपहरण के दो मामले हैं। गुंडा ऐक्ट में मान्यवर, बलात्कार के संबंध में 258 लोगों के खिलाफ गुंडा ऐक्ट की कार्रवाई की गयी और अपहरण के मामलों में 241 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी और 505 लोगों के खिलाफ कुल गुंडा ऐक्ट की कार्रवाई की गयी तो यह महिलाओं के संबंध में जो आपने चिन्ता जाहिर की थी तो उस संबंध में हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है लेकिन सवाल में हमने प्रश्न किया था कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश में डकैती, साम्प्रदायिक दंगा, दिनदहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, छिनैती, चोरी आदि की बढ़ती घटनाओं के संबंध में कार्य योजना के बारे में। तो कुछ का आंकड़ा तो माननीय मंत्री जी ने दिया कि इसमें इतने प्रतिशत कमी आई, इसमें इतने प्रतिशत आई। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कि बलात्कार में, शीलभंग में, अपहरण में, छेड़खानी में, महिला उत्पीड़न में, चेन स्नेचिंग में और दहेज मृत्यु में कितने प्रतिशत की कमी आई ? मेरी जानकारी के अनुसार मान्यवर, बलात्कार में 24.19 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है, शीलभंग में 34.32 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। महिला अपहरण में 29.01 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। छेड़खानी में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुयी। महिला उत्पीड़न में 21.75 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी का जो जवाब है जी नहीं, तो क्या यह जो वृद्धि बलात्कार में, शीलभंग में, अपहरण, छेड़खानी, महिला उत्पीड़न में हुयी है तो क्या उनके द्वारा इसका संज्ञान लेने का काम नहीं किया गया है। क्या इसको रोकने के लिये कोई ठोस प्रभावी कार्रवाई या कोई नीति बनाने की कृपा करेंगे साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये भी बता दें कि 2017 में बलात्कार में, शीलभंग में, अपहरण में और छेड़खानी में कितने प्रतिशत की कमी आयी है?

श्री अध्यक्ष-

इसमें माननीय वर्मा जी जो आपका मूल प्रश्न है, उसमें एक्शन प्लान पूछा गया है।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर, सुन लें, प्रश्न यह है कि क्या सरकार द्वारा प्रदेश में डकैती, साम्प्रदायिक दंगा, दिन-दहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, छिनैती, चोरी आदि की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिये कोई कार्य योजना बनाई गयी है?

श्री अध्यक्ष-

हां, आपने कार्य योजना पूछी है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सुन ले, माननीय मंत्री जी ने पहले का उत्तर दिया, जी नहीं। उन्होंने कहा कि बढ़ी नहीं हैं और इतने-इतने प्रतिशत की घटौती हुई है, ये जवाब में दिया है। उस जवाब के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बलात्कार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, महिला उत्पीड़न में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, शीलभंग में महिला के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, यह माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपका सवाल आ गया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय जो महिला उत्पीड़न वाली बात आपने कही है, उस पीरियड का पूरा आंकड़ा मेरे पास इस समय नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मान्यवर कि जैसे ही यह सरकार आई, हमने एक शासनादेश 15-04-2017 को जारी किया और उसमें उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये निर्देश दिये, मान्यवर, आप कहेंगे तो हम उसको पढ़ कर सुना देंगे। उसके बाद पुलिस डी0जी0पी0 के माध्यम से हमने परिपत्र जारी करवाये, उसमें हर प्रकार से अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करना और किसी भी प्रकार से किसी अपराधी को बक्शे न जाने का निर्देश देना और 100 प्रतिशत बिना किसी भेद-भाव के मान्यवर, रिपोर्ट लिखने की इसमें व्यवस्था की गई है। मान्यवर, सबसे बड़ी बात यह है कि जब से यह सरकार आई है तब से हमने इस बात की पूरी कोशिश की है कि अपराध छिपाने की कोई बात नहीं है कि हम अपराध को छिपायें, हम तो हर प्रकार से अपराध को रजिस्टर करने के पक्ष में हैं, क्योंकि हम रोकना चाहते हैं। यह सरकार अपराधियों के साथ नहीं खड़ी होती, ये सरकार अपराधियों के खिलाफ खड़ी है, हर स्तर पर हमने यह कोशिश की है कि अपराध रोके जायें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय मंत्री जी बैठ जायें तो मैं एक स्पष्ट सवाल करना चाहूंगा। मान्यवर, मैंने जो पूछा है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस उत्तर में है कि प्रदेश में विगत वर्ष के सापेक्ष डकैती में इतने प्रतिशत, हत्या में इतने प्रतिशत, फिरौती और अपहरण में इतने प्रतिशत की कमी आयी है। उसी के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ये भी बता दें कि बलात्कार, शीलभंग, अपहरण, महिला से छेड़खानी, महिला उत्पीड़न, इसमें कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है? मैं यह सवाल कर रहा हूं, इतना ही बता दें?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

सवाल यह है कि कार्रवाई का प्रतिशत है मेरे पास, कार्रवाई का प्रतिशत बता देते हैं, मान्यवर, महिलाओं की हत्या में एक जनवरी, 2017 से 31-12-17 तक हमने 73.24 प्रतिशत में कार्रवाई की, 173 आत्म-समर्पण करवाये, 1390 गिरफ्तार हुये और 543 मामलों में गलत नामजदगी पाई गई। तो हमने 73.24 प्रतिशत में कार्रवाई की है। मान्यवर, बलात्कार के मामलों में 4324 गिरफ्तार हुये, मान्यवर, 615 ने आत्म-सर्म्पण किया, 71.93 प्रतिशत में कार्रवाई हुई।

(श्री लालजी वर्मा के कुछ बोलने पर)

आप घुमा कर पूछ रहे हैं, सरकार का काम कार्रवाई करना है। आपके सामने कोई उदाहरण ऐसा हो तो आप वह दे दो, जिसमें कार्रवाई न की गई हो आप दे दें, हम कार्रवाई करवा देंगे।

(श्री लालजी वर्मा और श्री अजय कुमार 'लल्लू' के खड़े होने पर)

सवाल यह है कि हमारी मंशा अपराध को रोकने की है, कार्रवाई करने की है। हमने 70 परसेंट से ऊपर मामलों में जो गम्भीर अपराध महिलाओं के प्रति हुये हैं, उसमें हमने कार्रवाई की है, मान्यवर। और कार्रवाई का ही परिणाम है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं। महिला उत्पीड़न के मामले में एक साल में 48 हजार 75 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यह हमारे पास आंकड़ा है।

श्री लालजी वर्मा -

मान्यवर, प्रश्न हमने क्या पूछा है और जवाब क्या दे रहे हैं। जहां तक मा0 मंत्री जी कहना चाहते हैं कि कार्रवाई नहीं हुई तो मैं उसका भी एक-एक दृष्टांत बता दूंगा कि तीन-तीन, चार-चार महीने बलात्कार के मुल्जिम सड़क पर घूम रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है, स्पष्ट बलात्कार के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जैसे मा0 मंत्री जी ने जवाब दिया कि डकैती में इतने प्रतिशत, हत्या में इतने प्रतिशत और फिरौती अपहरण में इतने प्रतिशत, उसके कारण यह प्रश्न उठता है कि इसमें तो आपने कहा कि कमी आई है तो फिर यह भी बता दीजिए कि बलात्कार में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई है तो यह स्पष्ट प्रश्न है अब इसको मा0 मंत्री जी घुमा फिराकर कर कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष -

मुझे लगता है कि लिखित में आपने कार्य योजना पूछी थी इसलिए हमने ध्यानाकर्षित किया है।

श्री लालजी वर्मा -

मान्यवर, जो इसका जवाब है उसके आधार पर यह प्रश्न बनता है इसीलिए तो आप तारांकित प्रश्न स्वीकार करते हैं क्योंकि उसमें कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिसको पूछा जा सके। मैं आपके माध्यम से केवल यह जानना चाहता हूं कि बलात्कार में कितने प्रतिशत की कमी आई है या वृद्धि हुई है ? मेरे आंकड़े के अनुसार 24.19 प्रतिशत की वृद्धि है, शीलभंग में मेरे आंकड़े के अनुसार 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, महिला अपहरण में 29 प्रतिशत वृद्धि है, महिला की छेड़खानी में 63.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, अगर यह वृद्धि हुई तो फिर जो आपकी कार्य योजना है वह निरर्थक साबित हो रही है, आपके सारे शासनादेश निरर्थक हो रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इसका स्पष्ट उत्तर मा0 मंत्री जी दे दें तो निश्चित रूप से इससे कार्य योजना बनाने में सुविधा होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मान्यवर, अब यह मुझे नहीं मालूम कि ये कब का कागज पढ़ रहे हैं लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि थोड़ा-बहुत वृद्धि हुई हो लेकिन इनको देखना यह चाहिए कि सरकार किसके साथ खड़ी है।

श्री लालजी वर्मा (बैठे हुए) -

अपराधियों के साथ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

नहीं मान्यवर, जो पीड़ित है, सताया गया है उसके साथ सरकार खड़ी है या अपराधियों के साथ सरकार खड़ी है। जो अभी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो का आंकड़ा वह पढ़ रहे थे वह इनके ऊपर लागू होता है। हमने हर मामले में कार्रवाई की है अगर आप कोई मामला दे देंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

मान्यवर, इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष -

मा0 सदस्य आप बैठ जायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना -

मान्यवर, सरकार ने हर स्तर पर कार्रवाई की है और मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई अपराधी नहीं बचेगा। यूपीकोका तो हम ला रहे हैं और खिलाफत कौन कर रहा है, अपराधियों को बचाना कौन चाहता है। हम अपराधियों को बचाना नहीं चाहते हैं और यह देखा जाना चाहिए, पब्लिक परसेप्शन कभी गलत नहीं बनता

और पब्लिक परसेप्शन यह है कि अभी तक की सरकारों के मुकाबले में सबसे अच्छी कानून-व्यवस्था योगी जी की सरकार में है। मान्यवर, जीरो क्राइम की बात हमने कभी नहीं कही, क्राइम तो होते हैं, इसीलिए थाने और पुलिस की व्यवस्था होती है, हमने कभी नहीं कहा कि हम जीरो क्राइम कर देंगे, यह हमने कभी नहीं कहा। हमने तो यह कहा कि हम अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और मैंने आपके सामने कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दे दिया। अलग-अलग बता देंगे कि बलात्कार में कितने लोग गिरफ्तार हुए, शीलभंग में कितने लोग गिरफ्तार हुए। 4324 लोग बलात्कार में गिरफ्तार हुए, 1390 हत्या में गिरफ्तार हुए, 10 हजार 332 शीलभंग में गिरफ्तार हुए, अपहरण में 8 हजार 56 गिरफ्तार हुए, छेड़खानी में 1359 गिरफ्तार हुए, महिला उत्पीड़न में 17 हजार 914 गिरफ्तार हुए, चेन-स्नेचिंग में 517 गिरफ्तार हुए इस प्रकार से कुल मिलाकर 48 हजार 75 की यह फीगर है, जो भी अपराध सामने आया जो रजिस्टर हुआ, उसमें प्रापरली इन्वेस्टीगेशन हुआ और उसमें लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई।

श्री पारस नाथ यादव -

मान्यवर, इस सवाल को तारांकित प्रश्न के रूप में आपने स्वीकृति दी है। 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष -

इसीलिए तो इसमें 25 मिनट का समय लगा।

श्री पारस नाथ यादव -

मान्यवर, प्राथमिकता का मतलब हुआ कि जो सवाल का उत्तर दिया गया है वह उत्तर सही आना चाहिए। और सवाल के उत्तर में अगर कोई कन्ट्रोवर्सी है, तो उसका स्पष्टीकरण भी आना चाहिए, इसीलिए सप्लीमेंट्री सवाल पूछे जाते हैं। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो उत्तर में आया है कि प्रदेश में अपराध तथा अपराधियों पर जीरो टालरेंस के सिद्वांत पर कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं, यह आपने स्पष्ट तौर पर कहा और इसके बावजूद भी ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि अपराध का जो एफ0आई0आर0 है वह थानों पर लिखे नहीं जा रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद हम लोग टेलीफोन करते हैं, जनप्रतिनिधियों के लोग रोते हुए जाते हैं तब जाकर एफ0आई0आर0 होते हैं वास्तविकता तो यह है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें मैं एक सवाल केवल कहना चाहता हूं। क्या कोई जितनी भी आपने परियोजना बनाई है चाहे एन्टी रोमियों दल हो, चाहे आपका एंटी ऑफसीन काल सेल हो, चाहे एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स हो, चाहे आपका महिला सम्मान प्रकोष्ठ हो ? इनका जो गठन आपने किया है क्या आप सरकार के स्तर पर कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे। ये जो आपने जिले स्तर पर परियोजनाएं बनायी है, क्या इसमें कार्य हो रहा है या नहीं। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, मैं भी लम्बे अरसे से राजनीति में हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक भी अधिकारी जिले स्तर का

चाहे एस0एस0पी0 हो, चाहे एस0पी0 हों, चाहे सी0ओ0 हों, कभी भी जनप्रतिनिधियों की इस तरीके से बैठक करके नहीं कहते कि ये कार्यवाही करने का हम लोगों को आदेश है। जब भी कोई सूचना हो तो आप हमको देने का कष्ट करें। मैं केवल माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या ये अपराध रोकने के लिए। क्योंकि अपराध और अपराधी किसी जाति का नहीं होता और न इसका कोई किस्म है। इसके विरुद्ध में सभी हैं, लेकिन पीड़ित व्यक्ति जब आपके पास आता है, हमारे पास आता है, तो हमारे आपके मन में होता है कि इसकी सहायता करें। क्या शासन स्तर पर एक ऐसी कमेटी बनाएंगे जिन कार्य योजना को आपने जिला स्तर पर दिया है, सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंटी भू-माफिया की बात की जाती है, गरीब का घर ढहा दिया जाता है और उस पर कार्यवाही हो जाती है और भू-माफिया जो बड़े-बड़े लोग हैं उनके भू-माफियों पर कब्जा आज तक भी नहीं हटा सके। तो क्या आप इस तरीके की कोई ऐसी कमेटी बनाएंगे,

श्री अध्यक्ष-

क्या शासन की कोई कमेटी है ऐसा आप जानना चाहते हैं।

श्री पारसनाथ यादव-

... जिससे इसका इस्तेमाल सही ढंग से हो सके, इसके लिए कार्य कर सकें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर रेगुलर इस बात की समीक्षा होती है। डी0जी0पी0 स्तर पर भी होती है, गृह सचिव के स्तर पर भी होती है और माननीय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर भी होती है अभी होली से ठीक पहले मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश को इस बात के लिए आगाह भी किया था, सचेत भी किया था और पूरे प्रदेश में इस बात का संदेश दिया था और उसी वजह से मान्यवर जितने त्योहार हुए, सब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाये गये, चाहे मान्यवर जन्माष्टमी हो, चाहे छोटी ईद हो, चाहे ईदुलजुहा हो, चाहे ईदुल फितर हो मान्यवर, चाहे नवरात्रि हो, चाहे विजयदशमी हो, चाहे मुहर्रम हो, दीपावली हो, छठपूजा हो, चाहे चहल्लुम हो, चाहे बारावफात हो, चाहे क्रिसमस-डे हो, चाहे मकर संक्रांति हो, और चाहे चुनाव हो नगर पालिका के, सारे चुनाव मान्यवर पूरे तरीके से शांतिपूर्ण निपटे।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय मंत्री जी, मैं सीधे यह कह रहा हूं कि शासन स्तर पर आपने जो कमेटी बनायी है, वह क्या है। जो परम्परा चल रही है, वह अलग है।

श्री अध्यक्ष-

इन्होंने बता तो दिया कि होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक होती है।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल बस एक मिनट। परम्परागत जो आपने कार्य योजना बना दिया है और परमानेंट प्रभारी मंत्री से लेकर समीक्षा की जो आप बात करते हैं। हकीकत तो यह है कि हमारे नीचे से ले करके, थाने से ले करके कप्तान तक सीधे जो रिपोर्ट भेजी जा रही है, वह शासन को गुमराह किया जा रहा है। शासन उसकी वास्तविकता जान नहीं पा रहा है। मैं यह कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने बताया कि शासन स्तर पर होम सेक्रेटरी और डी0जी0पी0 इसका पर्यवेक्षण करते हैं।

श्री पारसनाथ यादव-

अध्यक्ष जी, जो इसकी वास्तविकता जान सकें और रिपोर्ट आने के बाद ऊपर कार्यवाही हो सके, ये तो वही परम्परा वाली बात बता रहे हैं, घुमाकर उत्तर दे रहे है। हमारा यह सवाल नहीं था। हमारा सवाल इस बात का है कि कोई स्पेशल इस तरीके की जांच करने की कमेटी बनाएंगे, जे वास्तविक रूप से ...

श्री अध्यक्ष-

राज्य स्तर पर ना, वह तो बताये कि होम सेक्रेटरी ...

श्री पारसनाथ यादव-

वह परम्परावाली बात रहा हैं कि मुख्य मंत्री स्तर पर होता है, मंत्री स्तर पर होता है विविधीय स्तर पर होता है।

श्री पारस नाथ यादव-

जो रिपोर्ट आ गयी, स्टेटमेंट आ गया, उसी स्टेटमेंट को मान लेते हैं। लेकिन अपराध लगातार बढ़ रहा है, माननीय अध्यक्ष जी, अपराध रुक नहीं रहा है। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे तो जिस अपराध की बात कह करके यह सरकार में आये थे अगर यह ईमानदारी से कहें, आज मैं गारण्टी से कह सकता हूं कि अपराध दोगुना बढ़ चुका है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 पारसनाथ यादव जी, मा0 लालजी वर्मा जी और मा0 लल्लू जी ने जो प्रश्न किये मैं भी उस पर बल दे रहा हूं कि थानों पर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हो रहे हैं। आपने दो सेण्टर बनाया है, एक तो थानाध्यक्ष का और एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का, वहां पर हम इसकी सूचनायें लेते हैं। हमारी निश्चित जानकारी है जितने भी पीड़ित लोग हैं सीधे अदालत जा रहे हैं और एक एलीगेशन अप्लीकेशन में लिखते हैं कि थाने पर मेरी बात नहीं सुनी गयी इसलिए मैं सीधे अदालत में आया हूं। अदालत पूरी तरह से संतुष्ट होकर सीधे

लिखती है, पहले तो विवेचना कराती थी, अब स्पष्ट आर्डर कर रही है कि इनका एफ0आई0आर0 दर्ज करो। मैं माननीय मंत्री जी से कहना और पूछना भी चाहता हूं कि आज मान्यवर, 156(3), 152 में इस्तगासा या कम्पलेन जो भी केसेज हों उसमें मुकदमा दर्ज करने की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे सीधा साबित होता है कि थानों में एफ0आई0आर0 नहीं दर्ज हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं, हो सकता है कि आप कहें कि अदालत का मसला है लोग शौकिया चले जांय या अपने से जा रहे हैं तो उसको कहां से रोक पायेंगे ? जब पीड़ित दुःखी हो जा रहा है, अभी 10 घटना मैं बता सकता हूं लेकिन सदन का समय नहीं लूँगा। अभी एक प्रधान सोनू को बुरी तरह से गुण्डों ने उसके दरवाजे पर पीटा एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं हुई, वह बेचारा भटक रहा है। वह गांव का प्रधान है और शिड्यूल्ड कास्ट का है। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस बात की आप श्योरिटी दे रहे हैं कि सबकी एफ0आई0आर0 थानें में दर्ज होगी और माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि कोई अछूता न रह जाए जिसका एफ0आई0आर0 दर्ज न हो, विवेचना के बाद आप चाहे जो चाहें करें। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी प्रदेश से इस बात की सूचना एकत्र करेंगे कि आपके थानों या जिलों से कितने मुकदमें अदालत में जाकर दर्ज हुए हैं और पुलिस से स्पष्टीकरण लें, मैं न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं कि उसमें इटंरफियर करिये। न्यायालय का अधिकार है वह आदेश कर रही है, न्यायालय से तो न्याय मिल रहा है। आपकी पुलिस एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कर रही है और माननीय खन्ना साहब, इस समय आपकी पुलिस जज और जल्लाद दोनों का काम कर रही है, गोली से मार भी दे रही है और जज का फैसला भी कर दे रही है। आप पुलिस को कण्ट्रोल करें, विधायक के द्वारा फोन करने पर उनको भी कहा जाता है कि हर मामले में इंटरफियर मत करिये, मैं विवेचना कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मैं फिर उस पर बल देता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी हासिल करेंगे। मैं यह प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि आप अदालत के काम में इंटरफियर करें। कितने मुकदमें इस समय आपके अदालतों के द्वारा जो बड़ी तेजी के साथ 156(3) में दर्ज हो रहे हैं उसकी सूचना मंगाकर सदन के पटल पर रखेंगे उससे स्पष्ट हो जायेगा कि आपके थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, अदालत के निर्देशों पर हो रहा है क्या इसकी सूचना मा0 मंत्री जी मंगाकर सदन के पटल पर रखेंगें?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजभर जी बहुत सीनियर सदस्य हैं और सभी प्रकार का अनुभव भी है। इनको यह सोचना चाहिए कि यह सरकार किसके साथ खड़ी है, हम अपराधियों के साथ खड़े हैं या हम निर्दोष व्यक्ति जो सताये जाते हैं या किसी तरीके से पीड़ित हैं उसके साथ खड़े हैं? सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। जहां तक 156(3) का सवाल है तो 156(3) में, सी0आर0पी0सी0 में यह प्रॉवीजन तो है कि हम अदालत के माध्यम से भी अपनी एफ0आई0आर0 दर्ज करा सकते हैं लेकिन मान्यवर, वह 156(3)

बहुत से ऐसे मामलों में भी होता है जहां पर कोई घटना ही नहीं हुई है, ऐसा भी होता है। ऐसे बहुत से मामले आते हैं जब कोई घटना ही नहीं हुई। जब पुलिस के पास कोई केस जाता है और वह एक्सपंज होने लायक होता है तो उसमें रिपोर्ट लगाकर एक्सपंज कर देते हैं लेकिन जो घर पर बैठे हुए लोग सोच लेते हैं कि हमें अपने विरोधी को परेशान करना है तो उन्होंने एक दरख्वास्त एस0पी0 को दी और फिर 156(3) में चले गये। मान्यवर, ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। तो मान्यवर, आपने जो जिज्ञासा व्यक्त की है हम उसको जरूर दिखवा लेंगें। यह मैं आपसे कहता हूं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आश्वासन हो गया। अब अगला प्रश्न लेते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मान्यवर, ऐसे गम्भीर प्रश्न पर एक भी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं दे पाये। बातों को टाल रहे हैं, मटोल रहे हैं। दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं, इधर हाथ दिखा रहे हैं। विपक्ष का भूत इनको कब तक सतायेगा ? हर बात में गलतबयानी इस सदन में करना, त्यौहार में कुछ हुआ ही नहीं। अभी गोरखपुर जनपद में जहां माननीय मुख्य मंत्री जी का निवास है, होली के दिन 7 मर्डर हुए और कम से कम 300 लोग झगड़े में घायल हुए, मेडिकल कालेज में भर्ती हैं और यह कह रहे हैं कि त्यौहार एकदम शांतिपूर्ण हो गया। सब ठीक से हो गया। प्रदेश डकैती, छिनैती, बलात्कार, अपहरण से बिल्कुल कराह रहा है और यह कह रहे हैं कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। तो आप उसी के साथ खड़े हैं जो डकैती कर रहा है, छिनैती कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। और किसके साथ खड़े हैं? उसके विरोध में खड़े होते तो यह घटनाएं नहीं घटती।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल को यह बता दें कि यह राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हैं। प्रश्न पूछें। यह राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो रही है मान्यवर। यह भूल गये हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 12:20 बजे शुरू होगी। इन्होंने 11:35 से ही शुरू कर दी। मान्यवर, इनको यह बता दें। यह भूल गये, मद बदल गये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, इनको नहीं खड़ा होना चाहिए था जब मैं खड़ा हूं। यह खड़े हुए तो मैं बैठ गया। इनकी अपराधियों से सांठ-गांठ है मान्यवर, बलात्कारियों से सांठ-गांठ है, छिनैतियों से सांठ-गांठ है। किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रदेश अपराधियों से कराह रहा है, यह सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इसलिये हम इनके उत्तर के विरुद्ध में हम इस सदन का थोड़ी देर के लिये, 1 बजे तक के लिये बहिष्कार करते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करके चले गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हर बात का उत्तर दिया है और यह जो आज समाजवादी पार्टी के लोग चले गये इनके सरकार के जमाने में रोज थाने में पुलिस पिटती थी।(मेजों की थपथपाहट) और इनका क्राइम रिकार्ड तो आज भी मौजूद है मान्यवर। इसलिये यह क्या कहेंगें 72 छेद की छलनी। हमने हर बात का उत्तर दिया है और कानून-व्यवस्था पहले के मुकाबले में दिन प्रतिदिन बेहतर हुई है और आगे भी होगी।

(श्री लाल जी वर्मा व श्री अजय कुमार 'लल्लू' के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी क्या कहना है?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मेरा सुन लें। मेरा मूल सवाल है। अध्यक्ष जी, गोरखपुर मंडल से माननीय मुख्य मंत्री जी आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी बोल लें।

श्री लाल जी वर्मा-

मुझे बुला लिया है अध्यक्ष जी ने। मान्यवर, मैंने स्पेसिफिक सवाल किया।

श्री अध्यक्ष-

अब 40 मिनट वर्मा जी हो गये एक सवाल पर।

श्री लाल जी वर्मा-

सुन लें मान्यवर, एक मिनट लूंगा। मैंने स्पेसिफिक सवाल किया मान्यवर। उसका एक भी जवाब नहीं आया। माननीय मंत्री जी ने चुनौती के साथ कहा कि कहीं भी एक घटना बताइये जहां बलात्कार पर कार्यवाही न हुई हो। मान्यवर, एक नहीं दर्जनों घटनाएं हैं। और इस सरकार में महिला जलाई जाती है। महिला के साथ बलात्कार होता है और वह जला भी दी जाती है। मान्यवर, यह सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। और घुमा फिरा कर जवाब दे रही है। अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार अपराध को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है। सरकार के अपराधियों से मिली भगत के विरोध में हम और हमारा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(श्री लाल जी वर्मा अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार जो बड़े दम्भ के साथ दावा कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

आपको कहना क्या है?

श्री अजय कुमार लल्लू-

गोरखपुर मंडल के बारे में बता दूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बता चुके हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

गोरखपुर मंडल में लूट 160, 521 हत्या, अपहरण 1, फिरौती 200, डकैती 336, महिला अपराध 210।

श्री अध्यक्ष-

मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष जी, केवल मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में इतनी घटनाएं माननीय अध्यक्ष जी, केवल मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में इतनी घटनायें हो रही हैं, पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था को आइने के रूप में प्रस्तुत किया है।

(इसी मध्य नेता कांग्रेस अपने दल के साथ सदन का त्याग करके चले गये।)

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में जनवरी 2017 से 31 जरवरी, 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं की रोकथाम के उपाय

***02-श्री संजय गर्ग-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की कितनी घटनायें घटित हुई हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कोई उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

प्रदेश में जनवरी, 2017 से 31 जनवरी, 2018 तक साम्प्रदायिक तनाव की 01 घटना (जनपद बिजनौर में दिनांक 10-02-2017 को) घटित हुई है।

जी हां।

साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये हैं :-

पुलिस महानिदेशक के पत्र संख्या डीजी-आठ-96 निर्देश-2018, दिनांक 29-01-2018 में निर्देश निर्गत किये गये हैं कि प्रदेश में शांति व्यवस्था भंग करने एवं साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना के प्रतिकूल कार्यवाही करने हेतु सक्रिय तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी हैं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिये त्वरित एवं निष्पक्ष होकर कार्यवाही किये जाने तथा नियमित

---

* (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0 229 पर।)

रूप से सूचना का संकलन स्थानीय अभिसूचना इकाइयों, जन सामान्य एवं अन्य स्रोतों से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

ऐसे तत्वों जिनके भ्रमण आदि से साम्प्रदायिक सद्भाव एवं समरसता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो उनके विरुद्ध द0प्र0सं0 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

शासन के पत्र संख्या 352पी/छः-पु-3-2017-06पी/2012, दिनांक 11-04-2017 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं कि प्रदेश में ऐसा वातारण सृजित किया जायेगा जिससे समाज में किसी भी जन सामान्य को असामाजिक/अराजक तत्वों द्वारा प्रताड़ित/आंतकित न किया जा सके सभी अराजक असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध ढंग से प्रभावी एवं सतत वैधानिक कार्यवाही की जाये।

शासन के पत्र संख्या आई0आर0-377-2017-सीएक्स-2, दिनांक 14-06-2017 द्वारा साम्प्रदायिक घटनाओं को रोके जाने के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के पत्र संख्या डीजी-आठ94(23)2017, दिनांक 03-05-2017 द्वारा प्रत्येक पुलिस अधिकारी/पुलिस कर्मी द्वारा प्रतिदिन व्यावसायिक क्षेत्रों, मार्केट, भीड़भाड़ वाले इलाकों व कस्बों में पैदल गश्त करने के निर्देश दिये गये हैं एवं गौ-तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसके अनुसरण में विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी है।

साम्प्रदायिक तनाव की घटनाओं को रोके जाने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में तैनात शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में

***01-श्री पारसनाथ यादव-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उन्हें बढ़ा मानदेय दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)-

जी हां।

शिक्षा मित्रों को रु0 10000.00 प्रतिमाह की दर से मानदेय दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पारसनाथ यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने सवाल इस मकसद से पूछा है कि शिक्षा मित्रों, अध्यापकों की कमी के कारण यह देखा जाता था कि एकल विद्यालयों में और कहीं-कहीं प्राइमरी विद्यालयों में एक भी अध्यापक नहीं था तो शिक्षा मित्रों के लिए एक योजना चलायी गयी कि उसी गांव से जो पढ़ा-लिखा

नौजवान बेरोजगार है, उसको नौकरी भी मिलेगी और वह पठन-पाठन का काम भी करेगा, इसलिए यह व्यवस्था बनायी गयी थी। शिक्षा मित्रों की तैनाती करने के बाद सरकार ने कोशिश की कि इनको समान कार्य पर समान वेतन की व्यवस्था दी जाए और ये वही कार्य कर रहे हैं, जो हमारे अध्यापकगण कर रहे हैं तथा पिछली सरकार ने उनको सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित किया, लेकिन एक विडम्बना ऐसी हो गयी या एक आदेश हो गया, जिसमें शिक्षा मित्रों की तैनाती को अवैध ठहराते हुए यह कहा गया कि इनको केवल मानदेय दिया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि दो प्रकार के शिक्षा मित्रों की आपने तैनाती की थी। एक सर्व शिक्षा अभियान के तहत और दूसरा बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा मित्रों को ग्राम प्रधानों के माध्यम से और जहां आवश्यकता महसूस हुई, जब ये सहायक अध्यापक हो गये तो इनकी तैनाती जहां ये तैनात थे, वहां से हटाकर के जिले के प्रत्येक विकास खण्डों में जहां आवश्यकता पड़ी, वहां कर दी, जिले के बाहर नहीं गये, लेकिन जिला बड़ा है तो एक कोने से दूसरे कोने पर तैनाती कर दी गयी और वहां वह सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी क्या आप बतायेंगी कि कितने शिक्षा मित्रों की तैनाती सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में की गयी थी और कितने बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से तैनात किये गये थे और क्या दस हजार रुपये मानदेय दोनों प्रकार से जिनकी तैनाती की गयी है, उन सबको मिल रहा है? मेरी जानकारी है कि जो शिक्षा विभाग द्वारा तैनात जो शिक्षा मित्र हैं, उनको अभी तक दस हजार रु0 का मानदेय नहीं मिल रहा है। कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 17000 शिक्षा मित्रों का भुगतान राज्य सरकार कर रही है। दो चीजें आपने पूछी थी कि कितना परिषदीय भुगतान होता है और कितना सर्व शिक्षा अभियान के तहत होता है और लगभग 1 लाख 52 हजार शिक्षा मित्रों का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया जा रहा है। दोनों ही प्रकार के शिक्षा मित्रों के लिए सरकार ने 10 हजार रु0 के मानदेय की व्यवस्था की है और जो राज्य सरकार के द्वारा आपने पूछा था, राज्य सरकार द्वारा 22 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसमें 9 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा जारी भी कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

दोनों को मिल रहा है, आपका उत्तर आ गया है।

श्री पारसनाथ यादव-

मेरी निश्चित जानकारी है, मेरे जनपद जौनपुर में 85 ऐसे लोग हैं, जिनका चयन शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा मित्र के पद पर हुआ था, उनको मानदेय नहीं मिल रहा है और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि महंगाई बढ़ गयी है, 10 हजार का आप मानदेय दे रहे हैं और शिक्षा मित्र की तैनाती जिले के ब्लाक में हैं, तो क्या जहां उनकी तैनाती थी, उनकी तैनाती पुनः वहीं करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

दो आपकी बातें पहला तो इनके जिले का जो मामला है, उसको दिखवा लें और दूसरे में जो नीति हो सकती है, वह भी कर दें।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा आपने कहा माननीय सदस्य के जिले जौनपुर का जो मामला है, उसे मैं दिखवा लूंगी, कहीं अगर नहीं पहुंच रहा है तो मैं स्वयं उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल उसकी जांच करवा लूंगी। उसकी तत्काल व्यवस्था कराऊंगी। दूसरी बात जो आपने कही कि अभी वह दूर-दूर नियुक्त हैं और अपना काम कर रहे हैं तो उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की थी कि हम शिक्षक और छात्र के अनुपात को ठीक कर लें उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी उसके नाते वह व्यवस्था रुकी हुई है हमारी भी इच्छा है कि वह जिस जगह को बिलांग करते हों उस जगह पर चले जाएं।

प्रदेश में एन0सी0टी0आई0 के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में छूट देने की मांग

***02-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट सं0-21652/2016 में दिनांक 17-04-2017 में प्रदेश सरकार द्वारा नई प्रक्रिया जारी कर उन सभी अभ्यर्थियों को जो एन0सी0टी0आई0 के मार्गदर्शन के अनुसार 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, को अधिकतम उम्र में छूट देते हुए समायोजन करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

उक्तवत।

उक्तवत।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 (अद्यतन संशोधित) के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैंने जो सवाल किया था, वह उन शिक्षकों का है जो एन0सी0टी0आई0 के मार्गदर्शन के अनुसार 6 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। लेकिन अधिक उम्र होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। तो मान्यवर हो सकता है कि डेट में कोई परिवर्तन हो गया माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जी नहीं तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं इस पर विचार करते हुए कि जिन्होंने 6-6 महीने तक का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उनकी अधिकतम उम्र में छूट देते हुए समायोजन करने की कृपा करेंगी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी पहला तो जो यह प्रश्न था वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-4-2017 द्वारा समायोजन हेतु नहीं केवल आयु में छूट प्रदान करने का आदेश हुआ था उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली, 1981 के अनुसार नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु ही 50 वर्ष निर्धारित है तो उम्र में तो हम छूट दे ही रहे हैं। इसमें कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उनकी नियुक्ति करांएगे जब उन्होने प्रशिक्षण प्राप्त किया तो इसका मतलब वह योग्य थे तभी तो उनको प्रशिक्षण दिलवाया गया प्रशिक्षण कैसे दिलवाया गया ? बिना योग्यता के बिना चयन के तो उनका प्रशिक्षण हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते क्या हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, उनकी नियुक्ति हो, उनका समायोजन किया जाय। यही मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ वह बेचारे 6-6 महीने प्रशिक्षण किए कि हम अध्यापक हो गए लेकिन अब वह घर बैठे हैं।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी सर्वोच्च न्यायालय का बहुत स्पष्ट आदेश आया इनको समायोजन हेतु नहीं बल्कि आयु में छूट प्रदान करने का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया।

श्री लाल जी वर्मा-

उन्होंने तो आदेश दिया लेकिन क्या आप करने की कृपा करेंगी। उन्होंने उम्र में छूट दे दी क्या आप उनका समायोजन करेंगी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

50 वर्ष की छूट हम दे रहे हैं बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है कि समायोजन नहीं वह भर्ती परीक्षा में बैठे अगर सफल होते हैं तो शिक्षक बन जाएंगे।

प्रदेश के सभी थानों तथा कोतवालियों में सी0सी0टी0टी0 कैमरा लगवाने विषयक

***03-सुश्री अदिति सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी थानों तथा कोतवाली में पुलिस कर्मियों द्वारा आये दिन महिला शिकायतकर्ता के उत्पीड़न उनसे बदसलूकी, अभद्रता करने की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार सभी थानों एवं कोतवालियों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाकर उनका प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए एक अलग से सेल गठित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

शासनादेश दिनांक 31-03-2015 द्वारा प्रदेश के 1525 थानों (जनपदीय 1460 तथा जी0आर0पी 65) में सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रथम चरण में 262 एवं द्वितीय चरण में 786 कुल 1048 थानों में सी0सी0टी0वी0 के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका हैं तीसरे चरण में शेष 477 थानों में प्रवेश के स्थान पर तथा थाना कार्यालय में सी0सी0टी0वी0 लगाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

इस कार्य योजना में सभी थाना/कोतवाली पर सी0सी0टी0वी कैमरा लगाकर उनका प्रभावी अनुश्रवण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक कार्यालय/परिक्षेत्र/जोन मुख्यालय/तकनीकी सेवायें मुख्यालय एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक द्वारा कराये जाने की व्यवस्था सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्नकर्ता सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को नियमित किये जाने तथा सरकारी अध्यापकों की भांति सुविधायें देने की मांग

***04-श्री संजय गर्ग, हाजी इकराम कुरैशी तथा श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को नियमित किये जाने की तथा उन्हें सरकारी अध्यापकों की भांति सुविधायें देने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599-2015, उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25-07-2017 के अनुपालन में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समयोजन निरस्त करते हुये शिक्षामित्र के पद पर नियोजित किया गया है।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय मंत्री जी हमारे प्रश्न का जो प्रथम अंश है उसमें दो तरह के प्रश्न लगे हुये हैं एक तो लगा था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षामित्रों को नियमित किये जाने की तथा उन्हें सरकारी अध्यापकों की भांति सुविधा देने की सरकार की कोई नीति है। अगर शिक्षा मित्रों को नियमित किये जाने की कोई योजना है, दोनों के बारे में माननीय मंत्री जी ने अपना उत्तर एक में दे दिया जी नहीं फिर हमारे प्रश्न के अन्तिम भाग में माननीय मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कई ऐसे वाक्या हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है उसके खिलाफ समय-समय पर हमारी विधान सभायें या लोकसभा से हम उनके आदेश को बदलकर के हम यहां पर नया सर्कुलर जारी कर देते हैं। तो क्या मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि क्या इन शिक्षामित्रों की जो बदहाली है उनकी बदहाली को देखते हुए रोज कहीं अखबारों में निकलता आज एक शिक्षामित्र ने सुसाइड कर लिया कोई मर गया, मतलब तरह-तरह की रोज खबरें आतीं हैं तो क्या उनकी इस दशा पर विचार करते हुए क्या इसको भी इस तरह से इस विधान सभा से पास कराके, लोकसभा से हम नया कानून बनाकर कई बार ऐसा हुआ है जैसे एक बार कहा जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि माननीय पूर्व मुख्य मंत्री लोगों के जितने भी बंगले है वो खाली हो जायें। हमने कूनन बना दिया कि कोई खाली नहीं होगा। तो इसलिए की कि हम पॉवर में है, लेकिन क्या इन शिक्षामित्रों को भी हम इस तरह हम क्या न्याय देने के पक्ष में है कि हम इसका कानून बना करके

उनकी मांग को हम जायज मानें, पहला सवाल। दूसरा यदि इसमें कोई विशेष अड़चन है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा है आप मानदेय उनका फिक्स करिये या मानदेय बढ़ाइये-घटाइये। तो अगर वो नहीं कहा तो आप जो दस हजार मानदेय माननीय मंत्री जी दे रहीं हैं तो क्या इसको बढ़ा करके कम से कम जो एक सहायक अध्यापक का जो वेतन है उस वेतन के बराबर इनका मानदेय देने पर विचार करेंगी।

श्री अध्यक्ष-

दो बातें पूछी आपने। पहली है कि क्या अधिनियम बनाया जायेगा दूसरा माननीय न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया।

श्री उमाशंकर सिंह-

जब भी आदेश आते है कि कई ऐसे वाक्या हैं माननीय अध्यक्ष जी मैं लिया हूं जिसमें हम समय-समय पर सदन से हम उसको रोकते हैं, अधिनियमित करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अधिनियम बनाकर ही रोकते हैं।

श्री उमाशंकर सिंह-

अधिनियमित करते हैं उनको।

श्री अध्यक्ष-

सदन किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कार्य नहीं करता।

श्री उमाशंकर सिंह-

नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं उसको हम अनियमित करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी अधिनियम बनाने पर क्या है सरकार की योजना।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, अद्यतन ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के बाद शिक्षामित्रों को उनकी निर्धारित आयु सीमा में छूट प्रदान की गयी हैं उनके प्रत्येक सेवा वर्ष के आधार पर अधिकितम 25 अंक का भरांक भी उन्हें दिया जा रहा है और सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में उन्हें दो बार सम्मिलित होने का अवसर दिया जा रहा है। दो बार, अगर एक बार सफल नहीं हो सकते हैं तो दूसरी बार भी वो बैठ सकते हैं परीक्षा में। इसीलिये 137000 शिक्षामित्रों की एक साथ परीक्षा न कराकर 68500 के क्रम में दो बार यह परीक्षा हम करायेंगे। दूसरी बात कि आपने कहा कि इनको जो मिल रहा मानदेय, तो आपने ही कहा कि मानवता के आधार पर तो हमने तो रुपये 3500 से बढ़ाकर उनका मानदेय रुपये 10000 किया गया है और यह मानदेय का पद है इसको हम उनको शिक्षक की भांति नहीं दे सकते।

प्रदेश में बेकार पड़ी ऊसर तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु कार्य योजना

***05-श्री नितिन अग्रवाल-**

क्या परती भूमि विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेकार पड़ी ऊसर तथा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार कोई व्यापक कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परती भूमि विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

जी हां।

उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक के वित्त पोषण से उ0प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना सितम्बर, 2009 से संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अब तक 130931 हे0 ऊसर भूमि का सुधार कर फसलोत्पादन सुनिश्ति कराया गया है। यह योजना दिसम्बर, 2018 में समाप्त होगी।

प्रश्न नहीं उठता

***06-श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

[मा0 सदस्य के अनुरोध पर 03 मंगलवार हेतु स्थगित]

प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस व पुस्तकों के वितरण में किये गये खर्च की जानकारी

***07-श्री मोहम्मद असलम 'राइनी' (एडवोकेट)-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी स्कूलों में ड्रेस व पुस्तकें वितरित की गयी हैं, उस पर सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की है ? क्या सरकार ने उसकी ई-टेण्डरिंग करायी थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में यूनीफार्म हेतु रु0 695.84 करोड़ जनपदों को आवंटित कर दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु रु0 205.01 करोड़ जनपदों को आवंटित कर दिया गया है।

जी नहीं।

उक्तवत्।

तत्समय ई-टेण्डरिंग की अनिवार्यता नहीं थी। अतः पुस्तकों हेतु निविदा विज्ञप्ति दिनांक 31-12-2016 द्वारा खुली निविदा करायी गयी थी। प्रत्येक छात्र-छात्रा को 02 सेट ड्रेस विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है जिसका मूल्य प्रति सेट रु0 200.00 निर्धारित किया गया है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश में ड्रेस के वितरण में, जूतों की सप्लाई में, किताबों की सप्लाई में बड़ी धांधली हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सात से लेकर नौ करोड़ रुपये प्रत्येक जनपदों में

ड्रेस वितरण में खर्च किया गया, जिसके माध्यम से ड्रेस का वितरण किया गया। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने ये भी आपसे कहा था कि आप अपने परिवार से ड्रेस का वितरण कराइयेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

माननीय अध्यक्ष जी, [xxx] जनपद श्रावस्ती, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर में जो सप्लाई किया है और..

श्री अध्यक्ष-

जो आप पूछ रहे हैं वह मूल प्रश्न के असंगत है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

नम्बर एक, जो ड्रेस 135 और 150 रुपये में थी, उसका भुगतान मा0 मंत्री महोदया ने 200 रुपये में किया तो वह जो 40 करोड़ रुपये बचा, वह कहां गया?

श्री अध्यक्ष-

किसी सदस्य के परिवार के बारे में कोई बात कहना यह असंगत है। यह ठीक नहीं है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास सबूत है।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आप मा0 सदस्य से यह कहिये कि वह अपना प्रश्न पूछें। जिस प्रकार से मा0 सदस्य बोल रहे हैं यह उचित नहीं है और यह तरीका भी ठीक नहीं है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पूछा है कि 135 और 150 रुपये की ड्रेस का आपने 200 रुपये भुगतान किया है तो बाकी पैसा कहां गया?

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न संगत नहीं है इसलिये जो भी अनुचित है वह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा।

श्री सुरेश कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य गलत बयानी कर रहे हैं इसलिये इनके अंश को कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि 205 करोड़ रुपये की जो पुस्तकें आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के जनपदों में वितरित कराई गयी हैं वह किस फर्म से कराई गयी हैं और किस फर्म से उनको छपवाया गया ? नम्बर तीन, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि ड्रेस, किताब और जूते के वितरण में जो ई-टेण्डरिंग नहीं हुई तो उन्होंने किस फर्म से और किन लोगों के माध्यम से यह कार्य कराया ? मा0 मंत्री महोदया कृपया सदन को यह बताने का कष्ट करें और क्या 11 सदस्यों की एक टीम बनाकर के प्रत्येक जिले में इसकी जांच कराने का काम करेंगी ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ी विनम्रता के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि जिस तरह का आरोप मा0 सदस्य ने लगाया है वह कतई ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

उसको हमनें कार्यवाही का भाग नहीं माना है।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, धन्यवाद। दूसरी बात, आपने जो कहा है कि तत्समय ई0-टेण्डरिंग की अनिवार्यता नहीं थी, हमारी सरकार आई और उसने ई0-टेण्डरिंग की अनिवार्यता की। हम लोग भी जब इस सरकार में आए तो ई0-टेण्डरिंग की अनिवार्यता नहीं थी इसलिये पाठ्य पुस्तकों हेतु निविदा विज्ञप्ति 31.12 द्वारा खुली निविदा कराई गयी थी और उसके द्वारा ही पाठ्य पुस्तकों का वितरण हुआ था, पूरी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से। जब से हमारी सरकार आई है हमनें ई0 टेण्डरिंग की व्यवस्था की है। दूसरी बात आपने कहा कि 200 रुपये की यूनीफार्म 135 रुपये में बेची गयी। 200 रुपया प्रति यूनीफार्म तय है और हम 400 रुपये में जो दो जोड़ी यूनीफार्म देते हैं यह नियत रेट है और इसी के आधार पर ही बच्चों में यूनीफार्म का वितरण कराया जाता है।

श्री मोहम्मद असलम ''राइनी''(एडवोकेट)-

मान्यवर, 200 रुपये में एक जोड़ी यूनीफार्म है कि दो जोड़ी है?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

एक जोड़ी है।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न श्री रितेश पाण्डेय जी का है।

प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिये कार्य योजना बनाने विषयक

***08-श्री रितेश पाण्डेय-**

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-4 में प्रदेश का कौन सा स्थान है ? क्या यह सही है कि देश का हर चौथा कुपोषित बच्चा उत्तर प्रदेश का है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-4 (2015-2016) की रिपोर्ट के अनुसार वेट फॉर ऐज के आधार पर प्रदेश का 33वां स्थान है।

जी हां।

जी हां।

प्रदेश में संचालित समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम (आई0सी0डी0एस0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम प्रदेश में समस्त संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से चलाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष तक की आयुवर्ग के बच्चों एवं गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित मानक एवं पोषक तत्व युक्त पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है।

इसके साथ ही 0 से 03 वर्ष की आयु के पीली एवं लाल श्रेणी के कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के लिये कुपोषण की व्यापकाता के आधार पर चिन्हित करते हुये प्रदेश के 39 जनपदों में शबरी कार्य योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रितेश पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी मेरे प्रश्न में जो दूसरा भाग है उसका प्रश्न यह था कि क्या यह सही है कि देश का हर चौथा कुपोषित बच्चा उत्तर प्रदेश में है उसका उत्तर जी हां के रूप में मा0 मंत्री जी ने दिया है, ये अत्यंत दुःख की बात है कि आज उत्तर प्रदेश में सब सहारा लैवल के कम्पैरिजन में जो बच्चे यहां पर कुपोषित हैं और ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है कि आज इतने कुपोषित बच्चे हमारे देश में पल रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, कुपोषण के मामले में हम लोग जो पुष्टाहार बच्चों को दे रहे हैं इसमें अभी भी भारी मात्रा में प्रोटीन की कमी पायी जाती है। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी ने इसमें पहल भी की थी कि इसमें अण्डे आदि जैसे प्रोटीन के खाद्य पदार्थ हैं उनको देने की व्यवस्था करनी चाहिए। तमाम एन0जी0ओ0 है, तमाम ऐसी संस्थायें हैं जो इसको देने की बात कर रही हैं तो मा0 मंत्री जी यह बताने की कृपया करेंगी कि क्या ऐसे आहार जिनमें प्रोटीन मौजूद हो आंगनबाड़ियों के द्वारा बाल पुष्टाहार में इसका वितरण करने का काम किया जायेगा और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या मा0 मंत्री जी यह बतायेंगी कि कुपोषण को कम करने का क्या लक्ष्य है? कब तक इसको खत्म कर दिया जायेगा और उसकी कोई समय-सीमा तय की गयी है? उसको बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, कुपोषण वास्तव में बहुत ही भयावह प्रश्न है, हम सब के लिए और उसी से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए ही ऐसे 39 जनपद चयनित किए गये जिनमें कुपोषण की दर ज्यादा है और दिसम्बर, 2018 तक बच्चों की कुपोषण की दर में दो प्रतिशत की कमी का लक्ष्य लेते हुए

'शबरी' कार्य योजना का क्रियान्वयन 01-11-2017 से प्रारंभ हो गया है (सत्ता पक्ष द्वारा सीटे थपथपायी गयीं) इस योजना के अन्तर्गत विभागवार की जाने वाली कार्रवाई व सेवाओं का विवरण भी मैं लेकर आई हूँ अगर मा0 सदस्य कहेंगे तो मैं बता दूँगी कि अभी तक इसमें स्वास्थ विभाग, आई0सी0डी0एस0, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास और खाद्य रसद विभाग केवल कुपोषण को आई0सी0डी0एस0 विभाग अकेले ही कन्ट्रोल नहीं कर सकता इससे मुक्ति पाने का अगर वह अकेले प्रयास करेगा तो मुझे लगता है कि उतना अच्छा लक्ष्य नहीं निर्धारित कर सकता इस नाते पाँच विभागों के साथ बैठक करके, मीटिंग करके इनके साथ कुपोषण से लड़ने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं का एस0टी0एस0 रजिस्ट्रेशन, मासिक प्रसव पूर्ण जांच, वजन, हीमोग्लोबिन, पेट की जांच और पेशाब की जांच कराने का फैसला लिया गया है। आई0सी0डी0एस0 विभाग के द्वारा ऑगनबाडी केन्द्र पर गर्भवती महिलाओं को निर्धारित मात्रा में अनुपूरक पोषाहार उपलब्ध कराना, छः माह से तीन वर्ष के बच्चों को निर्धारित मात्रा में मासिक अनुपूरक पोषाहार देना और पाँच वर्ष की आयु से कम अतिकुपोषित बच्चों के आंगनबाडी परिवारों का आंगनबाडी कार्यकर्ती का हर माह कम से कम एक गृह भ्रमण अनिवार्य किया गया है। पंचायतीराज विभाग के माध्यम से खुले शौच मुक्त गाँव बनाना, प्राथमिक-उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुरक्षित जल की बोरिंग उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। ग्राम सभा द्वारा उक्त कार्यवाही की मासिक समीक्षा भी की गयी है। ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा मनरेगा योजना के अन्तर्गत कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवार के सदस्यों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराना, खाद्य रसद विभाग द्वारा पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना, उक्त परिवारों को पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत अनुमन्य मात्रा के अनुसार खाद्यान उपलब्ध कराना, यह कार्य हम करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न भी मैं बता रही हूँ। दूसरा प्रश्न आपका यह था कि प्रोटीन की कमी को सरकार कैसे दूर करेंगी? हम जो नई योजना लेकर आ रहे हैं उसके अन्दर हमने कई स्टेट्स में अपने अधिकारियों को भेजकर और वहां क्या व्यवस्था है, कैसे वहां कुपोषण पर रोकथाम की गयी है उसका बहुत विस्तृत अध्ययन कराया गया है और अब हम नये टेण्डर के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले एक ही रेसिपी दी जाती थी इस बार हम गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और किशोरियों के लिए तीन-तीन रेसिपी लेकर आ रहे हैं और उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा उन रेसिपीस के माध्यम से उनको उपलब्ध हो जायेगी।

श्री रितेश पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी रेसेपीज पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय मंत्री जी रेसेपीज की लिखित रूप से सूचना हमको उपलब्ध करवा दें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इनके बारे में बता देती हूं।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। आगे तारांकित प्रश्न संख्या-9 निर्धारित है, प्रश्नकर्ता श्री उज्जवल रमण सिंह जी उपस्थित नहीं हैं। अतः अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या-10 लेता हूं।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में

***09-श्री उज्जवल रमण सिंह (अनुपस्थित)-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में स्वीकृत पदों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या रिक्त स्थानों को भरने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

शासनादेश संख्या : 1242/79-6-2015, दिनांक 06-11-2015 द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में न्यूनतम मानक के अन्तर्गत रिक्त प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के पदों पर नियमों के आलोक में सीधी भीर्ती किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 को निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 06-11-2015 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों को भरने की अनुमति नहीं प्रदान की गयी है।

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या : 13/20/1/91का-2/2015, दिनांक 04-11-2015 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के रिक्त पड़े शैक्षिक पदों पर ही सीधी भर्ती करने हेतु कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 15-03-2012 के प्रतिबन्ध से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया था।

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-13/20/1/91का-2/2015, दिनांक 04-11-2015 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थाओं के ट्रामा सेंटर में बिस्तरों की किल्लत को दूर करने हेतु योजना बनाने विषयक

***10-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों व चिकित्सा संस्थाओं के ट्रामा सेंटर में बिस्तरों की किल्लत के कारण मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता है एवं इमरजेन्सी से लेकर वार्डों तक बेड-स्ट्रेचर के लिए मारामारी तथा बेड न मिलने के कारण मरीजों को बाहर फर्श पर शरण लेना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त के निराकरण हेतु कोई नीति/योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थान शैक्षणिक संस्थान है इसमें बिस्तरों का निर्धारण विश्वविद्यालय/संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों के आधार पर मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया के मानक के अनुसार किया जाता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, उन तमाम मरीजों के लिये यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग गंभीर एक्सीडेन्ट एवं बीमारी की दशा में जब हास्पिटल जाते हैं तो कभी बेड का अभाव, कभी वेन्टीलेटर का अभाव और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर देखा जाये तो प्रत्येक दिन लगभग 413 लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। प्रत्येक घण्टे 55 मामले में 17 लोग जान गंवाते हैं। यह संख्या 18 से 35 वर्ष के युवाओं की होती हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रामा सेण्टर बनाये जाने की बात हुई थी और वाराणसी तथा बी0एच0यू0 इन दोनों जगहों पर तथा प्रदेश के अन्य जगहों में 14 ट्रामा सेन्टरों में लगभग 104 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का प्राविधान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एस0जी0पी0जी0आई0 में भी ट्रामा सेण्टर की स्थापना की बात कही थीं, लेकिन आज स्थिति यह है कि प्रत्येक जगहों पर हास्पिटल में बेड के अभाव में गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न बहुत सुन्दर है लेकिन आप अब प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से यह जानना चहाता हूं कि ट्रामा सेण्टर के मानक के रूप में चिकित्सकीय सेवाओं के लिये कुल कितने कर्मियों की आवश्यकता है और उसके सापेक्ष कुल कितने कर्मी नियुक्त किये गये हैं। दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सेण्टर चिकित्सालय देखभाल के अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है तथा जनसंख्या के अनुपात में वहां बेड की उपलब्धता मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो ट्रामा सेण्टर का जिक्र किया है उसकी मेरी पास जानकारी नहीं है क्योंकि वह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। हमारे मेडिकल एजुकेशन के चिकित्सा शिक्षा के जितने संस्थान हैं वहां पर मानक के अनुसार बेड बढ़ाये जा सकते हैं। एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार 30 बेड की एक यूनिट होती है जिस पर एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेण्ट प्रोफेसर की आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम पूरे प्रदेश में यूनिट बढ़ाकर बेड बढ़ाने, एम0बी0बी0एस0 और पी0जी0, सुपर स्पेशिलिटी की सीटें बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पी0जी0आई0 की आपने बात की वहां पर जो स्थान उपलब्ध है उसमें 120 बेड बढ़ाने का प्रयास हो रहा है जो कुछ महीनों में आरम्भ हो सकते हैं। अभी पी0जी0आई0 में 985 बेड उपलब्ध हैं और एक महीने के अंदर 500 बेड के सेकेण्ड फेस का कार्य आरम्भ होकर उसका शिलान्यास हो जायेगा। महोदय, आर0एम0एल0 इन्स्टीट्यूट में फिलहाल 550 बेड हैं 350 बेड थे और 200 बेड का स्त्री बाल रोग विभाग एक अलग बिल्डिंग में शहीद पथ पर अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन महीने पहले

इसका शुभारंभ किया है अब 550 बेड हो गये हैं। वहां भी 500 बेड का सेकेण्ड फेस उसका भी हम निकट भविष्य में शिलान्यास करने जा रहे हैं। ट्रामा सेण्टर जो के0जी0एम0यू0 में है वास्तव में उसके ऊपर बहुत लोड है। वहां सभी बेड फुल रहते हैं और नित्य लगभग 20-30 पेशेण्ट का इलाज स्ट्रेचर पर करना होता है, लेकिन किसी पेशेण्ट को वहां से लौटाया नहीं जाता है। जैसे भी संभव हो उसको मैनेज करके उसका इलाज किया जाता है। वहां भी सौ बेड बढ़ाने के लिए हम एक दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं वह भी काम जल्दी शुरू करेंगे। (सत्तापक्ष द्वारा मेज थपथपाई गई)। 60 बेड का ट्रामा-टु वह 1-2 महीने के अन्दर शुरू हो जायेगा जो के0जी0एम0यू0 से एस0जी0पी0जी0आई0 को ट्रांसफर किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के जितने राजकीय मेडिकल कॉलेजेस् हैं वहां पर पर्याप्त संख्या में सभी वार्डों में बेड हैं और कभी-भी बेड की कोई दिक्कत वहां नहीं आती है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक केन्द्र सरकार की सहायता से चार राजकीय मेडिकल कॉलेजेस में बन रहे हैं- मेरठ, झांसी, गोरखपुर और इलाहाबाद। यह चारों हम अगस्त, सितम्बर तक इसको शुरू कर देंगे और दो कानपुर एवं आगरा इसमें अभी केन्द्र सरकार से हमको उसकी अनुमति मिली है और यह दो भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनना शुरू हो जायेंगे और एक सूपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 200 बेड हैं 8 विभागों के 20-20 हैं और 40 आई0सी0यू0 हैं। सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है और हम जहां भी संभव हो रहा है बेड बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। 5 जो नये मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उनका भी हमारा प्रयास है कि अगले शैक्षणिक-सत्र से शुरू हो जायें तो लगभग 2500 बेड उसमें भी आरंभ हो जायेंगे। मैं माननीय सदस्य की चिंता से अपनी सहमति रखता हूं और सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है, हम सारे प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी। अब तो बहुत विस्तार से उत्तर आया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, अगर आये दिन यह देखा जाये तो मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से यह देखने को मिलता है कि अक्सर मरीज बेड न मिल पाने के अभाव में वहां बाहर सड़कों पर लेटाकर उनके इलाज की व्यवस्था के लिए वह रात-दिन वहां जमा रहता है और देखा जाये अध्यक्ष जी बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज जो पूरा क्षेत्र चाहे देवरिया हो, कुशीनगर हो, संतकबीर नगर हो और बिहार के भी तमाम हिस्से के लोग इन्सेफेलाइटिस से पीड़ित हैं जो बच्चे हैं उनके इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाते हैं। वेन्टीलेटर का अभाव, बेड के अभाव के नाते अत्यधिक मात्रा में बच्चे वहां दम तोड़ते है। अभी कुछ दिन पहले घटना 21-01-2018 को लोहिया अस्पताल में बेड न मिल पाने के कारण दो बच्चों की मौत हो गई। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। चूंकि पूर्वांचल का एक ही सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल कॉलेज बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज है और अभी ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने बच्चों की मौत हुई यह हम सभी लोग जानते हैं। महोदय, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि बी0आर0डी0 कॉलेज में जो कमी है बेडों की या वेन्टीलेटर की इसको बढ़ाने पर क्या सरकार विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष-

इन्होने पूछा कि क्या आप विचार कर रहे हैं तो विचार तो आपका सब जगह चल रहा है।

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

मान्यवर, विचार तो निश्चित रूप से कर रहे हैं और वहां पर 100 बेड का एक नया पिट्रियोटिक वार्ड बनाकर तुरंत हम उसको शुरू करने की स्थिति में 2-3 महीने में आरंभ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब तो इतना बढ़िया उत्तर कभी नहीं आया होगा। माननीय वर्मा जी अभी कुछ रह गया है क्या? माननीय वर्मा जी अब तो कुछ बचा नहीं है। उत्तर बड़ा सकारात्मक आया है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है। ट्रामा सेण्टर में बिस्तरों की किल्लत का।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज ट्रामा के कारण जो परिस्थितियां हैं, जो ट्रामा मरीज होते हैं, एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं के कारण वह मरीज बहुत ज्यादा तादात में आ रहे हैं और पूरी दुनिया में सबसे अधिक मृत्यु दर ट्रामा से है मतलब कि एक्सीडेंट के द्वारा ही हो रहा है। क्या इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मा0 मंत्री जी प्रत्येक मेडिकल कालेज में ट्रामा सेंटर की स्थापना करने पर विचार करेंगे? दूसरा सवाल यह है कि अभी लखनऊ मेडिकल कालेज में ट्रामा में हम जाते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोआर्डिनेशन नहीं हो पाता है। उसके लिए सरकार विचार करेगी कि ट्रामा का एक अलग कोर्स एम0सी0आई0 से मान्यता लेकर उसको शुरू करने पर विचार करेंगे?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

सभी राजकीय मेडिकल कालेज में ट्रामा में पर्याप्त बेड हों इस पर सरकार जरूर विचार करेगी, प्रयास करेगी। और जो आपने कोर्स की बात की उसको भी हम एम0सी0आई0 से पता करेंगे कि क्या एम0सी0आई0 के मापदण्ड हैं और कैसे हो सकता है। और एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि एक ट्रामा-2 लखनऊ में शुरू हो रहा है और बहुत जल्दी लगभग दो महीने के अंदर इलाहाबाद में भी 40 बेड का ट्रामा सेंटर शुरू कर देंगे।

प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अध्यक्ष नगरपालिका परिषद्/अध्यक्ष नगर पंचायत की तरह कराने की मांग

***11-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के 73वें, 74वें संविधान संशोधन लागू हो जाने के बाद प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत के चुनाव की तरह सीधे जनता से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से की गयी व्यवस्थानुसार (अनुच्छेद 243-ग) जिला पंचायत के अध्यक्ष, उस पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जायेगा।

अतः जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् एवं अध्यक्ष, नगर पंचायत के चुनाव की तरह सीधे जनता से कराया जाना नियमानुसार नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा प्रश्न था कि भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से सीधे जनता के द्वारा कर दिया गया है। पहले नगर निकायों में यह चुनाव सदस्यों के द्वारा होते रहे हैं। जैसा कि आप भी अवगत हैं और पूरा प्रदेश जानता है कि आज प्रदेश के विकास की जो मेन कड़ी है उसमें सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत है। और चाहे राज्य वित्त हो चाहे 14वां वित्त हो उन सबके द्वारा एक बड़ा विकास धन देने की व्यवस्था जिला पंचायत के माध्यम से है। लेकिन आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश की जिला पंचायतों में विकास के धन का बंदरबाट हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। इस मंशा से पैसा चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, अंश चाहे वह चौदहवें वित्त का हो चाहे राज्य वित्त का हो, जो पैसा जिला पंचायतों के माध्यम से जिले में जा रहा है आज वह पैसा ग्रामीण स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। इस पर हमारा यह प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार नगर पंचायत और नगर पालिकाओं की भांति भारत सरकार को यह चुनाव सीधे जनता से कराये जाने का कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजने पर विचार करेगी? दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जिला पंचायत के विकास के धन का बंदरबाट हो रहा है इस पर कोई रोकथाम लगाने के लिए और इस पैसे के सदुपयोग करने के लिए सरकार कोई निर्देश या कोई योजना जारी करेगी? यह हमारा मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आपके दो प्रश्न हैं। एक तो बंदरबांट को लेकर जो मूल सवाल में नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, दूसरा केंद्र सरकार को प्रस्ताव का प्रश्न है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह संविधान संशोधन का मामला है। मान्यवर, आप 243(ग) में पांचवां हिस्सा देख लें।

श्री अध्यक्ष-

इनका कहना है क्या इस तरह से केंद्र सरकार से बात कह सकते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्या संविधान संशोधन प्रस्तावों से होता है ? मान्यवर, हम सुव्यवस्था चाहते हैं, लेकिन हर एक का अपना-अपना क्षेत्राधिकार है। मान्यवर, संविधान संशोधन का जो प्रकरण है उसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है। अगर आप कहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

श्री अध्यक्ष-

वह हम लोगों को याद है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष इसके लिए संविधान में क्लीयर व्यवस्था है। मान्यवर, इसलिए इस हाऊस को यह करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। मान्यवर, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से संशोधन होता है। मान्यवर, यह सारे राज्यों को अफेक्ट करता है, इसलिए यह इस सदन का क्षेत्राधिकार नहीं है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह जो प्रश्न इनके द्वारा किया गया है यह उचित नहीं है। मान्यवर, यह केंद्र सरकार का विषय है वह लोग जब उचित समझेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय खोलने हेतु भूमि के मानक कम करने की मांग

***12-श्री रवीन्द्र जायसवाल-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं अन्य प्रदेशों में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या अधिक है किन्तु उत्तर प्रदेश में भूमि के मानक 100 एकड़ होने के कारण यहां पर निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि के मानक कम करने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (डा0 दिनेश शर्मा)

जी नहीं।

कर्नाटक में 16 तथा महाराष्ट्र में 11 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं जबकि उत्तर प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। एक मात्र राज्य राजस्थान में उत्तर प्रदेश राज्य से अधिक कुल 46 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हैं।

भूमि के मानक कम करने की योजना विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवों द्वारा की जा रही अनियमितता को रोकने हेतु नवीन कार्य योजना की मांग

***13-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-**

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिवों द्वारा की जा रही मनमानी तथा अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार कोई नयी कार्य योजना लायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट : नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

पंचायत सचिवों के विरुद्ध अधिकारों के दुरुपयोग पाये जाने पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता व अन्य ब्लाकों में घटते भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु कार्य योजना

***14-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता, लक्ष्मणपुर, संडवा चंद्रिका, लालगंज व सदर में विगत 5 वर्षों में पीजोमीटर या बोरवेल मीटर की रीडिंग में कितने सेंटीमीटर भू-गर्भ जल स्तर में गिरावट आयी है ? क्या सरकार ने गिरते भू-गर्भ जल स्तर को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह बघेल)-

भारत सरकार की भू-जल आकलन समिति 2015 (जी0ई0सी0 2015) निर्धारित मापदण्डों/प्रक्रिया के अनुसार 31 मार्च, 2013 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में भूजल संसाधनों का आकलन, भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार किया गया है। जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर, लालगंज, मान्धाता, सदर, सण्डवा चन्द्रिका, अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है।

जनपद प्रतापगढ़ के उक्त विकास खण्डों के भूजल स्तर में गिरावट निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	भू-जल स्तर की गिरावट (से0मी0)	
		प्री मानसून	पोस्ट मानसून
1	मान्धाता	24	28
2	लक्ष्मणपुर	23	26
3	सण्डवा चन्द्रिका	22	25
4	लालगंज	20	22
5	सदर	22	24

31-03-2017 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में भू-जल संसाधनों का विकास खण्डवार नवीन आकलन किया जा रहा है। जुलाई, 2018 तक भू-गर्भ जल विभाग द्वारा भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

प्रदेश के 271 समस्याग्रस्त विकास खण्डों में "राज्य भू-जल संरक्षण मिशन" के रूप में नवीन महत्वाकांक्षी योजना आरम्भ की गयी है।

"राज्य भू-जल संरक्षण मिशन" के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 271 विकास खण्डों एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भू-जल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से कन्वर्जेन्स के माध्यम से क्रियान्वित कर भू-जल स्तर/भण्डारण में सुधार किये जाने का लक्ष्य है।

राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना के अन्तर्गत 05 वर्षों हेतु चिन्हित क्षेत्र निम्नानुसार है :-

वर्ष	विकास खण्ड	नगरीय क्षेत्र
प्रथम	25	-
द्वितीय	40	3
तृतीय	70	6
चतुर्थ	70	7
पंचम	66	6
योग	271	22

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस मिशन हेतु कुल 25 विकास खण्डों का चयन किया गया है, जिसके अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-शिवगढ़, संडवा-चन्द्रिका को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था के सम्बन्ध में

***15-श्री विनय शंकर तिवारी-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के बैठने हेतु टाटपट्टी के स्थान पर बेंचों की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का बैठने हेतु फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने हेतु रु0 88.55 करोड़ की धनराशि निर्गत कर दी गई है प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क बेन्च की व्यवस्था बजट उपलब्ध होने पर की जायेगी।

चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डबल एंट्री की भूमियों को नजूल या स्टेट लैंड में रखने हेतु नीति निर्धारण की मांग

***16-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऐसी कई भूमि हैं जो राजस्व लेखों में गलती से डबल एंट्री में स्टेट लैंड में भी इंगित हैं और नजूल में भी ? यदि हां, तो ये कैसे तय होगा

कि ऐसी डबल एंट्री की भूमियों को नजूल में रखा जाय या स्टेट लैंड में ? क्या सरकार उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद इलाहाबाद में राजकीय आस्थान की भूमि में डबल एंट्री का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसकी जांच मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद् उ0प्र0, लखनऊ के निर्देश पर मा0 सदस्य (कर) राजस्व परिषद् उ0प्र0, लखनऊ द्वारा की जा रही है, जो गतिमान है।

जांच के उपरान्त ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है।

उ0प्र0 जमीदारी विनाश अधिनियम-1950, उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 (यथा संशोधित 2016) में उल्लिखित विधियों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही के सम्बन्ध में

***17-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 15401 शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

जी हां।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के क्रियाशील होने पर चयन की कार्यवाही शीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

***18-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड छजलैट एवं डिलारी को डार्क जोन से मुक्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में

01-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड छजलैट एवं विकास खण्ड डिलारी को डार्क जोन घोषित हो जाने के कारण किसानों को नये बिजली कनेक्शन व बोरिंग न होने के कारण सिंचाई में बहुत असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों विकास खण्डों में पुनः जलस्तर का निरीक्षण कराकर उक्त दोनों विकास खण्डों को डार्क जोन मुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

भू-जल संसाधनों के आकलन के विकास खण्डों का वर्गीकरण जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड-लाइन के आधार पर किया जाता है। भू-गर्भ जल संसाधन रिपोर्ट 31-3-2013 पर भारत सरकार का अनुमोदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्याः 01/2018/45/62-1-2018-04आर/2009, दिनांक 10 जनवरी, 2018 (छाया प्रति संलग्न)[†] द्वारा विकास खण्डों के वर्गीकरण की सूची निर्गत की गयी है, वर्गीकरण के आधार पर जनपद-मुरादाबाद के विकास खण्ड-छजलैट क्रिटिकल श्रेणी तथा डिलारी अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है।

उपरोक्त शासनादेश के अनुसार निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगाए गए प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भू-जल आकलन समिति-2015 (जी0ई0सी0-2015) के मार्ग निर्देशों (मेथोडालाजी) के अनुसार 31-03-2017 के आकड़ों के आधार पर प्रदेश में भू-जल संसाधनों का विकासखण्डवार नवीन आकलन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विकास क्षेत्र छजलैट एवं मुरादाबाद के तालाबों के क्षेत्रफल का सत्यापन कराकर अतिक्रमण से मुक्त कराने के सम्बन्ध में

02-श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास क्षेत्र छजलैट एवं मुरादाबाद में तालाबों पर जगह-जगह अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तालाबों के क्षेत्रफल का सत्यापन कराकर उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मुरादाबाद ब्लाक में 149 राजस्व ग्रामों में कुल 425 तालाब हैं, श्रावस्ती मॉडल के अन्तर्गत अभियान के दौरान 13 ग्रामों के 65 तालाबों का सत्यापन किया गया, जिनमें से 11 अवैध कब्जे पाये गये एवं छजलैट ब्लाक में 174 राजस्व ग्रामों में कुल 588 तलाब हैं, श्रावस्ती मॉडल के अन्तर्गत अभियान के दौरान 22 ग्रामों के 97 तालाबों का सत्यापन किया गया, जिनमें से 4 अवैध कब्जे पाये गये।

मुरादाबाद ब्लाक में पाये गये 11 अवैध कब्जों में से 10 अवैध कब्जों को हटवा दिया गया है तथा अवैध कब्जे के मामले में धारा-67 राजस्व संहिता के अन्तर्गत 01 वाद योजित किया गया है एवं छजलैट ब्लाक में पाये गये 4 अवैध कब्जों में से 3 अवैध कब्जों को हटवा दिया गया है तथा अवैध कब्जे के मामले में धारा-67 राजस्व संहिता के अन्तर्गत 02 वाद योजित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

[†] देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ सं0 230-248 पर।

जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र के पब्लिक स्कूलों में मनमानी फीस पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में

03-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पब्लिक स्कूलों द्वारा मनमानी फीस बढ़ाकर अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर अंकुश लगाये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

निजी विद्यालयों में फीस निर्धारण हेतु उ0प्र0 स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2017 के प्रख्यापन की कार्यवाही शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के विधान सभा क्षेत्र दादरी में राजकीय इन्टर कालेज का निर्माण कराये जाने की मांग

04-श्री तेजपाल सिंह नागर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगरपालिका-दादरी, जनपद-गाजियाबाद में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज प्रस्तावित किया गया था जिसके लिए अद्यतन भूमि उपलब्ध नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10 कि0मी0 की परिधि में राजकीय इण्टर कालेज अथवा सहायता प्राप्त इण्टर कालेज न होने की दशा में इण्टर कालेज की स्थापना का मानक है। वर्तमान में नगरपालिका-दादरी, जनपद-गाजियाबाद में 03 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज एवं 03 वित्त विहीन इण्टर कालेज संचालित है। अतः नगरपालिका दादरी विभाग के मानकानुसार संतृप्त है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में विश्वविद्यालय खोलने की मांग

05-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये शासकीय विश्वविद्यालय खोलने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र के शैक्षिक

पिछड़ेपन को देखते हुए ग्रामीण युवाओं की उच्च शिक्षा के लिये विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

क्षेत्रीय आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है।

जी नहीं।

औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में खराब हुए हैण्ड पम्प को ठीक कराने विषयक

06-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में कितने हैण्डपम्प चालू हैं एवं कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31-03-2017 तक 6779 हैण्डपम्प स्थापित थे, जिनमें से 5055 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं। अवशेष 1724 हैण्डपम्प रि-बोर/मरम्मत योग्य/खराब हैं।

जी हां।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्पों का सर्वेक्षण जल निगम द्वारा किये जाने के पश्चात् सूची ग्राम सभाओं को उपलब्ध करायी जाती है तथा ग्राम सभा द्वारा नियमिति रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत/रि-बोर का कार्य बजट की उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है। उक्त धनराशि से माहवार माइल स्टोन निर्धारित कर खराब हैण्डपम्पों का कार्य ग्राम सभाओं द्वारा कराया जा रहा है। अभी तक 1724 खराब हैण्डपम्पों के सापेक्ष 370 हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में नए हैण्डपम्प लगवाने की योजना विषयक

07-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2017 में नए हैण्डपम्प स्वीकार किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने एवं उसका क्रियान्वयन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास, समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह)-

जी हां।

वर्ष 2017 में विधान सभा/विधान परिषद् के प्रत्येक मा0 सदस्यों की संस्तुति पर उनके विधान सभा क्षेत्रों में 100 नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जाना है। जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में 85 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु प्रश्नकर्ता की सूची प्राप्त हुई है। प्रश्नकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी हैण्डपम्पों की सूची के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में लड़कियों के लिए दो राजकीय कालेज बनाने की मांग

08-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में बालिकाओं हेतु दो नये राजकीय डिग्री कालेज सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय, छपरौली, बागपत (सहशिक्षा) स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम में तथा 01 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय श्री आशाराम दिगम्बर जैन गर्ल्स डिग्री कालेज, छपरौली बागपत भी छात्राओं के बी0ए0 की पढ़ाई के लिए संचालित है।

उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र के कस्बा रमाला में 01 अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय तथा 02 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है। वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद-बागपत में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

उ0प्र0 के इण्टर कालेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या पूर्ति के सम्बन्ध में

09-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो राजकीय इंटर कालेज हैं उनमें पूरा शिक्षक स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ की पूर्ति करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिलाने की मांग

10-श्री धनन्जय कन्नौजिया-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार के साथ-साथ नेपाल गणराज्य के समीप स्थित तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने वाली एक मात्र बड़ी सरकारी संस्था है ? क्या उक्त संस्था के मानक एवं संसाधनों की वृद्धि के लिए रुड़की विश्वविद्यालय की तर्ज पर प्रदेश सरकार मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद बरेली की ग्राम पंचायत बरखन तथा जरपा मोहनपुर हेतु वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों के सम्बन्ध में

11-श्री केसर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की ग्राम पंचायत बरखन तथा जरपा मोहनपुर हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कितना धन किस योजना में मिला तथा स्वीकृत धन से कौन-कौन से कार्य पूर्ण कराये गये हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि पूर्ण कराये गये कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराए गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

मनरेगा योजना व इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधान मंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है। तत्क्रम में मनरेगा योजनान्तर्गत जनपद बरेली की ग्राम पंचायत बरखन में वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 13.19 लाख तथा ग्राम पंचायत जरपा मोहनपुर में रु0 1.09 लाख व वित्तीय वर्ष 2016-17 में बरखन में रु0 9.31 लाख तथा जरपा मोहनपुर में रु0 1.52 लाख की धनराशि एफटीओ के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित की गयी है तथा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत बरखन में रु0 3.50 लाख अन्तरित किये गये जिसके सापेक्ष 05 आवासों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत जरपा मोहनपुर में रु0 0.00 लाख अन्तरित किये गये। 2016-17 में ग्राम पंचायत बरखन 15 प्रधान मंत्री आवास निर्माणाधीन है तथा ग्राम पंचायत जरपा मोहनपुर में 01 प्रधान मंत्री आवास निर्माणाधीन है जिनके सापेक्ष ग्राम पंचायत बरखन में रु0 16.50 लाख तथा जरपा मोहनपुर में रु0 1.10 लाख धनराशि एफटीओ के माध्यम से जारी की गयी है।

मनरेगा योजना, इन्दिरा आवास योजना एवं प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत कराये गये/कराये जा रहे निर्माण कार्य संतोषजनक हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के सेंभल में पॉलिटेक्निक कालेज की नियमित कक्षाएं शुरू कराने के सम्बन्ध में

12-श्री केसर सिंह-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के सेंथल में पालिटेक्निक कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो शैक्षिक वर्ष 2018-19 में इसकी नियमित कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

संस्था का भवन निर्माणाधीन होने के कारण शैक्षिक वर्ष 2018-19 से नियमित कक्षाएं शुरू किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बरेली के बरौर में निर्माणाधीन राजकीय कालेज में नियमित कक्षाएं शुरू कराने के सम्बन्ध में

13-श्री केसर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के बरौर में स्थित राजकीय कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो शैक्षिक वर्ष 2018-19 में इसमें स्टाफ तैनात कराकर नियमित कक्षाएं शुरू करा दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

विद्यालय का निर्माण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कराया गया है।

दिनांक 08-12-2017 को जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली द्वारा किये गये निरीक्षण में भवन निर्माण में कमियां पायी गयी हैं, जिन्हें ठीक करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0एस0, बरेली को पत्र प्रेषित किया गया है। कमियों का निराकरण होने के उपरान्त माध्यमिक शिक्षा विभाग में भवन हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाएगी।

विद्यालय का हस्तान्तरण माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्राप्त हो जाने के पश्चात्, शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन तथा विद्यालय संचालन की कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हाई स्कूल/इण्टरमीडियट विद्यालयों की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में सूचना

14-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016-17 में प्रदेश में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा उनमें से कितने हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों को मान्यता दी गयी है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? क्या सरकार आवेदन किए हुए वंचित विद्यालयों को भी मान्यता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

वर्ष 2016-17 में प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की मान्यता हेतु कुल 2260 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 1324 विद्यालयों को मान्यता दी गयी है।

शैक्षिक सत्र 2016-17 में हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट की मान्यता हेतु प्राप्त प्रकरणों का क्षेत्रीय कार्यालयवार विवरण निम्नवत् है :--

क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	मान्यता प्रदान किये गये विद्यालयों की संख्या	मान्यता हेतु अवशेष विद्यालयों की संख्या
मेरठ	460	42	418
बरेली	172	17	155
वाराणसी	1032	853	179
इलाहाबाद	596	412	184
योग	2260	1324	936

शासनादेश दिनांक 08 जून, 2017 द्वारा विद्यालयों की मान्यता आवेदन पत्र ऑन लाइन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। मान्यता समिति द्वारा अस्वीकृत/स्थगित अथवा लम्बित ऐसे आवेदन-पत्र जो 08 जून, 2017 के पूर्व प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी शासनादेश के अनुसार ऑन लाइन आवेदन करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली में पर्याप्त विद्युत आपूर्ति करने की मांग

15-श्री शशांक त्रिवेदी-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के महोली विधान सभा क्षेत्र की आबादी अधिक होने के कारण वहां विद्युत आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु महोली क्षेत्र में कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विधायी एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री बृजेश पाठक)-

जी नहीं।

जनपद सीतापुर के महोली विधान सभा क्षेत्र के तहसील मुख्यालय में 20 घंटे के सापेक्ष औसतन विद्युत आपूर्ति नवम्बर, 2017 में 19:04 घंटे, माह दिसम्बर, 2017 में 19:13 घंटे, माह जनवरी, 2018 में 19:15 घंटे एवं दिनांक 19-02-2018 तक 19:43 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे के सापेक्ष औसतन विद्युत आपूर्ति माह नवम्बर, 2017 में 16:50 घंटे, माह दिसम्बर, 2017 में 16:32 घंटे, माह जनवरी, 2018 में 16:52 घंटे एवं दिनांक 19-02-2018 तक 16:38 घंटे की गयी है।

विधान सभा क्षेत्र में सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति हेतु निम्नलिखित योजनायें लागू/प्रस्तावित है :--

(1) ग्राम पाताबोझ, विकास खण्ड पिसावां में यूपीनेडा द्वारा 160 किलोवाट का मिनीग्रेड सोलर पावर प्लान्ट स्थापित कराकर ग्रामवासियों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

(2) ग्राम बीहटगौर विकास खण्ड महोली बाजार में निजी संस्था द्वारा क्रमशः 27 किलोवाट एवं 36 किलोवाट क्षमता के मिनीग्रिड सोलर पावर प्लान्ट से ग्रामवासियों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

(3) लोहिया एवं जनेश्वर मिश्र ग्रामों में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कर पथ प्रकाश की व्यवस्था की गयी है।

(4) महोली तहसील हेतु 20 किलोवाट का सोलर पावर प्लान्ट शासन द्वारा स्वीकृत है, जिसका कार्य प्रगति पर है।

(5) वर्तमान में पंडित दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चयनित बाजारों में सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना की योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत बड़ागांव, कुसैला वरगांव, पिसावां बाजार का चयन प्रस्तावित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महोली के प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल एवं शौचालय की उपलब्धता की सूचना

16-श्री शशांक त्रिवेदी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पर्यावरण, कला, उर्दू व संगीत विषय के लिए कौन से पाठ्यक्रम एवं कौन-कौन सी किताबें प्रयोग में लायी जा रही हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सीतापुर जिले की महोली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कितने विद्यालय बाउण्ड्रीवाल विहीन हैं एवम कितने विद्यालयों में शौचालय बने हैं व कितने विद्यालयों में शौचालय चालू अवस्था में हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक पर्यावरण विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है। कक्षा 3, 4 व 5 में 'हमारा परिवेश' एवं कक्षा 6, 7 व 8 में 'हमारा पर्यावरण' पाठ्य पुस्तक प्रयोग में लायी जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक कला व संगीत विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित है, परन्तु कला व संगीत विषय की पृथक से पाठ्य पुस्तक नहीं है। बच्चों में कला एवं संगीत सीखने-सिखाने की प्रक्रिया विद्यालय में सम्पादित की जाने वाली शैक्षिक/सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक उर्दू माध्यम की पाठ्य पुस्तकें प्रयोग में लायी जा रही हैं।

सीतापुर जिले की महोली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत :--

कुल 245 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय बाउन्ड्रीवाल विहीन हैं।

404 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय बने हैं।

216 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय चालू अवस्था में हैं।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना ब्लाक-ऊना में काश्तकारों को निजी नलकूप के कनेक्शन लेने पर सरकार द्वारा लगी रोक हटाने की मांग

17-श्री नाहिद हसन-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ब्लाक ऊना में काश्तकारों को निजी नलकूप का कनेक्शन लेने पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है जिससे काश्तकारों को सिंचाई में बेहद असुविधा हो रही है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि पिछले 3 वर्षों से अच्छी वर्षा के कारण उपरोक्त ब्लॉक का भू-गर्भीय जल स्तर में सुधार हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ब्लाक के भूगर्भीय जल का पुनः सर्वे कराकर काश्तकारों को निजी नलकूप संयोजनों पर लगी रोक हटाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

भूजल संसाधनों के आंकलन के विकास खण्डों का वर्गीकरण जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की गाइड-लाइन के आधार पर किया जाता है। भू-गर्भ जल संसाधन रिपोर्ट 3 मार्च, 2013 पर भारत सरकार का अनुमोदन राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04आर/2009, दिनांक 10 जनवरी, 2018 द्वारा विकास खण्डों के वर्गीकरण की सूची निर्गत की गयी है, वर्गीकरण के आधार पर जनपद-शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के विकास खण्ड-कैराना को अतिदोहित श्रेणी एवं विकास खण्ड-शामली एवं थानाभवन को क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

उपरोक्त शासनादेश के अनुसार निजी नलकूपों के उर्जीकरण पर लगाए गए प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में प्रस्तावित एवं संचालित एम्स की संख्या का विवरण

18-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने एम्स स्थापित करने हेतु प्रस्तावित हैं तथा वर्तमान में कितने एम्स का निर्माण कार्य संचालित है तथा उनमें कब तक इलाज प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

एम्स की स्थापना का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में जनपद-रायबरेली तथा गोरखपुर में एम्स का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। एम्स, रायबरेली में जुलाई, 2018 तथा एम्स, गोरखपुर में मार्च, 2019 में ओ0पी0डी0 प्रारम्भ किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

जनपद सोनभद्र में तहसील घोरावल, ग्राम परसौना में चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा की गयी गंभीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की मांग

19-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम परसौना, परगना बरहड़, तहसील-घोरावल, जनपद-सोनभद्र में भूमाफियाओं से दुरभिसंधि कर चकबन्दी प्राधिकारियों द्वारा की गयी गंभीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में चकबन्दी आयुक्त, उ0प्र0 का आदेश पत्रांक-3882/जी-179ए/91, दि0 19 अगस्त, 2011 जिलाधिकारी/ जिला उपसंचालक चकबन्दी, सोनभद्र को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रश्नगत आदेश पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या है तथा प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी पाये गये चकबन्दी प्राधिकारियों/अवैध रूप से लाभान्वित भूमाफियाओं के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत पत्र के प्रमुख बिन्दु निम्नवत् है :--

1-चकबन्दी प्रक्रिया में गम्भीर अनियमितताओं के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए तत्काल कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाए।

2-जिन खातों पर अनियमित आदेश पारित किये गये हैं, उन सभी खातों पर उक्त अनियमित आदेशों को निरस्त कराने की कार्यवाही तत्काल अमल में लायी जाए।

प्रश्नगत प्रकरण में जांचोपरान्त दोषी पाये गये श्री राजप्रताप सिंह, तत्कालीन चकबन्दी अधिकारी, सेवानिवृत्त हो चुके हैं तथा श्री मनोज राय, तत्कालीन सहायक चकबन्दी अधिकारी, मृतक हो चुके हैं। ग्राम परसौना, मुतलिके कडिया, तहसील घोरावल, जनपद सोनभद्र को उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति संख्या-1001/जी0-179/91, दिनांक 19-02-2013 द्वारा चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान की गयी कार्यवाहियां प्रभावहीन हो गयी हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मिर्जापुर के थाना-अदलहाट में पंजीकृत मु0अ0सं0-562/2004 पर कार्यवाही की मांग

20-श्री लाल जी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जीवित व्यक्तियों को फर्जी मृत दिखाकर उसकी भू-सम्पत्ति हड़पने व कूटरचित आकार पत्र-35 क जो0च0अधि0 तैयार करने के जुर्म में चकबन्दी विभाग द्वारा जनपद-मिर्जापुर अन्तर्गत थाना-अदलहाट में मु0अ0सं0-562/2004, अन्तर्गत धारा-419, 420, 466, 467, 471 भा0दं0स0 पंजीकृत कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त अपराधिक वाद में विवेचना अधिकारी द्वारा आरोप पत्र सं0-80/2004, दि0 19-12-2004 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो विगत 14 वर्ष से अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित न करने के कारण क्या है और इसके लिए उत्तरदायी कौन हैं ? क्या सरकार उत्तरदायित्वों के विरुद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है तथा इस आदेश के अनुपालन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की गयी है। अतः अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कार्यरत वर्क चार्ज/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में

21-श्री राम अचल राजभर-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में वर्ष 1995 से कार्यरत वर्क चार्ज/दैनिक वेतनभोगी/कर्मचारियों का विनियमितीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह "मोती सिंह")-

जी हां।

वित्त विभाग से अधिसंख्य पद के सृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, बेल्थरा रोड में हुई अनियमित नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

22-श्री ओमकार सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-64 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमितता के लिए दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध कोई कार्रवाई करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 23-05-2016 को विज्ञापन प्रकाशित कर 5 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी। उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन भुगतान न होने के कारण उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-56993/2016 राजेश कुमार यादव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-12-2016 के समादर में जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया के निर्णय दिनांक 16-2-2018 द्वारा याचीगण सर्वश्री राजेश कुमार यादव, पुष्पांजलि मिश्र, प्रमोद कुमार, अमित कुमार सिंह एवं राजेश कुमार सिंह की नियुक्तियां शासनादेश के विपरीत होने के कारण अमान्य की जा चुकी हैं।

उक्त नियुक्ति के लिए प्रबन्धक उत्तरदायी नहीं हैं।

जनपद बलिया के डी0ए0बी0 इण्टर कालेज, बेल्थरा रोड में फर्जी विज्ञापन के आधार पर कि गयी नियुक्तियों के लिए प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

23-श्री ओमकार सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2017 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या-52 के उत्तर के क्रम के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जांच आख्या उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा की पुरानी तहसील भवन में रोडवेज डिपो बस स्टेशन मय स्टाफ सहित स्थापित करने विषयक जिलाधिकारी बांदा में पत्र सं0-65(22)/एल0ए0सी0-बांदा, दिनांक 06-12-2017 पर कार्यवाही की सूचना

24-श्री चन्द्रपाल कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12 (भवन), लखनऊ को सम्बोधित जिलाधिकारी, बांदा का संलग्नकों सहित पत्रांक-65(22)/एल0ए0सी0-बांदा, दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 जो जनपद बांदा की तहसील-बबेरु मुख्यालय स्थित पुरानी तहसील के भवन/परिसर में रोडवेज डिपो बस स्टेशन मय स्टाफ सहित स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश, अनुभाग-12 (भवन), लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में

25-श्री रवीन्द्र जायसवाल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेटी, बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना को सम्बल प्रदान करते हुए प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय खोलने हेतु सरकार की कोई प्रोत्साहन योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थापित विश्वविद्यालयों में छात्राओं के अध्ययन हेतु समुचित व्यवस्था है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम गुलरा कटका में प्रदूषित पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कार्य-योजना विषयक

26-श्री दिनेश चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के ग्राम गुलरा कटका में प्रदूषित पेयजल की वजह से वहां की जनता को गम्भीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषित जल के समाधान हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं, ग्राम गुलरा (कटका) में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से 21 हैण्डपम्पों के जल का विभागीय प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया। परीक्षण के उपरान्त इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के जल में कठोरता की मात्रा स्वीकार्य सीमा के अन्तर्गत है। कपितय इण्डिया माक्र-II हैण्डपम्पों के जल में टर्बिडीटी (गंदलापन) की मात्रा पाई गयी है। इसके अतिरिक्त कहीं भी जल में किसी अन्य प्रकार का प्रदूषण नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के चारागाह की जमीन से अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में या सदस्य द्वारा दिये गये पत्र पर कार्यवाही

27-श्री दिनेश चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जिलाधिकारी जौनपुर को दिये गये पत्र संख्या क-6 नं0 008791 दिनांक 08-01-2018 जो कि जनपद जौनुपर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में चारागाह की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर झूला वनस्पति फैक्ट्री चलाये जाने के सम्बन्ध में है पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम नाऊपुर में स्थित आ0नं0 1779 मि0 की मौके तथा अभिलेखीय जांच की गयी। जांच से स्पष्ट है कि उक्त आराजी चारागाह खाते की भूमि है, जिस पर वर्तमान समय में जे0वी0एल0 कम्पनी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उपरोक्त अवैध कब्जा हटवाये जाने हेतु बेदखली का वाद तहसीलदार केराकत के न्यायालय में वाद संख्या-टी 20151436051026 विचाराधीन है। वाद के निस्तारण के उपरान्त ही बेदखली की कार्यवाही न्यायोचित है। उपरोक्त भू-खण्ड के सम्बन्ध में जे0वी0एल0 कम्पनी के निर्माण के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी केराकत जौनपुर के न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-101 अंजू बनाम झुनझुनवाला बनाम गांवसभा व अन्य वाद टी 20161436051740 विचाराधीन है, जिनमें सुनवाई हेतु दिनांक 23-02-2018 नियम है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छलिया को तहसील बनाने की मांग

28-श्री राहुल प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे के विकास खण्ड हलिया को तहसील बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

तहसील सृजन हेतु 100 से 120 लेखपाल क्षेत्र का मानक निर्धारित है। विकास खण्ड हलिया तहसील सृजन का मानक पूर्ण नहीं करता है।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छलिया में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करने की मांग

29-श्री राहुल प्रकाश-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के विकास खण्ड हलिया में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा छानबे के विकास खण्ड, हलिया में राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बरौधा संचालित है। इसके अतिरिक्त 9 विद्यालय केन्द्र पुरोनिर्धारित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत स्वीकृत एवं संचालित है, जिनमें सहशिक्षा की व्यवस्था है।

जनपद लखनऊ के खुनखुन जी गर्ल्स इण्टर कालेज में 31 मार्च, 2016 को सेवानिवृत्त हुई शिक्षिकाओं को 7वें वेतन का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में

30-सुश्री अदिति सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित खुनखुन जी गर्ल्स इण्टर कालेज में 31 मार्च, 2016 को कितनी शिक्षिकायें सेवानिवृत्त हुई हैं ? क्या इन शिक्षिकाओं को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन फिक्सेशन तथा एरियर का भुगतान उनको कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

खुनखुन जी गर्ल्स इण्टर कालेज, लखनऊ से दिनांक 31-3-2016 को तीन शिक्षिकायें सेवानिवृत्त हुई हैं।

7वें वेतन आयोग के अनुसार उक्त शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण कर दिया गया है। वित्त विभाग के शासनादेशों दिनांक 22-12-2017 के अनुसार एरियर के 50 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 50 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के ग्रामों में चकबन्दी की प्रक्रिया शुरु कराने के सम्बन्ध में

31-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में ऐसे कितने ग्राम है जहां चकबंदी के लिये गजट हो चुका है तथा नक्शे के अभाव में किन-किन ग्रामों में चकबन्दी प्रक्रिया अब तक शुरू

नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार उक्त ग्रामों का नक्शा उपलब्ध कराकर चकबन्दी प्रक्रिया शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच के कुल 61 ग्रामों में चकबन्दी के लिये गजट हो चुका है। बन्दोबस्ती भू-चित्र के अभाव में ग्राम बड़ागांव एवं कन्छर कुल 02 ग्रामों की चकबन्दी प्रक्रिया प्रारम्भिक स्तर पर बाधित है।

राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश से बन्दोबस्ती भू-चित्र प्राप्त करने के प्रयास किया जा रहा है। बन्दोबस्ती चित्र उपलब्ध होने के दशा में चकबन्दी प्रक्रिया शुरु करायी जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बहराइच के ग्रामों के अनुपलब्ध भू-लेख मानचित्र तैयार करने के सम्बन्ध में

32-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के कितने ग्रामों के भूलेख मानचित्र नहीं हैं ? क्या सरकार नया भूलेख मानचित्र तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बहराइच में कुल 38 राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्र उपलब्ध नहीं है।

जी हां।

इस सम्बन्ध में जनपद से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्व परिषद् द्वारा विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही कराकर यथाशीघ्र राजस्व ग्रामों के भू-मानचित्र जनपद के राजस्व अभिलेखागार में संग्रहीत कराये जायेंगे।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर व सुजानगंज में सरकारी जमीनों से अनधिकृत कब्जे हटाने के सम्बन्ध में

33-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद की मछलीशहर तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर सुंजानगंज व नगरपालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर में सरकारी/ग्राम समाज/तालाब की जमीनों पर अनधिकृत कितने कब्जों की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उनमें से वर्ष 2017 में कुल कितने अवैध कब्जे हटाये गये तथा शेष अवैध कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जौनपुर जनपद के मछलीशहर तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर सुजानगंज व नगरपालिका परिषद मुंगराबादशाहपुर में सरकारी/ग्राम समाज/तालाब की जमीनों पर अनधिकृत कब्जों की दिनांक 31-12-2017 तक कुल 27 शिकायतें संज्ञान में आयी।

उक्तानुसार संज्ञान में आये सभी ग्राम समाज/तालाब की जमीनों से अनधिकृत कब्जे हटवा दिये गये हैं। पुनः कब्जा सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर 01 जनवरी, 2018 से 31 मार्च, 2018 तक चलाये जा रहे अभियान श्रावस्ती मॉडल के तहत अवैध कब्जा हटाये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड रमियाबेहड़, ईसानगर के प्राथमिक व उच्च विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल बनाने के सम्बन्ध में

34-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में विकास खण्ड रमियाबेहड़ धौरहरा व विकास खण्ड ईसानगर के किस-किस गांव के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्री नहीं है तथा किस-किस विद्यालय में शौचालय खराब हैं या बन्द हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों का विवरण उपलब्ध कराकर उपरोक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा स्थित विकास खण्ड रमियाबेहड़ धौरहरा व ईसानगर में-175 प्राथमिक विद्यायलयों तथा 111 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल की सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। 162 प्राथमिक विद्यालयों तथा 97 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रियाशील शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं हैं। विद्यालयों का विवरण/सूची संलग्न है।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण संभव नहीं है।

परिषदीय विद्यालयों के शौचालयों को क्रियाशील व प्रयोज्य रखने के लिये मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश सं0-68/2016/2603/33-3-2016-154/2014, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 तथा निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्रांक-867/2017-5/14/2017, दिनांक 20 मई, 2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल शौचालयों की मरम्मत एवं रख रखाव के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्तवत्।

उक्तवतृ।

जनपद गोण्डा के मनकापुर, छपिया, बभनजोत विकास खण्डों में शत प्रतिशत शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में

35-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के मनकापुर, छपिया, बभनजोत के विकास खण्डों में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में सभी ग्राम

पंचायतों को ओ0डी0एफ0 घोषित कर शत-प्रतिशत शौचालय निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के बभनजोत में शुद्ध पेय जल हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प या पानी की टंकी लगवाने के सम्बन्ध में

36-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के बभनान शुगर फैक्ट्री के गन्दे पानी को तालाबों नालों में छोड़ने के कारण 20 कि0मी0 के रेन्ज में पीले गन्दे पानी नलों में लोग पीने को मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये सरकार उन गांवों की पानी की गुणवत्ता की जांच कराकर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प या पानी की टंकी लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

बभनान चीनी मिल परिसर में एफल्युएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (ईटीपी) एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) निर्मित एवं संचालित है। मिल से निकले अपशिष्ट जल को शोधित कर पुनः मिल द्वारा शोधित जल का उपयोग किया जा रहा है एवं सीवेज का पानी एसटीपी से शुद्धिकरण के पश्चात मिल से सटे तालाब में जा रहा है, जिसका आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्य में उपयोग होता है। जनपद गोण्डा के बभनान शुगर फैक्ट्री के 20 किलोमीटर के रेन्ज में विकास खण्ड छपिया तथा विकास खण्ड बभनजोत आते हैं। उक्त विकास खण्डों का कोई भी ग्राम गुणता प्रभावित नहीं है।

उक्त शुगर फैक्ट्री के 20 किलो मीटर के रेन्ज में जनपद बस्ती के विकास खण्ड हरैया, गौर एवं परसरामपुर आंशिक रूप से आते हैं। जनपद बस्ती के उक्त तीनों विकास खण्डों के 15 ग्रामों की 26 बस्तियां गुणता प्रभावित हैं, जिनमें से 06 ग्रामों की 10 बस्तियों को पेयजल योजनाओं से 03 ग्रामों की 06 बस्तियों को निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है तथा अवशेष बस्तियों में गहरे इण्डिया माक्र-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

जनपद बस्ती एंव गोण्डा में क्रमशः 63 व्यक्ति की आबादी एवं 68 व्यक्ति की आबादी पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार दोनों जनपद पेयजल के मानक की दृष्टि से संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के छपिया ब्लाक में उच्च प्रा0वि0 चारू के पास राजकीय इण्टर कालेज/माडल स्कूल की व्यवस्था की मांग

37-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिन ग्राम सभाओं में जूनियर हाई-स्कूल स्थापित हैं एवं वहां पर इण्टर कालेज नहीं हैं, तो क्या सरकार उन जूनियर हाई स्कूलों को

उच्चीकरण कर इण्टर कालेज बनाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? ऐसे ही गोण्डा जनपद के छपिया ब्लाक में उच्च प्रा0 वि0 चारु के पास 50 बीघा जमीन उपलब्ध है वहां पर राजकीय इण्टर कालेज/माडल स्कूल इत्यादि की व्यवस्था कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में बजट की उपलब्धता एवं औचित्य के दृष्टिगत 10 कि0मी0 की परिधि में राजकीय अथवा सहायता प्राप्त इण्टर कालेज न होने की दशा में राजकीय हाई स्कूल को इण्टर स्तर तक उच्चीकृत करके राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना का मानक है।

जनपद गोण्डा के छपिया ब्लाक में स्थित उच्च प्रा0वि0, चारू से 06 कि0मी0 की दूरी पर जनता इण्टर कालेज, बभनान एवं 08 कि0मी0 की दूरी पर जनता इण्टर कालेज, पाटेश्वर नाथ पतिजिया बुजुर्ग संचालित है। अतः स्थल संतृप्त है।

जनपद गोण्डा के बभनजोत छपिया मनकापुर विकास खण्ड में प्राथमिक विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल निर्माण की मांग

38-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के बभनजोत, छपिया, मनकापुर विकास खण्ड के ऐसे कितने विद्यालय हैं जहां पर बाउन्ड्रीवाल नहीं है ? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर बाउन्ड्रीवाल विहीन प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत, छपिया एवं मनकापुर के 156 प्राथमिक एवं 83 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल नहीं है।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चाहरदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण विद्यालयों में चाहरदीवारी निर्माण सम्भव नहीं है। वर्तमान में समस्त विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें जैसे-पेयजल, बिजली, डेस्क आदि उपलब्ध कराना प्राथमिकता हैं उसके उपरान्त राज्य सरकार द्वारा चाहरदीवारी पर विचार किया जायेगा।

उक्तवत्।

उक्तवतृ।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया, बभनजोत, मनकापुर में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की रिवोर/रिपेयर कराने की मांग

39-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद के छपिया, बभनजोत, मनकापुर विकास खण्ड में प्रधानों द्वारा कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प को रीबोर 2017-18 में कराया

गया था तथा कितने शेष रह गये हैं ? क्या सरकार अवशेष हैण्डपम्पों को रीबोर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

गोण्डा जनपद के छपिया, बभनजोत, मनकापुर विकास खण्ड में प्रधानों द्वारा 498 हैण्डपम्पों को रिबोर किये जाने लक्ष्य के सापेक्ष 227 हैण्डपम्प रि-बोर कराये जा चुके हैं तथा 271 हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने शेष हैं।

जी हां।

अवशेष हैण्डपम्पों को रिबोर कराने हेतु प्लान प्लस पर कार्ययोजना अपलोड कराते हुए आई0डी0 जनरेट करायी जा चुकी है। शीघ्र ही अवशेष हैण्डपम्पों को रिबोर करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के निजी प्रबन्धन के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता देने में पारदर्शिता लाने हेतु कार्य योजना

40-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी प्रबन्धन के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को शासन द्वारा दी जाने वाली मान्यताओं में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु कोई नयी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 08 मई, 2013 द्वारा बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत निजी प्रबन्धतंत्र के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता दिये जाने हेतु नियम व शर्तें निर्धारित की गयी हैं तथा पारदर्शी व्यवस्था संचालित है। बेसिक शिक्षा परिषद् की वेबसाइट पर ऑन-लाइन मान्यता का आवेदन करने की व्यवस्था प्रारम्भ की जा चुकी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्ष से कार्य कर रहे शिक्षकों को विनियमित किये जाने की मांग

41-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्ष से कार्य कर रहे तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

सम्प्रति इस विषय पर शासन का कोई नीतिगत निर्णय नहीं है

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नेडा विभाग द्वारा विधायक निधि से हाईमास्क लाइटें लगाने की कार्य योजना की सूचना

42-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नेडा विभाग द्वारा वर्ष 2017 में हाईमास्क लाइटें लगाने का एग्रीमेन्ट अभी तक जारी न होने से विधायक निधि, सांसद निधि द्वारा दिये गये लाइट लगाने का कार्य बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार नेडा मुख्यालय से एग्रीमेन्ट जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजेश पाठक-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में सोलर हाईमास्ट लाइटिंग संयंत्रों की स्थापना हेतु मा0 जन-प्रतिनिधियों की क्षेत्र विकास निधियों से कतिपय जनपदों में यूपीनेडा को प्राप्त धनराशि के दृष्टिगत संयत्रों की दर एवं फर्मों के निर्धारण हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गयी है, जो दिनांक 12 मार्च, 2018 को खोली जानी हैं।

संयंत्र की दरें निर्धारित होते ही सफल निविदादाताओं के साथ एग्रीमेन्ट करते हुए संयत्रों के अधिष्ठापन की कार्रवाई मार्च, 2018 में प्रारम्भ की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील केराकत में विगत 30 जून 2017 के पूर्व कार्यरत तहसीलदार श्री प्रेम कुमार राय के विरुद्ध कार्यवाही की सूचना

43-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील केराकत में विगत 30 जून, 2017 के पूर्व कार्यरत तहसीलदार श्री प्रेम कुमार राय के विरुद्ध मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर द्वारा जांच कार्यवाही करके रिपोर्ट आख्या दिनांक 24-09-2016 को प्रस्तुत किया गया था, इसमें तहसीलदार श्री प्रेम कुमार राय दोषी पाये गये थे, इसमें इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि श्री प्रेम कुमार राय तहसीलदार बदलापुर से तहसील केराकत में तैनात किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। जांच में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप परिषदादेश संख्या-1275/ 3-त0ना0त0-101डी/16, दिनांक 07-03-2017 द्वारा श्री प्रेम कुमार राय, तत्कालीन तहसीलदार जनपद जौनपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अपर आयुक्त (प्रशासन) वाराणसी मण्डल, वाराणसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा परिषदादेश संख्या-1276/ 3-त0ना0त0- 101डी/16, दिनांक 07-03-2017 द्वारा आरोप पत्र निर्गत किया गया है। प्रकरण में जांच अधिकारी की जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है।

जी हां। प्रशासनिक आधार एवं राजकीय कार्यहित में श्री प्रेम कुमार राय, तहसीलदार को आदेश दिनांक 16-03-2016 द्वारा तहसील बदलापुर से तहसील मछलीशहर तथा आदेश दिनांक

05-04-2016 द्वारा तहसील मछलीशहर से तहसील केराकत में स्थानान्तरित किया गया था। वर्तमान में श्री प्रेम कुमार राय सम्प्रति जनपद आजमगढ़ में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के विधानसभा क्षेत्र कैराना में बालिका डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

44-श्री नाहिद हसन-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ब्लाक ऊन में बालिकाओं को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ग्राम-गढ़ी दतेहड़ा, ब्लाक-ऊन, जनपद शामली में बालिका डिग्री कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ब्लॉक ऊन में 06 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

उक्त के अतिरिक्त जनपद शामली में 02 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा जनपद शामली के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद शामली में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने के अवसर नहीं हैं।

जनपद हाथरस के ब्लाक सादाबाद में खारे पानी की समस्या के निदान हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

45-श्री रामवीर उपाध्याय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के अन्तर्गत ब्लाक-सादाबाद में अधिकतर गांव में खारे पानी की गम्भीर समस्या है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद में कुल 58 ग्राम पंचायतें हैं। उक्त में से 18 ग्राम पंचायतों में खारे पानी की समस्या है।

खारे पानी से प्रभावित 13 ग्राम पंचायतों में पाइप पेयजल योजना संचालित है, जो वर्तमान में क्रियाशील है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार विकास खण्ड सादाबाद की कुल जनसंख्या-2,08,402 है। उक्त विकास खण्ड में निर्धारित मानक (150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प) के आधार पर 1,390 हैण्डपम्पों की आवश्यकता के सापेक्ष 2,920 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार विकास खण्ड सादाबाद पेयजल की दृष्टि से हैण्डपम्पों से संतृप्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में पेयजल के लिये सोलर पम्प लगाने की मांग

46-श्री राहुल प्रकाश-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के विकास खण्ड हलिया, लालगंज में पेयजल हेतु सोलर पम्प की स्थापना क्या सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां, जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के हलिया एवं लालगंज विकास खण्ड में वर्ष 2012-2013 में 11, वर्ष 2013-14 में 01 एवं वर्ष 2014-15 में 03 अर्थात कुल 15 सौर ऊर्जा आधारित मिनी पेयजल योजना अधिष्ठापित हैं। उक्त सौर ऊर्जा पेयजल योजनाओं का मरम्मत कर चालू करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2016-17 में स्वीकृत 02 सौर ऊर्जा आधारित मिनी पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के ग्राम माई जी का पुरवा मजरा-सौनई कजेहरा में नाली का निर्माण हेतु

47-श्री लाल जी वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के ब्लाक-गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम माई जी का पुरवा मजरा-सौनई कजेहरा में संजय कुमार यादव पुत्र स्व0 वासदेव आदि के आवास के सामने लगे खड़ंजे से लगभग 10 मीटर दूर स्थित सरकारी नाली तक नाली का निर्माण न होने के कारण स्थानीय लोगों को गन्दे पानी के निकासी हेतु परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त स्थान पर नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के 2 मंगलवार के लिये निर्धारित श्री लाल जी वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-47 का उत्तर।

प्रश्न उत्तर-

47-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम माई जी का पुरवा मजरा-सौनई कजेहरा में संजय कुमार यादव पुत्र स्व0 वासदेव आदि के आवास के सामने लगे खडंजे से लगभग 10 मीटर दूर स्थित सरकारी नाली तक नाली का निर्माण न होने के कारण स्थानीय लोगों को गन्दे पानी के निकासी हेतु परेशानी हो रही है ?	ग्राम पंचायत सौनई कजेहरा के मजरा स्थित श्री संजय कुमार यादव पुत्र स्व बासदेव यादव के मकान से 10 मीटर दूर स्थित नाली, जिसकी लम्बाई लगभग 50 मीटर है, को अनुपूरक कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया गया है, जिनका निर्माण शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उपरोक्त स्थान पर नाली का निर्माण करायेगी ?	उपरोक्तानुसार।
यदि हां, तो कब तक ?	उपरोक्तानुसार।
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के ग्राम नाहल में इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

48-श्री असलम अली-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के 50-60 हजार आबादी के ग्राम नाहल में कोई भी इण्टर कालेज नहीं होने की बजह से छात्र व छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिये काफी दूर जाना पड़ता है। यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम नाहल में इण्टर कालेज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

ग्राम नाहल से 2.5 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नूरपुर तथा 3 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय उच्चतर विद्यालय कुशलियां संचालित है और ग्राम नाहल से 6 कि0मी0 की परिधि में 2 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय आजाद मेमोरियल इण्टर कालेज डासना, गाजियाबाद तथा अध्यात्मिक नगर इण्टर कालेज संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हापुड़ एवं गाजियाबाद में निजी स्कूलों में निर्धन वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

49-श्री असलम अली-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ व गाजियाबाद में राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के निजी स्कूलों में कितने निर्धन वर्ग के छात्रों का प्रवेश किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

राइट टू एजूकेशन अधिनियम के अन्तर्गत उच्च शिक्षा के निजी स्कूलों में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं हुआ।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में 06-14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार उच्च शिक्षा विभाग प्रश्नगत अधिनियम से आच्छादित नहीं होता।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण के सम्बन्ध में

50-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है ? क्या सरकार विद्यालयों की सुरक्षा को देखते हुये ऐसे विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

यू-डायस डाटा 2016-17 के अनुसार प्रदेश के 37237 प्राथमिक विद्यालयों तथा 18888 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक सुविधायें जैसे बिजली, पेयजल आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा बजट आवंटन किया गया। समस्त स्कूलों पर मूलभूत सुविधायें कराने के उपरान्त चहारदीवारी निर्माण पर विचार किया जायेगा।

उक्तवत्।

उक्तवतृ।

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्रामों के जल में नाइट्रेट एवं आयरन की कमी को दूर करने हेतु कार्य योजना के सम्बन्ध में

51-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के किन-किन ग्रामों के जल में नाइट्रेट और आयरन की कमी जल निगम की जांच में पायी गयी है ? क्या उक्त ग्रामों के जल में नाइट्रेट एवं आयरन की कमी को पूरा करने को सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

उ0प्र0 जल निगम द्वारा वर्ष 2003-04 में कराये गये सर्वे के अनुसार जनपद अम्बेडकरनगर की कुल 16 बस्तियां रासायनिक अशुद्धियां फ्लोराइड तथा आयरन से प्रभावित पाई गयी थी, जिनके स्थायी समाधान हेतु विभिन्न निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 45 मिली ग्राम/लीटर तथा आयरन की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 10 मिली ग्राम/लीटर है। नाइट्रेट एवं आयरन का उक्त सीमा से कम होना पेयजल के लिये उपयुक्त माना जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज में जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में

52-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0-063928, दिनांक 18-01-2018 जो जनपद फर्रूखाबाद की तहसील-कायमगंज परगना-शमशाबाद पश्चिम स्थित

ग्राम-रानीपुर जोगपुर में दबंगों द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, को खाली कराने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 18-01-2018 में जो ग्राम रानीपुर जोगपुर का अंकन किया गया है कि वह ग्राम रानीपुर जोगपुर न होकर गनीपुर जोगपुर है और उक्त पत्र में यह भी वर्णित नहीं है कि ग्राम की किस भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य विधान सभा से यह जानकारी की गयी कि चूंकि आपके पत्र में किसी विशेष स्थान का उल्लेख नहीं है। अतः अवगत करायें कि ग्राम की किस भूमि पर अवैध कब्जा है। तदोपरान्त मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा ग्राम गनीपुर जोगपुर, परगना (शमसाबाद पश्चिम) तहसील कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद की फसली वर्ष 1419-1424 के खाता संख्या-01316 की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी। उक्त खाता विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि खसरा संख्या-1625 मि0 रकबा 10.1170 हे0 जो श्रेणी-6-4/ जो अन्य कारणों से अकृषित हो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 के नाम दर्ज है, जिस पर वर्तमान में डॉ0 जाकिर हुसैन ट्रस्ट का चिकित्सालय संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फर्रुखाबाद में राजेपुर के इण्टर कालेज के अधूरे भवन को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

53-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0-063929, दिनांक 18-01-2018 जो जनपद फर्रूखाबाद के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज, राजेपुर के अधूरे पड़े भवन निर्माण को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

वर्णित पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता है।

उक्तवत्।

प्रदेश में विभिन्न विभागों में बैकलॉग के रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्धी में

54-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-6 नं0-063932, दिनांक 18-01-2018 जो प्रदेश के सरकारी विभागों में विभागवार अभियान चलाकर समूह क, ख, ग एवं घ वर्ग के रिक्त पदों पर बैकलाग भर्ती किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

''उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994'' यथासंशोधित की धारा-3(2) में विशेष भर्ती का प्राविधान है।

सामान्यतः समूह-क के पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते हैं। वर्तमान में आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदोन्नति में आरक्षण अनुमन्य नहीं है। समूह-ख के पदों पर चयन की कार्यवाही उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। लोक सेवा आयोग की परिधि के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु समय-समय पर समस्त विभागों को अधियाचन प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। समूह-ग के पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट हैं। उक्त रिक्त पदों के अधियान भेजे जाने के निर्देश सभी विभागों को दिये गये हैं। समूह-घ के नियमित पदों पर सम्प्रति चयन प्रतिबंधित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ब्लाक बबीना के चकबन्दी अधिकारियों द्वारा हुई अनियमितता की जांच कराने की मांग

55-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक बबीना में चकबन्दी अधिकारियों एवं दबंगों की मिलीभगत से कमजोर वर्ग के ग्रामवासियों को दूर-दूर आवंटित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर निष्पक्ष चकबन्दी पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी, नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में प्रधानमंत्री आवास आवंटन को भुगतान में अनियमितता की जांच

56-श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस'-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में कितने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की प्रथम किस्त जारी हुई है ? क्या सरकार बतायेगी कि सभी लाभार्थियों को जारी प्रथम किस्त के सापेक्ष मनरेगा का भुगतान हो गया है ? क्या मनरेगा का भुगतान आवास लाभार्थियों के अलावा अन्य किसी को किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 915 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के उपर्युक्त 915 लाभार्थियों को प्रथम किस्त अवमुक्ति के सापेक्ष 865 लाभार्थियों को मनरेगा से भुगतान किया गया है।

जी नहीं, आवास के लाभार्थियों के अतिरिक्त किसी अन्य की भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत/रिबोर कराने के सम्बन्ध में

57-श्री वीर विक्रम सिंह, 'प्रिंस'-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में कितने सरकारी हैण्ड पम्प स्थापित हैं एवं उनमें से कितने हैण्डपम्प चालू अवस्था में हैं और कितने खराब पड़े हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों की रीबोर/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत कुल 6676 सरकारी हैण्डपम्प स्थापित है। 6223 हैण्डपम्प चालू अवस्था में है एवं 453 हैण्डपम्प रि-बोर/मरम्मत योग्य/खराब है।

रिबोर/मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों को ग्राम पंचायतों द्वारा नियमानुसार ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा के अन्तर्गत बाढ़ के समय विस्थापित लोगों को आवास एवं अन्य सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में

59-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरयू-घाघरा नदी के कछार में झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले हजारों परिवार बरसात या बाढ़ के समय विस्थापित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार की बाढ़ क्षेत्र के बाहर उनके स्थायी आवास तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बस्ती के तहसील हरैया क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सरयू-घाघरा नदी के कछार में बरसात या बाढ़ से किसी प्रकार का स्थायी विस्थापन नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

60-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड विक्रमजोत की ग्राम सभा माझा किता अव्वल, माझा सीतारामपुर, छितौना तथा लजघटा, अमारी तथा उभाई तथा विकास खण्ड दुबौलिया के माझा अखण्डपुर भकरही में पेयजल की विकट समस्या के चलते आम जनमानस अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रहित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पानी की टंकी लगवाकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के विकास खण्ड विक्रमजोत, हरैया एवं दुबौलिया के विभिन्न ग्राम पंचायतों के राजस्व ग्रामों में अधिष्ठापित इण्डिया मार्ग-11 हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या	अधिष्ठापित इण्डिया माक्र-11 हैण्डपम्प की संख्या
1	विक्रमजोत	माझा किता अव्वल	माझा किता अव्वल	1584	30
		कल्यानपुर	सीतारामपुर	126	15
		छितौना	छितौना	1008	22
		लजघटा	लजघटा	751	19
2	हरैया	अमारी	अमारी	1380	32
		उभाई	उभाई	2790	34
3	दुबौलिया	बरदिया लौहार	माझा अखण्डपुर	552	10
		भकरही	भकरही	999	22

इस प्रकार उपरोक्त समस्त ग्राम निर्धारित मानक 150 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प की दर से हैण्डपम्पों से संतृप्त है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु निर्धारित प्राथमिकताओं में उक्त ग्राम सम्मिलित नहीं है। उक्त के दृष्टिगत सन्दर्भित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा के ग्राम पिलखिनी में माध्यमिक विद्यालय के निर्माण की मांग

61-श्री आशीष कुमार सिंह ''आशू''-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड भिटौरा के ग्राम पिलखनी में कोई माध्यमिक विद्यालय न होने के कारण छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पिलखिनी, विकास खण्ड-भिटौरा, जनपद-फतेहपुर से 03 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय बालिका इण्टर कालेज, हुसैनगंज, विकास खण्ड-भिटौरा संचालित है।

श्री राजन पाण्डेय पुत्र श्री राम सुधर पाण्डेय निवासी जलालपुर बहराइच को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति विषयक

62-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, फैजाबाद/देवीपाटन मण्डल का पत्रांक 1860-61/मृ0आ0/2015-16, दिनांक 14-08-2015 सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, इलाहाबाद को जो कि श्री राजन पाण्डेय पुत्र स्व0 रामसुधर पाण्डेय, निवासी जलालपुर, पो0 कुरसहा, बहराइच की मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् को प्रेषित है।

लगभग 22 वर्षों के पश्चात् मृतक आश्रित का लाभ दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

63-श्री अक्षयवर लाल गोंड-

[02 सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-169 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड करंजाकला के ग्राम कोहड़ा सुल्तानपुर में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराने हेतु

64-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर के विकास खण्ड करंजाकला के ग्राम कोहड़ा सुल्तानपुर के पंचायत भवन (निषाद बस्ती) से श्री कान्तालाल निषाद के घर तक बना

सम्पर्क मार्ग काफी जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण/सी0सी0 रोड करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

पंचायत भवन (निषाद बस्ती) से श्री कान्तालाल निषाद के घर तक मौके पर कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है। ग्रामवासियों द्वारा आपसी सहमति से आने जाने के लिये व्यक्तिगत जमीन पर तीन फीट का रास्ता दिया गया है। उक्त मार्ग पर डामरीकरण/सी0सी0 रोड निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुंगराबादशाहपुर के ग्राम पंचायत पॅवारा में राशन कार्ड में हो रही अनियमितता की जांच

65-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड-मुंगराबादशाहपुर की ग्राम पंचायत पंवारा में ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा की जा रही व्यापक अनियमितता, अपात्रों को राशन कार्ड, अपात्रों को पेंशन, खड़ंजें के नाम पर फर्जी भुगतान की जांच हेतु साक्ष्य सहित जिलाधिकारी, जौनपुर को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 24-05-2017 पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-5-2017 जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर को प्रेषित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी, मुंगराबादशाहपुर द्वारा पांच सदस्यों की टीम-सहायक विकास अधिकारी (पं0), सहायक विकास अधिकारी (स0क0), अवर अभियन्ता (ल0सि0), बी0ओ0 (पी0बी0डी0) एवं तकनीकी सहायक (मनरेगा) गठित कर जांच करायी गयी। उक्त जांच में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम ऐरा खमरिया से सरैया होते हुये रामपुर ईसानगर तक मार्ग निर्माण विषयक है

66-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम ऐरा खमरिया से सरैया होते हुये वाया रामपुर ईसानगर तक पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना में पूर्व से प्रस्तावित मुख्य मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के ग्राम ऐरा खमरिया से सरैया होते हुए वाया रामपुर ईसानगर तक मार्ग का निर्माण कार्य प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के इन्दिरा नगर स्थित भूतनाथ मार्केट में यातायात की समस्या के निदान हेतु

67-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगर के इन्दिरानगर स्थित भूतनाथ मार्केट में अव्यवस्थित ढंग से वाहनों के खड़े होने से वहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है और वहां से पैदल चलने वाले लोगों तथा दुकानदारों को काफी दिक्कतें होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्केट में टोइंग गाड़ी व यातायात पुलिस की व्यवस्था कराकर ट्रैफिक जाम से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

इन्दिरा नगर स्थित भूतनाथ मार्केट के पास मेट्रों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण इन्दिरा नगर स्थित भूतनाथ मार्केट के पास मार्ग संकरा हो गया है जिससे अव्यवस्थित ढंग से वाहनों के खड़े होने वाले वाहनों में टोइंग कराने हेतु नगर निगम की क्रेनों के संचालन कराना सम्भव नहीं हो पा रहा है। यातायात सुगम संचालन हेतु यातायात पुलिस को मेट्रों द्वारा उपलब्ध करायी गयी मोबाइल वाहन में यातायात पुलिस की ड्यूटी लगाकर पूरे दिन गश्त के माध्यम से यातायात का सुगम संचालन कराया जा रहा है। उक्त स्थान पर यातायात व्यवस्था हेतु यातायात पुलिस व इनके सहयोग में होमगार्ड की ड्यूटी लगायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के तहसील पयागपुर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी की व्यवस्था की मांग

68-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर की तहसील पयागपुर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी न होने से बहुतायत गर्मी के दिनों में होने वाले अग्निकाण्ड से रबी की फसल एवं जन धन की होने वाली भारी क्षति से समय से बचाव कार्य नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तहसील में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनपद बहराइच में 02 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत हैं। एक सदर फायर स्टेशन, बहराइच तथा दूसरा अग्निशमन केन्द्र तहसील नानपारा। सम्पूर्ण वर्ष इन दोनों अग्निशमन केन्द्रों पर स्थित अग्निशमन दल तथा अग्निशमन वाहनों के द्वारा जनपद में होने वाले सभी अग्निकाण्डों तथा जीवरक्षा पुकारों से जनमानस के जानमाल की रक्षा की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में अग्निकाण्डों की संख्या को देखते हुये तहसील कैसरगंज में अग्निशामक वाहन मय अग्निशमन दल के सीजनल ड्यूटी की व्यवस्था की जाती है, ताकि किसी भी अग्निकाण्ड होने पर दूर दराज के क्षेत्रों में भी अग्निशमक दल अल्प समय में पहुंच कर बचाव कार्य कर सकें।

सभी अग्निकाण्डों तथा जीवरक्षा पुकारों को जनपद बहराइच में स्थायी रूप से संचालित फायर स्टेशन बइराइच तथा नानपारा द्वारा ही जनमानस के जानमाल की रक्षा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में अग्निशमन गाड़ियों के लिये ड्राइवरों की नियुक्ति करने विषयक

69-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में कुल कितनी फायर बिग्रेड की गाड़ियां एवं ड्राइवर हैं ? क्या सभी गाड़ियों के लिए मानक के अनुसार ड्राइवर नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी अग्निशमन गाड़ियों के लिए ड्राइवरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद में बहराइच के अन्तर्गत सदर में 06 एवं तहसील नानपारा में 02 कुल 08 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। अग्निशमन चालकों का कुल स्वीकृत नियतन पद 07 है, जिनमें से 03 वाहन चालक वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। स्थानान्तरणाधीन 02 वाहन चालकों सर्वश्री रामअभिलाख तिवारी, जनपद फैजाबाद एवं राजकुमार सिंह, जनपद श्रावस्ती से जनपद बहराइच में कार्यभार ग्रहण करने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद एवं पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती द्वारा दिनांक 22-02-2018 को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ब्लाक हुजूरपुर में भग्गड़वा राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति कराने विषयक

70-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ब्लाक हुजूरपुर में भग्गड़वा राजकीय इण्टर कालेज में अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उसके सापेक्ष वर्तमान समय से कितने अध्यापकों की कमी है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

कुल स्वीकृत 21 पदों के सापेक्ष 16 अध्यापकों की कमी है।

जी हां।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में आवासीय समस्या के समाधान हेतु छात्रावास का निर्माण कराने विषयक

71-श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्थापित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में लगभग 400 बच्चों को बी0टी0सी0 एवं अन्य

प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि इसमें से अधिकांश बच्चे दूसरे जनपदों के हैं तथा पयागपुर जैसे कस्बे में आवास मिलने में काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान के लिए छात्रावास (हास्टल) का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के दूसरे मंगलवार के लिये निर्धारित श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-71 का उत्तर :-

उत्तर

जी हां।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बहराइच में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2015 बैच के कुल 200 सीटों के सापेक्ष 198 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत है। डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 के कुल 200 सीटों के सापेक्ष 198 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणरत है।

जी हां

वर्ष 2018-19 हेतु भारत सरकार में आयोजित होने वाली प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी0ए0बी0) की बैठक में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, बहराइच में हॉस्टल निर्माण हेतु बजट प्रस्तुत करने की कार्य योजना है।

भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना में स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त होने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण में पारदर्शिता लाने हेतु कार्य योजना

72-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद स्तर पर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के होने वाले स्थानान्तरण/समायोजनों में पारदर्शिता लाने हेतु सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद स्तर पर प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के स्थानान्तरण/समायोजन हेतु शासनादेश दिनांक 13-6-2017 द्वारा स्थानान्तरण नीति जारी की जा चुकी है। पारदर्शिता हेतु स्थानान्तरण आनलाइन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के ग्राम इंधना में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इ0 कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण कराने की मांग

73-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के जलालपुर तहसील के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत ग्राम इंधना में पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माडल इ0 कालेज का निर्माण धन के अभाव में विगत 5 वर्षों से अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यदायी संस्था को धन निर्गत कर निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में

74-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस दिये जाने पर रोक लगाई गयी है ? यदि हो, तो हत्या, डकैती व अन्य खतरों से प्रभावित लोगों को शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-रिट-395/छः-पु-5-2013, दिनांक 08-11-2013 द्वारा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के मतानुसार शस्त्र की वास्तविक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये अपराध पीड़ित आवेदकों को नवीन शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के थाना बंथरा में गरीब महिला पर आक्रमण के सम्बन्ध में कार्यवाही

75-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ग-6 नं0-041980, दिनांक 18-01-2018 जो जनपद लखनऊ के थाना बंथरा में गरीब महिला पर आक्रमण की एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

इस सम्बन्ध में मु0अ0सं0 3/2018 धारा 323, 504, 325 भादवि पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के ग्राम सनिचरा में चकबन्दी अधिकारियों द्वारा भूमि आवंटित में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में

76-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सनिचरा में चकबन्दी अधिकारियों एवं दबंगों की मिलीभगत से कमजोर वर्ग के ग्रामवासियों को दूर-दूर चक आवंटित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर निष्पक्ष चकबन्दी पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद-सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा सनिचरा में अभी तक चक निर्माण की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है। अतः कमजोर वर्ग के ग्रामवासियों को दूर-दूर चक आवंटित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उपयफ्रक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बेसिक शिक्षकों के स्थानान्तरण नीति के सम्बन्ध में

77-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत बेसिक शिक्षकों को जनपद के अन्दर व अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की नीति वर्ष 2017-18 के लिए सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

जनपद के अन्दर व अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की नीति वर्ष 2017-18 के लिये दिनांक 13-6-2017 को नीति जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली में कुल रि-बोर कराये गये हैण्डपम्पों की सूचना

78-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली के विकास खण्डों गोन्दलामऊ, कसमण्डा, पहला, सिधौली में लक्ष्य के सापेक्ष कितने हैण्डपम्प रिबोर कराये गये क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त विकास खण्डों में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद सीतापुर तहसील सिधौली के विकास खण्ड गोन्दलामऊ में 285 के लक्ष्य के सापेक्ष 158 नग विकास खण्ड कसमण्डा में 109 के सापेक्ष 78 नग, विकास खण्ड पहला में 173 के सापेक्ष 133 नग एवं विकास खण्ड सिधौली में 109 के सापेक्ष 59 नग हैण्डपम्पों को जनवरी, 2018 तक रि-बोर कराया जा चुका है। जी हां, वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु मार्च, 2018 के अन्तिम सप्ताह में सर्वेक्षण उपरान्त रि-बोर योग्य हैण्डपम्पों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के मोहल्ला पैगम्बर में रास्ते से अवैध अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में

79-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद (कस्बा) के मोहल्ला पैगम्बरपुर में जयन्ती देवी के घर से स्व0 बाबूलाल के घर तक अवैध अतिक्रमण करने से रास्ता बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में अवैध अतिक्रमण हटा कर उक्त रास्ते पर आवागमन शुरू करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं, मो0 पैगम्बरपुर में जयन्ती देवी के घर से स्व0 बाबू लाल के घर तक अवैध अतिक्रमण नहीं पाया गया।

रास्ते पर आवागमन हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद सीतापुर की तहसील सीतापुर के ग्रामों में वृक्षारोपण, खेलकूद मैदान की व्यवस्था किये जाने की जानकारी

80-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील सीतापुर के उन ग्राम सभाओं में जहां निकट में चकबन्दी हुई है, उन ग्राम सभाओं के कटौती की जमीनों को छोटे-छोटे टुकड़ों में छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी जमीनों को एकत्रित कर वृक्षारोपण, खेलकूद मैदान या भूमिहीनों को पट्टा आदि की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद सीतापुर की तहसील सीतापुर के उन ग्रामों में जहां चकबन्दी हुई है, वहां कटौती से प्राप्त भूमि को बचत के रूप में छोटे और बड़े दोनों प्रकार के टुकड़ों में छोड़ा गया है।

उक्त ग्रामों से संबंधित भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ में मेडिकल कालेज स्थापित करने की मांग

81-डॉ0 आर0के0 वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कोई मेडिकल कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतापगढ़ में मेडिकल कालेज स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

जी नहीं।

इलाहाबाद मण्डल में प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, इलाहाबाद जनपद सम्मिलित है, जिसमें वर्तमान में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरु मेडिकल कालेज पूर्व से स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को गठन के सम्बन्ध में

82-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं 05 सदस्यों की नियुक्ति दिनांक 22-01-2018 को की गयी है जिससे आयोग क्रियाशील हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के कुदरहा में राजकीय कन्या इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

83-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के कुदरहा विकास खण्ड क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय कालेज की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में वर्तमान में 04 राजकीय महाविद्यालय, 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 52 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों सहित कुल 60 महाविद्यालय संचालित हैं, जिसमें विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड कुदरहा में 02 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय (01 सहशिक्षा एवं 01 महिला) संचालित हैं। उपरोक्त महाविद्यालयों द्वारा बस्ती के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद-बस्ती में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे में वन भूमि से विस्थापितों को आवासीय भूमि आवंटन की जानकारी

84-श्री राहुल प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानवे में वन भूमि व डूब क्षेत्र से विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

विधान सभा क्षेत्र छानबें में वर्तमान में कोई डूब क्षेत्र नहीं है, वन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बैधा से 80 व्यक्तियों को विस्थापित किया गया था ये सभी व्यक्ति मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। ग्राम बडौही से 09 व्यक्तियों को विस्थापित किया गया था जिन्हें दिनांक 06-12-2017 को एक-एक विस्वा आवासीय पट्टा आवंटित कर पुनर्वासित किया गया है तथा ग्राम सूरजगढ़ से कुल 31 व्यक्तियों को विस्थापित किया गया था जिसमें से 27 व्यक्ति पासवर्ती ग्रामों के एवं म0प्र0 के निवासी थे जो अपने मूल आवास पर चले गये। मात्र 04 व्यक्ति विस्थापित की श्रेणी में थे जिसमें से 03 व्यक्तियों को एक-एक बिस्वा आवासी पट्टा आवंटन की कार्यवाही प्रचलित है एवं 01 व्यक्ति शिवहरी पुत्र गंगा के पास पूर्व से ही आवास हेतु भूमि उपलब्ध है।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के तहसील लालगंज के भूमिहीनों को कृषि व आवासीय भूमि पट्टा आवंटन कराने विषयक

85-श्री राहुल प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विधान सभा क्षेत्र छानबे की तहसील लालगंज के भूमिहीनों को कृषि व आवासीय भूमि के पट्टा का आवंटन सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मिर्जापुर में विधान सभा क्षेत्र छानबे की तहसील लालगंज के भूमिहीनों को कृषि व आवासीय भूमि के पट्टा का आवंटन किया जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र छानबे की तहसील लालगंज में वर्ष 2018 के लिये कृषि आवंटन में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 10.209 हे0 के सापेक्ष कुल 60 आवंटियों को 15.208 हे0 कृषि आवंटन तथा आवास आवंटन के लिये निर्धारित 230 परिवार के सापेक्ष 230 परिवारों को 2.922 हे0 का आवास आवंटन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के तहसील लालगंज में छुट्टा पशुओं की देखभाल के लिये गौ-शाला के निर्माण की मांग

86-श्री राहुल प्रकाश-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विधान सभा क्षेत्र छानबे की तहसील लालगंज में छुट्टा पशुओं के देखभाल के लिए गौशाला का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

एतद्विषयक कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रामपुर के तहसील मिलक के अन्तर्गत ग्राम गुलड़िया खुर्द में क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

87-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक के अन्तर्गत ग्राम गुलड़िया खुर्द व ग्राम-पंचायत हरैया में मेन रोड से जागन सिंह के मकान तक मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 500 मीटर है, का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न में इंगित मार्ग की लम्बाई 415 मीटर है, जिसमें ढाई वर्ष पूर्व खड़न्जा लगाया गया है, जो सही स्थिति में है।

जनपद हाथरस के विधान सभा सिकन्द्राराऊ में हाथरस ब्लाक के मिर्जापुर, विधीपुर, बावली, नहरई, नगला आदि गांवों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की योजना

88-श्री बीरेन्द्र सिंह राणा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस जनपद के सिकन्द्राराऊ विधान सभा क्षेत्र में हाथरस ब्लाक के मिर्जापुर, विधीपुर, बावली, नहरई, नगला सामन्त श्याम नगरिया आदि लगभग 20 गांवों में पीने का पानी खारा होने के कारण पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद हाथरस के विकास खण्ड हाथरस के अन्तर्गत कुल 169 राजस्व ग्राम/मजरे सम्मिलित हैं, जिनमें से 32 ग्राम पंचायतों में खारे पानी की समस्या है। 32 ग्राम पंचायतों में से 11 ग्राम

पंचायतों में पाइप पेयजल योजना संचालित है। उक्त संचालित पाइप पेयजल योजनाओं से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शेष 21 ग्रामों की कुल जनसंख्या-31657 है। मानक के अनुसार 212 हैण्डपम्पों की आवश्यकता के सापेक्ष वर्तमान तक कुल 958 हैण्डपम्प है। इस प्रकार उक्त 21 ग्राम इण्डिया माक्र-11 हैण्डपम्पों के मानक के संतृप्त है। धन की उपलब्धता के आधार पर खारे पानी से प्रभावित 21 ग्रामों को पाइप पेयजल योजना के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में एस0एन0 मेडिकल कालेज में पदों की सृजन कराकर चालू कराने के सम्बन्ध में

89-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में वर्ष 2008 में करोड़ों रुपयों की लागत से बनाये गये दो मंजिला बिल्डिंग उपकरण फर्नीचर आदि से सुसज्जित एवं इण्डिन नर्सिंग काउन्सिल से मान्यता प्राप्त नर्सिंग कालेज पदों के सृजन न होने के कारण बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा के नर्सिंग कालेज के लिए पदों का सृजन कराकर इसको आरम्भ कराने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''-

जी हां।

पदों के सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के समस्त तालों, झीलों व नालों को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर पुनर्जीवित कराने की जानकारी

90-श्री अमन मणि त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गोरखपुर के समस्त तालों, झीलों व गड्ढों को पुनर्जीवित करके भू-माफियाओं से मुक्त कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो म्हेशरा ताल, चिलुआताल होते हुए रामगढ़ ताल में आने वाले पानी को गोड़घोईया नाला एवं अन्य नालों पर भू-माफियाओं के अतिक्रमण को हटाकर उक्त सभी जलाशयों को पुनर्जीवित सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में सार्वजनिक उपयोग की भूमि तालों, झोलों व गड्ढों व अन्य जलाशयों के स्वरूप को यथावत रखने/अवैध अतिक्रमण रोकने हेतु सतत् निगरानी रखी जाती है। ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि पर से अवैध

अतिक्रमण की जानकारी/सूचना प्राप्त होने पर विशेष अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही तत्परता से की जाती है।

म्हेसरा ताल, चिलुआताल, रामगढ़ताल एवं गोड़घोईया नाला अपने स्वरूप में विद्यमान है। उक्त जलाशयों एवं सरकारी अभिलेखों में दर्ज अन्य जलाशयों पर सतत् निगरानी रखी जा रही है। इन्हें अवैध कब्जा से अवमुक्त रखे जाने व इनके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु प्रतिवर्ष स्थानीय ग्राम सभाओं/स्थानीय निकायों द्वारा खुदाई एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गोण्डा में आवास हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास देने के सम्बन्ध में

91-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने आवास पात्र व्यक्तियों को मिले हैं तथा कितने शेष हैं उनका नाम आवास सूची में नहीं है ? क्या सरकार नई सूची बनवाकर उन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद गोण्डा में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 और 2017-18 में कुल 21,199 पात्र व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराया गया है तथा सामाजिक आर्थिक, जातिगत जनगणना (सेक)-2011 सूची के अनुसार 53,578 पात्र लाभार्थी शेष है। जिनका नाम सामाजिक आर्थिक, जातिगत जनगणना (सेक)-2011 सूची में नहीं है। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की मार्ग निर्देशिका के अनुसार आवास नहीं दिया जा सकता।

उपयफ्रक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध डिग्री कालेजों में उपलब्ध मानक के अनुसार उपलब्ध पठन-पाठन, कमरों एवं लाइब्रेरी की जानकारी

92-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद से सम्बद्ध कितने डिग्री कालेज हैं जिनमें मानक के अनुसार पठन-पाठन, कमरों, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला तथा खेल मैदान उपलब्ध है ? क्या सरकार उन महाविद्यालयों में जो उक्त मानक पूरा नहीं कर रहे हैं में सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

वर्तमान में डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद से कुल 632 (20 अनुदानित, 07 राजकीय एवं 605 स्ववित्तपोषित) महाविद्यालय सम्बद्ध है, जिनमें मानकानुसार पठन-पाठन हेतु कमरे लाइब्रेरी, प्रयोगशाला तथा खेल मैदान उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईशानगर, धौरहरा तथा रमियाबेहड़ में इंडिया मार्का हैण्डपम्प में फिल्टर लगाकर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की जानकारी

93-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईशानगर, धौरहरा तथा रमिया बेहड़ में पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा बहुत अधिक होने से जनमानस गम्भीर जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार गहरी बोरिंग कर इण्डिया मार्का हैण्डपम्प में फिल्टर लगाकर शुद्ध पानी उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं, जनपद लखीमपुर खीरी में कुल 165 आर्सेनिक प्रभावित बस्तियां पाई गयी थी, जिसमें से विकास खण्ड धौरहरा की 15 बस्तियां, विकास खण्ड रमियाबेहड़ की 25 बस्तियां तथा विकास खण्ड ईशानगर की 58 बस्तियां अर्थात् कुल 98 बस्तियों में से 50 पी0पी0वी0 से अधिक आर्सेनिक की मात्रा पाई गयी है एवं इन समस्त आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल योजना द्वारा ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में महिला अपराध रोकने के लिये कारगर उपायों के सम्बन्ध में

94-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में पिछले 6 माह में महिला अपराध की 258 घटनाएं जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बस्ती में महिला अपराध रोकने के लिए कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

पुलिस अधीक्षक, जनपद-बस्ती की आख्यानुसार जनपद-बस्ती में पिछले 6 माह (दिनांक 1-8-2017 से 31-1-2018 तक) में महिला अपराध की कुल 246 घटनायें विभिन्न थानों में दर्ज की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बस्ती में महिला अपराध रोकने के लिये जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी/थाना प्रभारियों/उपनिरीक्षकगण को महिला अपराधों में पंजीकृत घटना में तत्काल नामजद अभियुक्त की साक्ष्य

के आधार पर गिरफ्तारी एवं विवेचना के समयबद्ध निस्तारण हेतु कड़े निर्देश निर्गत करते हुये विवेचनाओं का निस्तारण प्रभावी पूर्ण ढंग से कराया जा रहा है तथा संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही भी अमल में लायी जा रही है।

महिला अपराध की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर निम्न कार्यवाहियां अमल में लायी गयी है :-

1-विद्यालय/महाविद्यालयों में गोष्ठी आयोजित कर महिलाओं को अपराध एवं यौन उत्पीड़न के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चला कर जागरूक किया जा रहा है।

2-विद्यालय/महाविद्यालयों में 1090 महिला हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है।

3-जनपद स्तर पर एंटी रोमियों का गठन किया गया है तथा एंटी रोमियों स्कवॉड के द्वारा प्रभावी चेकिंग कर कार्यवाही की जाती है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में जलजनित बीमारियों से बचाव हेतु पाइप लाइन की योजना लागू करने के सम्बन्ध में

95-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अधिकांश गांव जो जलजनित बीमारियों डेंगू, इन्सेफ्लाइटिस आदि रोगों से प्रभावित हैं, यदि हां, तो क्या सरकार जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए विधान सभा क्षेत्र रूधौली में पेयजल के लिए सरकार पाइप लाइन योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा रुधौली के अन्तर्गत विकास खण्ड रुधौली, रामनगर एवं सल्टौवा गोपालपुर पूर्णरूप से तथा विकास खण्ड सांऊघाट आंशिक रूप से आते हैं। इन विकास खण्डों में इन्सेफ्लाइटिस एवं गुणता प्रभावित 94 ग्राम आते हैं। उक्त प्रभावित ग्रामों में मिनी पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त 7 पाइप पेयजल योजनायें पूर्व निर्मित हैं, 9 पाइप पेयजल योजनायें विश्व बैंक पोषित योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं तथा 5 पाइप पेयजल योजनायें एम0एस0डी0पी0 के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के दृष्टिगत विधान सभा क्षेत्र रुधौली का कोई ग्राम आच्छादित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में खुले में शौचमुक्त करने हेतु शेष गांवों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर ODF घोषित किये जाने की जानकारी

96-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या पंयायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के 3102 राजस्व गांवों को खुले में शौंचमुक्त घोषित करने की अन्तिम समय सीमा अक्टूबर, 2018 निर्धारित की गयी है ? यदि

हां, तो सरकार को जानकारी है कि लक्ष्य के सापेक्ष 143 गांवों को ही ओ0डी0एफ0 घोषित किया गया जबकि 2959 गांव अब भी शेष हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष गांवों को समय सीमा के अन्दर ओ0डी0एफ0 घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से सड़क किनारे जीवन यापन करने वाले दुकानदारों व अन्य को क्षति पूर्ति किये जाने की मांग

97-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से सड़क के किनारे जीवन यापन करने वाले दुकानदारों एवं कामगारों की क्षति पूर्ति हेतु क्या सरकार कोई आर्थिक सहायता दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अधिसूचना दिनांक 27-06-2016 द्वारा आकाशीय बिजली को राज्य आपदा घोषित किया गया है। उक्त राज्य आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि के लिये निर्धारित की गई मानक एवं दरों के अनुसार राहत प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में राजकीय महिला महाविद्यालय की स्थापना करने की मांग

98-श्रीमती सुषमा पटेल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के सुजानगंज विकास खण्ड जो कि उच्च शिक्षा में अत्यन्त पिछड़ा है तथा छात्रायें शिक्षा हेतु 50 किमी0 दूर जौनपुर जनपद मुख्यालय जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु ''राजकीय महिला महाविद्यालय'' की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जौनपुर में कुल 02 राजकीय महाविद्यालय, 14 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 73 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित है। सुजानगंज से 15 किमी0 से 20 किमी0 की परिधि में कुल 10 महाविद्यालय संचालित है, जिसमें 01 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय तथा 08 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय एवं 01 स्ववित्त पोषित महिला महाविद्यालय संचालित है। उपरोक्त

महाविद्यालयों द्वारा जनपद जौनपुर के सुजानगंज विकास खण्ड के छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद वित्तीय एवं आधारभूत आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद-जौनपुर में नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना/निर्माण किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रदेश के बेसिक शिक्षा स्कूलों में मिड डे मील योजना में रखे गये रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की मांग

99-श्री संजय कुमार तथा श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना हेतु 1000/- रुपया मानदेय पर रसोईया 10 साल पूर्व रखे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार महंगाई को देखते हुए इनके मानदेय में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर (रसोइयां) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 24-11-2009 के अनुसार नियत मानदेय रु0 1000/-प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। तदुनसार प्रदेश सरकार द्वारा रसोइयां हेतु निर्धारित मानदेय रुपये 1000/-प्रति माह की दर से प्रदेश के विद्यालयों में सम्बन्ध रसोइयों को मानदेय दिया जाता है।

यह एक केन्द्र पोषित योजना है। वर्तमान में रसोइयों के मानदेय पर होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा रसोइयों के मानदेय में अद्यतन कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कौशाम्बी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मातृत्व अवकाश स्वीकार हेतु कर्मियों के आर्थिक व मानसिक शोषण की शिकायत की जांच विषयक

100-श्री संजय कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कौशाम्बी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मातृत्व अवकाश हेतु एक जनवरी, 2018 से दिनांक 02 फरवरी, 2018 तक महिला कर्मियों के कितने अवकाश प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि बेसिक अधिकारी एवं कार्यालय द्वारा अवकाश स्वीकार करने के एवज में महिला कर्मियों से आर्थिक शोषण एवं मानसिक शोषण किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराते हुए लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी में मातृत्व अवकाश हेतु 01 जनवरी, 2018 से दिनांक 02 फरवरी, 2018 तक कुल 02 मातृत्व अवकाश प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये, जिनका अवकाश समय से स्वीकृत किया जा चुका है।

अवकाश स्वीकार करने के एवज में बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं कार्यालय द्वारा महिला कर्मियों से आर्थिक शोषण एवं मानसिक शोषण किये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत अद्यतन प्राप्त नहीं है।

दोनों अध्यापिकाओं को दिनांक 03-02-2018 को मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय, हुसैनगंज में एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में

101-डॉ0 हरगोविन्द भार्गव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के अन्तर्गत संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय हुसैनगंज में मात्र एक सहायक अध्यापिका हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छात्रहित में उक्त विद्यालय में एक अन्य अध्यापक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

सम्प्रति दो सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।

उक्तवत।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम मविकला में पेयजल की सुचारु व्यवस्था

102-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के गांव मविकला में पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने के लिए सरकार की क्या योजना है और यह कब तक लागू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद-बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के विकास खण्ड विनौली के अन्तर्गत ग्राम मवीकला की पाइप पेयजल योजना वर्ष 2011-12 में रु0 88.93 लाख की स्वीकृत हुई थी। योजना में प्रस्तावित समस्त कार्यों को पूर्ण कराने के उपरान्त अप्रैल, 2014 से पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के सभी गांवों में सफाई के लिए दो हजार की जनसंख्या पर एक कर्मचारी की नियुक्ति करने की जानकारी

103-श्री सहेन्द्र सिंह रमाला-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के गांवों में सफाई के लिए मात्र एक कर्मचारी नियुक्त है जो गांव के सभी स्कूलों में भी सफाई करता है, जिसके कारण वह न तो

स्कूलों में ही सफाई कर पाते हैं न ही गांवों में सफाई कर पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए दो हजार की जनसंख्या पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद बागपत के प्रत्येक राजस्व ग्रामों में एक सफाई कर्मी तैनात है। राजस्व ग्राम के साथ-साथ सार्वजनिक स्थल जैसे स्कूल के परिसर के बाहर, स्कूल शौचालय आदि की सफाई का कार्य किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के अन्तर्गत ग्राम धरछआ सजेती तहसील घाटमपुर में ग्राम समाज की भूमि गाटा सं0 00467 को अवैध कब्जे से मुक्त कराने विषयक

104-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम धरछुआ थाना सजेती, तहसील-घाटमपुर, में ग्राम समाज की खाद के गड्ढा हेतु चिन्हित लगभग 10 बिस्वा भूमि गाटा संख्या 00467 पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर किया गया अवैध कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत ग्राम धरछुआ थाना सजेती, तहसील-घाटमपुर में ग्राम समाज की भूमि खद के गड्ढे की खाता संख्या-467, गाटा संख्या-563 पर ओम प्रकाश पुत्र अयोध्या व राम स्वरूप पुत्र रामेश्वर द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है।

इनके विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत मुकदमा किया जा चुका है।

वाद के निस्तारण के बाद अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली/हर्जाना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम धरछुआ में अवैध कब्जे को चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही

105-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी जमीनों, तालाबों, चकरोडों पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए एन्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम-धरछुआ, थाना-सजेती में अवैध कब्जों को चिन्हित कर हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम धरछुआ की सरकारी जमीन खलिहान की भूमि गाटा संख्या 320 रकबा 0.125 हे0 में से 0.034 हे0 भूमि पर गांव के रमेश पुत्र गुरु प्रसाद का कब्जा पाया गया तथा खाद के गड्ढे की खाता संख्या 467, गाटा सं0 563 पर ओमप्रकाश पुत्र अयोध्या व रामस्वरूप पुत्र रामेश्वर का अवैध रूप से कब्जा पाया गया।

उक्त अवैध कब्जे पर उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत तहसीलदार न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका हे। वाद के निस्तारण के बाद अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध नियमानुसार बेदखली/हर्जाना वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

आपदा राहत सम्बन्धी सूचनाओं की फीडिंग हेतु नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटरों का मानदेय बढ़ाने की मांग

106-श्री संजय गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-608/1-11-2010-26 (जी0)/2009, दिनांक 12 जुलाई, 2010 के द्वारा आपदा राहत सम्बन्धी सूचनाओं को फीड करने के लिए कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति सरकार द्वारा मानदेय रुपया 4000/- प्रतिमाह पर की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत उक्त मानदेय को बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हां।

शासनादेश संख्या-608/1-11-2000-26(जी0)/2009, दिनांक 12 जुलाई, 2010 के द्वारा जनपद स्तर पर आपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं यथा-दैनिक वर्षा एवं बाढ़, सूखे की स्थिति की समीक्षा हेतु साप्ताहिक प्रोफार्मा, प्रदेश में दैवी आपदा से हुयी जनहानि एवं अन्य क्षति, आपदा राहत निधि का मासिक व्यय विवरण की आनलाइन फीडिंग के लिये सदर तहसील के वेंडर को तहसील दिवस का कार्य करने हेतु दिये जा रहे मानदेय के अतिरिक्त उक्त आपदा राहत सम्बन्धी सूचनाओं के फीडिंग हेतु आपदा राहत निधि से रु0 4,000/- प्रति माह का मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के के0जी0एम0यू0 के रेजीडेन्ट डाक्टरों को एस0जी0पी0जी0आई कर्मियों के बराबर वेतन दिये जाने की मांग

107-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0जी0एम0यू0 तथा एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को बराबर का दर्जा देते हुए शासनादेश 69/2015/2381/71-2-15 दिनांक 11-08-2015 तथा शासनादेश सं0-3268/71/2/16 दिनांक 23/08/2016 द्वारा शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक कर्मियों को एस0जी0पी0जी0आई0 के बराबर वेतनमान तथा भत्ते दिये गये हैं ? यदि

हां, तो इन्हें उपरोक्त रेजीडेण्ट डाक्टरों को क्या बाहर रखा गया ? यदि हां, तो इन्हें भी उपरोक्त में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''

जी हां।

के0जी0एस0यू0 के शैक्षणिक संवर्ग को शासनादेश संख्या-69/2015/2381/71-2-15-के0जी0एम0यू061/2014, दिनांक 11-08-2015 तथा गैर शैक्षणिक संवग्र के कर्मचारियों को शासनादेश सं0-3288/71/2/16/आर0एम0-18/2014, दिनांक 23/08/2016 द्वारा एस0जी0पी0जी0आई0 के बराबर वेतनमान तथा भत्ते दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

रेजीडेन्ट डाक्टरों को छात्रवेतन का भुगतान नियमानुसार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील में आलू के प्रयोग के सम्बन्ध में

108-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए आलू के उत्पादन को देखते हुए परिषदीय विद्यालयों में आलू के नूडल्स विटामिन मिनरल व अन्य तत्वों में परिपूर्ण करके मिड डे मील के रूप में प्रयोग करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत वर्तमान में निर्धारित मेन्यू में मध्यान्ह भोजन के रूप में दी जा रही सब्जी एवं तहरी में अनिवार्य रूप से आलू का समावेश किये जाने के आदेश निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 24-10-2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारी को निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में कुल चिन्हित भू-माफियाओं पर कार्यवाही

109-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भू-माफियों पर लगाम लगाने हेतु एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन जनपद स्तर पर कर दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद प्रतापगढ़ में अब तक कुल कितने भू-माफिया चिन्हित किये गये, और कितनों पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद प्रतापगढ़ में अब तक भू-माफियाओं के कब्जे में चिन्हित की गयी सरकारी भूमि का कितना क्षेत्रफल अनतिक्रमित किया जा चुका है और कितना क्षेत्रफल अतिक्रमित शेष रह गया है ? क्या सरकार शेष सरकारी अतिक्रमित भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

जी हां।

अब तक जनपद प्रतापगढ़ में कुल 29 भू-माफिया चिन्हित किये गये, जिनमें से 21 भू-माफियाओं के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। फर्जी प्रविष्टि के 6 प्रकरणों में अभिलेखों में अंकित प्रविष्टि निरस्त कर भौतिक रूप से संबंधित भूमि प्रबंधक समिति को स्थल पर कब्जा दिला दिया गया है।

उक्त 29 भू-माफियाओं के कब्जे में 21.302 हे0 भूमि चिन्हित की गयी थी, जिनमें से 3,373 हे0 भूमि का प्रकरण फर्जी प्रविष्टि का था, को संबंधित उप जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर अनाधिकार कब्जा हटवाकर भूमि पुनः गांव सभा के कब्जे में दे दी गयी है, अवशेष 17,929 हे0 भूमि पर से अनाधिकार कब्जा हटाये जाने के लिये राजस्व संहिता-2006 की धारा-67ए के अन्तर्गत बेदखली का वाद दाखिल किया जा चुका है।

जी हां।

विभिन्न न्यायालयों में वाद योजित होने के कारण अभी अवैध अतिक्रमण नहीं हट पा रहा है, जिनमें से कुछ प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, कुछ प्रकरणों में सिविल न्यायालय में वाद चल रहा है, जिसकी प्रभावी पैरवी की जा रही है। मा0 न्यायालयों का आदेश होते ही तत्काल सरकारी अतिक्रमित भूमि से बेदखली की कार्यवाही कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र ठेकमा की ग्राम सभा खरगापुर में ग्रामवासियों को शौचालय निर्माण हेतु भुगतान के सम्बन्ध में सूचना

110-श्री नितिन अग्रवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र ठेकमा की ग्राम सभा खरगापुर में बेसलाइन सर्वे-2012 के तहत किन-किन ग्रामवासियों को शौचालय निर्माण हेतु प्रथम किस्त भुगतान में कितनी-कितनी धनराशि किस माध्यम से आवंटित की गयी है ? क्या सरकार द्वितीय किस्त का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र ठेकमा की ग्राम सभा खरर्गापुर के बेसलाइन सर्वे-2012 के तहत 25 ग्रामवासियों को शौचालय निर्माण हेतु प्रथम किस्त का भुगतान दिनांक 06-02-2018 को 6000 रुपये की दर से आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में किया जा चुका है।

जी हां।

दिनांक 26-02-2018 तक द्वितीय किस्त 6000 रुपये की दर से लाभार्थियों के खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पशुचिकित्सालय की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में जानकारी

111-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पशु चिकित्सालय की काफी कमी है ? यदि हां, तो सरकार इनकी कमी दूर करने हेतु नया पशु चिकित्सालय खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

पशु चिकित्सालय की स्थापना वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट के अनुसार वर्तमान में विभाग द्वारा प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये पशु चिकित्सालय की स्थापना का मानक 15000 पशुओं की संख्या एवं एक संस्था से दूसरी संस्था की दूरी 09 कि0मी0 निर्धारित की गई है। पशु चिकित्सालय खोलने की सतत् प्रक्रिया जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में स्थित प्राथमिक जूनियर हाई स्कूलों का विद्युतीकरण करने की मांग

112-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में स्थित कितने प्राथमिक जूनियर हाई स्कूलों का विद्युतीकरण नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूलों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद इलाहाबाद में कुल 1458 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय एवं 528 परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का विद्युतीकरण नहीं है।

जी हां।

जनपद इलाहाबाद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण हेतु धनराशि निर्गत कर दी गयी है, जिसके सापेक्ष उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया गतिमान है।

प्राथमिक विद्यालयों में विद्युतीकरण, बजट की उपलब्धत पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

113-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

[02सरे बुधवार के अता0प्र0 सं0-166 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के दुबौलिया ब्लाक में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना की मांग

114-श्री अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह''-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र में स्थित दुबौलिया ब्लाक में क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार के निर्देशानुसार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खण्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाओं, जो स्कूली शिक्षा पूर्ण किये बिना स्कूल छोड़ चुकी हो या कभी भी स्कूल नहीं गयी हो, को स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न चरणों में की गयी। वर्तमान में प्रदेश में कक्षा-6-8 तक की शिक्षा 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में पंचायत/राजस्व ग्रामों का चयन ओ0डी0एफ0 योजनान्तर्गत करने के सम्बन्ध में

115-श्री वीर विक्रम सिंह, प्रिंस-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा में ओ0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत किन-किन गांवों व पंचायत/राजस्व ग्रामों का चयन हुआ है ? क्या सरकार बतायेगी कि अवशेष गांवों/ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों का चयन सरकार उक्त योजनान्तर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम मनोरथपुर का चयन ओ0डी0एफ0 योजनान्तर्गत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह-

जी हां, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कटरा में निहित समस्त 206 ग्राम पंचायतों के समस्त 391 राजस्व ग्राम खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने हेतु चयनित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद का ग्राम पंचायत मनोरथपुर सहसोवारी खुले में शौच मुक्त घोषित किये जाने हेतु चयनित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में प्रदूषित जल की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना

116-श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में सार्वजनिक जलापूर्ति हेतु कितनी पानी की टंकी (ओवर हेड टैंक) निर्मित हैं व जलापूर्ति हेतु निर्मित सभी टंकियां संचालित की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि

जनपद प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में प्रदूषित जल की समस्या से निजात दिलाने हेतु क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में सार्वजनिक जलापूर्ति हेतु 15 पानी की टंकियां निर्मित है, जिनमें से 08 पेयजल योजनायें चालू है। एक स्थाई रूप से एवं 06 अस्थाई रूप से बन्द है। जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2006 में राजीव गांधी मिशन योजना के अन्तर्गत कराये गये जल नमूने के परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर कुल 8614 बस्तियों में से 524 बस्तियां गुणता प्रभावित थी, जिसमें से रानीगंज विधान सभा क्षेत्र की 31 बस्तियां आती हैं। उक्त सभी बस्तियां पाइप पेयजल योजना से भारत सरकार के गुणता प्रभावित कार्यक्रम में आच्छादित है। रानीगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा शिवगढ़, आंशिक बेलखरनाथ में अधिठापित इण्डिया माक्र-11 हैण्डपम्प से संतृप्त है। वर्तमान में रानीगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उक्त विकास खण्ड अतिदोहित श्रेणी मे होने के कारण भारत सरकार द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के सभी ग्रामों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के जल नमूनों का परीक्षण पुनः कराया जा रहा है। तत्पश्चात् परिणाम आने के उपरान्त गुणता प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल योजना के विरचन का कार्य कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के विभिन्न गांवों में पानी की टंकियों से पानी की सप्लाई शुरू कराने की योजना

117-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी, जनपद बांदा में जल निगम द्वारा पूर्व में बनाई गयी पेयजल हेतु पानी की ज्यादातर टंकी बन्द पड़ी हैं जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम खटिहाकला कादाखेड़ा गलौली, गोधनी, अतरहट, पलरा जारी दोहतरा, अइरौड़ खैराड़ा के नागरिकों को पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई ठोस योजना बनाकर इस समस्या का निदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद-बांदा की विधान सभा तिन्दवारी, में कुल 18 ग्रामीण पाइप पेयजल येाजनायें निर्मित हैं, जिसमें से 7 पाइप पेयजल योजनाओं में से यथा-जमालपुर, क्योटरा मरौली, कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल येाजना ग्रुप-1, 2, 4, 6 से जलापूर्ति की जा रही है। चहितारा ग्राम पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। 6 ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनायें यथा-कानाखेड़ा ग्राम समूह पेयजल योजना ग्रुप-3, (ग्राम कानाखेड़ा) खप्टिहाकला पेयजल योजना (ग्राम-खप्टिहाकला) तिन्दवारी पेयजल योजना (ग्राम गोधनी, अतरहट पलरा एवं दोहतरा), खण्डेह पेयजल योजना (ग्राम अछरौड, खैराडा) जसपुरा पेयजल योजना एवं बरेठीकला पेयजल योजना का संचालन जल संस्थान बांदा द्वारा करते हुये जलापूर्ति की जा रही है। पांच एकल पाइप पेयजल योजना का संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा करते हुये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में बन्द पड़े नलकूपों को चलाकर जल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की जानकारी

118-श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्सेफलाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल कितने, नलकूप ओवर हेड टैंक के साथ बनकर तैयार है और उसमें से कितने संचालित हो रहें हैं तथा कितने नलकूपों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है और किन कारणों से ? क्या सरकार बन्द पड़े नलकूपों को चलायेगी और जल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जी हां।

जनपद-कुशीनगर में विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 6 पाइप पेयजल योजनायें यथा मैनपुर, मंगलपुर, कुडवा उफ्र मार्च दिलीप नगर, भैसहा, धुरिया एवं पिपराझाम पेयजल योजनायें हैं, जिनमें से 3 पाइप पेयजल योजनाओं-पिपराझाम धुरिया एवं कुडवा उफ्र दिलीप नगर से जलापूर्ति की जा रही है। शेष अन्य योजनायें यथा-मैनपुर, मंगलपुर एवं भैसहा, निर्माणाधीन है। मैनपुर एवं मंगलपुर पेयजल योजनायें मार्च, 2018 तक तथा भैसहा पेयजल योजना जून, 2018 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड में किसानों की आत्महत्या की समस्या से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों के सम्बन्ध में सूचना की मांग

119-श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिये बुन्देलखण्ड के किसानों के लिये कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में किसानों द्वारा आत्महत्या किये जाने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के प्राथमिक विद्यालय बनकटी, नगर बाजार, डेल्लवा की टूटी बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

120-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के प्राथमिक विद्यालय बनकटी, नगर बाजार, डेल्लवा की टूटी हुई बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बस्ती के प्राथमिक विद्यालय बनकटी में 3 मीटर बाउण्ड्रीवाल क्षतिग्रस्त हो गयी है, प्राथमिक विद्यालय नगर बाजार में बाउण्ड्रीवाल निर्मित है तथा प्राथमिक विद्यालय डेल्लवा में बाउण्ड्रीवाल निर्मित नहीं है। कुल 85 मीटर बाउण्ड्रीवाल की आवश्यकता है। जिसका निर्माण बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उक्तवत।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में स्नातक तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कार्य योजना बनाने की जानकारी

121-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लड़कियों/छात्राओं को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु अहिल्याबाई कन्या विद्याधन योजना का प्राविधान सरकार करायेगी, जिससे गरीब, किसान, मजदूर की बेटियां निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा में जर्जर पशु अस्पतालों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

122-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में कितने पशु अस्पताल जर्जर हैं ? क्या सरकार गौरा विधान सभा क्षेत्र के पशु अस्पताल बभनजोत, अल्लीपुर, मसकनवा व परसातिवारी का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जनपद गोण्डा में निम्न पशु अस्पताल जर्जर अवस्था में हैं :-

कर्नलगंज, मनकापुर, वजीरगंज, बभनजोत काजीदेवर, अल्लीपुर, मसकनवा व परसातिवारी।

पशु अस्पताल कर्नलगंज, वजीरगंज एवं मनकापुर के नवनिर्माण के लिये कार्यवाही प्रस्तावित है। पशु अस्पताल बभनजोत, अल्लीपुर, मसकनवा एवं परसातिवारी के भवन को निष्प्रयोज्य कराने संबंधी कार्यवाही क्रमित है।

पशु अस्पताल के भवन को निष्प्रयोज्य कराने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में अनुदेशकों के वार्षिक नवीनीकरण के सम्बन्ध में

123-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनपद सीतापुर में 1056 अनुदेशकों का वार्षिक नवीनीकरण अन्य जनपदों की भांति कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद सीतापुर में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 1025 अनुदेशकों का नवीनीकरण किया जा चुका है। अवशेष अनुदेशकों के नवीनीकरण की प्रक्रिया जांच के अधीन है।

दिनांक 30-11-2017

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में मनरेगा कार्य प्रारम्भ कराये जाने का प्रकरण

124-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में 5 जुलाई, 2017 से मनरेगा का कोई कार्य नहीं कराये जाने से मनरेगा मजदूरों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार मनरेगा कार्यों को प्रारम्भ कराकर मजदूरों के रोजी-रोटी की समस्या का समाधान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती में वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजनान्तर्गत माह जुलाई, 2017 से दिनांक 20-02-2018 तक की अवधि में 1,76,367 परिवारों को रोजगार देते हुये 2559006 मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है।

मनरेगा योजना मांग आधारित योजना है, जिसके अन्तर्गत जनपद बस्ती में श्रमिकों के कार्य की मांग से सम्बन्धित कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

125-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[03सरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के प्राथमिक विद्यालयों के शौचालयों की मरम्मत व नवीन निर्माण के सम्बन्ध में

126-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के प्राथमिक विद्यालय के शौचालयों के टूटे हुये दरवाजे व शौचालय विहीन सभी प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड वनकटी के 52 प्राथमिक विद्यालयों, विकास खण्ड बहादुरपुर के 17 प्राथमिक विद्यालयों तथा विकास खण्ड कुदरहा के 59 प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय अक्रियाशील/मरम्मत योग्य है।

परिषदीय विद्यालयों के शौचालयों को क्रियाशील एवं प्रयोज्य रखने के लिये 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आवंटित धनराशि से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयों की मरम्मत एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की मांग

127-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में एक पशुचिकित्सालय खोले जाने हेतु सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अन्तर्गत तीन विकास खण्ड हैं, जिनमें विकास खण्ड वार स्थिति निम्नवत् है :-

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	पशु चिकित्सालयों की संख्या	पशु सेवा केन्द्रों की संख्या	कुल पशुओं की संख्या
1	बहादुरपुर	2	3	45900
2	बनकटी	3	1	35900
3	कुदरहा	1	1	35600

पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित बजट के अनुसार वर्तमान में विभाग द्वारा प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत पशु चिकित्सालय की स्थापना का मानक 15000 पशुओं की संख्या एवं एक संस्था से दूसरी संस्था की दूरी 09 कि0मी0 निर्धारित की गई है। पशु चिकित्सालय खोलने की सतत् प्रक्रिया जारी है।

विधान सभा महादेवा में नये पशुचिकित्सालय की स्थापना का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व पदों की स्वीकृति पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू अन्त्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें मुहैया कराने विषयक

128-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दू अन्त्येष्टि स्थलों के विकास एवं अवस्थापना सुविधायें मुहैय्या कराये जाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हाँ, प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना संचालित की जा रही है।

ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल विकास योजनान्तर्गत जनपद बस्ती के अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु विगत 03 वर्षों में दी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष	अन्त्येष्टि स्थल की संख्या	धनराशि (रु0 लाख में)
2014-15	13	171.99
2015-16	14	185.22
2016-17	42	1023.12

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था कराने की जानकारी

129-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के महादेवा विधान सभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पेयजल हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था नहीं है ? क्या सरकार उन प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

विधान सभा क्षेत्र महादेवा के अन्तर्गत विकास खण्ड बहादुरपुर में 01 प्राथमिक विद्यालय तथा विकास खण्ड कुदरहा में 01 प्राथमिक विद्यालय, इस प्रकार 02 प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल हेतु हैण्डपम्प की व्यवस्था नहीं है।

बजट प्राप्त होने पर विधान सभा क्षेत्र महादेवा में हैण्डपम्प विहीन प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवा दिया जायेगा।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में जन सामान्य की समस्याओं को देखते हुए मुंसिफ कोर्ट बनाये जाने की मांग

130-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में जन सामान्य की समस्या को देखते हुये मुंसिफ कोर्ट बनाये जाने के लिये ग्राम डेहवा में न्याय विभाग के नाम भूमि आवंटित/सुरक्षित होने के बावजूद अब तक मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नहीं हो सकी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षेत्र की इस जन समस्या के निराकरण के लिये मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजेश पाठक-

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के तहसील बी0के0टी0 से कतिपय गांवों को जोड़ने वाले मार्ग से अवैध कब्जे को हटाकार जन सामान्य के आवागमन के लिए खोले जाने विषयक

131-श्री अम्बरीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के ग्राम रायपुर राजा थाना इटौंजा, तहसील बी0के0टी0 के कई गांवों को जोड़ने वाले सार्वजनिक मार्ग पर गांव के ही लोगों ने अवैध रूप से दीवार बनाकर रास्ता बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दीवार को हटवाकर बन्द सार्वजनिक मार्ग को जन सामान्य के लिये खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम रायपुर राजा परगना महोना तहसील बख्शी का तालाब लखनऊ स्थित गाटा संख्या 1226, जो चकमार्ग के रूप में दर्ज है, जिसकी पैमाइश तहसीलदार बीकेटी के नेतृत्व में राजस्व टीम व थाना इटौंजा पुलिस बल तथा ग्राम वासियों की उपस्थिति में की गयी है, उक्त चकमार्ग संख्या 1226 की पैमाइश कर निशान लगवा दिये गये हैं। अतिक्रमणकर्ता श्री कृष्ण कुमार दीक्षित द्वारा बनाई गयी दीवाल एवं राकेश कुमार की आंशिक दीवाल का कोना स्वयं गिरा दिया गया है।

चकरोड अतिक्रमण मुक्त हो गया है। पैमाइश के समय उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि इस चकमार्ग पर आवागमन अब तक नहीं रहा है।

चकमार्ग अतिक्रमण मुक्त हो गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराये जाने की मांग

132-श्री राम नरेश रावत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन के कितने ऐसे प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जिनकी बाउण्ड्रीवाल 31 जनवरी, 2018 तक नहीं बनाई गयी ? क्या यह सत्य है कि प्राथमिक विद्यालय मुन्नाखेड़ा व उच्च प्राथमिक विद्यालय मुन्नाखेड़ा विकास खण्ड-सिकन्दरपुर करन की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण 31 जनवरी, 2018 तक नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन में 23 प्राथमिक विद्यालय तथा 25 उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनकी बाउण्ड्रीवाल 31 जनवरी 2018 तक नहीं बन सकी है।

जी हां।

जी हां।

बजट की उपलब्धता होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय, बाल विकास एवं पुष्टाहार के कक्ष सं0-311 में लगी आग की जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में

133-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के पत्र सं0-1322/60-2-2015 दिनांक 14-05-2015 द्वारा प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार के पत्र दिनांक 11-05-2015 को संलग्न करते हुये निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के कक्ष सं0-311 में दिनांक 10 मई, 2015 को आग लगने की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराकर जांच कराने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो यह प्राथमिकी कब दर्ज कराई गयी तथा जांच किस अधिकारी द्वारा कब की गयी ? क्या सरकार उक्त जांच पर की गयी कार्यवाही की प्रति सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

उक्त घटना की सूचना तत्कालीन प्रभारी अधिकारी, नजारत श्री लालमणि द्वारा पत्र संख्या 965-66, दिनांक 11-05-2015 द्वारा कोतवाली हजरतगंज शहर, लखनऊ में दी गयी। इस सम्बन्ध में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के पत्र संख्या-136-37, दिनांक 16-12-2017 द्वारा कोतवाली हजरतगंज लखनऊ से सूचना प्राप्त की गयी। निरीक्षक कोतवाली हजरतगंज शहर लखनऊ द्वारा दिनांक 16-12-2017 को उक्त पत्र के पृष्ठ भाग पर यह रिपोर्ट अंकित की गयी है कि दिनांक 11-05-2015 के पत्र के क्रम में कोतवाली हजरतगंज शहर लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी है।

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के आदेश संख्या-सी-11, दिनांक 11-05-2015 द्वारा उक्त घटना की जांच अपर निदेशक (प्रशासन) एवं उप निदेशक (सिस्टम) की संयुक्त समिति गठित कर करायी गयी एवं जांच रिपोर्ट का परीक्षण गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मांगों पर लिये गये निर्णय को लागू करने हेतु समिति का गठन

134-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28-09-2016 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ, उ0प्र0 की मुख्य मांगों पर चर्चा कर निर्णय लेने तथा शेष मांगों पर पृथक से शासन स्तर पर बैठक करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा संघ की मांगों पर बिन्दुवार अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

संघ की मुख्य मांगों पर निम्नवत् कार्यवाही की गयी है :-

शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि की गयी है। इस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकत्री

को रु0 3000.00 के स्थान पर रु0 4000.00 प्रति माह, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री को रु0 2250.00 के स्थान पर रु0 3000.00 प्रतिमाह तथा सहायिका को रु0 1500.00 के स्थान पर रु0 2000.00 प्रति माह मानदेय का भुगतान किया जा रहा है।

शासनादेश दिनांक 31 मई, 2017 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/आंगनबाड़ी सहायिकाओं से विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य न लिए जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03 मई, 2017 द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि एवं सेवा शर्तों में सुधार करने हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला रायबरेली के प्रचार्या जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच विषयक

135-श्री महेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राचार्या, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) जिला रायबरेली द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जाचं विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र जो कि विधायक कोष्ठक नम्बर-सी0एम0ए0-00425253, दिनांक 09-05-2017 पर दर्ज है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक कोष्ठक नम्बर-सी0एम0ए0-00475253 दिनांक 09-05-2017 प्राप्त हुआ है।

जांच कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद इलाहाबाद में एस0आर0एन0 हास्पिटल में पैथलैब की स्थापना कराने की मांग

136-श्री उज्जवल रमण सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में एस0आर0एन0 हास्पिटल में निर्माणाधीन सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में पैथलैब की सुविधा भी प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

मेडिकल कालेज से सम्बद्ध स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, इलाहाबाद में 24 घंटे पैथलैब (पैथालॉजी लैब) की सुविधा उपलब्ध है।

जनपद जालौन में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

137-श्री गौरी शंकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन में छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु कोई विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में लेखपाल कैडर के साथ अमीन कैडर को मर्ज करने की योजना विषयक सूचना की मांग

138-डॉ0 श्याम बिहारी लाल- -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेखपाल कैडर के साथ अमीन कैडर को मर्ज किये जाने (मिलाने) की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लेखपाल एवं संग्रह अमीन के कर्तव्य एवं कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं।

जनपद बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में फतेहगंज पूर्वी को नया विकास खण्ड बनाने की मांग

139-डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में फतेहगंज पूर्वी को नया विकास खण्ड सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में नये विकास खण्डों के सृजन पर बजटीय व्यवस्था प्रावधानित नहीं है। अतः बजटीय व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद बरेली के अन्तर्गत फतेहगंज पूर्वी को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में नया विकास खण्ड बनाया जाना सम्भव नहीं है।

140-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

[02 सरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

141-श्री राजीव सिंह ''पारीछा''-

[02 सरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-168 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के तहसील सदर के ग्राम गैलीकला में आराजी नं0-406 को कब्जा मुक्त किये जाने हेतु

142-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील सदर के ग्राम गैलीकला में सरकारी भू-अभिलेखों में आराजी नं0-406 जो कि मृत जानवरों की खाल निकालने हेतु आरक्षित है

पर गांव के ही दबंग लोगों द्वारा निर्माण कार्य कराकर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आरक्षित भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम गैरीकला परगना रारी तहसील सदर, जिला जौनपुर में स्थित गाटा संख्या-406/0.0615 हे0 राजस्व अभिलेख में खाल निकालने के लिए सुरक्षित भूमि अंकित है, जिस पर रामबली पुत्र किलकिली, साहेब लाल पुत्र धन्नर, इन्द्रजीत पुत्र चन्नर व नन्द लाल पुत्र चन्नर अतिक्रमण किये हुए हैं। जिनके विरुद्ध बेदखली का वाद तहसीलदार सदर, जौनपुर के न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

तहसीलदार सदन, जौनपुर के न्यायालय में दायर वाद में सुनवाई की तिथि दिनांक 09-03-2018 नियत है।

उक्त प्रकरण में वाद के निस्तारण के बाद विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

143-डॉ0 अजय कुमार-

[02 सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश के युवाओं के कैरियर व मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नम्बर की सुविधा शुरू करने की मांग

144-श्री धनन्जय कन्नौजिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के युवाओं के कैरियर व मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिंग के लिये कोई अनन्य हेल्पलाइन नम्बर की सुविधा है ? यदि हां तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई हेल्पलाइन शुरू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस प्रकार की हेल्पलाइन शुरू किये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कैरियर व मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए अनन्य केन्द्र स्थापित करने की मांग

145-श्री धनन्जय कन्नौजिया-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के कैरियर व मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिंग के लिये उनके विद्यालयों में कोई अनन्य केन्द्र स्थापित करने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सभी विद्यालयों में यह केन्द्र स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

काउंसलिंग के लिए विद्यालयों में कोई अन्य केन्द्र स्थापित करने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में पालिटेक्निक कालेज का निर्माण की मांग

146-श्रीमती निर्मला संखवार-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में प्राविधिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु छात्रा-छात्राओं को अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को पालिटेक्निक शिक्षा ग्रहण करने हेतु सरकारी पालिटेक्निक कालेज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आन-लाइन काउंसिलिंग के माध्यम से मेरिट के आधार पर इच्छित पाठ्यक्रम/संस्था में प्रवेश दिये जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि जिस जनपद का अभ्यर्थी हो वह उसी जनपद की पालीटेक्निक में प्रवेश प्राप्त करे।

कानपुर देहात में दो राजकीय पालीटेक्निक यथा- राजकीय पालीटेक्निक सिकन्द्रा, एवं महामाया पालीटेक्निक आफ इन्फारमेशन टेक्नालाजी, माती तथा तीन निजी पालीटेक्निक भी संचालित हैं। वर्णित स्थिति में विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद, कानपुर देहात में राजकीय पालीटेक्निक स्थापित किये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र के 30 ग्रामों को जनपद-सम्भल में सम्मिलित करने विषयक

147-श्री मो0 फईम इरफान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के बिलारी विधान सभा क्षेत्र की लगभग 30 ग्राम पंचायतें सम्भल जनपद के चन्दौसी तहसील में पड़ती है, किन्तु विकास खण्ड मुरादाबाद जनपद में पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी ग्राम पंचायतों व विकास खण्ड को भी सम्भल जनपद में सम्मिलित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शामली में राइट टू एजुकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के बच्चों के प्रवेश के सम्बन्ध में सूचना

148-श्री नाहिद हसन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में निजी पब्लिक स्कूल यथा सिल्वर बेल्स सेंट आरसी, सेंट फ्रांसिस, मेपल्स पब्लिक स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल, स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में राइट टू एजुकेशन ऐक्ट के अन्तर्गत निर्धन वर्ग के कुल कितने बच्चों का एडमिशन किया गया है तथा कौन-कौन से निजी स्कूलों ने एडमिशन देने से इन्कार किया है ? क्या सरकार उपरोक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद शामली में राइट टू एजूकेशन एक्ट के अन्तर्गत 71 विद्यालयों में 220 दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है तथा 02 निजी विद्यालयों सेंट फ्रांसिस व आजाद उर्दू पब्लिक स्कूल के अल्पसंख्यक विद्यालय होने के कारण दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश नहीं लिया गया। 02 विद्यालयों के अतिरिक्त किसी भी विद्यालय द्वारा प्रवेश से मना नहीं किया गया है।

मेपल्स पब्लिक स्कूल, मेपल्स एकेडमी के नाम से तथा स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, स्कॉटिश इण्टरनेशनल स्कूल के नाम से संचालित है।

सिल्वर बेल्स में 05, सेंट आरसी में 14, सेंट फ्रांसिस में 01, मेपल्स एकेडमी में 18 व स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में 07 दुर्बल वर्ग और अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश कराया गया है।

रॉयल पब्लिक स्कूल में उक्त योजनान्तर्गत छात्र-छात्रा द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण प्रवेश नहीं हुआ है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान मेला के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं में वैज्ञानिकों के भाषण, निबन्ध लेखन एवं विज्ञान प्रदर्शनी लगाने की जानकारी

149-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर तरूण विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि व आकर्षण पैदा करने व आम नागरिकों में संविधान के अनुच्छेद 51ए की मंशा के अनुरूप वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से सभी शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान मेला के माध्यम से वैज्ञानिकों के भाषण, निबन्ध लेखन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, सेमिनार व विज्ञान प्रदर्शिनी के कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी हां।

इस तरह के कार्यक्रम पूर्व से ही प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान के अवसर पर जनपदों में गठित जिला विज्ञान क्लबों तथा क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में आयोजित किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी विकास खण्ड में रिक्त पड़े खण्ड अधिकारियों के पदों को भरने की जानकारी

150-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में विकास खण्डों की कुल संख्या कितनी है एवं उसके सापेक्ष कितने खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

प्रदेश में वर्तमान समय में 821 विकास खण्ड हैं, जिसके सापेक्ष 402 खण्ड विकास अधिकारी (बी0डी0ओ0) कार्यरत हैं तथा 419 पद रिक्त हैं।

खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त होने के दृष्टिगत विकास कार्य प्रभावित न हो, इस हेतु रिक्त विकास खण्डों का अतिरिक्त प्रभार विभिन्न विभागों के समकक्षीय अधिकारियों को दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1249/38-1-2017-3569/2016, दिनांक 20-09-2017 द्वारा की गयी है।

सीधी भर्ती के वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में रिक्त 117 खण्ड विकास अधिकारियों के पदों का अधियाचन उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही

151-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

443 पद रिक्त हैं।

जी हां।

उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के क्रियाशील होने पर चयन की कार्रवाई शीघ्र की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के ग्रामों को प्राथमिक उच्च प्रा0 विद्यालयों से प्राथमिकता के आधार पर संतृप्त करने की जानकारी

152-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के कौन-कौन से ग्राम निर्धारित मानक के अनुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित रह गये हैं ? क्या सरकार सर्वे कराकर सर्वशिक्षा अभियान में प्राथमिकता पर उन्हें संतृप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी नहीं।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज में विभागीय मानकानुसार कोई ग्राम प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय से असेवित नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ब्लाक सरोजनीनगर में 395, बरौली, खलीलाबाद के आस पास विद्युत व्यवस्था

153-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंजुलिका मिश्रा, निवासी धोधनखेड़ा-395, बरौली खलीलाबाद, ब्लाक सरोजनीनगर, लखनऊ के घर के आस-पास विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं होने पर दुर्घटना व चोरी का खतरा बना रहता है ? क्या उक्त स्थान में विद्युत सुविधा हेतु सोलर लाइट सरकार उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं, क्योंकि मंजुलिका मिश्रा के घर में बिजली का कनेक्शन है। इनके घर के सामने बिजली का खम्भा लगा हुआ है एवं इनके घर की छत से एक स्ट्रीट लाईट, मरकरी लगी हुई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत की समुचित व्यवस्था होने के कारण सोलर लाईट लगाये जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद लखीपुर खीरी में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का कार्य पूर्ण कराने हेतु

154-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में निर्माणाधीन मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य पूरा करते हुये शिक्षण कार्य कब तक प्रारम्भ कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जनपद लखीमपुर खीरी में किसी भी राजकीय मेडिकल कालेज के निर्माण की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनपद लखीमपुर के संलग्न जनपद शाहजहांपुर में जिला चिकित्सालय को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज बनाये जाने की कार्रवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुपोषण से बचाओ हेतु शबरी पोषण कार्य योजना संचालित करने की कार्य योजना

155-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा कुपोषण के निगरानी हेतु शवरी पोषण कार्य योजना को संचालित करने जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत करायेगी कि उक्त महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन कब से प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जी हां।

प्रदेश को कुपोषण से मुक्त करने हेतु कुपोषण की व्यापकता के आधार पर चिन्हित करते हुए प्रदेश के 39 जनपदों में शबरी कार्ययोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है।

यह राज्य सरकार की योजना है जिसके सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 16-10-2017 द्वारा कार्य योजना/दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के कसौंधन/कांदू जाति के लोगों को पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने विषयक

156-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में पूर्व में जारी किये गये कसौंधन/कांदू जाति को पिछड़ी जाति में शामिल किये जाने वाले पूर्व में जारी प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण जनपद में नहीं किया जा रहा है, जबकि उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव श्री के0एल0 मीणा जी के द्वारा दिनांक 24-04-2010 को शासनादेश भी जारी किया चुका है ? क्या सरकार दिनांक 24-04-2010 के शासनादेश का अनुपालन हेतु प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को आदेशित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बस्ती में पूर्व में जारी किये गये कसौंधन/कांदू जाति के जारी प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण हेतु आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के अनुक्रम में जांचोपरान्त पात्र पाये जाने पर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री के0एल0 मीणा जी द्वारा दिनांक 21-04-2010 को निर्गत शासनादेश का अनुपालन किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी बस्ती के पत्र संख्या 2280/न्याय सहायक-2 दिनांक-20-11-2017 द्वारा समस्त तहसीलदारों को निर्देशित कर दिया गया है।

सरकार द्वारा 21-04-2010 के शासनादेश के अनुपालन हेतु गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं बस्ती, जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के विकास खण्ड रूधौली में सहायक लेखाकार के गलत व्यवहार की जांच

157-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती विकास खण्ड रूधौली में सहायक लेखाकर श्री शिव कुमार द्वारा प्रधानों के साथ अव्यवहारिक व्यवहार एवं धन उगाही विषयक

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्रांक सं0 क-6 नं0 040571 दिनांक 01-06-17 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जी हां, पत्रांक सं0 क-6 नं0 040571 द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है, किन्तु इस पत्र पर अंकित तिथि 01-06-2017 न हो कर दिनांक 05-06-2017 है।

उपरोक्त पत्र के अतिरिक्त मा0 सदस्य विधान सभा का विकास खण्ड रूधौली के सहायक लेखाकार श्री शिव कुमार के विरूद्ध प्रधानों के साथ अव्यवहारिक व्यवहार एवं धन उगाही विषयक शिकायत की समान विषय वस्तु का पत्र संख्या-क-6 नं0 040510 दिनांक 09-06-2017 पूर्व में ही प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच उपायुक्त, श्रम रोजगार से करायी गयी।

जांच आख्या में विकास खण्ड स्तर पर अभिलखों के परीक्षण, एम0आई0एस0 पर प्रगति के अवलोकन तथा मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधानों/लाभार्थियों एवं कर्मचारियों के बयान से सम्बन्धित सहायक लेखाकर, विकास खण्ड रूधौली के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मनरेगा योजना में अनुचित धनराशि की मांग सम्बन्धी शिकायत की पुष्टि नहीं हुई। सम्बन्धित सहायक लेखाकार का स्थानान्तरण विकास खण्ड रूधौली से विकास खण्ड बस्ती सदर, बस्ती में किया जा चुका है तथा उनके द्वारा विकास खण्ड बस्ती सदर, बस्ती में दिनांक-25-07-2017 को योगदान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रूधौली में परिवहन निगम की जमीन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने विषयक

158-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती विधान सभा क्षेत्र रूधौली कस्बे में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के डिपो निर्माण हेतु सुरक्षित जमीन पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है? क्या सरकार उक्त भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद बस्ती तहसील रूधौली कस्बे में उ0प्र0 परिवहन निगम के डिपो निर्माण हेतु सुरक्षित भूमि राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में स्थानान्तरण नीति 2017-18 के अनुसार 2 वर्ष में सेवानिवृत होने वाले समूह ग के कर्मियों को उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कर्मियों को इच्छित जनपद में तैनाती का प्रकरण

159-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानान्तरण नीति वर्ष 2017-18 शासनादेश सं0 2/2017/1/ 3/96 का 2017 दिनांक 03-05-2017 के पैरा 11 (VII) के

व्यवस्थानुसार 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह ग के कर्मियों को उनके गृह जनपद एवं समूह क एवं ख के कर्मियों को उनके गृह जनपद छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनाती पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

स्थानान्तरण नीति में किये गये उपबन्धों के अनुसार प्रशासकीय विभागों द्वारा ऐसे प्रकरणों में यथावश्यकता कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शस्त्र नवीनीकरण के लिए फायरिंग टेस्ट का प्रावधान समाप्त करने की मांग

160-डॉ0 श्याम बिहारी लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र नवीनीकरण के लिए फायरिंग टेस्ट का प्रावधान जनहित में सरकार समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण सम्प्रति परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में गम्भीर रूप से पीड़ित ऑख के मरीजों को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से अनुदान राशि दिये जाने की मांग

161-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से गम्भीर रूप से बीमार लोगों को आर्थिक अनुदान इलाज हेतु दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है गम्भीर रूप से आंख से पीड़ित मरीजों के इलाज हेतु आर्थिक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश में नहीं होने से आंख के मरीजों को अनुदान राशि नहीं मिल पाती है ? यदि हां, तो क्या शासनादेश में संशोधन कराते हुये गम्भीर रूप से पीड़ित आंख के मरीजों को भी अनुदान राशि दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली में बीमारी को चिन्हित नहीं किया गया है। अतः नियमावली में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं अन्तर्गत ग्राम सिधवन में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का प्रकरण

162-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील मड़ियाहूं अन्तर्गत ग्राम सिवंधवन के गाटा संख्या (खसरा संख्या) 25 मि0, 26, 48 मि0, 134 मि0, 154 जो चारागाह के रूप में दर्ज है और 93, 140, 194, 210 जो जेराब के रूप में दर्ज है तथा 437, 838क, 850, 984 जो कि खलिहान के रूप में दर्ज है व 49, 155 मि0, 167मि0 भीटा के रूप में छोड़ा गया है? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सरकारी जमीनों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा अराजक लोगों ने कर रखा है?यदि हां, तो क्या सरकार अवैध कब्जा खाली कराने व कब्जा करने वाले लोगों को चिन्हित करते हुए दण्डित करने की कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम सिधवन के गाटा संख्या-93/0.0240, 140/0.0121, 194/0.028 व 210/0.036 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में जेराब के रूप में अंकित है। आराजी नम्बर 154/0.081, 838 क/0.061, 49/0.012, 155 मि/0.336 राजस्व अभिलेखों में क्रमशः चारागाह, खलियान, खाल निकालने का स्थान वह भीटा के रूप में अंकित है। आराजी नम्बर 48मि/0.542हे0 में रमेश पुत्र राम दुलारे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक-09-05-1993 को 0.05 डि0 का आवासीय आवंटन किया गया, जिस पर उसका सरकारी आवास निर्माणाधीन है।

आ0नं0 134मि0/0.971 जो चारागाह खाते में अंकित है, पर पुरानी आबादी (अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की) बनी हुई है। पूर्व में अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही नियमानुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122 बी के नियम 115 सी के तहत की गयी थी जिनमें न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/न्यायालय तहसीलदार मड़ियाहूं द्वारा क्रमशः आदेश दिनांक-24-12-1987 व 02-12-89 को अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध आयोजित बेदखली के बाद को समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध जारी 49क निरस्त कर दिया गया था। गाटा संख्या-984/0.233 हे0 जो खलियान खाते में अंकित है, पर ब्रह्मदेव पुत्र राम मुहूर्त द्वारा आंशिक भाग पर बाउंड्री वाल बनाकर कब्जा किया गया है, जिसके सम्बन्ध में वाद संख्या-819/2007 ब्रह्मदेव बनाम बृजभूषण आदि माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) जौनपुर में विचाराधीन है। शेष रकबा मौके पर खाली है। गाटा संख्या 850/0.073 हें0 पर राम शिरोमणि पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी मौजा सिधवन द्वारा अतिक्रमण कर मकान व सहन कायम करके कब्जा किया गया है, जिसके सम्बन्ध में वाद संख्या-85/2018 राम शिरोमणि बनाम सरकार व अन्य माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) जौनपुर में विचाराधीन है। गाटा संख्या-437/0.020, 167मि0/0.180 हे0 क्रमशः खलिहान व भीटा खाते में अंकित है, जिन पर पिछड़ी व अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुरानी आबादी बनी हुई है। इन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उनके विरुद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत प्रस्तावित कर दी गयी है। गाटा संख्या-25/0.129, 26/0.146 हे0 राजस्व अभिलेखों में चारागाह खाते में अंकित है, पर अवैध अतिक्रमण पाया गया है। अवैध अतिक्रमणकर्ताओं को चिन्हित कर उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की

धारा 67 के तहत प्रस्तावित कर दी गयी है। न्यायालय द्वारा बेदखल किये जाने के उपरान्त ही कोई कार्यवाही करना न्यायोचित होगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहू अन्तर्गत ग्राम रामपुर निस्फी में सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की मांग

163-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहूं अन्तर्गत ग्राम सभा रामपुर निस्फी के गाटा संख्या 334 जो रास्ते के रूप में दर्ज है और ग्राम सभा कोटिगांव के गाटा संख्या 497, 498, 501, 499 जो भीटा के रूप में दर्ज है जिस पर दबंगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त कब्जा हटाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

ग्राम रामपुर निस्फी परगना बरसठी तहसील मड़ियाहूं जिला जौनपुर के अराजी नं0 334/0.125 हे0 राजस्व अभिलेख में भीटा खाते में अंकित है। उक्त आराजी में सरकारी प्राथमिक विद्यालय रामपुर निस्फी बना हुआ है तथा आदर्श सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर निस्फी के प्रबन्धक विनय कुमार सिंह पुत्र हीरालाल सिंह निवासी ग्राम चकमैगर का अवैध कब्जा है।

प्रबन्धक विनय कुमार सिंह के विरुद्ध बेदखली का वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/न्यायालय तहसीलदार मड़ियाहूं में विचाराधीन है। ग्राम कोटिगांव परगना बरसठी तहसील मड़ियाहूं जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सरकारी अभिलेख में आराजी नं0 संख्या-497, 498, 501, 499 हे0 भीटा खाते में अंकित है। उपरोक्त सभी आराजी खाली है।

मा0 न्यायालय के निर्णय के उपरान्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम मैनपुरी द्वारा 100 अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण कराने की मांग

164-श्री मनीष असीजा-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद में उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम मैनपुरी द्वारा 100 अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो पाया है? उक्त के सम्बन्ध में अवशेष धनराशि अवमुक्त करने हेतु जिलाधिकारी फिरोजाबाद द्वारा पत्रांक 5807/नाजिर सदर/एड0 100 चैम्बर्स दिनांक 11-11-2017 द्वारा शासन को भेजे गये प्रस्ताव पर सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराते हुये अधूरे पड़े 100 अधिवक्ता चैम्बर्स का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक-

जी हां।

जिलाधिकारी के पत्र दिनांक-11-11-2017 के साथ आगणन प्राप्त न होने के कारण शासन के पत्र दिनांक-10-01-2018 द्वारा पुनरीक्षित आगणन सहित प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में जिलाधिकारी के पत्र दिनांक-08-02-2018 के साथ अधूरे पड़े 100 अधिवक्ता चैम्बर्स के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो गया है किन्तु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित आगणन तथा जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र में उल्लिखित धनराशि में अन्तर होने के कारण स्थिति स्पष्ट कराये जाने तथा पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण (मय निर्माण स्थल के फोटोग्राफ सहित) उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी फिरोजाबाद को पत्र दिनांक 20-02-2018 भेजा गया है। स्थिति स्पष्ट होने/अपेक्षित सूचना प्राप्त होने पर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु शीघ्र ही धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 2011 में बी0एड0 टीईटी पास छात्रों के प्रमाण-पत्र की वैधता बढ़ाकर प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर चयन करने की मांग

165-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011 में बी0एड0, टी0ई0टी0 पास छात्रों के प्रमाण-पत्र की वैधता दिसम्बर 2016 में समाप्त हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके प्रमाण पत्र की वैधता को बढ़ाकर प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित डॉ0 आर0के0 वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-165 का उत्तर :-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

यू0पी0टी0ई0टी0 आयोजन सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार यू0पी0टी0ई0टी0 अर्हता की वैधता सभी श्रेणियों के लिए परिणाम की घोषणा की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक होगी।

प्रदेश के निजी महाविद्यालयों द्वारा कोचिंग से वसूले जा रहे भारी शुल्क पर नियंत्रण करने विषयक

166-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रबन्धकों द्वारा उच्च शिक्षा की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निजी कोचिंग क्लास चलाने वाली संस्थाओं द्वारा भारी मात्रा में शुल्क वसूले जाने पर नियंत्रण लगाने हेतु कोई नीति सरकार ने बनाई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

उत्तर प्रदेश में कोचिंग संस्थाओं को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-5 सन्, 2002) तथा तद्न्तर्गत उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली, 2002 का प्रख्यापन किया गया है।

कतिपय परिस्थितियों में कोचिंग पर प्रतिबन्ध लगाने और कोचिंग प्रदान करने वाले या कोचिंग केन्द्र चलाने वाले, उसका प्रबन्ध या अनुरक्षण करने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के प्राविधान उक्त अधिनियम एवं नियमावली में किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्री वाल, इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प, तथा विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था करने की मांग

167-श्री बृजेश कुमार प्रजापति-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में ऐसे कितने प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें बाउण्ड्रीवाल नहीं बनी है इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प नहीं है तथा विद्युत कनेक्शन नहीं है? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों की सूची सदन के पटल पर रखते हुये उनमें बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प एवं विद्युत कनेक्शन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल-

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत विकास-खण्ड तिन्दवारी, जसपुरा तथा विकास-खण्ड बडोखर खुर्द के कुल 315 विद्यालयों के सापेक्ष 100 विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं है एवं विकास-खण्ड बडोखर खुर्द के 01 विद्यालय में हैण्डपम्प नहीं है तथा 106 विद्यालयों में विद्युत कनेक्शन नहीं है।

बजट की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के विकास खण्ड परशुरामपुर में गौशाला के निर्माण कराने की मांग

168-श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के हरैया विधान सभा क्षेत्र में छुट्टा जानवरों से किसानों की फसल को बचाने के लिये उक्त छुट्टा जानवरों हेतु क्या सरकार ग्राम करनपुर, विकास खण्ड परशुरामपुर में निर्माण हेतु लगभग जहां 10 एकड़ भूमि भी उपलब्ध है गौशाला का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

एतद् विषयक कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के ग्राम सभा विक्रमजोत में बनी टंकियों से पानी की सप्लाई की जानकारी

169-श्री अजय कुमार सिंह "अजय सिंह"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के विक्रमजोत ग्राम सभा में पानी की सप्लाई हेतु बनवाई गयी टंकी से शंकरपुर एवं कौलपुर क्षेत्र में पानी सप्लाई नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों सहित समस्त ग्राम सभा को पानी की सप्लाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के विक्रमजोत ग्राम सभा में पानी की टंकी मात्र विक्रमजोत ग्राम पंचायत हेतु निर्माणाधीन है। प्रश्न में उल्लिखित ग्राम शंकरपुर एवं कौलपुर विक्रमजोत ग्राम पंचायत में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में ग्रामों में 02 पाइप पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु भारत सरकार के निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार ग्राम शंकरपुर एवं कौलपुर आच्छादित नहीं है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम शंकरपुर की आबादी 3616 है, जिसके सापेक्ष 37 इण्डिया माक्र-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। ग्राम कौलपुर की आबादी 1266 है, जिसके सापेक्ष 38 इण्डिया माक्र-II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस प्रकार उक्त दोनों ग्राम पेयजल हेतु हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन से संतृप्त हैं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूं में नये ब्लाकों की स्थापना के सम्बन्ध में

170-श्री ओमकार सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में कितने ब्लाकों की स्थापना नये सिरे से करने हेतु प्रकरण शासन स्तर से धनाभाव के कारण लम्बित है ? क्या सरकार पूर्व में स्वीकृत जिले के नये ब्लाकों की स्थापना धन देकर करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 महेन्द्र सिंह-

अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रदेश में 30 नये विकास खण्डों का सृजन किया गया था, जिसमें जनपद-बदायूं के अन्तर्गत 03 विकास खण्ड यथा-नाधा, दवतोरी एवं बिनावर भी सम्मिलित हैं। उक्त नवसृजित 30 विकास खण्डों के संचालन हेतु मूलभूत/अपरिहार्य अवस्थापना सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, खण्ड विकास अधिकारियों की भारी कमी एवं नवसृजित विकास खण्डों के संचालन, आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता इत्यादि के सम्बन्ध में आयुक्त, ग्राम्य विकास उ0प्र0, लखनऊ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-356/38-2-2017-32बी/2013, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा किया गया है। समिति को प्रकरण में प्राप्त आपत्तियों इत्यादि पर विचार कर संस्तुति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन में अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही

171-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपके कार्यालय के संदर्भ संख्या 18191170521071, दिनांक 29-12-2017 राजकीय इंजीनियरिंग कालेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (सिविल) के चयन में गड़बड़ी/अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

चयन समिति के अध्यक्ष कुलपति, डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्राप्त आख्या के अनुसार शिकायती पत्र में निहित गड़बड़ी/अनियमितताओं के बिन्दु पर चयन प्रक्रिया का सम्यक पुनर्विलोकन किया गया, जिसके अनुसार यह स्पष्ट हुआ कि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थी के शैक्षिक योग्यता, शोध अनुभव, एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को निर्धारित वेटेज के अनुरूप संकलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की गयी और उक्त योग्यता सूची में समस्त संस्थानों की सम्बन्धित विधा में उपलब्ध रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को उनके योग्यता क्रमांक के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी के शैषिक योग्यता, शोध अनुभव, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों को निर्धारित वेटेज में संकलित करते हुए अन्तिम योग्यता सूची का निर्धारण किया गया। अभ्यर्थी के योग्यता क्रमांक सह संस्थान, जिनमें अभ्यर्थी द्वारा रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन किया गया था, में नियुक्ति हेतु उसके विकल्प की वरीयता के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों का निर्धारण करते हुए सम्बन्धित संस्थान के प्रशासकीय परिषद् के अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति पत्र निर्गत किये गये हैं।

इस प्रकार सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को मुफ्त लैपटाप दिये जाने की मांग

172-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के दुर्बल वर्ग (अनुसूचित जाति वर्ग) के उच्च अंक से उत्तीर्ण हुए मेधावी छात्र/छात्राओं को कालेज में प्रवेश लेने पर मुफ्त लैपटाप उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा में कुदरहा में स्थित पुलिस चौकी को थाना बनाने की जानकारी

173-श्री रवि कुमार सोनकर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के कुदरहा विकास खण्ड में लोगों को थानों से सम्बन्धित कार्यों के संपादन हेतु 20 कि0मी0 दूर थाना लालगंज जाना पड़ता है जिससे धन व समय दोनों अधिक खर्च करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु कुदरहा में स्थित पुलिस चौकी को विस्तारित करके थाना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत चौकी को उच्चीकृत कर थाना बनाये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रोफेसर ग्रेड में पदोन्नति व प्रोफेसर पदनाम देने की मांग

174-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग की अनुशंसा के आधार पर प्रोफेसर ग्रेड में पदोन्नति और प्रोफेसर पदनाम दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं है।

प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा दिये जाने की मांग

175-डॉ0 सतीश चन्द्र द्विवेदी-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति देने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 दिनेश शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना वर्तमान में सरकारी सेवकों पर लागू है।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रस्तावित देल्हूपुर व दिलीपपुर थानों का निर्माण पूर्ण किये जाने की जानकारी

176-श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में देल्हूपुर व दिलीपपुर थानों का निर्माण कब तक कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ में थाना देल्हूपुर का कोई प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। थाना दिलीपपुर का प्रस्ताव शासन स्तर पर परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात के ब्लाक मलासा के ग्राम पुलन्दर से ग्राम जरसेन व गिरसी तक पक्का मार्ग निर्माण कराये जाने की मांग

177-श्री विनोद कुमार कटियार-

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड मलासा की ग्राम पंचायत पुलन्दर से ग्राम पंचायत जरसेन तक तथा ग्राम पंचायत पुलन्दर से मजरा कलासपुर (पुरवा) से गिरसी तक पक्का मार्ग सरकार कब तक बनवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ''मोती सिंह''-

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एक कार्यदायी विभाग है। विभाग के पास अपना कोई बजट नहीं है, अन्य विभागों से डिपाजिट के रूप में प्राप्त धनराशि से विभाग निर्माण कार्य करता है। चूंकि उक्त मार्ग के निर्माण हेतु किसी विभाग से डिपाजिट के रूप में धनराशि प्राप्त नहीं हैं अतः उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के सभी विधान सभा सदस्यों के ऊपर लगे मुकदमों को नियमानुसार खत्म किये जाने का प्रकरण

178-श्री मोहम्मद असलम "राइनी" (एडवोकेट)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधान सभा के सदस्यों के ऊपर राजनीतिक द्ववेश भावना से विभिन्न सरकारों द्वारा मुकदमा पंजीकृत करवा दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार सभी मुकदमा नियमानुसार खत्म करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

राजनीतिक द्वेश भावना से मुकदमें दर्ज किये जाने की शिकायतें समय-समय पर शासन स्तर पर प्राप्त होती रही है।

ऐसी कोई नीति शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा सी0आर0पी0सी0 की धारा-321 के प्रावधानों के अनुक्रम में एल0आर0 मैनुअल के प्रस्तर 19.35-19.37 में वर्णित व्यवस्था एवं मा0 उच्च न्यायालय तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित महत्वपूर्ण विधि निर्णयज सिद्धान्तों के दृष्टिगत वाद वापसी की कार्यवाही की जाती है, जो मात्र संस्तुतिपरक होती है। उक्त प्रक्रिया के लिए सम्बन्धित मुकदमें का मुकदमा अपराध संख्या, थाना, जिला व अभियुक्त का नाम आदि विवरण आवश्यक होता है।

जनपद बलिया के तहसील बेल्थरारोड के खैरा मठ पर अवैध कब्जे को हटाने की जानकारी

179-श्री धनन्जय कन्नौजिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बेल्थरारोड तहसील में स्थित खैरा मठ पर 58 एकड़ की भूमि पर अराजक लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध कब्जा हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

स्वामित्व का विवाद है।

जिलाधिकारी बलिया द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक-22-02-2018 के अनुसार मौजा खैराखास परगना सिकन्दरपुर गर्वी तहसील बेल्थरारोड जनपद बलिया की खतौनी फसली 1422 से 1427 की खाता संख्या-318 पर कुल 16 गाटा नम्बरान रकबा 19-9590 हे0 रामेश्वर दास चेला/सूर्यनरायन दास वैष्णव सम्प्रदाय के नाम दर्ज है। फरवरी 2012 में रामेश्वर दास चेला की हत्या हो जाने के फलस्वरूप मु0अ0सं0-80/2012 धारा-394, 302, 120बी आई0पी0सी0 अंजनी दास बनाम सम्पूर्णानन्दी अज्ञात आदि दर्ज हुआ। उक्त गाटा नम्बरान के स्थलीय जांचोपरान्त 1-08 एकड़ भूमि में मठ एवं कमरे बने हुए हैं, शेष रकबे में कृषि कार्य हो रहा है। वर्तमान में गेहूं व सरसों की फसल खड़ी हुई है। मौके पर मन्दिर में जो पुजारी रह रहे हैं उन्होंने अपना नाम राघवेन्द्र दास चेला स्व0 सूर्यनारायण दास बताया और बयान में कहा कि मैं इस मठ का पुजारी हूं और मेरे द्वारा ही गेहूं की फसल बोई गयी है। कुटी/मठ के स्वामित्व के सम्बन्ध में वाद सिविल न्यायालय बलिया में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में एक वाद संख्या-806/2016 राघवेन्द्र दास बनाम जानकीशरण दास व अन्य मा0 न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) पश्चिमी बलिया में विचाराधीन है जिसमें निम्नवत् अन्तरिम आदेश दिनांक 29 मार्च 2017 पारित है-

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 एकपक्षीय रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को नियत तिथि तक के लिए आदेशित किया जाता है कि वे ठाकुर जी महराज के मन्दिर मठ परिसर नि0 अंक 1, 2, 3, 4 नक्शा वाद पत्र में वादी को ठाकुर जी का राजभोग पूरा पाठ करने चढ़ावा प्राप्त करने उसका उपयोग एवं उपभोग करने मन्दिर परिसर में इन्तजाम करने में कोई व्यवधान उत्पन्न न करें न वादी को बेदखल करें, बल्कि मौके की यथास्थिति कायम रखें। यह आदेश किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर प्रभावी नहीं होगा।

इस प्रकार मा0 दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित है।

सम्बन्धित मठ के बावत मा0 दीवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित है। ऐसी स्थिति में पुलिस व प्रशासनिक स्तर पर बेदखली की कार्यवाही सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 1971 में सरकार द्वारा दिये गये पट्टे से निरपराध किसानों को हटाये जाने के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक प्रकरण

180-श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1971 में तत्कालीन सरकार द्वारा नसबन्दी कराने पर चारागाह भूमि से एक-एक एकड़ भूमि के किये गये पट्टों पर वर्तमान सरकार द्वारा निरपराध किसानों से कब्जा छुड़ाये जाने व उनके विरुद्ध की जा रही 115-डी की कार्यवाही को सरकार रुकवाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

वर्ष 1971 में उ0प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-132 के अन्तर्गत चारागाह की भूमि सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि रही है और उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली-2006 की धारा-77 के प्राविधानों के अन्तर्गत चारागाह भूमियों पर भूमिधरी का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। चारागाह की भूमि सुरक्षित भूमि है जिस पर किसी को भी पट्टे का आवंटन नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में फायर स्टेशन की स्थापना की जानकारी

181-श्रीमती निर्मला संखवार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद विधान सभा क्षेत्र में फायर स्टेशन (अग्निशमन केन्द्र) न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों तथा फसलों में लगने वाली आग से प्रतिवर्ष किसानों को भारी मात्रा में क्षति होती है ? यदि हां, तो उक्त अग्निशमन केन्द्र का निर्माण सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद कानपुर देहात में कुल 05 अग्निशमन केन्द्र भोगनीपुर, सिकन्दरा, अकबरपुर, डेरापुर व रसूलाबाद स्थापित है। अग्निशमन केन्द्र रसूलाबाद अभी निर्माणाधीन है, इस स्थिति में आग की घटनाओं पर जनपद के अन्य अग्निशमन केन्द्रों से अग्निशमन सेवायें प्रदान की जाती हैं।

जनपद कानपुर देहात के अग्निशमन केन्द्र रसूलाबाद के लिए शासनादेश दिनांक-01-12-2015 द्वारा रु0 111.96 लाख एवं शासनादेश दिनांक-19-06-2017 द्वारा रु0 184.28 लाख, इस प्रकार कुल 296.24 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है। दिनांक 31-01-2018 तक निर्माणाधीन अग्निशमन केन्द्र रसूलाबाद का 64 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ में स्थित मेडिकल कालेज को उच्चीकृत किये जाने विषयक

182-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल "कैलाश डेरी वाले"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में स्थित मेडिकल कालेज मेरठ में हृदय रोग व कैंसर रोग जैसी गम्भीर बीमारियों के इलाज हेतु गुणवत्तायुक्त चिकित्सीय उपकरण व चिकित्सा का अभाव है? यदि हां, तो क्या मेडिकल कालेज मेरठ को उच्चीकृत करते हुए मेडिकल कालेज मेरठ में हृदय रोग व कैंसर रोग जैसी गम्भीर बीमारियों के गुणवत्ता युक्त इलाज उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई व्यवस्था सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'-

जी हां।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हृदय रोग व कैंसर रोग जैसी गम्भीर बीमारियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराये जाने हेतु मेडिकल कालेज, मेरठ के कार्डियोलोजी एवं रोडियोथेरेपी विभागों को उच्चीकृत किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक उपकरणों एवं आवश्यक चिकित्सा सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

अगस्त, 2018 तक भवन का निर्माण एवं उपकरणों की स्थापना सम्भावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव नूरनगर मार्ग पर आबादी भाग में सी0सी0 रोड निर्माण कराने की मांग

183-श्री प्रमोद उटवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव नूरनगर के पुरकाजी लक्सर नूर नगर मार्ग पर आबादी भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य सरकार कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जनपद मुजफ्फरनगर विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में ग्राम नूरनगर से लक्सर की ओर होते हुए रास्ता जिसकी लम्बाई लगभग 05 कि0मी0 है पर खडण्जा लगा हुआ है। इस मार्ग पर कोई आबादी निवास नहीं करती है। उक्त मार्ग पर सी0सी0 रोड निर्माण में लगभग 03 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। क्षेत्र पंचायत मद में इतनी अधिक धनराशि उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त कार्य कराया जा सके। उक्त वर्णित मार्ग जिला पंचायत का नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के तहसील जलालपुर के ग्राम भिस्वा चितौना में अस्पताल की भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में

184-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील जलालपुर की ग्राम सभा भिस्वा चितौना में अस्पताल की भूमि के नाम गाटा संख्या 91, 93, 97, 99, 102, 103,

107 रकबा 0-64 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त भूमि पर भू-माफियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को भू-माफियाओं के कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा नहीं किया गया है, बल्कि अतिक्रमणकर्ता द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।

राजस्व ग्राम भिस्वा चितौना में अस्पताल के नाम अंकित गाटा संख्या-91/0.101 हे0 के आंशिक क्षे0 0.006 हे0 व 97/0.057 हे0 व 99/0.038 हे0 पर गेहूं की फसल बोई गयी थी, जिसे ट्रैक्टर से जोतवा कर खाली करा दिया गया है। गाटा संख्या-102/0.186 हे0 के क्षेत्रफल 0.006 हे0 भूमि पर पुराना पशुशाला व 107/0.028 हे0 के क्षे0 0.006 हे0 पर पुराना आवासीय मकान (खपरैल) बना होने के कारण उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत न्यायालय में वाद संख्या-टी-201804040200541 रामधनी पुत्र रामलौट निवासी ग्राम भिस्वा चितौना के विरुद्ध बेदखली का वाद योजित किया गया है, जिसमें अग्रिम तारीख पेशी दिनांक-24-03-2018 नियत है। अस्पताल के नाम अंकित गाटा संख्या-93/0.057 हे0 व 103/0.173 हे0 मौके पर खाली है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अम्बेडकरनगर में अधिकारियों द्वारा ग्रामों में रात्रि निवास करने का विवरण

185-श्री रितेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अधिकारियों को 15 मार्च तक प्रदेश के ग्रामों में रात्रि निवास करने के निर्देश दिए गये हैं ? यदि हां, तो जनपद अम्बेडकर नगर में आदेश की तिथि से 15 जनवरी, 2018 तक अधिकारियों ने रात्रि निवास ग्रामों में किया है ? यदि हां, तो ग्राम सभावार रात्रि निवास का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

शासनादेश दिनांक-19-12-2017 द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को शीतकालीन भ्रमण 15-03-2018 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं।

जी हां।

दिनांक-15-01-2018 तक रात्रि निवास का विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 249-253 पर।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक गौशाला खुलवाने की मांग

186-डॉ0 जमुना प्रसाद सरोज-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध विकास में बढ़ोत्तरी हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद में कम से कम एक गौशाला खुलवाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्यपाल सिंह बघेल-

एतद्विषयक कोई योजना पशुपालन विभाग के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कटान से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास हेतु गृह अनुदान दिलाने की जानकारी

187-श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदी में कटान से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास हेतु उन्हें भूमि का पट्टा व अनुदान दिये जाने की समय सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जनपद के बैरिया विधान सभा क्षेत्र में 2 वर्ष बीतने के बाद भी प्रभावितों को अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावितों को अनुदान राशि का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय कर निःशुल्क आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-2010/1-10-12-33(37)/12 टी0सी0-1 दिनांक-31 जुलाई, 2012 में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है।

बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार से धनराशि की मांग की गयी थी जो प्राप्त हो गयी है। उक्त धनराशि को आवंटित करने की कार्यवाही की जा रही है।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 में एक सूचना उमाशंकर जी की है जो आती नहीं है हम उनको जानकारी दे दें।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपको केवल याद दिलाना चाहता हूं कि यह तय हुआ था कि 12 बजकर 20 मिनट के उपरान्त मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, उपाध्यक्ष वाला नहीं है। मैं विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष के चयन की बात कर रहा हूं। मान्यवर, उसको आगे रख लीजिएगा मगर निरस्त मत करिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नेता सदन को आज बाहर जाना था यह बात कार्य मंत्रणा में हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

आपका जो प्रश्न है उसको मैं ही स्वयं अध्यक्ष के रूप में देख रहा हूं। इसलिए वह निरस्त है और नियम 301 की सूचनाएं बाद में ले लेंगे। आज इस आदरणीय सदन में श्री राज्यपाल जी द्वारा दिये गये अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में मा0 नेता प्रतिपक्ष को बोलना है और मा0 नेता सदन को भी बोलना है और हम सब जानते हैं कि मा0 नेता प्रतिपक्ष का भाषण पूरी शांति के साथ सुना जाना चाहिए क्योंकि यह संसदीय जनतंत्र की प्रतिष्ठा है और मा0 नेता सदन सम्पूर्ण सदन के नेता होते हैं। वहां पक्ष-विपक्ष की बात नहीं रह जाती है इसलिए उनके भाषण में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

[12.29.] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा[†]

श्री राम गोविंद चौधरी-

मान्यवर, मैंने थोड़ा-बहुत अपनी बात को कहा था। उसके बाद बात रूक गयी थी। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण त्रुटिपूर्ण है और तथ्यहीन है। समस्याओं से परे है। मान्यवर, यह सरकार केवल असत्य वचन कर रही है। मान्यवर, मा0 अखिलेश यादव जी द्वारा किये गये कार्यों का उद्घघाटन एक सिरे का उद्घाटन, दूसरे सिरे के शिलान्यास के सिवाय कोई भी विकास का काम यह सरकार बनने के बाद एक साल के अन्दर जो होने जा रहा है, नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास। यह बिल्कुल खोखला नारा है। विकास तो किसी का हुआ ही नहीं, सबका साथ भी नहीं है। यह सरकार दलित, पिछड़े और मुसलमानों के अरमानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सबका माने माननीय मुख्य मंत्री जी आप इस प्रदेश में जितने भी लोग हैं, मानव, चिड़िया, जानवर, पेड़-पौधे, पतंगे सबके मुख्य मंत्री हैं। लेकिन इनके वचन से भाषण से काम से लगता है कि ये कुछ तथाकथित हिन्दुओं के ही मुख्य मंत्री हैं। हिन्दू एक बहुत बड़ा शब्द है। हिन्दू हम भी है, पिछड़ा भी हिन्दू है, दलित भी हिन्दू है, जनजातीय भी हिन्दू है, आदिवासी भी हिन्दू है। माननीय अध्यक्ष जी, बल्कि यूं कहिए कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी जनजाति, वनवासी यही असली हिन्दू है और उनके क्या ये मुख्य मंत्री नहीं हैं। इनके वचन से, बोली से, भाषा से, विचार से ऐसा ही लगता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से और याद भी दिलाना चाहता हूं कि (माननीय संसदीय कार्यमंत्री और मुख्य मंत्री जी के आपस में कुछ बात करने पर)

[†] दिनांक 09 फरवरी, 2018 की कार्यवाही से।

(आप सिखाइए मत, खुद सीखे हुए हैं, वे बहुत सीखे हुए हैं)। सबका मुख्य मंत्री होने का प्रयास करें। मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं और कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी के मुख से भी आ जाता है संकल्प-भाषण। यह पहले की बात उद्गार आ जाती है कि पहले की बात-पहले की बात। अब इस कुर्सी की बात है जहां आप आसीन हैं। अभी आप थोड़े दिन पहले मथुरा भी होली खेलने गए थे। आपको उसकी बहुत बधाई। पत्रकारों ने अब इनसे पूछा कि आप दीवाली अयोध्या में और होली यहां पर मना रहे हैं ईद कब मनाएंगे? इन्होंने उससे धीरे से कन्नी काटी। माननीय अध्यक्ष जी, ये हिन्दू हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, लेकिन जिस आसन पर यह विराजमान है इनके लिए होली-दीवाली जितना महत्वपूर्ण होनी चाहिए उतना ही ईद भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। (सपा और बसपा के कुछ सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गयीं)। इसलिए मैंने कहा ये पूरे मुख्य मंत्री नहीं हैं ये अधूरे मुख्य मंत्री हैं और माननीय नेता सदन आप पूरा मुख्य मंत्री होने का प्रयास करिए। केवल सपना दिखाया जाता है इतनी योजनाओं का तरह-तरह का नाम कहां से ढूंढ कर रखा है कि जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गयी हैं उनको मालूम ही नहीं कि इससे क्या होने वाला है। मोचन, दोचन, टोचन इस-इस तरह का नाम है और सारी योजनाओं का कोई-न-कोई नाम है लेकिन काम तो कुछ हुआ ही नहीं है केवल सपने और भ्रम, प्रपंच, छल, कपट और माननीय अध्यक्ष जी, पता नहीं ईश्वर की क्या कृपा है कि इनको उसका फल भी मिल रहा है, झूठ का, कपट का, प्रपंच का (हँसी)। होता है, होता है, कभी-कभी छल, कपट, प्रपंच फलित होता है, लेकिन वह पराजित होता है, सत्य-सत्य है, अध्यक्ष जी और मैं मानता हूं कि झूठ, कपट, प्रपंच, छल के माध्यम से इन्होंने जो जनता को ठग करके वोट लेने का काम किया है, लेकिन आज तक एक भी विकास का काम नहीं हुआ, किसी भी क्षेत्र में। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे थे गोरखपुर में कि इतनी नई सड़कें बन गयीं, मैं पूछूँगा कि आपकी सरकार जब से बनी है, आपने जब से शपथ लिया है और आज की डेट तक कितने किलोमीटर तक आपने फोर लेन सड़क अपने बजट से बनाने का काम प्रारम्भ किया है, अपने पैसे से, अखिलेश यादव वाली सड़क का नहीं। नहर की तो छोड़िए, नयी माइनर बनाने का काम शपथ लेने के बाद से आज तक कितना किया है ? आपने शपथ लेने के बाद से आज की डेट तक कितने हास्पिटल पर काम किया है ?

इसलिए श्रीमन्, मैं कह रहा हूं, कोरा आश्वासन जनता को। हिमाचल में माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं कि हमने 06 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। अरे सरकार, इतना असत्य नहीं, एक वान्ट निकला ही नहीं उत्तर प्रदेश में, भर्ती प्रक्रिया चालू ही नहीं हुई, अध्यक्ष जी और एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश हो, दुनिया के कई देशों से बड़ा प्रदेश हो, उसका नेता सदन, उसके मुख्य मंत्री हिमाचल में वोट लेने के लिए असत्य बात कह दें। उसी हिमाचल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमने आलू किसानों के लिए इतना काम कर दिया है कि आलू किसान माला-माल हो गया। माला-माल तो हुआ कि अपना आलू

ला करके आपके दरवाजे पहुंच गया। (सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)। अध्यक्ष जी के निर्देश का भी पालन हो, बोलने के लिए सब को मौका मिलता है, यहां पर सुनने के लिए आए हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं, आपस में बातचीत करके बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आए हैं, ढफली बजाने के लिए नहीं, ढफली मत बजाइये, सुनिए, आप लोग बोल चुके हैं, हम लोगों ने सुना है। कहा था सरकार ने चुनाव में, मुख्य मंत्री जी उस समय मुख्य मंत्री नहीं थे, ये भी कहे थे, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने भी कहा था, हमारे जो कई वरिष्ठ मंत्रीगण हैं, इन्होंने भी कहा था और इनके इस लोक कल्याण संकल्प-पत्र में भी इस बात की व्यवस्था है, लिखा है कि हमारी सरकार के गठन होने के 30 दिन के अन्दर हम सभी रिक्तियों को भर देंगे, कोई एक रिक्ति भरी गयी हो तो बताइये ? उसका विज्ञापन भी निकला हो तो बताइये। विज्ञापन भी नहीं निकला। श्रीमन हमारी बात को अन्यथा न लें। जब आप नेता सदन हैं, मुख्य मंत्री हैं तो कुछ तीखा, कुछ मीठा तो सुनना ही पड़ेगा उस दिन भी मैने कहा था जिस दिन हमारा भाषण अधूरा रह गया और फिर आज भी कह रहा हूं कि एक शब्द याद आ जाये भारतीय जनता पार्टी को पहली दफा हम इस बात को कर रहे हैं। जो भी काम करते हैं पहली दफा। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया, पहली दफा हम मना रहे हैं। यह झूठ है असत्य है झूठ शब्द मैं वापस लेता हूं, असत्य है। पत्रकार श्याम किशोर जी 35 वर्ष से मना रहे हैं, उसमें माननीय महामहिम राज्यपाल भी गये थे, मैं भी दो-दो बार गया था और यह सरकार कह रही है कि हम पहली दफा मना रहे हैं। हां यह होता कि जब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा था वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर जी को सम्मानित किया जाता कि आपने इस काम को चलाया आप अपने खर्चे से चला रहे थे अब हम सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। उनका सम्मान भी नहीं किया, पहली दफा चला रहे हैं। पहली दफा हम लोकमान्य तिलक का 121 वां जन्म दिन मना रहे हैं। आप भूल गये कि पिछली बार भी त्रुटि थी। महामहिम राज्यपाल भाषण में संसदीय कार्य मंत्री जी को संशोधन करना पड़ा था इसमें भी पेज-3 पर आप देखियेगा अभिभाषण में इन्होंने कहा है कि हम बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी का 121 वां जन्म दिन मना रहे हैं। उन्होंने 'स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' उसका 121 वां दिन हुआ, उनका जन्म 161 वर्ष हो रहा है। ये भी आपने गलती पढ़वा दी। पिछली बार भी महामहिम राज्यपाल से अभिभाषण में गलती पढ़वाई, इस बार भी महामहिम राज्यपाल से गलती पढ़वाई।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

महामहिम राज्यपाल ने इस बार गलती नहीं पढ़ी उन्होंने इस बार बिल्कुल सही पढ़ा है। आप असत्य न बोलिये। आप लोग शोर मचा रहे थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से बात होगी तो यह ठीक नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी को जवाब देना है संसदीय कार्य मंत्री जी को नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अगर असत्य बोलेंगे तो उसमें टोका-टाकी होगी। आप राज्यपाल जी को इंगित कर रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

हमको आपको कहने का अधिकार नहीं है मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिये और बाद में मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा ठीक नहीं है। अब फिर मामले में फंसा दिया इन्होनें। अध्यक्ष जी यह बहुत गम्भीर प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण है उसमें मुझे नहीं कहना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं आप कुछ न कहिए।

श्री अध्यक्ष-

तो फिर आप अपना कन्टीन्यू करिये। यहां जो बोल रहे थे, वैसे सुना नहीं था।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं कह रहा हूं महाहिम राज्यपाल जी का जब मैंने पत्र में पढ़ा था। महामहिम राज्यपाल जी का एक दिन अखबार में पढ़ा था कि हमने जो पढ़ा वह सही पढ़ा था तो माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सरकार दो तरह का अभिभाषण छपवाई थी। एक अभिभाषण राज्यपाल के लिए अलग और बाकी अभिभाषण सदस्यों के लिए अलग। दो अभिभाषण छपे थे, अगर दो अभिभाषण छपे थे तो इस पर भी हमको आपत्ति है कि यह सरकार की नाकाबिलियत है। अगर जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल जी ने सही पढ़ा था, लेकिन राज्यपाल जी ने सदन को कभी नहीं अवगत कराया कि इसमें त्रुटि है।

श्री अध्यक्ष-

यह बात आई कि राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा नहीं गया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय महामहिम राज्यपाल न वहां से इस बात का कतई भी संकेत नहीं किया था मेरे अभिभाषण में कुछ त्रुटि है उसको मैं सही करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सुन नहीं रहे थे उस दिन। शांत रहें कृपया शांत रहे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आप क्या कह रहे थे, आप कुछ कहना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष-

मुझे यह कहना था कि एक सदस्यों का एक छोटे से सदस्यों का एक समूह नारेबाजी कर रहा था, इसलिए आप उनकी बातों को सुन नहीं पाए इतना कह रहा था।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में मुद्रण की त्रुटि के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

***श्री लाल जी वर्मा-**

मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जो हम लोगों को छपी किताब मिली महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का जो कैबिनेट से अनुमोदित हुई और उसे महामहिम राज्यपाल ने पढ़ने का काम किया, जो सरकार का एजेंडा था। उसमें मान्यवर, कई त्रुटियां रही। हम लोगों को जो दिया गया वह दूसरा दिया गया अगर महामहिम राज्यपाल ने दूसरा पढ़ा तो निश्चित रूप से मान्यवर, यह औचित्य का विषय बनता है। इस पर आपका निश्चित रूप से विचार आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

पहली बात तो इस समय औचित्य का प्रश्न नहीं उठ सकता जब हम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस बात को रखके इस विषय को आपके संज्ञान में लाने का काम किया क्योंकि तत्काल समय जो विषय आपके संज्ञान में हो सदन के संज्ञान में हो उसी पर औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है मान्यवर, तो निश्चित रूप से यह औचित्य का प्रश्न बनता है मान्यवर, कई ऐसे बिन्दु हैं मान्यवर, मैंने भी इंगित किया था माननीय नेता प्रतिपक्ष भी इंगित कर रहे हैं जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों के संबंध में कोई भी हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है कि संशोधित किया गया है कि नहीं किया गया है तो निश्चित रूप से मान्यवर, ये बात अगर कहीं बाहर बोल दी तो ये औचित्य का विषय बनता है तो आप विद्वान हैं मान्यवर ये आपसे हमें अपेक्षा की।

***संसदीद कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय नेता जी, क्योंकि माननीय नेता विरोधी दल ने भी इस बात को कहा कि ये एक मुद्रण की कमी थी, मुद्रण की गलती थी। जो अभिभाषण राज्यपाल जी के पास था, वही अभिभाषण सबको दिया गया, क्योंकि उनको निजी जानकारी थी और उन्होंने जब ये पढ़ा तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिए उन्होंने इस प्रकार से पढा कि इस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन को एक सौ एक वर्ष होने के अवसर पर समारोह का आयोजन कर ना केवल उन्हें विनम्र श्रद्धांजली दी अपितु, ऐसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उनकी स्मृति को अक्षुण्य रखने का काम किया है मान्यवर, वो एक सौ एकवें वर्ष के जन्मदिन के स्थान पर उन्होंने एक सौ एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर बोला था मान्यवर, जो अभिभाषण सदन को दिया गया सदन के माननीय सदस्यों को दिया गया वही अभिभाषण की प्रति उनके पास थी, लेकिन क्योंकि उनके पास थी, लेकिन क्योंकि उनकी निजी जानकारी थी और अभी दिसम्बर के महीने में एक समारोह उस संबंध में वो अयोजित करवा चुके थे। सरकार की ओर से आयोजित किया जा चुका था उसमें वो वक्ता था मान्यवर, इसलिए मेरा यह कहना है बीच में नहीं बीच में नहीं प्लीज बीच में नहीं मेरा माननीय अध्यक्ष जी यह कहना है कि ये एक मुद्रण की कमी थी जो एक मानवीय भूल के रूप में मान्यवर, स्वीकार की जा सकती है, ये मानवीय भूल थी इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है मान्यवर, कि इसको मैं संशोधन का प्रस्ताव कर देता हूं और आप इसको दुरूस्त करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ये तो बाद में हुआ है।

श्री लाल जी वर्मा-

मैं बहुत संवैधानिक संकट में हूं मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

कोई संवैधानिक संकट नहीं है यह सदन श्री राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है उस पर चर्चा कर रहा है किसी पुस्तिका में यदि मुद्रण की कोई त्रुटि है और हमारे जो आपकी विधान सभा है इस विधान सभा में लिखा भी जाता है और रिकार्ड भी होता है इन दोनों में श्री राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण रिकार्ड है वही सही है किसी पुस्तक में कोई त्रुटि है वो मुद्रण की गलती है जो छपवा रहे हैं उनकी गलती है या किसी की गलती उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ये तो गंभीर विषय हुआ अगर हम लोगों को जो परिचालित किया गया वह भिन्न था।

श्री अध्यक्ष-

दो बातें थी उस दिन आपने सुना नहीं सुनना चाहिए था ध्यान से।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर सुने, हम कुछ भी सुने मान्यवर, लेकिन सबको संचारित किया गया सबको बांटा गया वो सदन की किताब हो गई मान्यवर, सदन की प्रापर्टी हो गई मान्यवर, उसमें बिना सदन को अवगत कराए हुए कोईं संशोधन हो भी नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष-

सदन की सम्पदा अभिभाषण हुआ या किताब हुई ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किताब भी हुआ और किताब ही हुआ।

श्री अध्यक्ष-

अभिभाषण हुआ जो हमारे रिकॉर्ड में है। हमारी विधान सभा मतलब हमारी, आपकी, हम सबकी जो विधान सभा है। इस आदरणीय सदन का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, उस रिकॉर्डिंग सिस्टम में माननीय श्री राज्यपाल का अभिभाषण वही है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लेकिन हम लोगों को जो किताब बांटी गई, वह भी सदन की प्रॉपर्टी है। जो सदन के पटल पर रखा गया, वह सदन की प्रॉपर्टी हुई।

श्री अध्यक्ष-

वह सदन की सहायतार्थ है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वह सहायतार्थ नहीं है, वह सदन की प्रॉपर्टी है।

श्री अध्यक्ष-

अगर उसमें कोई त्रुटि है तो उसी पर मा0 नेता, विरोधी दल ध्यान आकर्षित कर रहे थे इसलिए ये आगे बोलें। उसी त्रुटि पर ही तो ये बोल रहे थे लेकिन बीच में गड़बड़ होने लगी।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, जवाब उनको देना था, आपको तो देना नहीं था। अध्यक्ष जी, इसलिए आपको अग्रिम बधाई, वहीं से बनारसी दास जी यहां पर आए हुए थे।

(सदन में हंसी)

श्री अध्यक्ष-

अब काहे उतारते तो हमको।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वहीं से बनारसी दास जी यहां आए हुए थे। मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूं सरकार को बचाने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

सरकार को हम बचा रहे हैं? सरकार तो आप बचा रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं यही कह रहा था कि पिछले अभिभाषण में त्रुटि, इस अभिभाषण में त्रुटि और एक ही त्रुटि नहीं, कई त्रुटियां हैं। इसका मतलब मंत्रिमण्डल अज्ञानता का शिकार है। इस सदन के अन्दर और एक बात का संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया। आप भी उसमें शरीक हो गए कि हमने सुना नहीं और राज्यपाल ने सही पढ़ा। दो ही स्थितियां हो सकती हैं। एक या तो महामहिम श्री राज्यपाल को वहां से कहना चाहिए था कि हमारे हाथ में जो यह अभिभाषण दिया गया है, यह त्रुटिपूर्ण है। इसको मैं सही पढ़ रहा हूं। जो उन्होंने नहीं कहा, जो उन्होंने नहीं किया है। टोकिए मत अध्यक्ष जी, आप नहीं टोकें। दूसरा जो हमने अखबार में पढ़ा, मैंने जो अखबार में पढ़ा कि उन्होंने कहा था कि मैंने जो पढ़ा था, मेरे हाथ में जो किताब थी, मैंने उसे सही पढ़ा था तो एक और संकट का विषय हो गया कि अगर महामहिम ने सही पढ़ा होगा तो उनके हाथ में अभिभाषण की किताब दूसरी थी और पूरे सदन के मा0 सदस्यों को दूसरी किताब दी गई। अब समझ लीजिए कि यह सरकार कितनी चालबाज है। यह सरकार कितनी ज्यादा चालबाज है इसको समझ लीजिए। अगर आजादी का 101 जन्म दिवस मना रहे थे। कांग्रेस नहीं मना रही थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मना रही थी। सरकार जन्म दिन मना रही थी और धड़ाधड़ श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। इनका यही ज्ञान देख लीजिए। बहरहाल यह सरकार द्वन्द्वात्मक स्थिति से ग्रसित है। बसपा विधान मण्डल दल के नेता ने कहा कि यह बनता है, पढ़ा जाता है, कैबिनेट में विधिवत् इस पर बहस होती है, पास होता है। तब यह अभिभाषण महामहिम राज्यपाल को भेजा जाता है। महामहिम राज्यपाल भी उसको पढ़ते हैं। उनकी सन्तुष्टि के बाद ही यह एक साथ समवेत् सदन के समक्ष आता है। श्रीमन्, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये ढोंग करते हैं। मैंने विधान सभा में एक बार और कहा था कि हम महापुरुषों की जयन्ती मनाते हैं। हमने कितने महापुरुषों को सम्मान दिया। चाहे देवता के रूप में महापुरुष हों, चाहे समाज सुधारक के रूप में महापुरुष हों, चाहे राजनीति के कारण से महापुरुष हों। हमने उन्हें जो सम्मान दिया, हमने उनके नाम पर उस दिन जो छुट्टी दी, उसकी इन्होंने कटौती कर दी और कहते हैं कि हम महापुरुषों का सम्मान करते हैं। ये दोहरी नीति है। सब छुट्टी बंद कर दी। परशुराम जी की, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की, डॉ0 लोहिया की, आचार्य नरेन्द्र देव की, कर्पूरी ठाकुर जी की, निषादराज गुहा की सब इन्होंने खत्म कर दी। कहते थे कि हम पढ़ाई करायेंगे, उसको खत्म कर दिया और पढ़ाई भी नहीं करायी। अब इसमें लिखा है आपके अभिभाषण में भयमुक्त समाज का वातावरण आपने बना लिया। माननीय अध्यक्ष जी, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती, गले का हार छिनैती, रोड पर छिनैती, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार और बलात्कार के बाद जला देना ऐसा भयंकर अपराध पहले किसी सरकार के जमाने में नहीं हुआ था। मैं मानता हूं कि अपराध का समूल नाश कोई भी सरकार नहीं कर सकती है लेकिन उस पर लगाम लगा सकती है। बड़ा ढिंढ़ोरा पीटा गया, हमेशा मा0 मुख्य मंत्री जी भी भाषण करते हैं, माननीय

मंत्रिगण भी भाषण करते हैं कि अपराध अब समाप्त हो गया है, जो गुण्डे और बदमाश थे उनको गोली मार दी गयी है, जो बचे उनको जेल में डाल दिया गया और उससे जो बचे वह प्रदेश छोड़कर भाग गए तब फिर यह कर कौन रहा है? मुख्य मंत्री बतायें कौन कर रहा है? हम तो मद्द कर नहीं रहे हैं इसका मतलब आप लोग कर रहे हैं। आधे ऊपर गए, आधे जेल में गए और आधे छोड़कर भाग गए हैं तो यह हो कैसे रहा है, कैसे हो रहा है?(सत्तापक्ष के एक माननीय सदस्य के बीच में बोलने पर) वो कहते हैं कि अधिक प्याज खाता है आप इधर थे तब भी इतना ही कुन-कुन करते थे अब उधर चले गए हैं, चैन से रहिए, चैन से रहिए, सुन लीजिए। इधर थे तो बोलने के लिए खड़े ही नहीं होते थे। अभी सदन के शुरू होने के दो-तीन दिन पहले तक अकेले लखनऊ शहर में 80 गंभीर घटनाएं घटीं थीं, अत्यंत गंभीर घटनायें घटी थीं। हम कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं आपके नॉलेज में भी होगा। मैं जानता हूं कि अभी आप लोग उत्तर देने के लिए खड़े होंगे तो ऐसे वैसे हाथ घुमाएंगे। मैं दो-तीन बातें संक्षिप्त में कह देना चाहता हूं कि दिनांक 26.12.2017 बांदा अर्तरा थाना क्षेत्रान्तर्गत शौच के लिए गई नाबालिग लड़की को अगवा करके बदमाशों ने मार डाला। दिनांक 27.12.2017 चिनहट के जुग्गौर ग्राम में असलहों से लैश बदमाशों ने सोमवार को तड़के ऑटोचालक विनोद यादव के घर पर धावा बोलकर लाखों लूटे।(सत्तापक्ष की तरफ से आवाज आई कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए) पढ़ा हुआ मान लिया जाए तो विधान सभा की सब चीजें पढ़ी हुई ही क्यों न मान ली जाए? आपका पूरा बजट सत्र ही क्यों न पढ़ा हुआ मान लिया जाए, आपका यहां पर चुनकर आना ही क्यों न पढ़ा हुआ मान लिया जाए, तो आप यहां क्यों आकर बैठे हैं? पढ़ा हुआ मानकर बैठने के लिए हम यहां नहीं आए हैं, आपको जनता ने इसलिए वोट दिया है कि विधायक जी हमारी जान माल की रक्षा करेंगे, हमको रोटी देगें, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, नौकरी देंगे। हम पढ़ा हुआ मान लिया जाए कहने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। इस बार तो भाजपा की लहर में यहां आ गए हैं। बार-बार लहर नहीं आती है। सत्तापक्ष से अगली बार भी आप दे देंगे। यही बात हम भी कहते थे जब कहते थे कि संसदीय कार्यमंत्री की टेबिल पर वहां आएंगे तो हम कहते थे कि आपका सपना पूरा नहीं होगा और लेकिन इनका सपना पूरा हो गया। आप कह रहे हैं कि सपना आपका पूरा नहीं होगा अगर आपकी यही कर्त्तव्यनिष्ठा रही, आपके अपराध में यही बढ़ोत्तरी रही, आपके बलात्कार में यही बढ़ोत्तरी रही, बेरोजगारों के आंसू इसी तरह से गिरते रहे तो आपसे भी भारी बहुमत से यह लोग इधर आएंगे इनको कोई रोक नहीं सकता है। समझौता हुआ है दो का। आपका समझौता हुआ है 44-45 का। इसलिए कि अध्यक्ष जी के कहने का कोई असर हुआ ही नहीं है, इधर तो असर है उधर असर नहीं है। आपसे लोग डरते नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

इधर वालों के मन में अचानक आया कि हम सरकार में जा रहे हैं।

श्री राम गोविंद चौधरी-

अध्यक्ष जी, लखनऊ के चिनहट में विनोद यादव के घर में घुसे आधा दर्जन से अधिक डकैतों ने करीब दस राउंड गोलियां चलाकर कमरे का दरवाजा तोड़ पूरी की पूरी अलमारी उठा ले गए। लखनऊ, ठाकुरगंज की पुलिस सोती रह गई थाने से दस कदम दूरी पर सर्राफ के घर पिस्टल सहित लाखों रुपये की चोरी। लखनऊ, मोहनलालगंज स्थित एसबीआई बैंक के खाते को हैक कर 25 दिन में निकाल लिए 3.60 लाख। लखनऊ के काकोरी में एक दबंग की विद्यालय में घुसकर शिक्षिका से छेड़छाड़। विभूतिखण्ड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के नेता पर राजनीतिक रंजिश में सपा युवजन सभा के नेताओं ने गुर्गों संग हमला कर लहूलुहान कर दिया। केजीएमयू में महिला को जहर खिला नकदी-जेवरात लूटने की कोशिश। सुल्तानपुर में बदमाशों ने राहुलनगर बाजार में सोमवार की देर शाम को दुकान में घुसकर व्यापारी को गोली से उड़ाया। दिनांक 28.12.2017 मथुरा, महाराष्ट्र से भागवत सिखाने के नाम पर यहां लाई गई दो युवतियों के साथ यौन शोषण। आगरा, ताजनगरी में सैलानियों से बुधवार को महताब बाग देखकर लौट रहे स्विट्जरलैंड के सैलानियों को एडीए पार्क के गार्ड ने फोटोग्राफी करने पर बंधक बनाया। लखनऊ शोहदे ने किशोरी से छेड़छाड़ की, किशोरी के परिवार ने पारा थाने में एफआईआर दर्ज कराई, एफआईआर नहीं लिखी गयी। निगोहां के एक गॉव में दबंग युवक ने गांव की एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। दिनांक 29.12.2017 लखनऊ, मड़ियांव व जानकीपुरम के दो घरो से लाखों की चोरी। कबीना मंत्री के करीबी होने का झांसा दे जालसाज ने युवकों से 8 लाख रुपये ठगे। फिरोजाबाद, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर थाना नगला खगर क्षेत्र के भदान रेलवे स्टेशन के पास गुरूवार को सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सुखराम यादव की हत्या। मेरठ, अगवानपुर गांव के जंगल में बृहस्पतिवार को दो पक्षों में खूनी संघर्ष से दो लोगों की मौत। लखनऊ में फन मॉल के पास नशे में धुत तीन रसूखदारों ने सिपाही को कार से कुचलने की कोशिश की। लखनऊ के उन्नाव निवासी महिला से पिकअप वाहन में रेप की कोशिश, दरिंदो से भिड़ी महिला, कूदकर बचाई जान, एफआईआर नहीं लिखी गयी। दिनांक 30.12.2017 मुजफ्फरनगर में कक्षा आठ में पढ़ने वाली लड़की से चार युवकों ने छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसकी और उसके परिवार के सदस्यों की कथित रूप से पिटायी की। हरदोई के शाहाबाद थाना-क्षेत्र के एक गांव में झोपड़ी में सो रहे युवक मनोज कंजर की धारदार हथियार से हत्या। दिनांक 31.12.2017 हाथरस जिले में 11वीं क्लास की छात्रा को अगवा कर लिया गैंगरेप, गांव के पास फेंककर फरार हुए आरोपी। दिनांक 01.01.2018 लखनऊ गाजीपुर थाना क्षेत्र में सेक्टर-25 चौराहे पर बैग छीनने के विरोध पर बाइक सवार बदमाशों ने युवक को मारी गोली।

(इसी मध्य 01 बजे अधिष्ठाता श्री सुखदेव राजभर पीठासीन हुए।)

हाथरस में सहमऊ क्षेत्र के एक कालेज से शनिवार करीब 11 बजे घर लौट रही किशोरी को गाड़ी में खींच लिया गैंगरेप। सुल्तानपुर में मीरपुर प्रतापपुर गाँव में शनिवार तीन

युवकों ने लाठी डंडे से की पिटाई, जख्मी बसपा नेता ने तोड़ा दम। नोएडा में कासना इलाके में बंटी की पत्नी बच्चों सहित पॉच लोग चार दिन से लापता। मथुरा में कोहरे का फायदा उठाकर मथुरा जिला जेल से कलुआ, राहुल और संजय नामक तीन कैदी फरार हुये। दिनॉक 02.01.2018 लखनऊ में कार सवार बदमाशों ने रिटायर सूबेदार को लूटा। लखनऊ में ही काकोरी के महिपतपुर में किसान समेत दो घरों से लाखों की चोरी। दिनॉक 03.01.2018 गोंडा में कोतवाली देहात क्षेत्र की किशोरी के साथ रेप करने वाले आरोपी की हत्या, टावर पर लटकाई लाश। दिनॉक 04.01.2018 बदायूं में प्रेमी जोड़े का शव नदी से बरामद। दिनॉक 05.01.2018 लखनऊ में पारा के डिप्टीखेड़ा में गोली मारने की धमकी देकर सर्राफ से बैग लूटा। वहीं चौक में सोमवार रात एक मजदूर की दुधमुंही बेटी का अपहरण। लखनऊ में ही सरोजनीनगर में गुरूवार दोपहर कार सवार लोगों ने पैदल जा रही युवती का अपहरण किया और फरार हो गये। जानकीपुरम् विस्तार में मंगलवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने सपा नेत्री के बेटे पर बम व गोलियों से किया हमला। लखनऊ में ही बदमाशों ने तालकटोरा थाने में तैनात सिपाही पर किया हमला। दिनॉक 08.01.2018 लखनऊ में कठिगरा गाँव के पास शनिवार देर रात बाइक सवार तीन बदमाशों ने असलहा दिखाकर दो दोस्तों से बाइक व नकदी लूटी। काकोरी के खालिसपुर गांव में शनिवार देर रात नशे में धुत युवक ने घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ की। दिनांक 09.01.2018 लखनऊ में जानकीपुरम सेक्टर-एच में हाईकोर्ट के वकील के मुंशी राहुल रस्तोगी को स्कूटी सवार दो बदमाशों ने गोली से उड़ाया। दिनांक 10.01.2018 लखनऊ में काकोरी के करझन गॉव में मंगलवार सुबह आरएसएस कार्यकर्ता व कोचिंग संचालक बिहारी लाल रावत की लाठी डंडे से कुछ लोगों ने पीटकर हत्या कर दी। फैजाबाद के खंडासा के महात्मा गॉधी चौराहे पर चार नकाबपोश बदमाशों ने सोमवार रात घर में घुसकर एक कारोबारी को पीट-पीटकर मार डाला। दिनांक 11.01.2018 लखनऊ में लाटूश रोड के पास स्कूटी सवार ठगों ने तेल गिरने का झांसा दे कार से बैग उड़ा ले गये। लखनऊ के ही एम0बी0 क्लब के चीफ एक्जीक्यूटिव आफीसर व रिटायर्ड लेफिट्नेंट कर्नल श्याम सिंह के घर से मेडल चोरी। के0जी0एम0यू0, ट्रामा सेंटर के गेट पर महिला तीमारदार से अभद्रता व हंगामा। काकोरी में बुधवार को साइकिल से खरीददारी करने जा रही छात्रा से छेड़खानी, शोहदे को दबोचा। बाराबंकी में जहरीली शराब से 12 की मौत। दिनॉक 12.01.2018 लखनऊ में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर वृद्व से जेवर हड़पे। लखनऊ में ही संदिग्ध हालत में युवक समेत दो की सॉसे थमी। फैजाबाद के इनायतनगर थाना क्षेत्र के पलिया प्रतापशाह गांव में एक वर्ष पूर्व हुयी जितेन्द्र तिवारी की हत्या के गवाह युवक की चार दबंगों ने जुबान काट डाली। दिनॉक 13.01.2018 लखनऊ में कृष्णानगर में चोरों ने दूध कारोबारी के घर लाखों की चोरी की। दिनॉक 15.01.2018 अमेठी में जिला मुख्यालय गौरीगंज में पत्रकार के बेटे की बेरहमी से हत्या। लखनऊ के ठाकुरगंज में मोहल्ले के युवक ने बच्चे को टॉफी के बहाने दुष्कर्म का प्रयास किया। लखनऊ के ही मलिहाबाद कस्बे के एक रसूखदार व्यक्ति ने कैंसर पीड़ित बुजुर्ग से

50 लाख रुपये की जमीन को धोखाधड़ी कर 50 हजार रुपये में बैनामा कराया। 16-01-2018- लखनऊ में जानकीपुरम की एक प्लेसमेंट एजेंसी ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से रुपये एंठे। लखनऊ में ही टप्पेबाजों ने सोमवार को मड़ियांव इलाके में सिंचाई विभाग के रिटायर्ड क्लर्क को झांसा देकर दो लाख रुपये ले उड़े। 17-01-2018 को लखनऊ में ही चार्जर मांगने के बहाने घर में घुसे किशोर ने आठवीं की छात्रा से की दरिंदगी। 17-01-18 को राजधानी में सक्रिय टप्पेबाजों ने क्वीन मेरी में इलाज कराने आई आशियाना की प्रिया शुक्ला के ढाई लाख कैश और जेवर उड़ाये। सीतापुर में हरगांव थाना क्षेत्र में नहर से बरामद हुये थे बच्चियों के शव तथा दरिंदों ने उसकी मां से किया गैंगरेप, उसके बाद हत्या। 18-01-2018 को लखनऊ के गुडम्बा में मंगलवार को किशोरी से छेड़छाड़। 19-01-2018 को लखनऊ, हरदोई निवासी किशोरी से फेसबुक पर दोस्ती कर अमीनाबाद निवासी आदर्श शुक्ल ने किया यौन-शोषण। हसनगंज में पुजारी पर सुतली बम से हमला। 20-01-2018 को लखनऊ के चिनहट के उत्तरधौना गांव में गुरूवार रात दो स्थानों पर धावा बोलकर डकैतों ने पुलिस को चुनौती दी, 3-4 घण्टे तक फायरिंग और लूटपाट होती रही। 22-01-2018 को लखनऊ में बदमाशों ने रघुनाथ के घर लगातार फायरिंग और छतों से ग्रामीण व बदमाशों के बीच पथराव देख पुलिस वाले तो जीप में ही दुबके रहे कि कहीं हमारी ही जान न चली जाए। उसी दिन लखनऊ में ही काकोरी में करीब 300 मीटर की दूरी पर बसे गांव में घरों में डकैतों का कहर, युवक अभिषेक उर्फ कोमल की हत्या। संडीला हरदोई में प्रधानपति को सरेराह गोली से उड़ाया। 23-01-2018 को लखनऊ के विकास नगर में वकील की कार से 6 लाख की चोरी। 24-01-2018 को लखनऊ के काकोरी में बदमाशों ने कहा था कि हम आसपास ही मंडराएंगे, 10 किलोमीटर दूर मलिहाबाद में वारदात करके सच कर दिखाया, धमकी देकर डकैती हुई। मुंशीगंज में बदमाशों ने पूर्व प्रधान परमेश्वर के बेटे को पीटकर मार डाला। लखनऊ के मलिहाबाद में डकैतों का कहर, एक युवक श्यामू की हत्या। लखनऊ में ही बेखौफ बदमाश ने पूर्व डी0जी0पी0 की बहन की ही चेन छीनी। प्रतापगढ़ में रंजिश में पिटाई के बाद युवती को किया था, आग के हवाले, युवती ने इलाहाबाद के एस0आर0एन0 अस्पताल में दम तोड़ दिया। 25-01-2018 को सहारनपुर के थानेदार ने दी बी0एस0एफ जवान को धमकी, बी0एस0एफ0 जवान के पिता को पीटकर पुलिस ने भेजा जेल। महोबा में बदमाशों ने सी0एम0एस0 को मारी गोली, रिपोर्ट दर्ज नहीं। गोरखपुर में बांसगांव क्षेत्र के उनवला खास निवासी भीम को करीबी दोस्त ने मारी गोली। उसी तारीख को बुलंदशहर में रंगदारी न देने पर ठेकेदार की हत्या। बदायूं में बुधवार को पांच अलग-अलग हत्याओं से मचा हड़कंप। मेरठ के परतापुर के सोरखा गांव हमलावारों ने चुनावी रंजिश के चलते मां और बेटे को दिनदहाड़े गोलियों से भून डाला। गाजियाबाद- एन0सी0आर0 के गाजियाबाद के पटेल नगर इलाके से एक कारोबारी अनिल अरोड़ा का अपहरण। शाहगंज के थाना पुरवां क्षेत्रान्तर्गत एक महिला के साथ उसके पति के दोस्त राजकुमार ने तमंचा दिखाकर कथित तौर पर किया दुष्कर्म। 28-01-2018 को लखनऊ

के मलिहाबाद में अमानीगंज में एक टेलर के घर बदमाशों का धावा, जेवर और पैसे लूटे। 29-01-2018 में लखनऊ के वरीजगंज में रहले वाली मंदबुद्धि युवती से युवक इंशान ने किया रेप। आजमगढ़, पीएम नरेंद्र मोदी मन की बात में बेटियों की ताकत का गुणगान कर रहे थे तो एक ओर प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और उसका बेटा एक महिला शिक्षामित्र व उसकी ढाई साल की मासूम बेटी पर बरसाए लात-घूंसे। लखनऊ के मड़ियांव के हरि ओमनगर में छेड़छाड़ के विरोध में युवक पर बम से हमला।

(इसी मध्य 01 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

राजा जी पुरम में भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे की स्कार्पियो से आये युवकों ने की गुण्डागर्दी, लखनऊ तेलीबाग के कुम्हारमण्डी में छेड़छाड़ के विवाद में गुटों में भिड़न्त, सरोजनी नगर में श्याम बाबू रावत की गला रेत कर के हत्या। मा0 अध्यक्ष महोदय जी, जौनपुर में दिनदहाड़े प्यारे लाल यादव एवं संजय मौर्या की हत्या। इन लोगों ने कहा कि पढ़ना छोड़ दो तो इन लोगों का भी कहना मानना चाहिए ना, हमारे साथी लोग ऊब गये हैं इसलिए छोड़ रहे हैं नहीं तो अभी 6-7 पन्ना था। इलाहाबाद में एक दलित युवक को गोलियों से भून दिया गया, केवल उसका पैर छू गया था, छुआछूत हो गया था। अमेठी में एक दलित की हत्या, महीनों से धरना-प्रदर्शन जारी और कोई कार्रवाई नहीं। यह सरकार कहती है कि हम दलितों के, पिछड़ों के हितैषी हैं, दलितों और पिछड़ों की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मान्यवर, अभी संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे थे कि शत-प्रतिशत प्राथमिकी लिखी जा रही है ऐसा उन्होंने अभी कहा था। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 नेता सदन से कहना चाहता हूं कि अधिकांश प्राथमिकी लिखी नहीं जाती हैं। इंचार्ज कहते हैं कि अगर डकैती हुई है तो वह कहते हैं कि इसको बदलो तब लिखेंगे, बलात्कार हुआ है तो कहते हैं कि इसको बदलो तो हम लिखेंगे, छिनैती हुई तो कहते हैं कि इसको बदलो तो हम लिखेंगे और मजबूरन आदमी कोर्ट की शरण ले रहा है क्या यह गलत नहीं है। एक गाजीपुर में गांव है ग्राम कडहुआ सकरा थाना कोतवाली जिला गाजीपुर, अब जरा इस पर ध्यान दें मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं 11 दिसम्बर, 2017 की रात में सूबेदार यादव की हत्या हुई और हत्या कर बदमाशों ने उसे खेत में फेंक दिया, लोगों ने जब रिपोर्ट दी तो फाड़कर थानेदार ने फेंक दिया और आज तक एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गई है तथा बदमाश खुलेआम दूसरे भाई की भी हत्या करने की धमकी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब जगह एफ0आई0आर0 लिखी जा रही है मैंने इसे आपको उदाहरण के लिए बताया, सारे साक्ष्य भी दिये गये दारोगा को। आप कह रहे हैं कि साम्प्रदायिक हिंसा नहीं हुई, अभी केन्द्रीय गृहमंत्री जी की एक रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में था कि 2017 में 822 घटनाएं हुईं जिसमें से 195 घटनाएं उत्तर प्रदेश में जहां 44 लोग मारे गये और 542 लोग घायल हुए। ठीक है उसमें कुछ हमारे भी जमाने के होंगे और कुछ इनके जमाने के भी होंगे लेकिन यह कहा गया कि कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं। हम भी मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कासगंज

की घटना को नियम-56 में ही आप सुन रहे थे, हमारे वरिष्ठ मंत्री हमारे मित्र मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि 25 वर्ष से तिरंगा यात्रा वहां निकल रही थी। मा0 अध्यक्ष जी, 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जब सदन में असत्य प्रलाप होगा तो कैसे काम चलेगा, इसी सदन में कहा गया और लिखा है कि 25 वर्ष से वह तिरंगा यात्रा का रास्ता था, कितनी गलतबयानी हुई। एक तरफ तो आप धमका रहे हैं, मुसलमानों को कह रहे हैं कि वन्देमातरम् बोलना होगा नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा, जय श्री राम बोलना होगा नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा और जब मुसलमान 26 जनवरी को अपना राष्ट्रध्वज फहरा रहा हो तो उस दिन भी आप उनको फहराने नहीं दे रहे हैं कि हमारा यह तिरंगा का रास्ता है। 25 साल से तिरंगा यात्रा निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की। कुर्सियां उनकी तोड़ी गयी, उनको झण्डा नहीं फहराने दिया गया। मारा गया, पीटा गया, घर लूटा गया, दुकान फूंकी गयी। दुर्भाग्य है एक लड़के की मौत भी हो गयी। हमने उस दिन भी कहा था, कि हम उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमें दुख है। अगर एक भी कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, एक भी कोई मरता है तो मानव नहीं, वह भारत माता का पूत मरता है। यह नौबत आयी ही क्यों, अगर वह मना रहा है, झण्डा फहरा रहा है। एक तरफ कहते हो झण्डा फहराओ, वन्दे मातरम बोलो। कितना पीसोगे, और किसको पीस रहे हो, जिन्होंने देश को आजादी दिलायी, सहयोग किया है। हिन्दूओं के साथ मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में गोली खायी है। छाती पर गोली खाई है। हिन्दू ने भी गोली खायी है, मुसलमान ने भी गोली खाया है। हिंदू भी फांसी पर चढ़ा है, मुसलमान भी फांसी पर चढ़ा है। हिन्दू भी जेल काटा है, मुसलमान भी जेल काटा है। और उसको आप कह रहे हो झण्डा फहराओ, और अगर उसको झण्डा से मोह नहीं होता तो आजादी की लड़ाई में भाग क्यों लेता। आपको क्यों तिरंगा से इतना मोह हो गया, हमको यह बताइये। इतने दिन बाद आपको क्यों मोह हो गया तिरंगा से। आप 25 साल पहले क्यों नहीं तिरंगा फहरा रहे थे, आप क्यों नहीं 40 वर्ष पहले तिरंगा का जय बोल रहे थे। नाटक इस देश में नहीं चलेगा। इस देश में कर्तव्य चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नाटक तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तिरंगा यात्रा। क्या देश खतरे में है? किसलिए तिरंगा यात्रा। देश को आजाद कराने वाले लोगों ने देश की खुशहाली के लिए अपनी कुर्बानी दी। देश को एक रखने के लिए दी। देश अगर कभी बटेगा, अध्यक्ष जी, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बटेगा, अपने से नहीं बटेगा। इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत है, इसकी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश। कोई भी बड़ा कार्य उससे कहता है। अभी परसों हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब ईरान के बादशाह आए थे तो उनके सामने कहा कि हिन्दुस्तान की संस्कृति गंगा-यमुना की तहजीब है। ये गंगा-जमुना है कहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश में है। राम उत्तर प्रदेश में, कृष्ण उत्तर प्रदेश में, शिव-कृष्ण उत्तर प्रदेश में। जो देवभूमि कही जाती है। दुनिया में देवभूमि मशहूर है उत्तर प्रदेश में। देवभूमि को हमसे अलग किसने किया। उत्तर प्रदेश की आत्मा को

खोखला किसने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, उत्तर प्रदेश को बांटा। मध्य प्रदेश को किसने बांटा, भारतीय जनता पार्टी ने बांटा। बिहार को किसने बांटा, भारतीय जनता पार्टी ने बांटा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करता हूं नेता सदन से कि अगर अब भी सबक नहीं हुआ, केवल येन-केन प्रकारेण वोट लेने के लिए जिंदा हो करके हम हर स्टेट में सरकार बना करके अपने को बिल्कुल सम्राट घोषित करना हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर देश बचाना है, गरीबी मिटानी है, बेरोजगारी दूर करनी है, बिना घर वालों को घर देना है तो अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी, आज नहीं कल भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से यह देश पुनः बटने के कगार पर खड़ा हो जायेगा, खड़ा हो जायेगा।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, देश की एकता और अखण्डता एक बहुत गम्भीर विषय है और ऐसे संवेदनशील विषय पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हैं, मैं समझता हूं कि उस संवेदना को इनको समझना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां कैसे बना सकते हैं। आप एक गुरुतर दायित्व के पद पर हैं और मैं समझता हूं कि उसका बोध होना चाहिए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे संवेदनशील विषय पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए जिससे कोई कठिनाई पैदा हो। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इनकी नसीहत को मैंने सुना।

श्री अध्यक्ष-

नसीहत नहीं, उन्होंने अनुरोध किया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जो तोड़ने वाले लोग हैं वह किसी को नसीहत नहीं दे सकते। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं कि तिरंगा हमारा स्वाभिमान है, तिरंगा हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। इतने साल बाद इनको तिरंगा की याद आयी कैसे, यही तो मैं कह रहा हूं ? पच्चीस वर्ष पहले आपको तिरंगा क्यों नहीं दिखायी दिया, तीस वर्ष पहले आपको तिरंगा क्यों नहीं दिखायी दिया ? माननीय कृषि मंत्री जी, जबसे देश आजाद है, जबसे संविधान के माध्यम से तिरंगा का प्राविधान हुआ, तब यह हमारा राष्ट्र का प्रतीक है लेकिन आपका नहीं रहा। आपका प्रतीक भगवा झण्डा रहा है आप तिरंगा यात्रा निकाल कर देश को बेवकूफ बना रहे हैं और देश में हिन्दू-मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आप तिरंगा यात्रा भलमनसाहत के लिए नहीं, देशहित के लिए नहीं निकाल रहे हैं आप अपने को दिखाना चाहते हैं। तिरंगा यात्रा से क्या होगा ? इसलिए श्रीमन्, अगर ये सही हैं, सबके मुख्य मंत्री हैं, सबकी सरकार है तो कासगंज

के मामले में पूरा सदन, पूरा विपक्ष इस बात पर सहमत था कि न्यायिक जांच करा लिया जाए परन्तु सरकार नहीं मानी। विपक्ष ने कहा कि इस सदन की एक कमेटी बनाकर जांच करा दी जाए, सरकार नहीं मानीं तो श्रीमन्, इसमें दाल में काला है या नहीं ? गड्ढामुक्त की बात आयी। माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय हेलीकाप्टर से चल रहे हैं, सड़क पर थोड़े दिन गोरखपुर में चले हैं तो आपको असलियत मालूम हो गयी होगी। गड्ढामुक्त का नारा है और यह नारा मैं आज से नहीं सुन रहा हूं जब से सरकार बनी है तब से सुन रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, लोगों की भावना कह रहा हूं। जब आप गोरखपुर जाते हैं तो एक ढेलिया में डामरवाली काली गिट्टी वगैरह लेकर हर सड़क ठीक करने लग जाते हैं जैसे आप लखनऊ वापस आते हैं तो वह काम बंद हो जाता है। यह बात वहां के लोगों ने हमसे कही है। अगर लगातार यह काम किया गया होता तो यह ठीक हो गया होता या तो पैसे की कमी होगी या तो मंशा नहीं है। हम लोग जब सड़क पर जाते हैं फैजाबाद से अम्बेडकरनगर होकर उस सड़क को देखिये। एक दिन हम मध्य प्रदेश जहां से खत्म होता है उत्तर प्रदेश जहां से शुरू होता है उस सड़क पर आये तो जो एक घण्टे का रास्ता है उसमें आठ घण्टे लग गये। मिर्जापुर-सोनभद्र के मा0 सदस्य जानते होंगे।

एक माननीय सदस्य (सत्तापक्ष)-

अब आप वहां जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी सड़क है?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यहां तो आपको अच्छा लगता है लेकिन जब घर जाओगे, जब सोवोगे तो कहोगे कि राम गोविन्द चौधरी सही कह रहे थे, हम सत्ता में थे इसलिए चुहलबाजी कर रहे थे। यह तो हर क्षेत्र का मामला है किसी एक क्षेत्र का थोड़े ही है। एक दिन चले जाओ और लौटकर आओ तो गाड़ी गैराज में। गाड़ी गैराज में कितना तेजी से काम हो रहा है इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। इसी आपके लखनऊ शहर में एक सड़क बन रही है। न खड़ंजा, सड़क तो सड़क दूर। तोप नहीं, पिस्टल नहीं, तमंचा नहीं एक साधारण सी सड़क की मैं बात कर रहा हूं। लखनऊ जैसे शहर में मुहल्ले में नाली सड़क निर्माण कार्य एक वर्ष में भी पूरा नहीं किया जा सका। मोहल्ला भरत नगर लखनऊ में डा0 पंवार चौराहे से नाले तक लगभग आधा किलोमीटर नाली इन्टरलॉकिंग का कार्य एक वर्ष से हो रहा है और अभी तक नाली तक पूरी नहीं बन पायी पूरे एक साल में। आधा किलोमीटर, माननीय नेता सदन आपके यहां, आप हैं, सारा मंत्रि मंडल है, सारे माननीय विधायक हैं, सारे अधिकारी हैं और एक साल से काम हो रहा है, खड़ंजा और नाली आधा किलोमीटर और अभी नाली ही नहीं बनी तो खड़ंजा की बात तो छोड़िये। श्रीमन् विकास तो आप कर ही रहे हैं। तो इतना विकास कर रहे हैं कि हद हो

गयी। किसान ऋण मोचन, मोचन शब्द ले आये। माफी नहीं, मोचन। किसान ऋण मोचन। हमारे पूरब के विधायक लोग यहां बैठे हैं वहां पर मोचना शब्द यदि किसी को ठगा जाता है तो उसको मोचना कहा जाता है। फलां को फलां ने मोच लिया। मंत्री जी मोच लिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह मोचन शब्द है तो किसान मोच लिया गया। उसको ठग लिया गया है। ऋण माफी के नाम पर उसके साथ लगातार धोखा हुआ है। (मेजों की थपथपाहट) अभी कल मुख्य मंत्री जी ने कल गोरखपुर में भाषण दिया था कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। मुख्य मंत्री जी, 36 हजार करोड़ रुपया था। अभी 15 हजार करोड़ से अधिक रुपया बाकी है, खर्च नहीं हुआ और अगर वास्तव में आप कोई यह न कहे कि आप मुख्य मंत्री हैं यह भगवा वस्त्र छोड़कर साधारण कपड़ा पहन कर चले जाइये लोगों के यहां। पहले राजा लोग जाते थे कि हमारी जनता के क्या हाल हैं। हमने किताबों में पढ़ा है। तो किसानों की क्या आपकी सरकार के प्रति, आपके प्रति उसकी नीयत है, आपको खुद पता चल जायेगा। जब 2014 में चुनाव हो रहा था लोक सभा का तो उस समय भी और 2017 में जब विधान सभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता लोगों ने कहा कि अगर हमारी सरकार बना दोगे तो हम तुम्हारा सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगें। 2014 में भी और 2017 में भी।(सत्ता पक्ष से टोकने पर) हमने कहा था और किया था। मंत्री जी हमारे मित्र हैं, सुनिये। जानते हैं कि कड़वी बात लगती है। हमने भी यही कहा कि जो भाषण हुए सब सम्पूर्ण के हुए। इसीलिये तो किसान ठगा। जनता भी जानती है कि आप किसानों के नहीं पूंजीपतियों के हितैषी हैं। किसान पहले से ही इस बात को जानता था लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्या मालूम इनकी जबान देख लें। 2017 का चुनाव आया तो उसमें भी पूर्ण कर्जा माफ करेंगे। जो लोक संकल्प पत्र आया है आपका उसमें भी आपने कहा कि लघु सीमान्त कृषक का माफ करेंगे। आज जब बजट आप ले आए। बजट भाषण जब माननीय वित्त मंत्री जी ने पढ़ा तो सभी शब्द हटा दिया केवल लघु सीमान्त किया और इतने नियम कानून उसमें बना दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, इतने नियम-कानून उसमें बना दिये गये कि बैंक वाले कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम कर्ज माफ हुए हैं, मुख्य मंत्री जी। हम कोई आपकी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं। अब एक आदमी का 40 हजार रुपये का कर्ज है 15 हजार माफ हुआ है बाकी का जमा करना पड़ा, यह मैं अपने क्षेत्र के आदमी की बात कह रहा हूं। यह भी आपका कार्यक्रम फेल हो गया है, एक बार आपने कदम उठाया वह भी आपका कार्यक्रम फेल हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी एक बात पीछे की छूट गयी है, आपकी अनुमति हो तो दुहरा दूं। जो मैंने कहा था कि एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जायेगी, गाजीपुर का उदाहरण गिनाया। उसी में सदन के एक पूर्व मा0 सदस्य मंत्री भी रहे हैं रामपाल राजवंशी जी। भरे बाजार में दो लोगों ने पिस्टल सटा दिया, तब तक भीड़ दौड़ी दागा और बन्दूक से फायर नहीं हुआ। भीड़ के साथ वह थाने पर गये। पूरा दिन का मामला था, लोगों ने देखा था, आज तक एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी है। मा0 अध्यक्ष जी गड्ढा मुक्त सड़क की एक बात है कि सारा बजट पास हो

गया है, पैसा कहां गया है, कौन सा काम हुआ है, न सड़क पर कार्य हुआ, न पुल पर कार्य हुआ, न हास्पिटल पर हुआ, न दवाई पर हुआ, न किसी अन्य चीज पर हुआ, न कहीं फोर लेन सड़क प्रारम्भ हुई, न कहीं सिक्स लेन सड़क प्रारम्भ हुई, न कहीं गांव की सड़क प्रारम्भ हुई, कहीं सड़क बनी ही नहीं है, पुल कहीं बने ही नहीं हैं, स्कूल कहीं बने ही नहीं हैं, कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं है, इसलिए इनकी गलत नीतियों के कारण गिट्टी, सीमेन्ट, बालू इतना महंगा हो गया है कि कोई ठेकेदार जल्दी काम करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है और अवैध खनन का बड़ा आरोप लगता था, आज जितना इनके संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है, उतना कभी 30 साल में नहीं हुआ होगा। अभी देवरिया में किसान महीनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, कुशीनगर में भी बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध खनन एक उद्योग हो गया है। सरकार से छूट थी कि यदि कोई चाहे बालू अपने काम के लिए ले आयेगा, चाहे अगर घर कोई जा रहा है तो एक व्यक्ति अलग से सुनने वाला है और पुलिस के लोग अलग से सुनने वाले हैं। उस दिन कहा था संसदीय कार्य मंत्री जी ने कि अगर कोई अपने खेत से मिट्टी खोदता है, अपने काम के लिए तो कोई पुलिस वाला उससे पैसा लेता हो तो हमको बताइये, कितना पैसा देते हो, हमको बताइये, कोई ऐसा थाना है आप ही बता दें कि जो मिट्टी खनन के नाम पर, बालू खनन के नाम पर, पेड़ काटने के नाम पर पैसा न लेता हो, एक कोई खड़ा होकर बता दें। हम कितना बतायें लूट मची हुई है, जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, कैसे दूर करेंगे, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार विश्वास के संकट से गुजर रही है। सरकार में विश्वास मंत्रियों में भी आपस में नहीं है। एक मंत्री बनारस की मिट्टी में खुलेआम मन से कहते हैं कि अकेले शिक्षा विभाग में 500 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। एक मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि एनकाउन्टर फर्जी हो रहे हैं। एक मंत्री खुले आम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है। यह मंत्रि मण्डल यह सरकार विकास करने में फेल नौकरी देने में फेल, शिक्षा के क्षेत्र में फेल और भ्रष्टाचार के मामले में आगे। अब हम किसकी गवाही दें क्या मंत्री असत्य बोल रहे हैं। मंत्री अगर असत्य बोल रहे हैं तो आपके मंत्रि मण्डल में हैं कैसे कौन देगा इस बात का जवाब। अगर मंत्री असत्य बोल रहे हैं तो मंत्रि मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी वोट के लिए कुछ भी आप करेंगे माननीय अध्यक्ष जी बहुजन समाज पार्टी ने इनकी सड़ी-गली नीतियों, पक्षपातपूर्ण नीतियों, दलितों की विरोधी नीतियों, मुसलमानों के विरोधी नीतियों, पिछड़ों के विरोधी नीतियों, के कारण इस चुनाव में हमको हल्का सा समर्थन दिया है इनके पेट में दर्द हो गया है। कहा मुख्य मंत्री जी ने कि सांप छछूदर का कैसे मेल हो सकता है। अभी कल ही तो कहा है परसों कहा था कि यह केर-बेर का साथ है हम तो दो दल हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं हमारी पार्टी का सिद्धान्त है बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सिद्धान्त है ''टूटे सजन मनाइए जो टूटे सौ बार''।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है आप मनाइए।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

आप लोग कहिए तो मैं बैठ जाऊं। भाषण न दूं अगर मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो ऐसे ही हम लोग बोलें। क्योंकि उनकी भी बात हम लोगों को बहुत पसन्द नहीं आती है।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ऐसे घच-घच में क्या बोलें। यह जो मछली बाजार है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शांत रहें।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अध्यक्ष जी 44-45 पार्टियों का गठबन्धन इनका पूरे देश में है। आप भी आओ आप भी आओ एक आदमी आपको ललकार रहा है भ्रष्टाचारी कह रहा है आपके सिद्धान्तों को फर्जी बता रहा है खुले आम कह रहा है कि शिक्षा विभाग में पांच हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। खुले आम कह रहा है कि 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। उसमें राम गोबिन्द चौधरी के कहने की क्या जरूरत है। इससे सिद्ध हो गया कि यह सरकार भ्रष्ट से भ्रष्टतम सरकार है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया है। यह सरकार भय का वातावरण पैदा कर रही है फर्जी इनकाउण्टर करके। यह हम ही नहीं कहते हैं सरकार के मंत्री कहते हैं कि यह फर्जी इनकाउण्टर हैं। किसको मारा जा रहा है जो मैं मानता हूं कि 10 वर्ष पहले 20 वर्ष पहले अपराधी था उस समय चोरी डकैती किया होगा जेल से आ गया होगा भगवान से तौबा किया होगा थाने में तो रिकार्ड है ही उसको पकड़ कर इनकाउण्टर कहीं डकैती पड़ने के दौरान कहीं मुठभेड़ हुई है मैं सही मानता कि जब लखनऊ में डकैती हो रही थी तीन घण्टे लगातार और पुलिस थोड़ी दूरी पर थी पुलिस गई भी लेकिन जब तड़तड़ाहट सुनी तो पीछे मुंह करके भाग गई कैसे मैं मानूं कि मुठभेड़ ठीक से हो रही है। इसकी जांच कराइए आपके कैबिनेट मंत्री ने भी सी0बी0आई0 जांच की मांग की है कि फर्जी इनकाउण्टर हो रहे हैं।

इससे कानून-व्यवस्था ठीक नहीं होगी, माननीय मुख्य मंत्री जी। हम आपको एनकाउण्टर का कोई दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये फर्जी एनकाउण्टर का दोष दे रहे हैं। होता है, जब पुलिस को छूट दे दी जाती है खुली तो कुछ भी करती है अपने प्रमोशन के लिए, हम प्रमोशन पा जायेंगे। आपने थोड़ी सी छूट दी और जो नये डीजीपी महोदय आये वो मेरठ की मीटिंग में जा करके बोलते हैं कि जब मुख्य मंत्री जी ने छूट दी है तो टूट पड़ो। किस पर टूट पड़ो ? किस पर टूट पड़ो ? दलित पर टूट पड़ो, पिछड़े पर टूट पड़ो, मुसलमानों पर टूट पड़ो।

डकैती पर तो कहीं आपने उनका नेटवक्र तोड़ा नहीं, बरकरार रहा। डकैती बरकरार है, छिनैती बरकरार है, बलात्कार बरकरार है, चैन की छिनैती बरकरार है, मर्डर बरकरार है। भय है ही नहीं किसी में। माननीय नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जब आपने कर्ज माफी की घोषणा की तो किसान बड़े प्रसन्न हुए। एक वर्ग ऐसा किसान है जो कर्ज को-ऑपोरिटव से लेता है, भूमि विकास बैंक से लेता है। खाद का बीज का, बोरिंग का लेता है, वो बहुत गरीब किसान है। सहकारी समितियों से जिन लोगों ने कर्ज लिया था या भूमि विकास बैंक से उन लोगों ने सोचा कि अब तो मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कर्ज माफी की, उन्होंने कर्ज को चुकता नहीं किया, हमारा माफ हो जायेगा। हुआ नहीं। आपने उधर नहीं देखा। 10.70 प्रतिशत जहां पर ब्याज पर कर्ज दिया गया किसानों को जिसमें 31 मार्च 2017 अदा करने पर 7.70 प्रतिशत ब्याज का भुगतान सरकार को करना था, केवल 3 प्रतिशत किसानों को देना था, परन्तु अदायगी अवधि के बाद कर्ज माफ न होने के कारण इन किसानों से 12.70 प्रतिशत ब्याज वसूला जा रहा है। किसान बहुत त्रस्त है और किसानों को जेल में डाला जा रहा है। आप किसानों के हितैषी हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, किसान से वसूली होती थी। तहसील में एक जेल बनी हुई है उस जेल में डाल दिया जाता था। यह पहली दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ कि किसानों को जेल में भेजा गया, वसूली के नाम पर। किसानों को मुफ्त पानी, बिजली मिलना दूर रहा। माननीय विद्युत मंत्री ने भी कई बार कहा सौभाग्य योजना, लक्ष्मी योजना क्या-क्या ये नाम बनाते हैं ? ट्यूबवेल के बिल कनेक्शन के लिए किसान ने पैसा जमा किया है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। जरा सीतापुर में चैक करवा लीजिए मुख्य मंत्री जी, बगल का जिला है। एक साल आपकी बनी हुई सरकार हो गयी, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। किसानों को जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो उनको पानी कैसे मिलेगा। उनके ट्यूबवेल कैसे चालू होंगे, क्योंकि डीजल तो महंगा हो गया। किसान बिजली का कनेक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन उसको कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मा0 मुख्य मंत्री जी, आपके बार्डर पर नेपाल है। वहां पर डीजल का क्या रेट है और गोरखपुर में डीजल का क्या रेट है, आप पता कर लीजिये। पता करिये, आप जानते ही होंगे। हमको लगता है कि आपके मठ में जितनी भी गैर सरकारी गाड़ियां होंगी उनमें भी नेपाल से ही तेल भरवाया जाता होगा, क्योंकि वहां पर डीजल बहुत सस्ता है। गोरखपुर के बार्डर पर जो पेट्रोल पम्प हैं वह घाटे में चल रहे हैं, क्योंकि जो बार्डर के लोग हैं वह नेपाल से तेल भरवा कर आते हैं। ट्रैक्टर तथा ट्रक वाले भी वहीं से तेल भरवा कर आते हैं। किसान की फसल सूख रही है। धान बिचौलियों ने खरीद लिया, मिलरों ने खरीद लिया। यह हकीकत है, आप पता तो लगाइये। धान के किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य तो मिलना ही चाहिये। आलू किसान बरबाद हो गया, बिल्कुल बरबाद हो गया। अब तो आलू की नई फसल आ गयी है तो अगली बार जब हम यहां पर बैठेंगे तो हम देखेंगे कि आपने आलू किसानों को कितनी राहत दी।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, इस समय 750 से 800 रुपये का रेट चल रहा है और ऐसा हम लोगों के प्रयासों से ही सम्भव हुआ है।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मान्यवर, मा0 मंत्री जी अगर 800 रुपये कह रहे हैं तो यह आलू का रेट घोषित कर दें न।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे मित्र मा0 गन्ना मंत्री जी यहां बैठे हैं। उनको बहुत बधाई कि वह बहुत मेहनत कर रहे हैं। यह कहा गया था कि हम सरकार में आते ही एक महीने के अन्दर, 15 दिन में सम्पूर्ण गन्ना मिलों के बकाये का भुगतान कर देंगे। एक साल से अधिक हो गया, लेकिन वर्ष 2017 का करोड़ों रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान अवशेष है। केवल एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर में ही वर्ष 2016-17 का 327.49 करोड़ रुपये बकाया है। वर्ष 2017-18 में भी 60 से 65 प्रतिशत तक ही गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। वर्ष 2017-18 में एस0बी0ई0सी0 शुगर मिल, मलकपुर ने अब तक 79.89 लाख कुंतल जिसकी कीमत रुपये 230.39 करोड़ रुपये है, का गन्ना क्रय किया है, लेकिन भुगतान केवल 17 करोड़ रुपये का ही हो सका है। को-ऑपरेटिव शुगर मिल, रमाला ने अब तक 21.84 लाख कुंतल, जिसकी कीमत 70 करोड़ रुपये है, का गन्ना क्रय किया, जिसमें मात्र 45 करोड़ रुपये का ही भुगतान हो पाया और 25.15 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी अवशेष है। कोऑपरेटिव शुगर मिल, बागपत ने अब तक 21.26 लाख कुंतल, जिसकी कीमत 68.41 करोड़ रुपये है, का गन्ना क्रय किया, लेकिन भुगतान मात्र 42.71 करोड़ रुपये का ही हुआ और 25.83 करोड़ रुपये का भुगतान अभी भी अवशेष है। इसी तरह से प्रदेश की सभी गन्ना मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपये बकाया है और किसान अगर अपनी समस्याओं के लिए आवाज उठाता है तो लाठी खाता है, क्रिमनल धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। अभी पिछले दिनों ओले पड़े किसानो की फसल बर्बाद हो गयी, किसान रोड पर आ गये पुलिस ने मार के उनके हाथ-पैर तोड़ डाले, ये कहाँ की सरकार है? जो व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आता है कि मुख्य मंत्री जी हमारी यह परेशानी है हमारी परेशानी को दूर कीजिए उसको लाठी मिलती है प्रदर्शनकारियों को लाठी से पीटकर, घायल करके क्रिमनल धाराओं में जेल भेजने का काम हो रहा है। चाहे वह किसान हो, चाहे छात्र हों, चाहे नौजवान हों, चाहे आंगनबाडी कार्यकर्ता हो, चाहे रोजगार सेवक हो, चाहे शिक्षक हों। चिकित्सा की हालत तो भगवान मालिक है।

श्री अध्यक्ष-

अभी कितना बचा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अभी बहुत है अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष-

आपको गोरखपुर भी तो जाना है चुनाव में।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी स्वास्थ्य विभाग की हालत तो भगवान भरोसे है। हमारी सरकार थी हमने दवा फ्री, जांच फ्री, एक्सरे फ्री, अल्ट्रासाउण्ड फ्री, हर तरह की जांच फ्री, 108 से मरीजो को ढोने का काम, 102 से गर्भवती महिलाओं को ढोने का काम किया जा रहा था। मेडिकल स्तर पर हमने गरीब लोगों की किडनी का डायलिसिस कराने की तैयारी की थी। इस सरकार में हॉस्पिटल मे तो दवा ही नहीं मिल रही है मरीजों को। भेलवा में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ लेकिन मेरे पास तीन ऐसे उदाहरण हैं मंत्री जी कि बेड न खाली होने के कारण हमारे जिले के तीन-तीन मरीज दम तोड़ कर मर गये। जब बेड ही खाली नहीं थे तो कहां बचते, नहीं हैं बेड तो उसकी व्यवस्था करिये। पी0जी0आई में बहुत बड़ी भीड़ है। पी0जी0आई0 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, नेपाल हर जगह से मरीज आते हैं पर व्यवस्था कोई नहीं है। कहते हैं रोबोट से सर्जरी होगी। दवा फ्री में आई नहीं, जांच फ्री में आई नहीं हम रोबोट से सर्जरी करायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारों को बहुत सपने दिखायें हैं। मुख्य मंत्री जी भाषण देते हैं तैयार रहो दो लाख लोगों को नौकरी देंगे, बेरोजगार समझते हैं कि बाप रे बाप हम सब तो धनी ही हो गये हैं सब लोगों को नौकरी मिल जायेगी। केवल लॉलीपॉप। आज तक इस सरकार ने एक भी नौकरी नहीं दी। भय का वातावरण बना हुआ है मा0 अध्यक्ष जी मैं खतम करने जा रहा हूँ चूँकि मुख्य मंत्री जी को कहीं जाना है। भय का वातावरण बना हुआ है, भू माफिया और एन्काउन्टर से वातावरण भयंकर बना हुआ है कोई व्यक्ति अपनी फरियाद करने आया हो उस पर लाठी चलायी जाती है। कोई बड़ा बिल्डर आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ और एक आदेश गया है गांव में कि लेखपाल घूम रहे हैं। लोग घर बना करके सौ बरस, डेढ सौ बरस, पचास बरस, तीस बरस पहले से बसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि परती भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, सरकारी भूमि है। इस भूमि को खाली करो। आतंक फैल गया है गाँवों में। यह सरकार भय मुक्त समाज नहीं कर रही है आतंकयुक्त कर रही है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ने आखिर स्वीकार कर ही लिया कि सरकार आतंक से मुक्ति दिला रही है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय शाही जी आपने सुना नहीं, यदि आप सुनते तो अभिभाषण में त्रुटि क्यों होती। आप पढ़ते-लिखते तो। आप तो देश और दुनिया के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से पढ़े हैं। हम और आप साथी हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शाही जी ने टोक दिया, नहीं तो माननीय नेता प्रतिपक्ष भाषण समाप्त करने जा रहे थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, गांवो में भय फैला हुआ है। यह सरकार आतंकवादी जैसा आचरण कर रही है, चारो तरफ दहशत पैदा है। अभी हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षा हुई, कोई नकल के पक्ष में नहीं है, लेकिन दहशतगर्दों की इस सरकार ने इतनी दहशत पैदा कर दी कि अगर किसी छात्र ने बगल में देखा या इधर-उधर झांका तो एन0एस0ए0, कोई ऐसे मुड़कर देखेगा तो गुण्डा एक्ट, सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ है गोली मार दी जायेगी। आतंकित हो गये छात्र कि अरे यह कैसी सरकार आ गई है। अगर हम लिख रहे हैं और हमने इधर-उधर सिर हिला दिया तो कहीं ऐसा ना हो जाये कि सरकार हमको एन0एस0ए0 में बंद कर दे, ऐसे में हमारी जिंदगी चौपट हो जायेगी। अगर सामने की तरफ सिर उठ गया तो गुण्डा एक्ट लगा देगी। हमारा कैरेक्टर खराब हो जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, इनके आतंक के कारण लाखों छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है। यह छाती पीट रहे हैं कि हमने परीक्षा छुड़वा दी है। यह इसलिये क्योंकि इनको नौकरी नहीं देनी है। आतंक पैदा करके परीक्षा छुड़वा दिया ताकि नौकरी मांगने के लिए लोग इनके पास न आ पाये। जो बच्चे पढ़कर पास हो जाते ऐसे बच्चों ने इसलिये परीक्षा नहीं दी क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब हमको पकौड़े बेंचना है तो आपकी डिग्री का क्या फायदा। आधे बच्चो ने आतंक में परीक्षा को छोड़ा यह भी इनका रिकार्ड है। यह पहली दफे हुआ है कि इतना आतंक पैदा कर दिया जाये कि लोग परीक्षा छोड़ दे, डिग्री न ले सके और जब डिग्री नहीं होगी तो तुम नौकरी कैसे मांगने आओगे। गांवो में लोग रोज हमसे कहते हैं कि हमारा घर उजाड़ने की नोटिस आई है। हमने इतनी जमीन खाली करा ली है। आप क्या जमीन खायेंगे। यह जमीन है किसके लिये। गांवो में लोगो ने गरीबों को बसाया, जो जमींदार थे उन्होंने बसा दिया जिनके पास कुछ खेत थे उन्होंने बसा दिया, प्रधान ने पट्टा देकर बसा दिया, हमारे बुजुर्गों ने अपने खेतो में बसा दिया। आज यह हो रहा है कि लेखपाल कहीं ग्राम सभा की बंजर जमीन निकाल दे रहा है, तो कहीं गड़ही की जमीन निकल आ रही है, आप उनको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गांव-गांव में बुलडोजर घूम रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है। यह गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, रोजगार नहीं दे पा रही है। यह सरकार हर स्तर पर फेल हो

चुकी है इसलिये राज्यपाल जी का अभिभाषण मिथ्या वचन है। यह भाजपा सरकार के मिथ्या वचनों का बखान मात्र है। इसलिये इस अभिभाषण की पुस्तिका का नाम मिथ्या प्रवचन पुस्तिका होना चाहिये। चूंकि सरकार हर स्तर पर फेल, विकास अवरूद्ध, किसान बर्बाद, बेरोजगार बर्बाद, छात्र बर्बाद जो सौ वर्ष से गांववाले बसे हुये हैं वह बर्बाद। यह सरकार जन विरोधी है इसलिये मैं माननीय राज्यपाल के इस अभिभाषण का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ, कि आपने आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए मुझे अवसर दिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने सत्र के शुरू में जो अभिभाषण यहां प्रस्तुत किया था उस अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में माननीय सदस्य श्री मनीष असीजा जी ने यहां प्रस्तुत किया था और मुझे प्रसन्नता है कि सत्तापक्ष से जुड़े हुए 22 सदस्यों ने और नेता प्रतिपक्ष समेत प्रतिपक्ष के 15 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। महोदय, श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का एक दस्तावेज माना जाता है और यह माना जाता है कि सदन में सभी पक्षों के लोग राज्यपाल जी के संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अभिभाषण का समर्थन करेंगे और फिर उसके बाद उस व्यवस्था के अनुरूप चर्चा में भाग लेकर अपना संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था और राज्यपाल जैसी संवैधानिक व्यवस्था के प्रति जिस प्रकार की टिप्पणियाँ की गई, वह संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ लक्षण नही है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। लोकतंत्र जबरन नहीं चल सकता है। लेकिन लोकतांत्रिक परम्परा पर विश्वास न रखते हुए अपने आचरण और अपने व्यवहार के अनुरूप जिस प्रकार से मुख्य प्रतिपक्षी दल ने कागज के गोले राज्यपाल महोदय के ऊपर फेंके थे जिस प्रकार की उच्च श्रृंखलता, उदण्डता और असंसदीय, अशिष्ट आचरण इस सदन में किया था अत्यंत अशोभनीय और निंदनीय थी। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। लोकतंत्र को कमजोर करने और उन राजनीतिक दलों के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है जो लोकतंत्र का ढोंग तो करते हैं लेकिन लोकतंत्र की आड़ में किस प्रकार की व्यवस्था को संचालित करना चाहते हैं, कर रहे हैं, यह उसका एक प्रदर्शन भी यहां देखने को मिला था पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा था क्योंकि उत्तर प्रदेश के इस सदन में होने वाली हर गतिविधि पर देश की निगाहें होती हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य और इस सबसे बड़े राज्य में यहां का विधान मण्डल किस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है इसके बारे में वह जानना चाहता है सीखना चाहता है। लेकिन जो बातें और जिन मुद्दों को मैं यहां पर नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुन रहा था और मुझे तो लगा कि जब वह एक रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे थे आज भी मुझे लगा कि कहीं वह बेहोश न हो जाये। पिछले दिनों हमें उनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता हुई थी क्योंकि एक झूठ को सौ बार बोलने से वह सत्य नही हो जाता है असत्य, असत्य ही है। स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति

बार-बार उस असत्य का वाचन करेगा तो उसके रियेक्शन होंगे और रियेक्शन 16 फरवरी को भी यहां देखने को मिला था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

कुछ मा0 सदस्यों ने इस बात को कहा है कि उसको पढ़ा मान लिया जाये, पटल में उसको रख दें। खैर उन्होंने उसका पूरा वाचन किया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं आधा छोड़ दिया है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

वह ठीक है। लेकिन एक वर्ष इस सरकार को होने जा रहा है। 19 मार्च को हमारी सरकार एक वर्ष का अपना सफलतम कार्यकाल सम्पन्न कर लेगी। एक वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर क्या हुआ है। प्रदेश का वातावरण कैसे बदला है। प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में कितनी सफलता प्राप्त हुयी है। 21-22 फरवरी को यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट ने वह साबित करके दिखाया है। उसके लिए प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। वह प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने हुआ है। उसके बारे में हमें बहुत अलग से कोई तथ्य जुटाने नहीं हैं। क्योंकि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसको देखा है और मुझे लगता है कि जब मैं नेता प्रतिपक्ष के उद्बोधन को यहां सुन रहा था, लगता है सच्चाई को स्वीकार न करने की इन्होंने कसम खाई है कि हम सच स्वीकार नहीं करेंगे। या कभी-कभी प्रवृत्ति होती है। महोदय, आप इस सदन के संरक्षक हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय परम्परा के मर्मज्ञ हैं। आपको याद होगा कि महाभारत के एक पात्र ने एक बात कही थी उन्होंने कहा था कि-**'जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति जाँनाति अधर्म न च मे निवृत्तिः'** और मुझे लगता है कि यही चीज आज हमारे विपक्ष के बंधुओं के साथ भी अक्षरशः घटित हो रहा है। वह जान रहे हैं कि प्रदेश में अच्छा हो रहा है लेकिन चूंकि अच्छे को स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए वह अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे और बुरे से वह मुक्त नहीं होना चाहते क्योंकि वह आज भी उस बुराई से निवृत्त नहीं होना चाहते। यह स्थिति है। व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति बन जाती है उसके अनुसार वह आचरण करता है। उसके अनुरूप वह देखना चाहता है। उसके अनुरूप करना चाहता है और यही चाहता है कि अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करें। अगर प्रदेश में किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में समाजवादी पार्टी की सरकार ने या बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कुछ किया होता तो उन लोगों को वहां पर क्यों बैठना पड़ता। वह वहां पर इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जो कहा था उसके अनुरूप आचरण नहीं किया है। प्रदेश को बॉटा, प्रदेश की राजनीति को परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद के संकीर्ण दायरों में रखकर प्रदेश को अराजकता की भट्टी में ढकेला। दंगों की आग में झुलसाने का कार्य किया। इनकी नीतियां इनके कार्यक्रम प्रदेश के विकास को लेकर नहीं थे। गांवों के विकास को लेकर नहीं थे, किसानों के विकास को लेकर

नहीं थे। नौजवानों के भविष्य को लेकर नहीं थे। प्रदेश के अंदर समग्र विकास हो इसको लेकर नहीं था। इनके कार्यक्रम विभाजन के थे। विभाजित करने की कुत्सित मंशा के तहत इन्होंने जो अभियान प्रारम्भ किया था। आज कोई सोचता था कि यह लोग जिस स्थिति में आये हैं। भगवान सदबुद्धि दे। वहां तक बने रहें और नहीं तो मैं कह सकता हूँ महोदय कि अगले चुनाव आते-आते वहां भी आने की स्थिति नहीं रहेगी यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मान्यवर, हमें अतीत से सीखना होगा और अतीत के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा ले कर के अतीत की उन बुराइयों का समय रहते परिमार्जन करना हमारी सरकार यही कार्य कर रही है। जहां अच्छा हुआ है उसको प्रोत्साहित करना। उसको संरक्षित करना। जहां गलत हुआ है उसका परिमार्जन करना, उसमें सुधार करना और यह पहली बार हो रहा है जब प्रदेश के अंदर शासन की नीतियों का आधार व्यक्ति, परिवार या जाति नहीं है। कोई मजहब नहीं है। प्रदेश में गांव हैं, किसान है, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, गरीब हैं, इस देश का दलित और वंचित तबका है जो आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा का शिकार बना रहा है। मान्यवर, लगातार जिसकी उपेक्षा हुई है उसके बारे में नारे तो दिये गये, लेकिन उनके हितों को कभी संरक्षित करने का प्रयास नहीं हुआ है। हमारी सरकार के पूरे के पूरे प्रयास प्रदेश की 22 करोड़ जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए है। उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए है। प्रदेश के गांवों के विकास को ले करके है। प्रदेश के किसानों की आय को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनुरूप उनकी आय को दोगुना करके उनके जीवन में खुशहाली लाने को ले करके है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करके उनके सशक्तिकरण को ले करके है। इस देश के प्रदेश के गरीबों को, वंचितों को, समाज के उस प्रत्येक तबके के हितों को संरक्षित करने के लिए है और प्रदेश के 22 करोड़ जनता की सुरक्षा को ले करके है। मान्यवर, इन्हीं भावों को ले करके यह सरकार चल रही है और उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मान्यवर, मुझे आश्चर्य होता है कि एक भी तथ्य नेता प्रतिपक्ष यहां पर नहीं रख पाये हैं और उनके पास कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं हैं तथा आंकड़े नहीं हैं जिनकी वह पुष्टि कर सकें। मान्यवर, आधे घंटे की जो बात पिछली 16 फरवरी को और आज अपने लगभग डेढ़-पौने दो घंटे के उद्भोदन में इस सम्मानित सदन में जो रखा है उसमें कुछ भी नयापन नहीं था। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में लोग कह सकें। मुझे लगता है कि आज नेता सदन में सत्ता पक्ष फिर भी बैठे थे, लेकिन आपके पीछे के सभी लोग खाली करके चले गये। आपके अभिभाषण में कितनी गंभीरता थी ? आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके पीछे की सारी बैंचस खाली हो गयी थीं। मान्यवर, यह इस बात को साबित करता है कि जब हम बिना तथ्यों के बोलेंगे और सदन को सड़क का चौराहा बनाने का प्रयास करेंगे तो वह प्रभावशाली नहीं हो सकता है। दुर्भाग्य से यह करने का प्रयास हो रहा है और यह करने का प्रयास हुआ है। 24 जनवरी सन् 1950 को प्रदेश के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पहली बार

अपना स्थापना दिवस आधिकारिक रूप से सरकारी स्तर पर मनाया गया (सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) और केवल एक आयोजन को मनाने की औपचारिकता हम लोगों ने पूरी नहीं की, यह आयोजन स्मरणीय बने और यह आयोजन उ0प्र0 के लिए कैसे प्रेरणादायी बन सकता है ? इस दृष्टि से हम लोगों ने उ0प्र0 के अंदर एक नयी योजना भी लागू की ''वन डिस्ट्रिक वन प्रोडेक्ट की''।

उ0प्र0 के परम्परागत उत्पाद को, उ0प्र0 के हस्तशिल्प को एक नयी पहचान देने, उसकी मैपिंग, उसकी मार्केटिंग, उसकी डिजाइनिंग उसमें नई तकनीक आए इन सब बातों को ले करके और फिर उसकी ब्रांडिंग हो। उत्तर प्रदेश के अन्दर केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ढेर सारी ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जिन योजनाओं की अगर हम उत्तर प्रदेश की 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' की इन योजनाओं के साथ जोड़ दें तो हम लोग लाखों युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ सकते हैं और एक व्यवस्था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के साथ, प्रधानमंत्री स्टैण्डअप योजना के साथ, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के साथ, डिजिटल इण्डिया के साथ, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के साथ, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ढेर सारी जो देश के अन्दर गरीब कल्याण की योजनाएं लागू की गयी हैं, इन योजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के 'वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट' की इस योजना को जोड़ते हुए हम लोगों ने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर इस विशिष्ट योजना को भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया है। इस पर कार्य योजना प्रारंभ हुई है। एक नई कार्य योजना के साथ कार्य होना प्रारंभ हुआ है। इसे कौन नहीं जानता, यह पहले से है। विकास के लिए जो आधारभूत कलस्टर होने चाहिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए उसकी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में पहले से थीं लेकिन जब फुर्सत होती तो। यहां तो परिवार से फुर्सत नहीं थी, एक परिवार के विकास से फुर्सत नहीं थी, तुष्टीकरण से फुर्सत नहीं थी, भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं थी, गुण्डाराज-अराजकता से फुर्सत नहीं थी। प्रदेश के अंदर भय का माहौल पैदा करने, लूट-घसोट का एक नया इतिहास रचने से फुर्सत नहीं थी। उस परंपरागत उद्यम के बारे में कैसे ये लोग सोच सकते थे ? मुरादाबाद का पीतल का उद्यम, अलीगढ़ का ताला-हार्डवेयर का उद्यम, फिरोजाबाद के कांच का उद्यम, लखनऊ में चिकन की कारीगरी या प्रदेश के अंदर अलग-अलग जनपदों में जो अलग-अलग प्रकार के उत्पाद थे उनको बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम होने चाहिए थे पिछली सरकारों ने उसकी उपेक्षा की। रोजगार सृजन के लिए छोटी पूंजी पर बेहतर तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते थे हमारी सरकार ने उसको हाथों-हाथ लिया क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जिस लोककल्याणकारी संकल्प-पत्र को आप पढ़ रहे थे, आप पूरा पढ़ नहीं पाए थे। हमारे एक सदस्य ने आपको टोका भी कि जब आप किसानों की बात कर रहे थे तो कहा पूरा पढ़िए। आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप पूरा पढ़ पाते। उस लोककल्याणकारी संकल्प-पत्र में भी हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था कि उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को हम बढ़ावा देंगे, उसको प्रोत्साहित करने का हम लोगों ने काम भी किया। (माननीय

सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई) उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर आजादी की लड़ाई में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में एक उद्घोष इसी लखनऊ में दिया था- 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है हम इसे लेकर के रहेंगे'। जिसने इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया था पिछली सरकारें नहीं मना पायीं, क्योंकि राष्ट्र-गौरव से इन्हें कोई मतलब नहीं था और जाने-अनजाने में कभी भी उस प्रकार की कुत्सित भावनाएं सामने आ ही जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आज कहा ही किस प्रकार के शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे कि देश टूटने की ओर अग्रसर है। आश्चर्य होता है मुझे संविधान की शपथ खाने वाला एक व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता हो, राष्ट्र-तोड़क सोच रखता हो। महोदय, यह बहुत निंदनीय है, यह नहीं स्वीकार किया जा सकता है। आज भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत दुनिया के अंदर एक नई ताकत के रूप में उभरा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं तो पूरी दुनिया उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती है यह उभरता हुआ भारत है, यह भारत की ताकत है और उस भारत के बारे में अगर हम इस तोड़क शब्द की बात करते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए, भारत तो नहीं टूटेगा, लेकिन भारत को तोड़ने वालों को तोड़ जरूर देंगे। (सत्तापक्ष की तरफ से मेंजे थपथपाई गईं) भारत अखण्ड है और भारत अखण्ड रहेगा। (सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने भारत माता की जै के नारे लगाये) अगर समाजवादी पार्टी यह सोचती है तो अपनी इस विघटनकारी प्रवृत्ति को, मैं अनुरोध करूंगा, अपील भी करूंगा, अपने पास तक सीमित रखिए, अपनी पार्टी तक सीमित रखिए, उसको प्रदेश में फैलने न दीजिए, प्रदेश में अगर फैलाने का कोई प्रयास करेगा तो फिर हम लोग सख्ती के साथ निपटने का कार्य भी करेंगे। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति से। हम लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

समाजवादियों ने इस देश को आजाद कराया है, समाजवादियों ने इस देश को आजाद कराया है। आजादी के खिलाफ रहने वाले लोग यह बात नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष महोदय, यह उचित नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

समाजवादियों ने इस देश को आजाद कराया है, देश को तोड़ने वाले ये लोग हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, यह गलत परम्परा है, माननीय नेता सदन बैठे नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह ठीक नहीं है, आप कृपया बैठें। माननीय नेता सदन तो भाषण कर रहे थे, आप भी भाषण कर रहे थे, आपके भाषण पर तो वह नहीं बोले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नेता सदन बैठे नहीं हैं, मान्यवर, यह परम्परा ठीक नहीं है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ठीक है, मैं बैठ जाता हूं, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ था तो नेता सदन को बैठ जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

क्यों बैठ जायें ? वह तो बोल रहे थे, यह परिपाटी नहीं रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह परम्परा नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

समाजवादियों ने देश को आजाद कराया है।

(सत्तापक्ष के कई सदस्य बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री योगी आदित्यनाथ-

नेता प्रतिपक्ष, मैं अपील करूंगा, सुनने की भी आदत थोड़ा डालिए, आपने जो कहा मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं मैंने दूसरी कही और आप दूसरी कह रहे हैं।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश को तोड़ने का काम करती है और मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। आपको सुनने की भी आदत डालनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष-

वह उत्तर दे रहे थे, यह जरूरी नहीं कि आपकी बात उनको प्रिय लगे और उनकी बात आपको प्रिय लगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस भाषा का प्रयोग इस सदन में किया गया, वह ठीक नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने देश को आजाद कराया है ? [xxx] (कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर कुछ स्पष्ट सुनायी नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिए, उत्तर देने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठिए। देखिए, जब डेढ़, पौने दो घण्टा आपने अपने विषय को रखा, अनेक को अप्रिय लगा, अनेक को प्रिय लगा, ऐसा स्वाभाविक तौर पर लोकतंत्र में होता है। आपने अगर कोई बात कही तो आवश्यक नहीं कि उनको प्रिय हो और इनके पक्ष की बात आपको प्रिय हो, लेकिन धैर्य से आपको सुना गया, अब नेता सदन बोल रहे हैं, धैर्य से उनको सुनिए, मेरा ख्याल है कि कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नहीं अध्यक्ष जी, हमारी बात को धैर्य से नहीं सुना गया। दो-दो बार संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए। (श्री राम गोविन्द चौधरी के लगातार बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

लेकिन नेता सदन ने आपको नहीं टोका। अब आप बैठिए, अब आप बाधा न डालिए, यह शोभनीय नहीं है। आप बैठिए, यह शोभा नहीं देता, यह सदन के लिए शोभनीय नहीं है और न आपके लिए शोभनीय है। पीछे से भी आप लोग शान्त रहें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

अध्यक्ष जी, अगर हम बोलते हैं तो हमें सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी।

संसदीय मर्यादाओं का पालन तो सबको करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इनके मुंह में आ जाये वो ये लोग बक दें और जब सुनने की बात आये तो उस समय ये लोग मर्यादा की दुहाई देने लग जायें और फिर हम लोग यहां पर प्रदेश के विकास के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी, भारतीय जनता पार्टी आज पूर्वोत्तर के राज्यों में भी सरकार बना रही है। त्रिपुरा में हाई मैजोरटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नागालैण्ड में भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार बन रही है और मेघालय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप किसकी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज देश के अन्दर राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय अखण्डता और विकास का

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पर्याय बनी है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी बनी है। अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपनी विचार धारा के बल पर, अपने मूल्यों और सिद्धांतों के बल पर, विकास और सुशासन के दम पर। हमने परिवारवाद नहीं फैलाया, हमने जातिवाद नहीं फैलाया, हमने मत और मजहब के आधार पर समाज को नहीं बाँटा। नागालैण्ड के अन्दर 95 फीसदी आबादी ईसाई मतावलम्बी है तब भी भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार वहां बन रही है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी गठबन्धन की सरकार बन रही है।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' जी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

आपका तो खाता भी नहीं खुला है। वे हमें सिखा रहे हैं कि कितनी सीटें पाईं हैं जिनका खाता तक नहीं खुला है। बोहनी तक नहीं निकली है। इसीलिए कह रहा हूँ कि सुनने की आदत डालिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन के भाषण में टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। आप अपने दल के नेता हैं तो कम से कम आप तो न टिप्पणी करें।

श्री योगी आदित्यनाथ-

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, मुसलमान विरोधी है। महोदय मैं जानना चाहता हूं कि 2016-17 में इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास नहीं दिया गरीबों को। आवास योजना जिसमें एक लाख बीस हजार रुपये प्रत्येक लाभार्थी को मिलना था वह गरीब था, दलित था, पिछड़ा ही था जिसको यह पैसा मिलना था, एक भी मकान नहीं दिया और इन पांच साल में ये जितने आवास नहीं बना पाये मात्र 11 महीने हमें हुए हैं, 11 महीने में ग्रामीण क्षेत्र में आठ लाख पिच्चासी हजार आवास हम लोगों ने गरीबों को दिये हैं और लगभग ढ़ाई लाख से ऊपर मकान हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में लाभार्थियों को दिये हैं। यह गरीब ही हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं ये वहीं लोग हैं जिनके नाम पर राजनीति तो होती थी लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया गया। इनको परेशानी है कि योजना क्यों चल रही है ? 65 लाख दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, वंचितों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन दिये गये। 50 हजार से अधिक मजरों में जहां पर 15 वर्षों में आप लोग विद्युतीकरण नहीं पहुंचा पाये थे 11 महीनों के दौरान हम लोग बिजली पहुंचाये हैं और 25 लाख से अधिक गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये। ये लोग वसूली करते थे, 15 हजार 20 हजार किसी गरीब को कनेक्शन नहीं मिल पाता था। हम लोगों ने कैम्प लगाकर दिये। शासन की पारदर्शी व्यवस्था होती है, जब कैंप लगाकर आप सर्टिफिकेट बांटते हैं, वो सर्टिफिकेट अपने घर में लगाएगा, और कह सकता है कि हॉ मेरे पास भी अपना विद्युत कनेक्शन, इस बार विद्युत के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे और उसके घर में लाइट जल रही थी। इनका समाजवाद आचार्य

रजनीश ने बहुत अच्छी बात कही थी और बात कही थी इन्होंने कि समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है, बुद्धिजीवियों को बेवकूफ बनाता है केवल नेताओं को शक्तिशाली बनाता है। ये समाजवादी हैं व्हाइट हाउस में रहते हैं। सुरेंद्रनाथ सिंह हमारे ये लोग बात करेंगे समाजवाद की और मैं बार-बार कहता हूं इस बात को सबसे ज्यादा समाजवाद के नाम पर किसी की आत्मा आहत हो रही होगी, डॉ राम मनोहर लोहिया की आत्मा आहत हो रही होगी। इन्होंने कहा था राजनीति में सम्पत्ति और संतति से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए, इन समाजवादियों ने क्या व्यवस्था बनाकर रख दिया है।

कम से कम एक बार सोचना चाहिए आत्म मंथन करना चाहिए। ये लोग बात करेंगे इस पर और उन्होंने ये भी बात कही कि आज के युग का सबसे बडा अंधविश्वास है समाजवाद इसलिए मैं महोदय, कहना चाहता हूं कि जो लगभग 34 लाख गरीबों को शौचालय उपलब्ध करवाए गए हैं इन 11 महीनों के दौरान। प्रदेश के अंदर ये लोग किस प्रकार की समाजवाद की बात करते थे। बिजली आएगी चार जिलों में बाकी कब तक और जिले इससे वंचित रहेंगे नहीं आती थी, बिजली नहीं मिलती थी और इस दोनों के समय में मेरे मुंह से कभी-कभी निकल जाता था बहुजन समाज पार्टी तो आज बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई है। बहुजन का समाजवादी में या समाजवादी का बहुजन में कौन किसके साथ मर्ज हुआ है ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये लोग भी न्याय नहीं कर पाए थे, लेकिन हॉ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के दिन पूरे प्रदेश के अंदर एक समान विद्युत वितरण की व्यवस्था किसी ने की तो वह हमारी सरकार ने किया। 14 अप्रैल, 2017 को हर जिला मुख्यालय को चाहे वह जिला मुख्यालय मेरा हो या फिर नेता प्रतिपक्ष का हो नेता बहुजन समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। 24 घंटे बिजली मुख्यालयों पर 20 घंटे तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड को 18 घंटे की विद्युत व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में हमारी सरकार ने किया है, इन लोगों ने नहीं किया है। हम लोगों ने समाज को नहीं बांटा हमने तो वास्तव में उनका हक दिया है कोई कृपा हमारी सरकार ने नहीं किया है। ये हमारी सरकार की ड्यूटी है तो जनता के सामने हम लोगों ने इस बारे में उनके सामने इस प्रकार के वायदे उनके सामने किए थे। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। हम किसी पर कृपा नहीं कर रहे हैं। जनता के साथ किस प्रकार व्यवहार ये लोग करते थे। जनता को जर्नादन हम लोग मानते हैं और इसलिए उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार की सरकारें ये लोग चलाते थे ? किस प्रकार की अराजकता का दृश्य था पूरे प्रदेश के अंदर सारे प्रदेश के अंदर माहौल खराब हो गया है, क्या माहौल खराब हुआ है ? आज 11 महीने में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और होगा भी नहीं कोई दंगा नहीं हो सकता। एक साल होने जा रहे हैं सारे पर्व और त्यौहार खुशियों के होते हैं, लोग एक-दूसरे के साथ खुशी बांटते हैं, लेकिन इन लोगों की सरकार रही हो उनकी सरकार रही हो। पर्व और त्यौहार आता था लोग सशंकित होते थे पता नहीं क्या हो, पता नहीं क्या हो जाए ? हम लोगों ने कहा पर्व और त्यौहार कोई भी हो मनाओ खुशी से मनाओ। इस बार होली और जुमा एक

दिन था। लोग कहते थे कैसे होगा। हमने कहा जैसे अन्य पर्व-त्यौहार हुए वैसे ही होली भी होगी। हम लोगों ने कहा कि जुमा साल में बावन दिन मनाया जाता है उसका टाइम दो घण्टे आगे कर दो, होली मनाने दो। मैं धन्यवाद दूँगा उन मुस्लिम मौलवियों और धर्म गुरुओं को जिन्होंने सदाशयता का परिचय दे करके नमाज के समय को बढ़ाया। यह पहल इनके समय में भी हो सकती थी। पूरे प्रदेश के अन्दर किसी पर्व और त्यौहार के समय में अगर न्यूनतम उपद्रव हुआ है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, हमारी सरकार के समय में हुआ। आप एकदम जीरो कह सकते हैं। सामान्यतया होली का पर्व है तो होली में थोड़ी इस प्रकार की स्थिति होती है लेकिन इस बार अन्य प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई दंगा नहीं। प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार का एक माहौल है, मुझे लगता है कि उसके लिए आप लोगों से हमें सीखना नहीं है। हमें आप लोगों से सीखने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि जनता उसका जवाब 2014 में भी दे चुकी है, 2017 में भी दे चुकी है। उसके लिए उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट सबसे बड़ा प्रमाण है जब देश के चोटी के उद्योगपति लखनऊ में आकर इस बात की घोषणा करते हैं कि हम यू0पी0 में क्यों आना चाहते हैं ? पहली बार हो रहा है उत्तर प्रदेश में कि 1074 से अधिक एम0ओ0यू0 साइन होते हैं और वह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रु0 4 लाख 67 हजार करोड़ से ऊपर के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। क्या बात करते हैं आप, आप दोनों की सरकारों को अगर मिला दिया जाए तब भी कभी इतना नहीं हुआ है, पिछले 15 वर्षों में नहीं हुआ है, जो हम लोगों ने एक साल में करके दिखाया है। मैं अयोध्या गया था, हमें गर्व की अनुभूति है कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। आप लोगों ने तो कृष्ण जन्माष्टमी तक को थानों और पुलिस लाइनों में मनाना बन्द करवा दिया था, 2007 से बन्द करवा दिया था। हम लोगों ने चालू करवाया है। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने चालू करवाया। सभी पुलिस लाइनों में, सभी पुलिस थानों में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना चाहिए। हम लोगों ने प्रारम्भ करवाया है। मैं मथुरा भी गया था, होली में बरसाना गया था। बरसाना में जा करके हम लोगों ने होली के उत्सव की ब्राण्डिंग की। मैं चित्रकूट भी गया था। हां, मुझसे एक पत्रकार ने पूछा था कि आप दीपोत्सव अयोध्या में मना रहे हैं, होली यहां मना रहे हैं तो ईद कहां मनाएंगे ? मैंने कहा कि मैं ईद नहीं मनाता हूं। मैं हिन्दू हूं, मुझे गौरव की अनुभूति होती है अपनी परम्परा पर, अपनी संस्कृति पर और मैं ईद नहीं मनाता लेकिन हां, यदि शान्तिपूर्ण ढंग से कोई ईद मनाएगा तो सरकार उसमें सहयोग करेगी, सुरक्षा देगी। यह क्या मतलब है कि अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जनेऊ लगाएंगे और बाद में जब बाहर जाएंगे तो फिर टोपी लगाकर घुटने टेकने लग जाएंगे। यह ढोंग और पाखण्ड है। यह ढोंग और पाखण्ड भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। हम लोग यह पाखण्ड नहीं कर सकते। जो अन्दर है वही बाहर है। यह कौन सा तरीका है। हिन्दू होने पर गर्व की अनुभूति होना कोई बुरी बात नहीं है। हमें भारत की परम्परा पर, भारत की विरासत पर गर्व की अनुभूति है। हमने केवल तीर्थाटन ही नहीं, तीर्थाटन के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के

लिए भी इसका उपयोग किया है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध है। हमारी सरकार इस बात को मानती है। हमारे पास पर्यटन की ढेर सारी सम्भावनाएं हैं, स्प्रिचुअल टूरिज्म की भी हैं। काशी हमारे पास है, दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है। कौन है जो काशी पर गौरव की अनुभूति नहीं कर सकता। अयोध्या पर कौन गौरव की अनुभूति नहीं कर सकता। आप तो अयोध्या को बिजली नहीं देते थे। सारी सुविधाएं अयोध्या की काट दी थीं। काशी में जितनी विकास की योजनाएं आती थीं, ये लोग काम नहीं करने देते थे काशी में। मथुरा में विकास की योजनाओं को इन्होंने अवरुद्ध कर दिया था। विकास की योजनाओं को अवरुद्ध करते थे। अयोध्या में रामलीला की परम्परा बंद करवा दिये थे चित्रकूट में कीर्तन की परम्परा बंद करवा दिये थे। हम स्प्रिचुअल टूरिज्म को भी विकसित करना चाहते हैं क्योंकि देश के अंदर तीर्थाटन और पर्यटन की ढ़ेर सारी संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं और मेरा मानना है कि जितना तीर्थाटन आज के समय में होता है जितना पर्यटन की आज के समय में उत्तर प्रदेश के अंदर संभावनाएं हैं पर्यटक आ सकते हैं इसमें 10 गुना वृद्धि की जा सकती है और वह केवल स्प्रिचुअल टूरिज्म में ही नहीं इको टूरिज्म में भी संभवनाएं हैं, हेरिटेज टूरिज्म के लिए भी उत्तर प्रदेश बहुत समृद्ध है।

इसलिए मैं जाता हूं मैं तो आगरा भी गया था आपको तब भी बुरा लगा था कि मैं ताजमहल में क्यों चला गया क्योंकि वह आप लोगों के लिए है आप लोग यह मानते थे कि आपका पेटेन्ट है लेकिन हम लोग गए थे क्योंकि 40 से 50 हजार की संख्या में पर्यटक उत्तर प्रदेश आगरा में आता है वह भी प्रतिदिन आता है उसकी सुरक्षा, उसकी सुविधा और पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित करने के लिए और क्या योजनाएं हो सकती थीं। रबर डैम का प्रस्ताव आप लोगों ने रोक दिया था। हम लोग उसको प्रारम्भ करने जा रहे हैं। ढ़ेर सारी योजनाएं ऐसी हैं जो आप लोग अवरूद्ध किये थे क्योंकि लेन-देन नहीं हो पाया था, भ्रष्ट कौन है इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके यहां गोटी नहीं बैठी, सौदेबाजी पूरी नहीं हुई तो आप लोगों ने प्रदेश में निवेश के द्वार ही बंद कर दिये। हम लोगों ने कहा किसी टेबिल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऑन लाइन आप कर दीजिए सारी व्यवस्था को ऑन लाइन करने जा रहे है, कोई निवेशक आएगा, कोई पर्यटक आएगा। एक जगह क्लिक करेगा तो सारी सुविधायें उसको अपने आप मिलती हुई दिखायी देंगी। जीवन की पारदर्शिता जहां पर होगी वहां पर कोई ऊँगली नहीं उठा सकता है कोई नहीं बोल सकता है और इसीलिए हम लोगों ने उस पर्यटन के विकास की संभावनाओं को आगे किया है। दुधवा नेशनल पार्क में इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं गया था। हमारे वन और पर्यावरण मंत्री और उनके सभी विभाग के अधिकारीगण वहां गये थे। कितनी व्यापक संभावनायें हैं वहां पर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को किस रूप में वहां पर प्रमोट किया जा सकता है, कैसे उसकी ब्रान्डिंग की जा सकती है। 15 वर्षों में कुछ किया होता तो आज देश के अंदर जो अन्य नेशनल पार्क हैं उनसे भी अच्छे ढंग से हम दुधवा नेशनल पार्क को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं।

वहां तक जाने के लिए सड़क तक आप लोगों ने नहीं दी। पर्यटन विभाग का एक गेस्ट हाउस अधूरा पड़ा हुआ है, चूका में भी वही स्थिति थी, कर्तनियाघाट में वही स्थिति है, उन्नाव के पक्षी विहार की भी वही दुर्गति है। आप लोगों ने तो यहां की संस्थाओं को चाहे वह उत्तर प्रदेश के परम्परागत उत्पाद या हस्तशिल्प रहा हो या उत्तर प्रदेश के पर्यटन की संभावनाएं हो, उनकी भ्रूण हत्या करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश को बदनाम किया। उत्तर प्रदेश की कैसी छवि देश और दुनिया के सामने बनाई। आज यह परसेप्शन बदला है एक साल के अंदर बदला है और एक साल के अंदर बदलने में सफलता प्राप्त हुई है तो उसमें पूरा मंत्रि-परिषद् तो है ही, सत्तापक्ष के सभी माननीय सदस्य भी उसके हकदार हैं। भारतीय जनता पार्टी उसकी हकदार है, उसके सहयोगी दल उसके हकदार हैं, जिन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाने में मद्द की है, जो उस वातावरण को निरन्तर आगे बढ़ा रहे हैं। आपके यहां तो थाने भी गिरवी रख दिये जाते थे, तहसीलें गिरवी रख दी जाती थीं, ट्रान्सफर-पोस्टिंग एक उद्योग था और राजनीति का अपराधीकरण करने के साथ-साथ, अपराधियों का महिमामण्डन करके यहां तक की सी0एम0 ऑफिस, सी0एम0 हाऊस तक बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता था यह तक स्थिति आपके समय में थी और इसीलिए हम लोग कहना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पिछले 11 महीनों के दौरान एक परसेप्शन चेंज किया है और पूरे देश और दुनिया ने उसको स्वीकार किया है और मुझे लगता है कि मैं कहूं बहुत महत्वपूर्ण नहीं यू0पी0 इन्वेस्टर सम्मिट वह सब कुछ संदेश दे चुका है उसके लिए कुछ और प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कितना आपने कार्य किया है। मैं अभी किसानों के बारे में या फिर अन्य योजनाओं के बारे में थोड़े कुछ आंकड़े इनको दे देता हूं। महोदय, जब हम लोग आए थे तब गन्ना किसानों का वर्ष 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18 का 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक के गन्ने मूल्य का भुगतान बाकी था। प्रदेश में चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, ऐसा पहली बार हो रहा है कि चीनी मिलें बंद होने के बजाए नयी चीनी मिलें चल रही हैं, खुली हुई दिखायी दे रही हैं। इन लोगों ने चीनी मिलें औने-पौने दाम पर बेची हैं। जिस चीनी मिल के पास बड़ी प्रॉपर्टी है केवल उसके स्क्रैप को ही बेच दें तो दो करोड़ में स्क्रैप बिकेगा लेकिन उन्होंने पूरी चीनी मिल जमीन सहित दो करोड़ में बेच दी है। यह लोग किसान हितैषी हैं जो चीनी मिलों को बेच रहे हैं ? उद्योगों को बंद कर रहे हैं यह युवाओं के हितैषी हैं और जो सरकार चीनी मिलों को चला रही है, गोरखपुर में पिपराइच में हम लोगों ने एक नयी चीनी मिल दे दी है, कार्य प्रारंभ हो रहा है।

बस्ती में मुंडेरवा में हम लोगों ने एक नयी चीनी मिल दी है, रमाला की चीनी मिल, मोउद्दीनपुर की चीनी मिल इन सभी के साथ बुलंदशहर की चीनी मिल को प्रारंभ किया है। जो चीनी मिलें बंद थीं बमुश्किल से 116 चीनी मिलें नहीं थी लेकिन हम लोगों ने 119 चीनी मिलें इस सत्र में चलायी हैं और यह संख्या आने वाले समय में नए सत्र में और बढ़ेंगी। इस करेंट सीजन में भी अब तक हम लोग 15 हजार 30 करोड़ रुपये का भुगतान गन्ना किसानों का

करवा चुके हैं। इन लोगो से तो चीनी मिल मालिक परेशान रहता था, किसान तबाह रहता था। चीनी मिल मालिक इस बात के लिए परेशान होता था कि पता नहीं कब-क्या डिमाण्ड यह लोग कर दें। मोलासिस तक का पैसा उन लोगों से लिया जाता था। एक-एक लीटर में पैसे तक की डिमाण्ड की जाती थी यानि सरकारें नहीं थीं ऐसा लगता था जैसे कोई लुटेरा बैठा हो और पूरा लूटखसोट कर रहा हो, नोच रहा हो व्यवस्था को, उस प्रकार की स्थिति थी। आज हम लोगों ने 15 हजार 30 करोड़ रुपये का कल तक का गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है और जो शेष गन्ना मूल्य का भुगतान है उसको भी यह सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बराबर दबाव बनाया जा रहा है। हम लोग चीनी मिलों को चलाएंगे भी और किसानों के हितों को भी देखेंगे। 4 साल में गन्ने का दाम एक पैसा नहीं बढ़ाया गया, हमारी सरकार ने पहले साल में ही गन्ने का दाम बढ़ाया है। बढ़े हुए दाम का पैसा किसानों को दिया जा रहा है। पहले क्या-कुछ गोटियां बिछती थीं कौन नहीं जान रहा है, आज यह लोग उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। महोदय, खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन एक साल के अंदर करने का प्रयास हुआ है। नीयत साफ हो तो प्रकृति भी साथ देती है और प्रकृति और परमात्मा की कृपा उत्तर प्रदेश में है। 2016 में चावल का 143.96 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। 2017 में 154.42 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन, ऐसे ही ज्वार में, बाजरा में, तिलहन में सभी में हुआ। यह लोग क्रय केन्द्र, गेंहूं क्रय केन्द्र हो, धान क्रय केन्द्र हो चलाते नहीं थे, इनके दलाल घूमते थे उन दलालों के माध्यम से खरीदते थे। समर्थन मूल्य होता था 1460 तो किसान को 900 रुपये, 1 हजार रुपये मिलता था और बाकी चोर-चोर मौसेरे भाई आपस मे लूट लेते थे, किसान तबाह होता था। पहली बार हुआ है कि गेंहूं का समर्थन मूल्य से अधिक प्रति कुंतल 10 रुपये अतिरिक्त हम लोगों ने दिया और रिकार्ड 37 लाख मीट्रिक टन हम लोगों ने गेहूं का क्रय किया। नए सत्र में 55 सौ स्थानों पर नए क्रय केन्द्र हमने स्थापित करने की तैयारी कर ली है और धान भी हम लोगों ने रिकार्ड प्रदेश के अंदर क्रय किया है। आप कह रहे हैं बिचौलिया, मुझे लगता है पिछला भ्रम है। अब तो किसानों के खाते में आरटीजीएस से पैसा जा रहा है। जब पैसा आरटीजीएस के माध्यम से जा रहा है तो 10-15 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दाम किसान को दिया जा रहा है। किसान बही के आधार पर यह सारा कार्य हो रहा है। तो यह सब दलाली प्रथा आप लोगों को ही मुबारक हो। हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं।

हम लोगों ने सीधे आनलाइन सारी व्यवस्था की है और 43 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय भी पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। यह चीजें रिकार्ड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर की हैं। प्रदेश के अंदर जिन क्षेत्रों में अन्य कार्य हुये हैं। अभी आलू की बात कर रहे थे, मैं बताना चाहता हूं कि पहली बार प्रदेश के अंदर आलू का समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, पिछली बार भी किया था और इस बार भी घोषित हुआ है और जितनी सुविधायें हम किसानों को दे रहे हैं उसका परिणाम सामने आया है कि आज किसान को उसका वाजिब दाम मिल रहा है। हम लोगों ने बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत 01 मार्च से 31 मार्च तक 2 लाख

मीट्रिक टन आलू क्रय के लिये जो समर्थन मूल्य अपना घोषित किया है वह लगभग 549 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लोगों ने घोषित कर दिया है। इसमें राज्य सरकार ने यूपीएग्रो को, पीसीएफ को, हापेक को, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को, केन्द्र सरकार ने नेफेड को, नेताप को यह क्रय केन्द्र पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करने की कार्यवाही भी हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर प्रारम्भ की है। पहली बार हो रहा है, जब प्रदेश के अंदर शासन की कार्यपद्धति में पूरी पारदर्शिता हो, इसके अन्तर्गत ई-आफिस के साथ जोड़ने के लिये हम 20 विभागों को अब तक जोड़ चुके हैं और शेष विभागों को जोड़ने की हमारी प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और हमारा प्रयास होगा कि पहली अप्रैल से हम प्रदेश के अंदर ई-आफिस की व्यवस्था लागू करवा दें। जनता को इससे बहुत लाभ होगा। यह जितनी दलाली थी, यह जितनी गुंडागर्दी थी, यह सब अपने आप रूकेगी और उसको रोकने की दिशा में एक बेहतर प्रयास इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रारम्भ किया है। यह लोग किसानों के हितैषी बनते हैं। 1994 में एक जी0ओ0 जारी हो गया था कि प्रदेश के किसानों को ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिये जायेंगे और डाक्र जोन के नाम पर किसानों का शोषण होता था। 1994 से कितनी सरकारें आई और पिछले 15 वर्षो में तो यह लोग बारी-बारी से सत्ता में सहभागी बनते रहे। पिछले 15 वर्षो में यह लोग कुछ नहीं कर पाये। हमारी सरकार ने डाक्र जोन में भी ट्यूबवेल के कनेक्शन की मंजूरी दी है और इसको ओपेन कर दिया है। हम लोग किसान को उसमें सुविधा देंगे। हर किसान कनेक्शन ले सकता है और कनेक्शन में भी हम उनको सुविधायें दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर सिंचाई योजनाओं के बारे में कह रहे थे। महोदय, मुझे आश्चर्य होता है विकास यह लोग किस रूप में कर रहे थे। सरयू नहर परियोजना जो है 1978 में प्रारम्भ हुयी थी और मुझे जो अनुमान है उससे लगता है, लगभग 178 करोड़ रुपये की लागत से यह योजना प्रारम्भ हुयी थी। इसमें लगभग 9000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और अभी भी यह परियोजना अधूरी पड़ी हुयी है। क्या कर रहे थे 15 वर्षो से आप लोग। हम लोगों ने सरयू नहर परियोजना के लिये जमीन अधिग्रहण के लिये पूरी धनराशि उपलब्ध करवा दी है और नाबार्ड से हम लोग 2450.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी करवा चुके हैं और उस पूरी योजना को हम लोग दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने की पूरी कार्य योजना को लेकर चल रहे हैं, जिससे प्रदेश के अंदर बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, सिद्वार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर इन जनपदों की 14 लाख 40 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचन योग्य हो जायेगी। इतनी बड़ी परियोजना को, ये किसान हितैषी हैं? 15 वर्षों तक कुण्डली मार कर बैठे रहे, सौदेबाजी करते रहे। ये कार्य इसलिये नहीं हो रहा था क्योंकि सौदेबाजी पूरी नहीं हुई, इसलिये कार्य स्वीकृति नहीं होते थे, हम लोग करने जा रहे हैं। बाणसागर परियोजना, इसमें हमने अपनी कार्य-योजना तैयार कर दी है। मध्य गंगा और नहर परियोजना, इसमें अमरोहा, मुरादाबाद, संभल के 12 विकास खण्डों में से जो 11 ऐसे विकास खण्ड हैं जो डाक्र जोन की श्रेणी में आते थे, उनको हम लोग इसके माध्यम से लेना चाहते हैं और इसके लिये

भी हम लोगों ने नाबार्ड से 3310.81 करोड़ रुपये की मंजूरी करवा ली है, इस योजना को भी हम पूरा करने जा रहे हैं और इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 1.46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जायेगी। अर्जुन सहायक परियोजना बुन्देलखण्ड की है, हमीरपुर, महोबा और बांदा के लिये, इस परियोजना के लिये भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत कर दिया है। इस पर भी हम लोग कार्य प्रारम्भ करने जा रहे हैं और नदी जोड़ो, जो सर्वे अटल बिहारी बाजपेई जी का, देश के अन्दर एक समय कहीं बाढ़ होती है, कहीं सूखा होता है। बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान हो सके इसलिये उन्होंने नदी जोड़ो का एक अभियान प्रारंभ करने की बात की थी और अगर ईश्वर की कृपा होगी तो उत्तर प्रदेश के अंदर केन और बेतवा को जोड़ने में हम लोग सफल होंगे और उस दिशा में मध्य प्रदेश के साथ बातचीत अंतिम स्तर पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस योजना के अन्तर्गत बांदा, महोबा, झांसी के हमारे जो जनपद हैं, यह इससे लाभान्वित होंगे, बड़ी मात्रा में उससे सिंचाई की सुविधा हमें उन क्षेत्रों में प्राप्त हो जायेगी। ये कार्य सिंचाई की दृष्टि से और 15 वर्षों में पहली बार प्रदेश के अंदर अधिकतर नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने का कार्य हुआ है, 15 वर्षों तक सफाई नहीं हुई थी। नहरें, जितने रजबहा थे, कभी सफाई नहीं होती थी, उसके पैसे निकाल दिये जाते थे, लेकिन काम नहीं होता था, पहली बार हुआ है, युद्ध स्तर पर चल रहा है और इन कार्यों का पैसा हर बार निकलता था, लेकिन कभी उस पर आगे कार्य नहीं हो पाता था। इन्होंने कहा सड़क पर क्या कर रहे हैं? बिजली के बारे में बता चुका हूं, सिंचाई के बारे में बता चुका हूं और सड़क के बारे में बता देता हूं कि आप लोगों के भ्रष्टाचार के गड्ढे इतने बड़े-बड़े थे, एक लाख बीस हजार कि0मी0 की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में और आप लोगों के कारनामें, काम नहीं कारनामें इतने बड़े-बड़े थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

चाहे जो आप बोल लीजिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आपने बोला तो उसका जवाब दे रहा हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

बोला तो सही बोला, उसका सही उत्तर तो दीजिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं सही उत्तर ही दे रहा हूं। आपने जिस भाषा में पूछा था, उसी भाषा में जवाब दे रहा हूँ कि आप लोगों के भ्रष्टाचार और पाप के गड्ढे इतने चौड़े और इतने बड़े-बड़े थे कि हम लोगों को भी समय लगा, लेकिन जिन सड़कों को हम लोगों ने किया, मण्डी परिषद् को आप लोगों ने क्या बना दिया था? आज जाकर देखिये मण्डी समितियों को, जाकर देखिये फोटोग्राफ होंगे, फोटोग्राफ हम लोग लगायेंगे वहां पर और आप लोगों को भेजूँगा फोटोग्राफ

इसका, पहले की मण्डियों का, आज की मण्डियों का। मण्डी की आय का और मण्डी की आय कहां उपयोग हो रही है, इसको भी देखना हो तो आज आपको हम लोग उसके माध्यम से भी दिखा सकते हैं। हमने मण्डी समिति की सड़कों को भी बनाया है। पी0डब्ल्यू0डी0 ने भी अपनी सड़कों को तैयार किया है और पहले चरण में गड्ढा मुक्त सड़कें और अब सड़कों के नवीनीकरण के बाद 2-लेन, 4-लेन, 6-लेन की सड़कों का कार्य भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुका है। यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब समस्या यह है कि नेता प्रतिपक्ष, आपकी समस्या यह है कि जब आप यहां बोलते-बोलते बेहोश हो जोते हैं तो सड़कों पर क्या हाल होंगे यह स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिये मुझे इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहना है। लेकिन कार्य इन सभी क्षेत्रों में हुआ है। महोदय, पहली बार प्रदेश के अंदर राशन कार्डों का इनके समय में भूख से मौतें होती थीं और जो मैंने पिछली बार भी बताया था कि कुशीनगर जिले में तीन मौतें भूख से हुई थीं दिसम्बर और जनवरी, 2017 में। मुझे लगता है कि आपके (मा0 सदस्य अजय कुमार 'लल्लू') क्षेत्र में भी मौतें हुई थीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' -

मेरे बगल का क्षेत्र था।

श्री योगी आदित्यनाथ-

इनके बगल का क्षेत्र था, भूख से मौत हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैंने तभी कहा था कि डॉ0 लोहिया की आत्मा सबसे ज्यादा रोती होगी कि कैसे लोग मेरे नाम पर सत्ता में बैठे हुए हैं। मैं स्वयं उस समय वहां पर गया था क्योंकि मैंने 2003 से लेकर के 2008 के बीच में एक आन्दोलन किया था मुसहर जाति के लोगों को सुविधाएं देने के लिए और 2003 से ले करके 2008 के बीच में कौन-कौन लोग सत्ता में थे प्रदेश में, यह सब जानते हैं। हम लोगों ने राशनकार्ड बनवाने की व्यवस्था की थी तथा वहां पर आवास के लिए मैं तत्कालीन महामहिम राज्यपाल श्री टी0 राजेश्वर राव जी से मिलने के लिए स्वयं आया था। फिर नेता प्रतिपक्ष के रूप में वर्ष 2005 में आदरणीय आडवाणी जी नेता प्रतिपक्ष थे तो मैं प्रधानमंत्री डा0 मनमोहन सिंह जी से भी मिला और उस समय वहां के मुसहर जाति के लोगों के लिए आवास स्वीकृत हुए लेकिन आवास स्वीकृत होने के बाद उन्हें आवास मिले तो लेकिन पूरे नहीं हो पाये, राशन कार्ड हम लोग दिलाये तो लेकिन उसके बाद वहां पर वह नियमितता नहीं रह पायी और समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उनके राशन कार्ड ही निरस्त कर दिये। मैं पड़रौना के एक गांव में गया जब भूख से मौत हुई थी, एक झोपड़ी में वह परिवार रहता था, मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ वह कार्ड कहां चला गया क्योंकि कार्ड तो मैंने उस समय आप लोगों को दिलवाये थे, मेरा संसदीय क्षेत्र नहीं था लेकिन तब भी मैं गया था। तब उन्होंने कहा कि साहब कार्ड उस समय दिलाये तो थे और कुछ समय राशन भी मिला लेकिन उसके बाद हमारा राशन कार्ड काट करके सामने जो बड़ा भवन बना है उसको वह राशन कार्ड दे दिया गया है। मैंने पूछा कि यह किसका भवन है तो उसने कहा कि यह समाजवादी पार्टी के

नेता का घर है। जिसका दो-मंजिला मकान है, पक्का मकान है उसको अन्त्योदय का राशन कार्ड एक गरीब मुसहर का कार्ड काट करके दे दिया और ये लोग गरीब के हितैषी हैं और जो सरकार राशन कार्ड दिला रही है वह दलित विरोधी हो गई, गरीब विरोधी हो गई। 37 लाख गरीबों को राशन कार्ड हम लोग दिलवाये हैं, 37 लाख गरीबों को हमारी सरकार ने राशन कार्ड उपलब्ध करवाये हैं जिनमें 1 लाख से ऊपर तो अन्त्योदय के हैं और हम लोगों ने लगभग 30 लाख राशन कार्ड फर्जी जो आप लोगों ने सौदेबाजी करने के लिए दिये थे वह भी हम लोगों ने निरस्त कराये हैं। सरकार कार्य कर रही है और मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट योजना के अन्तर्गत बहुत अच्छा कार्य किया है। ये जो 6 लाख का आंकड़ा बोल रहे थे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट भूल गये नेता प्रतिपक्ष। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास में 6 लाख यूथ को हम लोगों ने इनरोल किया, उनका नामांकन करवाया, ढाई लाख पासआउट हुए हैं और 1 लाख 40 हजार का प्लेसमेंट भी करवाये हैं। हम लोग तो आपको निमन्त्रण देते हैं, आप लोग आते ही नहीं हैं कार्यक्रम में तो हम क्या कर सकते हैं। यह कार्यक्रम तो पूरे प्रदेश के अन्दर लाइव किया गया था क्योंकि आप लोगों को तो सैफई से फुर्सत ही नहीं थी, स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपको पता ही नहीं होगा, कौशल विकास क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को फुर्सत ही नहीं। कौशल विकास पर ध्यान दिया होता तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना हमें नहीं बल्कि वर्ष 2014 में लागू हो जानी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में। आप लोग लागू नहीं कर पाये, नारे देते थे, प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, अब आपके जातिवाद और वंशवाद के उसमें नहीं पड़ने वाली है। वह समझ चुकी है कि एक परिवार और गॉव का विकास करके और नौकरी में पैसे का लेन-देन करके आप लोग अपना भला तो कर सकते हैं, अपनी कोठियों को बड़ा-बड़ा बना सकते हैं, अपने बच्चों का बैंक एकाउंट सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन उस गरीब, उस दलित और उस वंचित का हित नहीं कर सकते। इसलिए हमारी सरकार इस बात को लेकर, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लोक सेवा आयोग से भी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत पारदर्शी तरीके से प्रारम्भ किया। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी है। वह जो सिफारिश होती थी आप लोगों के चिट पर, वह बंद, अब नहीं हो सकता। प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को नौकरी के पूरे अवसर देंगें। कोई उत्तर प्रदेश के नौजवानों के साथ भेद-भाव नहीं कर सकता। और यही नहीं, आप कह रहे हैं कि एक महीने में भर्ती कर देंगे। क्या एक महीने में कोई भर्ती होती है? प्रक्रिया एक महीने में होती है। और फिर जो आप लोगों ने व्यवस्था की थी, जिस प्रकार की अराजकता फैलायी थी, जिस प्रकार की गंदगी फैलाकर रखी हुई थी, आखिर उसको सफाई करने में, उसको दुरुस्त करने में, न्यायालय के स्टे को वैकेट कराने में कुछ तो समय लगता है, और हम लोगों ने उसको किया। आज अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भी जो 20 हजार नियुक्ति आप लोग रोके हुए थे अपने और पराये का भेद रखने के लिए, हम लोग भर देंगे, एक गांव के लोगों को भर देंगे, कुछ लोगों को

इस ढंग से रख लेंगे, आज वह नौकरी फिर से खुल रही है। उसकी अधियाचन प्रारम्भ हो चुकी है। पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पहली भर्ती संपन्न हो चुकी है और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रारम्भ हो गयी है। 67-68 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। बेसिक शिक्षा मंत्री तो आप थे क्यों नहीं कर पाये थे। शिक्षा मित्रों के साथ जितना बड़ा विश्वासघात आपकी सरकार ने किया है कोई नहीं किया है उतना। आज अगर वह बेचारे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उसके लिए आप और आपकी सरकार जिम्मेदार है क्योंकि उस समय अगर एक नियमावली बनाकर उन लोगों को व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया होता तो आज सुप्रीमकोर्ट को उनके अगेंस्ट ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप लोगों ने युवाओं के साथ धोखा किया है भेदभाव किया है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा में पी0ए0सी0 का बड़ा योगदान था। पी0ए0सी0 का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों की हालत खराब होती है। इन्होंने 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं हम लोग फिर से गठित कर रहे हैं। ए0टी0एस0 और एस0टी0एफ0 को ये लोग चाहते थे कि समाप्त हो जाए, उनमें पद ही नहीं दिये, कोई आधुनिक उपकरण नहीं दिए। आज ए0टी0एस0 और एस0टी0एफ0 प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और प्रदेश के गरीबों, प्रदेश के नागरिकों, प्रदेश के व्यापारियों, प्रदेश के बहन और बेटियों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के बजाय दुर्दांत अपराधियों के प्रति आज भी आप लोगों की सहानुभूति बहुत चिंता का विषय है। एक भी फर्जी एनकाउण्टर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन हां, कोई पुलिस पर गोली चलायेगा तो पुलिस ने उसका जवाब जरूर दिया होगा। आज वह पुलिस नहीं है जो मथुरा में जवाहरबाग काण्ड होता हुआ देख लेगी और भाग खड़ी होगी। क्योंकि सत्ता जब ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती है तो स्वाभाविक रूप से पुलिस क्या करेगी। पहली बार हो रहा है 15 वर्षों में जब प्रशासन और पुलिस में कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है। अगर कोई जवाबदेही नहीं है कार्रवाई भी हो रही है और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कवायद चल रही है। प्रदेश में 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना हमारा नैतिक दायित्व है उस दायित्व से हम भागेंगे नहीं। उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश में अच्छा कार्य हुआ है। उच्चतर शिक्षा आयोग ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अन्य कार्यक्रम अपने प्रारंभ किये है और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि अपराध में, मेरे पास कुछ कागज है मैं पढ़ूँगा तो बहुत समस्या हो जायेगी आप लोगों के लिए। आजमगढ़ का शराब कांड, कौन इसके पीछे था, हरदोई में जहरीली शराब, इसके पीछे कौन है ? सीतापुर में एक व्यापारी परिवार में तीन सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी, कौन इसके पीछे था ? लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के बूथ-अध्यक्ष की हत्या, इसके पीछे कौन लोग हैं ? इलाहाबाद में एक व्यापारी परिवार के चार सदस्यों की निर्मम हत्या, उसके पीछे कौन था ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

किसी ने आपको पकड़ने के लिए मना किया है, आप पकड़िये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

पकड़े तो हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन आपकी पीड़ा को जब मैं देखता हूं, जब आप अपराधियों की पैरवी करते हैं और अपराधियों के बारे में कहते हैं कि इन लोगों की पूजा की जानी चाहिए तब मुझे परेशानी होती है क्योंकि इन सभी घटनाओं में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग शामिल रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

अभी एक दुर्दान्त अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर से पकड़ा गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप याद करिये, जनवरी के महीने में आलू का सीजन नहीं था उस समय कन्नौज से कौन व्यक्ति आता है और सड़े हुए आलुओं कों राजभवन, मुख्य मंत्री आवास और विधान भवन के सामने फेंक करके चला जाता है और फिर आप किसानों के हमदर्द बनते हैं ? किसानों का जितना शोषण आपने किया है उतना किसी ने नहीं किया। जमीनों के मामले में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश के अन्दर जितने भू-माफिया हैं उसमें समाजवादी पार्टी के लोग सर्वाधिक हैं, सर्वाधिक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) और कार्रवाई हो रही है। हमने 52 हजार हेक्टेयर लैण्ड मुक्त करायी है और आगे भी करायेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सबसे अधिक भू-माफिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

खनन माफिया की बात आयी, खनन माफिया आप लोगों ने पाले हैं, हम लोगों ने नहीं पाले हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

खनन माफिया भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत है।

श्री योगी आदित्यनाथ-

हमारी सरकार में एकदम पारदर्शी तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही है लेकिन आपको पीड़ा हो रही है क्योंकि खनन माफिया पर लगाम लगायी गयी है इसलिए पीड़ा हो रही है यह

सब आपकी देन है आपकी विरासत है, हम तो उसको रोक रहे हैं। ये सब चीजें हम लोग कर रहे हैं इसीलिए आज के इस अवसर पर महोदय जो चीजें यहां पर आयी। कह रहे थे 'ऋण मोचन में', ऋण मोचन शब्द क्यों कर दिया ? मोचन का मतलब मरोड़ना होता है तो हम तो ऋण को ही मरोड़ रहे हैं। अरे, नेता प्रतिपक्ष कुछ तो समझ लीजिए। ऋण को ही मरोड़ा जा रहा है, ऋण को समाप्त किया जा रहा है, किसान को नहीं। किसान पर जो कर्ज है उसको तोड़ा जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है और 01 लाख रुपये तक की सीमा है, आप पढ़िये, एक लाख रुपये तक की सीमा के कर्ज को हमारी सरकार ने माफ किया है बिना किसी अतिरिक्त बोझ के। कोई टैक्स नहीं लगाया। आपको तो हमने आमंत्रित किया था कि आप भी आइये सर्टीफिकेट वितरित करिये। क्यों नहीं आप आये ? आपको आना चाहिए था। महोदय, कह रहे थे तिरंगा के साथ अपना नाता जोड़ रहे थे। तिरंगा में सबसे ऊपर जो रंग है वह कौन सा रंग है, मालूम है ? वही केसरिया रंग है यह केसरिया झण्डा का प्रतीक है। पता नहीं कब समाजवादियों में बुद्धि आयेगी, मुझे तो अफसोस होता है। कब आप इसको समझ पायेंगें ? तिरंगा के आन, बान और शान के लिए इस देश का हर नागरिक अपने-आपको समर्पित करता है लेकिन कासगंज में जो कुछ हुआ, एक निर्दोष चन्दन गुप्ता की निर्मम हत्या हुई और इसमें सरकार ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगी, नहीं बख्सेगी ऐसे तत्वों को जो तिरंगा यात्रा पर जबरन रोक लगाने का प्रयास करेगा। यह भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। हर भारतीय को तिरंगा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप लोगों ने जाति के आधार पर बांटा है। कह रहे थे कि छुट्टियां समाप्त हो गईं। हमने तो छुट्टी समाप्त की है। जनता ने तो आप लोगों की ही छुट्टी कर दी। हम लोगों ने कहा कि महापुरुषों के नाम पर छुट्टियां समाप्त करके स्कूल, कालेज, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में वहां पर कार्यक्रम आयोजित हों। बच्चों को, वर्तमान पीढ़ी को पता तो लगना चाहिए कि इस महापुरुष का योगदान क्या है। हम नया पाठ्यक्रम देने जा रहे हैं। मैं तो शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि नये पाठ्यक्रम में महापुरूषों से संबंधित जो पुस्तकें आ रही हैं, सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष और हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को वह पुस्तकें भेजें। जिसमें संत रविदास जी भी हैं, बाल्मीकि जी भी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं और इस देश की स्वाधीनता के लिये लड़ने वाले सभी महापुरूषों लाखन पासी का नाम भी दिया गया है। झलकारी बाई का नाम दिया गया है, ऊदा देवी को भी हमने स्थान दिया। पाठ्यक्रमों में इन सबको शामिल कर रहे हैं। सबको सम्मानित करेंगें। महाराज सुहेल देव का भी नाम उसमें लिया जा रहा है। आप तो महाराज सुहेलदेव से डरते हैं। मैं आपकी पीड़ा को जान सकता हूं क्योंकि निष्ठा का प्रश्न हो जाता है। लेकिन महाराज सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम से इस देश का बच्चा-बच्चा गौरव की अनुभूति करता है। हम उनको भी पाठ्यक्रम में स्थान दे रहे हैं। भारत की ऋषि परम्परा को, संतों की परम्परा को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिन्होंने अनुकरणीय कार्य किया है,

सरदार बल्लभ भाई पटेल जी को भी, कांग्रेस भले ही उनको भुला दी हो लेकिन हमारे लिये वह राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिये सरदार बल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को सरदार सरोवर नाम के स्थान पर स्थापित करने की जो कार्यवाही प्रारम्भ की है। क्योंकि राष्ट्रीय अखंडता के प्रतीक सभी रियासतों को एक करने का जो उनका अद्भुत प्रयास था उसके प्रति उन्हें विनम्र नमन करते हुए श्रद्धांजलि स्वरूप हमारा यह कार्यक्रम चलता है। हम तो इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि वर्तमान पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। छुट्टियों को इसीलिये हमने कम किया है। हम नये पाठ्यक्रम के साथ आ रहे हैं। आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ायेंगें पब्लिक स्कूल और कान्वेन्ट में और गरीब के बच्चे को कि जाओ उस विद्यालय में जहां आप अध्यापक नहीं भेजते थे। आप अध्यापक नहीं भेजते थे, यह पहली बार हुआ है 1 करोड़ 54 लाख बच्चों को दो यूनीफार्म मिली हैं, बैग मिले हैं, बुक्स मिली हैं। (मेजों की थपथपाहट) उनको जूते दिये गये, मोजे दिये गये। समयबद्ध ढंग से दिया गया सारा सामान। पहली बार हुआ है और यह चीजें, आप बेसिक शिक्षा के मंत्री रहे इसीलिये मैं आपसे कह रहा हूं विशेष रूप से कि बेसिक शिक्षा में पहले क्या था और आज क्या है। आज आप जाइये, थोड़ा देखिये तो बेसिक शिक्षा के विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीरों को। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप बेसिक शिक्षा मंत्री थे। आपके बच्चे क्या बेसिक शिक्षा में पढ़े। नहीं। मैं जानता हूं आप समाजवादियों का ढोंग और पाखण्ड मैं अच्छी तरह से समझता हूं। इसके उसमें मत रहिये और हम लोगों ने महोदय यह छुटिट्यां समाप्त करके महापुरुषों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। वर्तमान पीढ़ी को पता लगना चाहिए किन महापुरुषों की देन हम हैं और किन महापुरुषों के कारण यह दिन हम लोगों को मिला है। उन महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति उन्हें हो और उनके व्यक्तित्व और कृतत्व से प्रेरणा वह लें। इस दृष्टि से हमने उन महापुरुषों को हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है।

आप लोग तो ग से गणेश नहीं ग से गधा पढ़ाते थे। हम लोग फिर से गणेश करने जा रहे हैं। यह सोच है, मानसिकता का सोच है। (मेजों की थपथपाहट) उस मानसिकता पर मैं बोल रहा हूं और इसलिये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप कह रहे थे ओलावृष्टि हुई। 2014 में अतिवृष्टि हुई थी और 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2017 में हम लोग आ गये थे तब तक मुआवजा नहीं मिल पाया था। अभी भी नहीं मिल पाया क्योंकि वह लैप्स हो गया था। ओलावृष्टि में तीसरे दिन मुआवजा किसानों के पास चला गया था। पहली बार हो रहा है तीसरे दिन उनको मुआवजा मिला। मैंने स्वयं दूसरे दिन बैठक ली और तीसरे दिन पैसा जिलों में पहुँच करके वितरण शुरू हो गया था। यह पहली बार हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के पहले नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास। यह नारा 26 मई, 2014 को वह ऐतिहासिक दिन जबसे नरेन्द्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने उस दिन एक बात कही थी कि हमारी सरकार इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिला और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेगी। आज जो

कार्यक्रम चल रहा है, साढ़े तीन वर्षों में सवा सौ से अधिक गरीब कल्याण की योजनायें हैं। कोई काट आपके पास नहीं है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सिवाय हल्ला मचाने के आपके पास कोई दूसरा हथियार नहीं है और सबका साथ, सबके विकास के आधार पर हमने गरीबों के, वंचितों के, दलितों के, समाज के हर तबके के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए उस प्रकार की योजनायें लागू कीं। कार्यक्रम चल रहे हैं, युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और कोई उंगली न उठाए, इसलिए मंच लगा करके सार्टिफिकेट वितरण भी किये जा रहे हैं। हमने तो आपसे भी कहा था, सभी से कहा था कि आप सभी लोग आइये, आप भी यह कार्यक्रम करवाइये। मैं तो बाढ़ में आपके विधान सभा क्षेत्र में भी गया था, आप तब भी वहां से गायब हो गये थे। हमने वहां भी कोई भेदभाव नहीं किया, जानकारी भी थी, रहेंगे क्यों, नेता प्रतिपक्ष हैं। सवाल यह है कि ये समाजवादी हैं, इनको बरसात में पानी का असर हो जाता है, गर्मी में लू का असर हो जाता है। सड़क पर चलेंगे तो धूल का असर हो जायेगा, क्योंकि समाजवादी हैं, यह आधुनिक समाजवादी हैं, आज का सबसे बड़ा अंधविश्वास आज का समाजवाद और वह सबसे बड़ा अंधविश्वास, मैं गया था, आप आते, आपका स्वागत होता। हम लोग तो प्रत्येक जगह जाते हैं, आप बोलते तो मैं वहां भी आ गया होता और मैं जानबूझ कर आपके यहां गया था, जिससे आप यह न कह सकें कि कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने खूब राहत सामग्री बांटी। पहली बार ऐसा हुआ कि 17 आइटम प्रत्येक गरीब को मिला है और इसलिए मैं आज के अवसर पर केवल आपके ऊपर यही बात कह सकता हूं कि आप लोग हमारी सरकार की कार्य पद्धति को भले ही स्वीकार न करें, लेकिन आपके लिए सब अंगूर खट्टे हैं, जैसी स्थिति है, क्योंकि आप लोग इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। सरकार तेजी के साथ दौड़ रही है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित है, गरीब है, वंचित है, उन सबके लिए कार्य कर रही है। आप दावा करते हैं, सपा हो या बसपा। आपने वन्य ग्राम नाम सुना है, वनटांगिया नाम सुना है आपने, नहीं सुने होंगे, आप समाजवादी हैं, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं.....

श्री राम गोविन्द चौधरी-

वनटांगिया के ऊपर यहां बहुत बहस हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार में।

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप लोग कुछ कर ही नहीं पाये, राजस्व गांव का दर्जा हम लोग दे रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपसे पहले कांग्रेस के लोगों ने दिया था.....

श्री योगी आदित्यनाथ-

माननीय अध्यक्ष जी, यह वनटांगिया गांव यह 1910 और 1920 के समय जंगल लगाने के लिए अंग्रेजों ने बसाये थे। आजाद भारत में वन्य कानून बनने के बाद इन गांवों को सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था उनके लिए न सड़क, न बिजली, न

पानी न उनके लिए स्कूल, न चिकित्सालय कुछ भी नहीं था। न राशन यहां तक कि वोटिंग का राइट भी नहीं था ऐसे लगभग 65 बस्तियां उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं और हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 1556 गांवों को चिन्हित किया है जो अति दलित अति पिछड़ी जाति के हैं जहां पर आजादी के बाद कोई कार्य नहीं हुआ है। पहली बार हो रहा है कि उन गांवों को वन्य गांव को राजस्व गांव के रूप में दर्जा देने की कार्यवाही हम लोगों ने प्रारम्भ की है। गोरखपुर में पॉच गांव को महाराजगंज में 18 गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देकर सभी योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया जा चुका है। गोण्डा के पांच गांव चिन्हित किए गए हैं वहां पर मैं कार्यक्रम देने जा रहा हूं उनको भी राजस्व गांव के रूप में देंगे। बहराइच में हैं, पीलीभीत में हैं, लखीमपुर खीरी में हैं, आपके बुन्देलखण्ड क्षेत्र में हैं, विन्ध्याचल मण्डल में हैं और 1556 गांव यह लोग समाजवाद की बात करते हैं यह समाजवादी हैं एक बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित हो मैं पहली बार दीपावली में वन टांगिया गांव गया था उस दिन उनके घरों में बिजली जली थी यही हमारा रामराज्य है हर गरीब को सुविधाएं देना पक्का मकान किसी का नहीं है हम सबको आवास देने जा रहे हैं। हम लोगों ने मुसहर जाति के लिए, हम लोगों ने वन टांगिया गांव के लिए, हम लोगों ने अति दलित और अति पिछड़ी जातियां जिनको आप लोगों ने वंचित रखा था सुविधाओं से उन सबको हम इन सुविधाओं से आच्छादित करना चाहते हैं। हम लोगों ने एक नई योजना मुख्य मंत्री आवास योजना ही लागू कर दी है। उन गरीबों को देंगे बाढ़ से जिनके मकान ध्वस्त हो जाते थे अग्निकाण्ड के शिकार हो जाते थे आप लोग तो वहां झांकने तक नहीं जाते हैं आप लोग तो वहां देखने तक नहीं जाते हैं लेकिन हम लोग उन्हें आवास भी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। रिकार्ड मात्रा में आवास दिलाए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में और मुख्य मंत्री आवास योजना में आवास देने जा रहे हैं उन लोगों को। इसलिए आज इस अवसर पर उन सभी गांवों को योजनाओं से आच्छादित करने की बात है। यह पशुधन की बात कर रहे थे पशु आरोग्य मेला पहली बार प्रदेश में लगे हैं यह ग्वाला हैं दावा करेंगे लेकिन उधर कभी झांक कर नहीं देखते। हम लोगों ने इस योजना को उसके माध्यम से लिया है प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन हुए हैं अभी नगर निकाय के इलेक्शन हुए थे 552 बाडी के पूरे देश के अन्दर सबसे बड़ा नगर निकाय उत्तर प्रदेश का है और उन सभी में शांति पूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न हुए। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा रहे हैं। सारे कार्य शांतिपूर्ण ढंग से हो रहे हैं। हां प्रदेश की इस अच्छी चलती हुई व्यवस्था से दो प्रकार के लोगों को पीड़ा है। एक जिनकी लूट खशोट की दुकानें बन्द हो गई हैं और दूसरे जो अराजकता फैलाते थे दंगा करते थे उन लोगों को जरूर पीड़ा होगी क्योंकि आज इनको मालूम है कि किसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर यह लोग किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य करेंगे। महोदय कृषि विज्ञान केन्द्र कितनी बड़ी योजना थी प्रदेश के अन्दर भारत सरकार कह रही थी कि हम 21 कृषि विज्ञान केन्द्र प्रदेश को देना चाहते हैं यह लोग लेते ही नहीं थे क्योंकि अगर किसान खुशहाल हो जाएगा तो इनके जातिवाद के नारों में नहीं जाएगा लेकिन हम लोगों ने 21 के 21 प्रस्ताव भेजे कुछ बनने

प्रारम्भ हुए हैं कुछ को भारत सरकार स्वीकृति दे रही है। शेष पर कार्य चल रहा है इसलिए महोदय आज इस अवसर पर सभी उन माननीय सदस्यों को जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। माननीय राज्यपाल के प्रति हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने यहां आ करके और तमाम व्यवधान के बावजूद पूरा भाषण पढ़ा।

सचमुच, ऐसे समय में जो जानते थे कि किस प्रकार के लोग हैं और मैं तो आपसे कहना चाहूंगा कि त्रिपुरा में हम लोगों ने लाल झण्डे को डुबो दिया है और प्रदेश में लाल टोपी को डुबो देंगे। ये जो दृश्य था उस दिन का, बड़ा भयावह था। लोग बोल रहे थे कि क्या कोई अखाड़ा था क्या, हमने कहा अखाड़ा नहीं था भाई। लाल टोपी अब नहीं चलेगी अब भगवा का समय आ गया है, केसरिया का समय है। केसरिया उभार का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है और प्रदेश के अंदर प्रदेश को परम वैभव की ओर अग्रसर करने का प्रतीक है। इसलिए अब लाल टोपी का समय गया। लाल झण्डे के बाद अब लाल टोपी का ही अब समय। जनता 2017 में जबाव दे चुकी है। मुझे लगता है कि आगे कोई अवसर नहीं, कोई अवसर नहीं। मैं इसलिए आपसे कहूंगा देखिये ये आपकी हताशा कि आप बहुजन समाज पार्टी की गोद में जाकर बैठ जायें, ये आपकी हताशा नहीं तो और क्या है और मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री लालजी वर्मा जी से कहना चाहूंगा कि आप आये थे स्मारकों के बारे में बात करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे एक बात कही थी कि किसी ने भी बनाया हो लेकिन इन स्मारकों का संरक्षण हम सबका दायित्व है, क्योंकि राज्य का पैसा लगा है। चाहे बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर हो, चाहे कांशीराम जी के नाम पर, हम लोगों ने पैसा दिया, ये लोग तो उनको ध्वस्त करने की बात करते थे। पूछिये न इनसे आज जलपान करने के लिए बैठते होंगे पूछना चाहिए कब ध्वस्त करने जा रहे हैं। खैर हम अपने समय में ध्वस्त नहीं होने देंगे। पूछना इनसे और ये भी पूछना कि आगे से कोई स्टेट गेस्ट हाउस काण्ड तो नहीं होगा ? हमारे समय में नहीं हो पायेगा, मैं इस बात की गारण्टी दे सकता हूँ। लेकिन पूछा जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बदलती नहीं हैं। व्यक्ति का भले ही बाहरी आवरण बदल जाये, अपनी उस प्रवृत्ति से वो बदलता नहीं है जो मैंने कहा न कि दुर्योधन ने कहा था कि -''जानामि धर्मम् न चमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम्न चमे निवृत्ति।'' मुझे लगता है कि वह स्थिति कुछ लोग ठेका ले लेते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, क्यों जबरदस्ती इनको सुधारने चले हो। कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि बिच्छू का जो धर्म होता है वो डंक मारने का होता है वो डंक मारेगा ही मारेगा। मैं कितना ही उसको हथेली में रखूं। आप कंधे मत ढोइये, बहुत आपको मुबारक हो। मैंनें तो इसलिए आपको पहले ही कह दिया बहुजन समाज पार्टी एक हो जायेंगे, अच्छी बात है। गोरखपुर और फूलपुर का परिणाम इसका परिणाम दे देगा, घबराइये मत वो परिणाम भी सबके सामने आयेगा। महोदय, मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, विकास और सुशासन के साथ जोड़ना यह हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रदेश के अंदर अपराधियों के प्रति, असामाजिक और अराष्ट्रीय तत्वों के प्रति

हमारा व्यवहार भगवान राम के उस संकल्प के साथ होगा कि ''निःश्चर हीन करहुं महि। भुज उठाय प्रन कीन्ह।'' मैं आभारी हूं इतनी देर तक नेता प्रतिपक्ष को भी और इसके बाद उनका जवाब देने के लिए मुझे आप लोगों ने मौका दिया है। महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया था, उस पर हमारे मा0 सदस्य श्री मनीष असीजा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया था, आप लोगों ने उस पर चर्चा में भाग लिया, उसके लिये मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपका आभारी हूं। मैं पूरे सदन से अनुरोध करूंगा कि हमें राज्यपाल की संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिये। हम उसको प्रश्नचिन्ह के घेरे में न लाएं और सर्वानुमति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने में अपना योगदान दें। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बार पुनः आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें स्पष्टीकरण तो होता नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, हमको प्रश्न पूछने का अधिकार तो है न, हमको स्पष्टीकरण का अधिकार तो है न, यह आप हमें बता दीजिये।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ सं0-3 की द्वितीय एवं तृतीय पंक्ति में संशोधन का प्रस्ताव

[G]संसदीय कार्य एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के बारे में मा0 नेता प्रतिपक्ष ने और मा0 नेता, बसपा श्री लालजी वर्मा जी ने जो एक जिज्ञासा प्रकट की थी, उसके संबंध में मैं आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। मान्यवर, मुद्रण की त्रुटि से जो महामहिम श्री राज्यपाल महोदय का अभिभाषण था, उसमें यह यह छप गया था कि 'मेरी सरकार ने इस वर्ष श्री बाल गंगाधर तिलक के 101वें जन्मदिन के अवसर पर', मान्यवर, इसके स्थान पर जैसाकि महामहिम श्री राज्यपाल जी ने जिस समय अपना अभिभाषण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था, उस समय यह पढ़ा था कि 'मेरी सरकार ने इस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

101वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर'। मान्यवर, इस प्रकार से इस सेन्टेन्स को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाए। आप इसका प्रस्ताव रखकर संशोधित करवा दें।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रस्ताव रख दीजिये।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, ऐसे कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव तो कभी भी आ सकता है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

यह तो मैं पहले भी कह चुका हूं। आप कृपया मेरी बात को सुनें। यह एक संवैधानिक मामला है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो पहले हो गया है। आप इसको उठा चुके हैं और हम व्यवस्था दे चुके हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह नियमावली के अनुसार प्रस्ताव नहीं लाए हैं।

श्री अध्यक्ष-

हम नियमावली के अनुसार ही बोल रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, यह कैसे हो गया कि एक पैरा में प्रस्ताव आ गया। यह किस नियमावली के अन्तर्गत प्रस्ताव लाए हैं, यह बता दें। किस नियमावली के अन्तर्गत यह प्रस्ताव आया है ?

श्री अध्यक्ष-

बहुत से नियम हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, सदन बहुत से नियम से नहीं चलता है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी तो बिना सूचना के यहां पर प्रस्ताव लाए थे न ? आप हमें बता दीजिये कि आप प्रस्ताव लाए थे कि नहीं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आप कृपापूर्वक मेरी बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन आप इसको नियम विरुद्ध कैसे कह सकते हैं।

[G]श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नियमावली में महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन करने के प्रस्ताव के लिये नियमावली बनी है कि किस रूप में संशोधन जोड़ा जा सकता है। मान्यवर, इसमें स्पष्ट लिखा है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कोई प्रस्ताव इस तरह से होगा कि किन्तु खेद है कि यह नहीं जोड़ा गया। मान्यवर, केवल इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है और किसी अन्य तरह का संशोधन का प्रस्ताव नहीं आ सकता है। तो नियमावली के अनुसार प्रस्ताव इस रूप में भी आ सकता है। अभिभाषण में एक जगह नहीं, बल्कि कई जगह त्रुटि है। मैंने अपने भाषण में भी इसको इंगित किया था। अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो वह अभिभाषण पूरी तरह से रद्दी की टोकरी में डालने लायक है। आप अपने चैम्बर में देख लीजियेगा, उसमें कई जगह अशुद्धियां हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि जिस तरह से प्रस्ताव आया है उस तरह से नहीं आना चाहिये।

श्री लालजी वर्मा-

जी मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

बिना सूचना के भी प्रस्ताव आता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आता है, लेकिन उसका रूप और प्रारूप क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते थे ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता था कि आप जिस बात को हमारी तरफ इंगित कर रहे हैं कि आपने एक दिन नियम-110 में उठाया तो इन्होंने तो नियम-110 में भी नहीं उठाया। मा0 अध्यक्ष जी, यह हाउस मजाक थोड़े ही है। मा0 अध्यक्ष जी, राज्यपाल जैसे गरिमापूर्ण पद पर गलत भाषण दे दिया जाता है फिर इस पर लीपापोती की जाये उसमें जो मा0 नेता बसपा ने कहा है राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन के भी नियम हैं किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के प्रस्ताव में ये नहीं कहा गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

आपको यह जानकारी है कि इसकी एक नियमावली है लेकिन प्रस्ताव तो इस सदन में कभी भी और किसी भी विषय से सम्बन्धित आ सकता है अधिनियम के अलावा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो प्रस्ताव किस नियम में रखें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव तो कभी भी आ सकता है। बिना सूचना के प्रस्ताव नहीं आता।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, नियम का उल्लेख करेंगे ना। प्रस्ताव लाने के लिए नियम का उल्लेख करेंगे न कि इस नियम के अन्तर्गत इस प्रस्ताव का उल्लेख करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव का विषय तो आप ही रखे थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस नियमावली में यह भी है कि कोई भी प्रस्ताव, किसी भी प्रस्ताव को चर्चा शुरू करने के एक दिन पहले तक दिया जा सकता है आप देख लें मान्यवर नियमावली देख लें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सबमिशन यह है कि आप कार्यवाही देख लें। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने जो कुछ पढ़ा है हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं और मान्यवर इस पीठ को यह अधिकार है कि सभी नियमों को निलंबित करके हमारी बात को सुन भी लें और हमारी बात को पूरे सदन की सहमति से अगर मान्यवर बहुमत से पास हो जाये तो उसको स्वीकार भी कर लें, तो मैं आपके माध्यम से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सभी सदन के नियमों को निलंबित करते हुए जो मुद्रण की त्रुटि है उसको सुधारने की आवश्यकता है और चूँकि यह विषय उठाया गया है इसलिए हम आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करते हैं कि सभी नियमों को निलंबित करते हुए जो मुद्रण की कमी जो मुद्रण के करने की वजह से यह परिस्थिति पैदा हुई वह सुधार ली जाये और मैंने आपके समक्ष इस सदन के समक्ष कार्यवाही में आ गया था कि यह मुद्रण की कमी की वजह से यह छप गया था कि मेरी सरकार ने इस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन को 101वें जन्मदिन के अवसर पर समारोह का आयोजन कर न केवल उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है अपितु तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने का काम किया है ये छप गया था मान्यवर। महामहिम श्री राज्यपाल ने जो कुछ इस सदन के समक्ष कहा वह मान्यवर यह है मेरी सरकार ने इस वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन को 101 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समारोह का आयोजन कर न केवल उन्हें श्रद्धांजलि दी है अपितु ऐसे तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने का

काम किया है। मान्यवर केवल मुद्रण की त्रुटि को सुधारने की बात है। मान्यवर महामहिम श्री राज्यपाल जी ने स्वयं उसको सुधार करके पढ़ा था इसलिए इस औचित्य के पृष्ठ को खारिज करते हुए आप सदन के समक्ष अगर चाहें मान्यवर विनम्रतापूर्ण मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पृष्ठ उपस्थित कर सकते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी यह साधारण बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप की बात तो आ गयी ना।

श्री राम गोविन्द चौधरी -

नहीं आ कैसे गयी श्रीमन्। एक तरह इनका कहना कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने यह पढ़ा था और मैंने अपने सम्बोधन में ही यह आग्रह किया था कि सरकार इसको क्लीयर नहीं कर पायी कि क्या दो अभिभाषण की कॉपी छपी थी। एक कॉपी राज्यपाल महोदय के लिए और दूसरी कॉपी सारे सदस्यों के लिए।

श्री अध्यक्ष-

नहीं वो तो हम पहले व्यवस्था दे चुके हैं वो सब बेकार की बाते हैं इसके बहुत पहले व्यवस्था कर दी गयी थी।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

इस वक्त संशोधन कैसे हो सकता है? या तो अभिभाषण चर्चा के एक दिन पहले किए होते।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम-110 देखिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

नियम-110 में भी तो नहीं है ये।

श्री अध्यक्ष-

क्यों नहीं है। आप नियम-110 देखिए। मैं नियमों के निलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं मानता इसमे।

[G]श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

अध्यक्ष महोदय, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपनी किसी बात को रखने के लिए सारे नियमों को निलम्बित करने का प्रस्ताव करे ये उचित नहीं है। ऐसी आफत और संकट की स्थिति भी नहीं है कि सारे नियमों को निलंबित कर दिया जाये। नियमों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का निलंबन करना आपका अधिकार है, लेकिन बिना किसी विशेष कारण के सारे नियमों को निलंबित कर दिया जाये तो यह स्थिति उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह आदरणीय सदन नियम से चल रहा है और यह प्रस्ताव पूरी तरह से नियमसंगत है। वर्तमान स्थिति में नियमों के निलम्बन की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं मानता हूं कि यह प्रस्ताव नियमित एवं नियमानुसार है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-110 को देख लिया जाये। नियम-110 में उल्लिखित है, बिना सूचना के प्रस्ताव-निम्नलिखित प्रस्ताव यदि अध्यक्ष अनुज्ञा दें तो बिना सूचना के किये जा सकेंगे। पहला है संवेदना या बधाई प्रस्ताव, तो यह है नहीं। दूसरा है, उपवेशन स्थगित करने का प्रस्ताव, यह भी नहीं है। तीसरा है अजनबियों का हटाने का प्रस्ताव, यह भी नहीं है। चौथा है समितियों के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव, यह भी नहीं है। पांचवा है कि किसी विधेयक या संकल्प या प्रस्ताव या उस पर संशोधन को वापस लेने का प्रस्ताव यह भी नहीं है। छठा है किसी कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव यह भी नहीं है। सातवां है वाद-विवाद को समाप्त करने का प्रस्ताव, आठवां है किसी नियम के निलंबन का प्रस्ताव, नवां है किसी उपवेशन की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव, दसवां है राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव, यह सब भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव तो इस नियम के अंतर्गत अब आ गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह धन्यवाद का प्रस्ताव है। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन का प्रस्ताव शामिल नहीं है। इसमें राज्यपाल के अभिभाषण में संशोधन का प्रस्ताव किये जाने का प्राविधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

इस नियम में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव उल्लिखित है। अभिभाषण उसी से संबंधित विषय है और यह उसमें सन्निहित है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब आप विद्वान हैं। आप संसदीय परम्पराओं के मर्मज्ञ हैं। आप इस सम्मानीय पीठ को सुशोभित कर रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से आशान्वित हूं कि आप इसका ध्यान अवश्य देंगे। आप स्वयं जानते हैं कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर संशोधन का प्रस्ताव और धन्यवाद का प्रस्ताव दोनो भिन्न-भिन्न विषय हैं। आप विद्वान हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं है। मैं खड़ा हो गया हूं, अब आप कृपया बैठ जाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आप अपने आसन से खड़े हो गये हैं तो अब हम अपनी बात कैसे कहें। आप हमें बात कहने का अवसर दीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यदि आप खड़े हो जायेंगे तो हम कुछ कह ही नहीं पायेंगे। कृपया आप हमको सुन लीजिये। निश्चित रूप से धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करना होता तो उसके लिए अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसको लाया जा सकता था, लेकिन माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में संशोधन का प्रस्ताव निश्चित रूप से आज नहीं आ सकता। अब आज जो है वही रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा कहा लिखा है कि आज नहीं आ सकता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह किस नियम मे आ सकता है। आप ही बताये कि हमारी नियमावली क्यों बनी है।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें केवल लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की बात है। यह लोग अनावश्यक इसको मुद्दा बना रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसमें न कोई लीगल मैटर इन्वाल्व है और न ही कोई वित्तीय उपाशय निहित है। यह मात्र एक लिपिकीय त्रुटि है और मुद्रण की त्रुटि है जिसको यह लोग तूल दे रहे हैं। इनके पास कोई विषय तो है नहीं। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने जब पीठ से खड़े होकर अपना अभिभाषण दिया था तो उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान लेकर सुधार कर लिया था। महामहिम राज्यपाल जी ने सही पढ़ा था।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

महामहिम राज्यपाल जी ने सही नहीं पढ़ा।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

सही नहीं पढ़ा, सही नहीं पढ़ा। अगर सही पढ़ा तो क्या दो पुस्तिका छपी थी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

राज्यपाल जी के दो अभिभाषण नहीं छपे हैं। मैंने पहले भी इस बात को कहा था और बार-बार इस बात को कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग केवल सदन का समय खराब कर रहे हैं। एक टंकण त्रुटि हो गई, लिपिकीय त्रुटि हो गई है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

आपने गलत छपवाया, गलत पढ़ा, महामहिम राज्यपाल जी से गलत पढ़वाया और हमको कह रहे हैं कि हम समय खराब कर रहे हैं। आप गलत परम्परायें डाल रहे हैं, आप नियमों के विरुद्व कार्यवाही संचालित कराना चाहते हैं और उसका दोषारोपण भी हमीं पर डाल रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि उन्होंने सही पढ़ा है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाईये।

श्री अध्यक्ष-

मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे विधान सभा की जो आडियो रिकार्डिंग होती है उस रिकार्डिंग में श्री राज्यपाल जी ने वही पढ़ा है जो अपेक्षित है। यह रिकार्ड में उपलब्ध है। जब आप कह रहे थे कि राज्यपाल जी ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। जहां हम खड़े हैं यहां से यह कहना अनुचित है कि उस समय एक पक्ष ने सुना नहीं था। इसको बार-बार कहूंगा तो खराब लगेगा। यह प्रस्ताव जो आया है वह नियमानुसार है। माननीय वर्मा जी अभी नियम-110 पढ़ रहे थे, उन्होंने 9 तक पढ़ा, 10वां चूंकि राज्यपाल जी से जुड़ा हुआ था तो उसे आपने पढ़ा नहीं। यह प्रस्ताव उसी का एक भाग है।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह चर्चा और परिचर्चा का विषय है कि क्या महामहिम राज्यपाल कैबिनेट से अप्रूव अभिभाषण को अपने मन से बदल कर पढ़ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अपने मन से उन्होंने कहा बदला।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की पुस्तिका में कुछ लिखा था और महामहिम राज्यपाल जी ने कुछ पढ़ा है, तो क्या महामहिम राज्यपाल सरकार द्वारा अनुमोदित अभिभाषण जिसको कैबिनेट ने पास कर दिया हो उस अभिभाषण को वह बदल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कैबिनेट की अपनी गोपनीयता है। इसका उल्लेख यहां करना उचित नहीं होगा। मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ जो प्रश्न मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है-''अभिभाषण के प्रश्न की द्वितीय और तृतीय पंक्ति में श्री बाल गंगाधर तिलक के 101वें जन्मदिन के स्थान पर कांग्रेस के अधिवेशन को 101 वर्ष पूरे होना पढ़ा जाये।''

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि ''मा0 श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिए प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में मा0 नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्तुत किये गये संशोधन प्रस्ताव को मतदान के लिए।'' यह मा0 नेता विरोधी दल और मा0 दलों का जो प्रस्ताव है वह एजेंडा में पूरा नत्थी है। काफी लम्बा है। क्या करना है पढ़ना है उसको। (आवाजें-पढ़ा हुआ मान लिया जाये)। उसी में मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ। जो आप लोगों ने भाषण दिया है जो यहां लिखित रूप में एजेंडे के अंतिम भाग में नत्थी है। प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव मा0 नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अभी तो इन्होंने प्रस्तुत ही नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

क्या हुआ आप पहले ही हां, ना बोल दिए। आपकी आज्ञानुसार दोबारा किए लेते हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, आज सब मामला गड़बड़ चल रहा है। आपने प्रस्तुत नहीं किया और हां, ना हो गया। इसलिए कि जो मैं पहले कह रहा था, वह बात तो पीछे चली गई कि सब मामला अड़बड़-गड़बड़ है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया हमको काम करने दीजिए।

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो संशोधन प्रस्ताव मा0 नेता विरोधी दल ने प्रस्तुत किये हैं उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन प्रस्ताव भी, जो उपस्थित किये हुए माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल में एक साथ समवेत् दोनो सदनों के समक्ष दिनांक 08 फरवरी, 2018 को दिया है। कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(मेजों की थपथपाहट)

[03:50 बजे] जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की नगर पंचायत शीशगढ़ के दक्षिण पूर्व से बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश देवल आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज की नगर पंचायत शीशगढ़ के दक्षिण पूर्व से बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेश देवल व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सल्था-पल्था का नदी द्वारा कटान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह आदि निवासीगण जनपद बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सल्था-पल्था का नदी द्वारा कटान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के फतेहगंज पश्चिमी में बन्द सिंथेटिक एवं केमिकल प्रा0लि0 की लगभग 1400 एकड़ रिक्त पड़ी भूमि पर उ0प्र0 सरकार द्वारा एम्स स्तर का राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सचिन चौहान आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के फतेहगंज पश्चिमी में बन्द सिंथेटिक एवं केमिकल प्रा0लि0 की लगभग 1400 एकड़ रिक्त पड़ी भूमि पर उ0प्र0 सरकार द्वारा एम्स स्तर का राजकीय मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में श्री सचिन चौहान व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

† छापीं नहीं गयी।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहपुरा जागीर की भूमि का रिकार्ड चकबंदी विभाग से तहसील में भिजवाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रहपुरा जागीर की भूमि का रिकार्ड चकबंदी विभाग से तहसील में भिजवाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जौनेर व नरखेड़ा के बीच भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम जौनेर व नरखेड़ा के बीच भाखड़ा नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में सखा नदी पुल के पास हाई-वे से वाया दौली जवाहर लाल नैनीताल रोड तक का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री चमन सिंह लोधी आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में सखा नदी पुल के पास हाई-वे से वाया दौली जवाहर लाल नैनीताल रोड तक का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री चमन सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में सिधौली चौराहा से धनेटा शीशगढ़ रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में सिधौली चौराहा से धनेटा शीशगढ़ रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

† छापीं नहीं गयी।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा शाही में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश रस्तोगी आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा शाही में राजकीय इण्टर कॉलेज की स्थापना जनहित में कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश रस्तोगी व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सुल्तानपुर का नदी द्वारा कटान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम सुल्तानपुर का नदी द्वारा कटान रोके जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह गंगवार आदि निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान सिंह गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद-बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा शेषनगर, पुरवा, दाऊदपुर में प्राथमिक विद्यालय स्थापित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री उदय प्रताप पटेल आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा शेषनगर, पुरवा, दाऊदपुर में प्राथमिक शिक्षा से वंचित छात्र/छात्राओं के लिए उक्त गांव में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में श्री उदय प्रताप पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

† छापीं नहीं गयी।

जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम मथुरा (फुटहा) एवं ग्राम सभा-करौंदा के (फुटहा) नाला पर पुलिया निर्माण जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण पटेल आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम मथुरा (फुटहा) एवं ग्राम सभा-करौंदा के (फुटहा) नाला पर पुलिया निर्माण जनहित में कराए जाने के सम्बन्ध में श्री हृदय नारायण पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जिला जौनपुर के वि0ख0 मुँगराबादशाहपुर, ग्राम सभा हैदरेपुर, पोस्ट-निभापुर में सरोज बस्ती के सामने शारदा सहायक बड़ी नहर पर पुलिया का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सरोज आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला जौनपुर के वि0ख0 मुँगराबादशाहपुर, ग्राम सभा हैदरेपुर, पोस्ट-निभापुर में सरोज बस्ती के सामने शारदा सहायक बड़ी नहर पर पुलिया का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सरोज व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेलवई पाल बस्ती से ग्राम सभा थलोई तक छोटी नहर पर 4 किमी0 पक्की सड़क निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र पटेल आदि निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्रीमती सुषमा पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला जौनपुर के वि0ख0 सुजानगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेलवई पाल बस्ती से ग्राम सभा थलोई तक छोटी नहर पर 4 किमी0 पक्की सड़क निर्माण कराएजाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करती हूं।

जनपद गोरखपुर सहजनवाँ तहसील के ग्राम परसाडांड़ के चकरोड सं0-358 के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश दुबे आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर सहजनवाँ तहसील के ग्राम परसाडांड़ के चकरोड सं0-358 के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

† छापीं नहीं गयी।

जनपद गोरखपुर में तैराना नाला को चेक डैम बनाकर सिंचाई के उपयोग के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी आदि निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री विनय शंकर तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोरखपुर में तैराना नाला को चेक डैम बनाकर सिंचाई के उपयोग के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

[04:00 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति की द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 06 मार्च, 2018 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 07 मार्च, 2018 से दिनांक 26 मार्च, 2018 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

- दिनांक 07, 08, 09 एवं 16 मार्च, 2018 को सदन के उपवेशन न हों,
- दिनांक 12, 13, 14 व 15 मार्च, 2018 को आय-व्ययक पर साधारण चर्चा करा ली जाय,
- दिनांक 13, 14 व 15 मार्च, 2018 को नियम 56 की सूचनाएं न ली जाएं,
- दिनांक 20, 22, 23 व 26 मार्च, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान सम्बंधी मदें ले ली जायं तथा
- दिनांक 26 मार्च, 2018 को अपराह्न 3:00 बजे उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2018 के पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसके पारण सम्बंधी मदें ले ली जायं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज मा0 कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बंध में जिसकी सूचना मा0 अध्यक्ष जी द्वारा सदन में दी गयी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

7, 8 व 9 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-10।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018†

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018†

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018†

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018†

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुरःस्थापित करता हूं।

[04:05 बजे]

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

Gसंसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष आदेश दें, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 26 की उपधारा (1) के वर्ग-6 के खण्ड (बारह) के अनुसार विधानसभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष आदेश दें, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 26 की उपधारा (1) के वर्ग-6 के खण्ड (बारह) के अनुसार विधानसभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

---

† दिनांक 13 अप्रैल, 2018 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष आदेश दें, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 26 की उपधारा (1) के वर्ग-6 के खण्ड (बारह) के अनुसार विधानसभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 06 मार्च, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के उपबंधों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, उक्त किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालय में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष आदेश दें, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की सभा में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित) की धारा 26 की उपधारा (1) के वर्ग-6 के खण्ड (बारह) के अनुसार विधानसभा के दो सदस्यों का निर्वाचन कराए जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 06 मार्च, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के संबंध में यह सदन संबंधित नियमों के उपबंधों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित है, उक्त किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्याालय की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त विश्वविद्यालय में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[04:08 बजे] उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधानसभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करें।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन के स्थान पर नाम-निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 06 मार्च, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद् की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त परिषद में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे।''

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को मा0 अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (III) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 06 मार्च, 2018 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद की प्रबन्ध समिति में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, चार सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए तथा उसके बाद उपर्युक्त परिषद में आकस्मिक रिक्तियों की यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए भी प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[04:13 बजे] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं।

आज दिनांक 06.03.2018 को नियम-301 के अन्तर्गत 26 सूचनायें प्राप्त हुई। जिसमें से 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्रीमती जयदेवी की बी0पी0एल/अन्त्योदय कार्ड धारक मरीजों के द्वारा इलाज हेतु जमा की गयी अग्रिम धनराशि वापस करने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री दल बहादुर कोरी की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के नोनार व कुम्बर मऊ के बीच मट्टन नाले पर पुल के निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं, तीसरी सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के नेशनल हाईवे-2 महुअन टोल टैक्स-फरह पर अवैध रूप से टोल टैक्स वसूले जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना डा0 जी0एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के सदर चौराहा से ईदगाह रेलवे स्टेशन के ऊपर दिल्ली बम्बई रेल मार्ग तक बारह खम्भा रेल फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवी सूचना सुश्री अदिति सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर के कतिपय पार्कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री तसलीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में वन दरोगा पुष्पेन्द्र व रेन्ज आफिसर कौडिया रेन्जर राम गोपाल द्वारा निर्दोष गुर्जर यासीन पुत्र नूर आलम को झूठे

सांभर के शिकार के केस में फंसाने व 5 लाख रुपये घूस मांगने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री सुभाष पासी.जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में क्षेत्राधिकारी का आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के बालागंज चौराहे और मोहान रोड को मिलाने वाले मार्ग कैम्पवेल रोड पर अतिक्रमण हटाये जाने एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के जंगल में शेरों द्वारा शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिलाये जाने/फेंसिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में देईपार-भैंसहवा जर्जर मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की सीवर कनेक्शन के बड़े टेण्डर को विभाजित कर समस्या का समाधान करवाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के ब्लाक नगरा को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री अनिल सिंह की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा ब्लाक हिलौली में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के जर्जर भवन का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के बीसलपुर स्टेट हाईवे पर ग्राम हसौआ में गल्ला मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में है तथा पंद्रहवीं सूचना श्री कुलदीप सिंह सेंगर की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में 100 बेड का महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं।

1-श्री ममतेश शाक्य,

2-श्री संजीव कुमार गोंड,

3-श्री अनिल पाराशर,

4-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,

5-श्री बाबू राम पासवान,

6-श्री राजीव कुमार सिंह, 'बब्बू भैया',

7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा,

8-कु0 नरेन्द्र पाल सिंह,

9-श्री राम अचल राजभर,

10-श्री हाकिम लाल बिन्द तथा

11-श्री श्याम सुन्दर शर्मा।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक मरीजों के द्वारा इलाज हेतु जमा की गयी अग्रिम धनराशि वापस करने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती जयदेवी-

[महोदय, सदन के माध्यम से माननीय से अनुरोध करना है कि बी0पी0एल0/ अन्त्योदय कार्ड धारक मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है लेकिन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में मरीज को उक्त सुविधा का लाभ मिलने में अधिक समय लगता है क्यूंकि प्रक्रिया बहुत लम्बी होती है जिसके कारण अधिकांश मरीज जीवन मरण के खतरे से जूझते रहते हैं इस दौरान मरीज एवं उनके रिश्तेदारों के द्वारा अपने पास से धनराशि खर्च किया जाता है लेकिन इस धनराशि को अस्पताल के द्वारा वापस नहीं किया जाता है। अतः माननीय से अनुरोध है कि उक्त धनराशि को मरीजों को लौटाने की व्यवस्था की जाय जिससे गरीब परिवारों को रिश्तेदारों या परिचितों द्वारा इलाज में लगायी धनराशि को वापस किया जा सके जिससे वह परिवार कर्ज मुक्त हो सके। उत्तर प्रदेश के एस0जी0पी0जी0आई0 में बी0पी0एल0/अन्त्योदय कार्ड धारक मरीजों के द्वारा अपने पास से खर्च की गयी धनराशि के वापसी के सम्बन्ध में लिखित में कोई प्राविधान न होने के कारण मरीजों का पैसा अस्पताल प्रशासन द्वारा वापस नहीं किया जा रहा है सदन के माध्यम से अनुरोध करना है इस लोक महत्व के मुद्दे पर निर्णय लेकर गरीब परिवारों को न्याय दिलाने का कष्ट करें।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सलोन के नोनार व कुम्बर मऊ के बीच मट्टन नाले पर पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दल बहादुर-

[महोदय, मेरे सभा क्षेत्र सलोन जनपद रायबरेली के ग्राम नोनार मजरे व पोस्ट परेया नामक सार तहसील सलोन के अन्तर्गत नोनार व कुँवर मऊ के बीच में मटअन नाले पर पुल निर्माण हो जाने से कई ग्राम सभाओं के निवासीगणों को अधिक दूरी तय करके आना-जाना पड़ता है। इस नाले पर पुल का निर्माण होने से कई ग्राम सभाओं के लोगों का आवागमन सुगम हो जायेगा। क्षेत्र की जनता द्वारा इस नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु काफी समय से मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से क्षेत्र की जनता में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा के नेशनल हाईवे-2 महुअन टोल टैक्स-फरह पर अवैध रूप से टोल टैक्स वसूले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, आपका ध्यान अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कराना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा के अन्तर्गित नेशनल हाईवे-2 महुअन टोल टैक्स-फरह पड़ता है। इसके नजदीक 02 किलोमीटर पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली नगर चन्द्रभान है। जहां पर देश के कोने-कोने से पंडित दीन दयाल जी के धाम पर नागरिक आते है। प्रत्येक बार उनसे अवैध रूप से टोल वसूला जाता

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। यह प्रकरण याचिका कमेटी में भी 23 नवम्बर, 2016 में निस्तारित किया जा चुका है जिसमें दिये गये निर्देशों का कोई पालन अथारिटी द्वारा नहीं किया जा रहा है जबकि यू0पी0 से सटे हरियाणा में इसी एन0एच0-2 नेशनल हाइ-वे के अन्य टोल पर स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री सेवा है। श्री दक्षिता दास, संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अ0शा0 पत्र सं0 एच-39011/01/2017-टोल दिनांकित 24.08.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि गैर-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए पंजीकृत वाहनों के मालिक जो फीस प्लाजा से 20 कि0मी0 के भीतर निवास करते हो, तो ऐसे लोगों को मासिक रियायती पास जारी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जिले के भीतर पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को 50 प्रतिशत छूट देने का भी प्रावधान है, का उल्लेख किया गया है। परन्तु उनके द्वारा किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के उपरोक्त विषय पर कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के सदर चौराहा से ईदगाह रेलवे स्टेशन के ऊपर दिल्ली बम्बई रेल मार्ग तक बारह खम्भा रेल फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 जी0एस0 धर्मेश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र छावनी जनपद आगरा में बारह खम्भा, अर्जुननगर खेरियामोड़, रूई की मण्डी शाहगंज के पास स्थित रेलवे क्रासिंग एवं बारह खम्भा रेलवे क्रासिंग पर दिनभर भयंकर जाम की स्थिति रहती है। यह घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। आगरा फोर्ट से ईदगाह रेलवे स्टेशन होकर- पश्चिम रेलवे की कई दर्जन रेल गाड़ियों का दिनभर आवागमन रहता है। इस कारण ज्यादातर यह रेल फाटक बन्द रहता है और जाम की स्थिति रहती है। जिसके कारण कर्मचारी समय से आफिस एवं छात्र-छात्रायें समय से स्कूल एवं मरीज समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाते है। यह समस्या कई वर्षों से है और इस पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने की मांग काफी समय से की जा रही है परन्तु शासन एवं प्रशासन की निष्क्रियता के कारण अभी तक कोई कार्यवाही न होने से जनमानस में निराशा एवं हताशा व्याप्त है। जनहित में सदर तहसील चौराहा से ईदगाह रेलवे स्टेशन के ऊपर से होकर दिल्ली बम्बई रेल मार्ग के पुल तक एवं बारह खम्भा रेल फाटक पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए आगरा में उपरोक्त रेलवे क्रसिंगों पर उपरिगामी सेतु बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूं।।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर के कतिपय पार्कों का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अदिति सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 180, रायबरेली अन्तर्गत में विवरण सौन्दर्यीकरण कराया जाना अति आवश्यक है :- नगरपालिका परिषद, रायबरेली राय अहियापुर में स्थित रेवती राम का

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तालाब क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में रतापुर, प्रगतिपुरम कॉलोनी में स्थित एच-1/16 स्वरूप कुटीर के सामने मीटर, 3-वार्ड-सं0 6 वार्ड रतापुर, प्रगतिपुरम कॉलोनी में स्थित प्रगतिपुरम चौड़ाई में 65X65 मीटर, 4-वार्ड नं0 11 वार्ड मलिकमऊ आयमा, मलिकमऊ पुरानी कॉलोनी क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 45X45 मीटर, 5-वार्ड सं0 11 व कॉलोनी में स्थित जवाहर विहार कॉलोनी में स्थित जवाहर विहार चौड़ाई में 35X35 मीटर, 7-वार्ड सं0 18 वार्ड राजकीय कॉलोनी, फिरोज टंकी वाला पार्क क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 60X80 मीटर, 8-वार्ड सं0 18 कालोनी में स्थित राजकीय कॉलोनी बड़ा पाक्र क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 11 इन्दिरा नगर, आवास विकास इन्दिरा नगर में स्थित इन्दिरा नगर शिव पार्क मीटर, 10-वार्ड सं0 27, वार्ड आनन्द नगर, आनन्द नगर में स्थित आनन्द नगर चौड़ाई में 60X60 मीटर, 11-वार्ड सं0 27, वार्ड आनन्द नगर, आनन्द नगर लम्बाई चौड़ाई में 55X55 मीटर, 12-वार्ड सं0 24, वार्ड प्रकाश नगर, के आजाद पाक्र क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 55X55 मीटर, 13-वार्ड सं0 20 स्थित अमरेशपुरी नगरपालिका स्कूल के पास छोटा पार्क क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई 22, वार्ड नेहरू नगर, आवास विकास इन्दिरा नगर में स्थित कृष्णा कोचिंग में 45X45 मीटर, 15-वार्ड सं0 21, वार्ड इन्दिरा नगर, आर0डी0ए0 इन्दिरा वाला पार्क क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 40X40 मीटर, 16-वार्ड सं0 21, वार्ड नगर में स्थित होली पार्क इन्दिरा नगर क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 40X40 मीटर प्रशिक्षण संस्थान, तिलक नगर में स्थित नलकूप वाला पार्क क्षेत्रफल 18-वार्ड सं0 18, राजकीय कॉलोनी, फिरोज गॉधी नगर में स्थित क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 40X40 मीटर, 19 वार्ड सं0 11, वार्ड मलिकमऊ एल-11, 161 के सामने वाला पार्क क्षेत्रफल लम्बाई चौड़ाई में 40X40 मीटर रानी भगवन्त कौर कॉलोनी, भगवन्त कौर कॉलोनी में स्थित मो0 रानी भवन लम्बाई चौड़ाई में 50X40 मीटर। इन पार्कों का निर्माण कराया जाना जनहित...

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कार्रवाई की माँग करती हूं।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में वन दरोगा पुष्पेन्द्र व रेन्ज आफिसर कौडिया रेन्जर राम गोपाल द्वारा निर्दोष गुर्जर यासीन पुत्र नूर आलम को झूठे सांभर के शिकार के केस में फसाने व 5 लाख रुपये घूस मांगने की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि बिजनौर के विधानसभा-17 नजीबाबाद की वन विभाग के रेन्जर रामगोपाल चौहान व वन दरोगा पुष्पेन्द्र व बीट प्रभारी खताचौड सुन्दरमणि इन तीनों वन कर्मियों द्वारा दिनांक 03.02.2018 को यासीन पुत्र नूर आलम नामक वन गुर्जर को उनकी बोलेरों गाड़ी सहित रात्रि को उनके घर से बुलाकर ले गये और कौडिया रेंज लेजाकर यासीन पुत्र नूर आलम को तीन दिन पूर्व जाफरा के जंगल में मरे हुए साम्भर का शिकार का फर्जी केस लगाकर जाल व छूरी अपनी तरफ से लगा दी और अनाधिकृत तरीके से चालान

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर दिया। इन तीनों कर्मियों ने यासीन पुत्र नूर आलम से व सद्दीक गुर्जर व शमशाद गुजर से 2+1 लाख रुपये ले चुके है नहीं तो उन्हें भी फर्जी तरीके से फंसा रहे थे यासीन ने पाँच लाख नहीं दिये तो यासीन को फर्जी फंसा दिया। पुष्पेन्द्र वन दरोगा रामगोपाल रेन्जर जो अभी साहनपुर रेन्ज से कौडिया रेन्ज आया है व सुन्दरमणि ने आतंक मचा रखा है। खैर और सागौन के पेड़ खुद कटवाते है और इनकी बात न मानने पर वन गुर्जरों को फर्जी केस में फंसाते है।

मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में क्षेत्राधिकारी का आवास बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान अपनी विधानसभा 374 सैदपुर के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ। सी0ओ0 (क्षेत्राधिकारी) सैदपुर को रहने के लिए आज तक सरकार ने कोई आवास ही नहीं आवंटन किया है और न बनवाया है। सैदपुर में जो भी क्षेत्राधिकारी आते है। सरकारी गेस्ट हाऊस या सिंचाई विभाग की कालोनी में एक तरफ से अवैध कब्जा करते रहते हैं। उसमें भी पूरा जंगल ऊगा हुआ है। आये दिन जंगली जानवर निकला करते हैं। ऐसे में जनता की सुरक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं या रहने की व्यवस्था नहीं हैं तो बाकी लोगों का क्या होगा ?

अतः श्रीमान् जी से आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से तत्काल कार्रवाई हेतु व समस्या निदान हेतु पुरजोर मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के बालागंज चौराहे और मोहान रोड को मिलाने वाले मार्ग कैम्पवेल रोड पर अतिक्रमण हटाये जाने एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[महोदय, लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में बालागंज चौराहे और मोहान रोड को मिलाने वाला मार्ग कैम्पवेल रोड के नाम से जाना जाता है। यह रोड अत्यन्त व्यस्ततम रोड है और इस रोड पर 24 घंटे भारी मात्रा में यातायात का आना-जाना रहता है। इस रोड के दोनों ओर काफी अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है जिसके कारण सड़क पर लगातार जाम लगा रहता है। इस सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण को हटाकर यदि सड़क का चौड़ीकरण कर दिया जाय तो जाम की समस्या का निराकरण आसानी से हो सकता है। यह सड़क वैसे भी काफी चौड़ी है आवश्यकता है कि बालागंज चौराहे से लेकर कैम्पवेल रोड के अन्त तक बीच में डिवाइडर बनाकर उस पर प्रकाश स्तम्भ की व्यवस्था करके अंग्रेजों के समय से कैम्पवेल रोड के नाम से जानी जाने वाली रोड को नाम बदलकर निषाद राज मार्ग कर दिया जाय। क्योंकि बालागंज चौराहे पर निषाद राज की आदम कद मूर्ति पहले से ही स्थापित है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के जंगल में शेरों द्वारा शिकार हुए लोगों को मुआवजा दिलाये जाने/फेंसिग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, उत्तर प्रदेश का जनपद पीलीभीत एक ऐसा भू-भाग है जहॉ कि कुल भूमि के क्षेत्रफल के 22 प्रतिशत भू-भाग पर वन है। यह वन परिक्षेत्र आरक्षित घोषित है। स्वाभाविक है कि भिन्न-भिन्न प्रजातियों के पशु, पक्षी एवं जीव जन्तु वन में है। जिनमें से अनेकों दुर्लभ प्रजातियां भी है। शेरों की संख्या भी लगभग 60 से अधिक है। जिनमें से कुछ शेर खूखांर एवं आदमखोर भी है। मार्च वर्ष 2016 से अबतक लगभग दो दर्जन नागरिकों का शिकार शेर कर चुके है जिनमें से कतिपय के अतिरिक्त किसी को मुआवजा की धनराशि प्रदान नहीं की गई है। मृतकों के परिवार वालों को यह कहकर मुआवजा नहीं दिया गया कि वन में नागरिकों के आने पर ही शेर ने शिकार किया है तथा शव शेर वन में उठा ले गया और वहीं उसने खाया। शिकार तो शेर ने ही किया और वन वाले नियन्त्रण करने में असफल एवं असमर्थ रहे। इस लिये मुआवजा दिया जाना अनिवार्य है। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धन वन के किनारे-किनारे फैंशिंग हेतु उपलब्ध करा दिया गया है परन्तु फैंशिग अब तक नहीं हुई है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन में चर्चा करायी जाये तथा मुआवजा एवं फैंशिग हेतु वांछनीय कार्रवाई सुनिश्चित की जायें।]

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में देईपार भैंसदा जर्जर मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रूधौली जनपद बस्ती के अन्तर्गत ब्लाक सलटौआ गोपालपुर की देईपार-भैंसहवा जाने वाला मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है प्रदेश सरकार के द्वारा सड़कों को गढ्ढा मुक्त कराने के लिए चलाये जा रहे अभियान के बाद भी इस सड़क के सूरत में कोई सुधार नहीं हुआ है दो दशक पूर्व बस्ती डुमरियागंज मार्ग के देईपार से कुआनों नदी के भैंसहवा घाट तक 20 कि0मी0 लम्बी सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा शुरू कराया गया था। विभाग द्वारा सोनहा शिवाघाट के सेखुई गांव के देईपार तिराहे तक 6 कि0मी0 तक के मार्ग का लेपन कराया गया बाद में भिरिया बाजार से अमरौली शुमाली खास तक व कोठिला से करीब नगर तक का भी लेपन का कार्य करा दिया गया परन्तु अभी भी तक औड़ जंगल में भैंसहवा घाट लेपन का कार्य तो दूर खड़न्जा तक नहीं लग सका है।

उपरोक्त मार्ग पर सैकड़ों गांवों के साथ-साथ पूर्व विधायक स्व0 अंशुमान सिंह निवासी भिरिया, पूर्व विधायक स्व0 बाबूराम वर्मा निवासी अमरौली सुमाली व पूर्व विधायक अनुप कुमार पाण्डेय निवासी चौकवा तथा उ0प्र0 सरकार के वर्तमान डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के मा0 विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह निवासी भिरिया का भी ग्राम स्थित है इसी प्रकार मेरे विधान सभा के ब्लाक रूधौली में कूड़ी से सेहुड़ा जाने वाला मार्ग व मथुरापुर से भीटा रामसेन तक का मार्ग तथा हसनगढ़ रामनगर का

नोट : [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिरौला महन्थ से हसनगढ़ जाने वाला मार्ग अत्यनत जर्जर एवं छतिग्रस्त है, मार्ग की जर्जर स्थिति के कारण क्षेत्रीय जनता में बड़ा ही आक्रोश व्याप्त है उक्त मार्गो पर दर्जनों प्राथमिक विद्यालय, इण्टर कालेज, व मिडिल स्कूल, बैंक आदि तमाम संस्थाएं स्थापित है मार्ग की जर्जरता के कारण आये दिन राहगीर तथा विद्यालय आने-जाने वाले बच्चे गिर कर घायल होते रहते है।

उपरोक्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत आवश्यकतानुसार उच्चीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है, प्रकरण अत्यन्त लोकमहत्व का है।

अतः इस लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।]

सीवर कनेक्शन के बड़े टेण्डर को विभाजित कर समस्या का समाधान करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नीरज बोरा-

[महोदय, लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न भागों में सीवर सम्बंधी समस्या से जनता को परेशानी हो रही है। अलीगंज, फैजुल्लागंज समेत 6-7 वार्डों में सीवर सम्बंधी छोटे-बड़े कार्य होने हैं। सीवर को कहीं कहीं आपस में जोड़ना है तो कहीं छोटे सीवर को बड़ा कराया जाना हैं इन सभी कार्यों को संयुक्त कर शासन द्वारा लगभग 47 करोड़ का प्रस्ताव बनाया गया तथा टेण्डर आमंत्रित किये गये किन्तु धनराशि अधिक होने के कारण इन कार्यों को कराने के लिए किसी फर्म या ठेकेदार ने रुचि नहीं दिखाई। कई बार टेण्डर आमंत्रित किये गये और उसे निरस्त करना पड़ा।

जनसुविधायें उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं इसलिए व्यापक जनहित में समस्या के समाधान हेतु उक्त 47 करोड़ के कार्यों को विभाजित कर तत्काल कार्य करवाने की दिशा में प्रभावी पहल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सम्मानित सदन का ध्यानाकर्षण करते हुए प्रभावी कार्रवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के ब्लाक नगरा को टाउन एरिया घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बलिया स्थित नगरा ब्लाक जनपद का सबसे बड़ा ब्लाक होने के साथ ही साथ यहां मेन मार्केट नगरा चौराहे से नगरा-घोसी मार्ग एवं नगरा सिकन्दरपुर मार्ग पर 2-2 कि0मी0, नगरा-बेल्थरा मार्ग पर 2.5 कि0मी0 एवं

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नगरा-रसड़ा मार्ग पर 3 कि0मी0 दूर तक घनी मार्केट होने के साथ ही जनपद बलिया का सबसे बड़ी फल व सब्जी की मण्डी के रूप में भी जनपद बलिया में विख्यात है तथा जनसंख्या घनत्व में भी अत्यधिक है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त नगरा ब्लाक एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र के कारण समस्त बलिया जनपद के साथ ही आस-पास के जनपदों से भी लोग यहां पर आते जाते रहते हैं जिससे यह एक बहुत मण्डी के रूप में भी जाना जाता है।

पूर्व में भी कई छोटे-छोटे ब्लाकों को टाउन एरिया घोषित किया गया है परन्तु जनपद के सबसे बड़ा ब्लाक नगरा को आज तक उपेक्षित किया गया जो अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर बलिया जनपद के सबसे बड़े ब्लाक नगरा की महत्ता एवं जनपद के सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र होने के कारण इसे अविलम्ब टाउन एरिया घोषित किये जाने हेतु शासन से कार्यवाही वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र के पुरवा ब्लाक हिलौली में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जर्जर भवन का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र 167, पुरवा उन्नाव अंतर्गत ब्लाक मुख्यालय हिलौली में स्थापित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन अतिजर्जर है बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता है एवं भवन के गिरने का भी खतरा बना रहता है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हैं। उक्त गंभीर प्रकरण को अनेकों बार सम्बंधित अधिकारियों से लेकर शासन तक अवगत कराया पर अभी तक कोई कार्रवाही नहीं हुई। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलंबनीय विषय पर सरकार से कार्रवाही वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर के बीसलपुर स्टेट हाई-वे पर ग्राम हसौआ में गल्ला मण्डी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर की 133-तिलहर विधान सभा के विकास खण्ड-निगोही के अन्तर्गत गल्ला मण्डी/मण्डी परिषद काफी दूर पर है। तिलहर-25 किमी0, पुवायां-25 किमी0, रौजा-30 किमी0, बीसलपुर-30 किमी0 होने की वजह से कृषकों को अपना गल्ला बेचने में अत्याधिक कठिनाई सामना करना पड़ता है। कृषकों को अपना गल्ला

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मजबूरन बिचौलियों के हाथ औने-पौन रुपयों में बेचना पड़ता है। शाहजहांपुर, बीसलपुर स्टेट हाइवे पर ग्राम हसौआ में खाली पड़ी जमीन पर गल्ला मण्डी बनाये जाने विषयक मेरे द्वारा व क्षेत्रीय कृषकों द्वारा कई बार लिखित व मौखिक शिकायत की गयी, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः जनहित में गल्ला मण्डी/मण्डी परिषद बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय जनता की लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के विधान सभ्ज्ञा क्षेत्र बांगरमऊ में 100 बेड का महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुलदीप सिंह सेंगर-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद उन्नाव की 162-बांगरमऊ विधान सभा में कोई भी महिला चिकित्सालय न होने के कारण क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं को जच्चा-बच्चा के समय उपचार न मिल पाने के कारण उनको परेशानी का सामाना करना पड़ता है। जनता की मांग को दृष्टिगत रखते हुए बांगरमऊ विधान सभा में एक 100 बेड का महिला चिकित्सालय स्थापित कराया जाना जनहित में होगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद उन्नाव की 162-बांगरमऊ विधान सभा में 100 बेड का महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने की मांग करता हूं।]

[04:14] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06-03-2018 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना	श्री लालजी वर्मा श्री रामअचल राजभर श्री रितेश पाण्डेय श्री आजाद अरिमर्दन एवं श्री उमाशंकर सिंह की	जनपद उन्नाव में दिनांक 22-02-2018 को कु0 मोनी पुत्री संकठा प्रसाद को असामाजिक तत्वों द्वारा जिन्दा जलाकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरी सूचना	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की	जनपद चन्दौली के धानापुर विकास खण्ड स्थित गुरैनी पम्प कैनाल पर हो रहे गंगा कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है तथा
तीसरी सूचना	श्री अजय कुमार लल्लू, श्री राकेश सिंह एवं सुश्री अदिति सिंह की	उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद व अन्य चयन आयोग द्वारा लचर भर्ती प्रक्रिया अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः-

1 इं0 बृजेश कठेरिया,

2 श्री लालजी वर्मा,

श्री रामअचल राजभर,

श्री शाहआलम उफ्र गुड्डू जमाली,

श्री उमांशकर सिंह तथा अपठनीय

3 श्री रितेश पाण्डेय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय रामअचल राजभर जी आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामअचल राजभर-

मान्यवर, 26 जनवरी 2018 को श्री मुकेश.....

***श्री अध्यक्ष-**

जनपद उन्नाव में 22.02.2018 का जो विषय है उस पर कुछ कहना है?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, श्री राजभर जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनकी सूचना महत्वपूर्ण है। उस पर इनको सुन लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-56 में जो तीन सूचनायें सुबह प्राप्त हुईं थीं वह सरकार को भेज दी गयीं थीं। माननीय लालजी वर्मा जी आप जिस सूचना का जिक्र कर रहे हैं वह चौथी सूचना हो जायेगी और उसकी सूचना सरकार के पास नहीं गयी है तो उसमें क्या उत्तर आयेगा?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नियम-56 में जो सूचना दी थी और वह निश्चित रूप से सरकार के पास उत्तर के लिए चली गयी होगी और उत्तर तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के पास आ जाता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, आप भी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, मैं भी रहा हूं जो सूचनायें पूर्वाह्न में हमारे कार्यालय के माध्यम से सरकार के पास चली जाती हैं वह उनके संज्ञान में आ जाती हैं और उनका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री के पास आ जाता है। आप जिस सूचना का जिक्र कर रहे हैं उसका उत्तर उनके पास कहां से होगा? सभी नोटिसों का उत्तर उनके पास नहीं होता है।

(कई आवाजें कि इन्हें पहले बोल लेने दीजिये)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आप सूचना पर सुन लें उत्तर वे दे देंगे। आज आपने कार्यस्थगन के रूप में मुझे ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, अभी सुबह भी प्रश्न लगा था कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में। माननीय मंत्री जी ने बहुत लम्बा-चौड़ा जवाब दिया कि हमने इतना-इतना प्रतिशत अपराधों में कमी की। माननीय नेता सदन ने भी अभी अपने करीब डेढ़ घण्टे के भाषण में कानून व्यवस्था के बारे में और प्रदेश बदल रहा है के बारे में विस्तार से चर्चा करने का काम किया। मान्यवर, लेकिन एक घटना है इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की खिल्ली उड़ाने के लिए पर्याप्त है। मान्यवर, दिल्ली में एक महिला के साथ जिस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद पूरे केन्द्र की सरकार हिल गयी थी। मान्यवर, इसी तरह से उन्नाव में एक दलित बच्ची के साथ और जिस तरह से उसकी बर्बर हत्या की गयी, उसको जलाया गया। 22.02.2018 को कुमारी मोनी पुत्री संकटा प्रसाद निवासी सतनी बाला खेड़ा थाना बजार बारा सगवा जिला उन्नाव को असामाजिक तत्वों के द्वारा जिस तरह से उसको जलाया गया। मान्यवर, यह हमारे 70 वर्ष के आजादी के इतिहास को कलंकित करता है। निश्चित रूप से आज अपराधियों के हौसले बढ़ें हैं और इसलिए बढ़ें हैं कि सरकार पक्षपात पूर्ण परिस्थिति के अनुसार कार्य कर रही है। एक तरफ जहां अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का काम भी किया जा रहा है वहीं किसी दुर्भावना के आधार पर इनकाउण्टर की भी घटनायें हो रही हैं जो पक्षपात पूर्ण कार्रवाही हो रही है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस प्रश्न के उत्तर में कहा था पहले सुबह ही उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी घटना जहां बलत्कार की घटना हुई, कार्रवाही ना हुई हो। मान्यवर, एक नहीं अनेक घटनाएं हैं, मेरे भी क्षेत्र में अनेक घटनाएं हैं मैं उसका उद्धरण दूसरे दिन करूंगा आज मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा इसलिए माननीय मंत्री जी तैयार नहीं होंगे,

लेकिन मान्यवर ये समाज को कलंकित करने वाली घटना है और तत्कालिक घटना है अविलम्बनीय है। 22 फरवरी की घटना है उसके बाद सदन मान्यवर, आज बैठा है तो इसलिए मैं चाहुंगा कि इसको कार्य स्थगन के रूप में स्वीकृत करके और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता बसपा के द्वारा जो कार्य स्थगन की सूचना सदन में दी गई है मान्यवर निश्चित रूप से यह घटना बहुत ही दुखद है और ये किसी सभ्य समाज में मान्यवर, सही नहीं कही जा सकती। मान्यवर, मैंने सुबह भी कहा था और इस समय फिर दोहरा रहा हूं कि हमारी सरकार अपराधियों को नेस्तनाबूत करने में, अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं कर रही है और आप ये देखें कि जैसे घटना की सूचना मिली इसका मुकदमा भी मान्यवर, पंजीकृत कर दिया गया। थाना बागह सरबर मुकदमा अपराध संख्या 46/2018 धारा 302, 201 भारतीय दंड संहिता आई0पी0सी0 के अंतर्गत अज्ञात में मान्यवर पंजीकृत कर दिया गया और उसकी बहुत तेजी से छान-बीन की गई मौके पर डॉग स्कवॉयड भी भेजा गया और 24 घंटे के अंदर मान्यवर, जो घटना में असली रीजन था विकास गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी सतबीवाला खेड़ा थाना बागह सरबर को चिन्हित करके मान्यवर, और गिरफ्तार भी कर लिया गया। मान्यवर, 24 घंटे के अंदर इस घटना के अंदर जो भी दोषी व्यक्ति था उसको मान्यवर, गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसमें विवेचना मान्यवर, चल रही है और आरोपी के ऊपर एन0एस0ए0 की कार्रवाई भी इंस्टीट्यूट हो रही है जो प्रचलित है। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई कर दी जाए। मान्यवर, किसी भी मरने वाले के कोई कीमत नहीं होती इस प्रकार की, लेकिन फिर भी आप स्वयं इससे भिज्ञ हैं उसको उनके परिवार को आंसू पोछने के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी मान्यवर, प्रदान की गई है विशेष रूप से और आप इससे व्यक्तिगत रूप से साक्षी भी हैं। जहां तक मुझे बताया गया कि आप भी वहां पर मृतका के परिवार से मिले भी थे। साथ ही साथ मान्यवर, जो एस0सी0, एस0टी0 के अधिनियम के अनुरूप 27.2.2018 मृतका की माता के खाते में सहायता करीब 4 लाख 12 हजार 5 सौ रूपए उस पांच लाख रुपये के अतिरिक्त उनको दी गई है। हमारी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है। और हम निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये सदन को विश्वास दिलाते हैं कि विवेचना में जो भी कोई और भी अगर इस पर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी हो गया ? पूरा विषय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हो गया, लेकिन इसलिए चर्चा चाहता हूं कि मान्यवर ये घटनाएं निश्चित रूप से मंत्री जी जवाब देते हैं और बड़े बढ़-चढ़कर घोषणा करते हैं। मान्यवर इसी से मनोबल सबमें बढ़ा है मान्यवर, एक जगह की घटना थोड़ी है मान्यवर, आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ रही है। इसलिए महिलाओं के प्रति जो अपराध है वह बढ़ा है। 24 परसेण्ट, 64 परसेण्ट तक बढ़ा है इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर एक दिन चर्चा जरूर करा दें, जिससे महिलाओं के प्रति जो ये अपराध बढ़ा है प्रदेश की स्थिति में इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो।

इसको ग्राह्य करते हुए इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष-

नियम-56 के अन्तर्गत दी गई इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूं। अब मा0 अजय कुमार 'लल्लू' जी।

***श्री अजय कुमार 'लल्लू'-**

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार जब आई थी तो इस सरकार ने वादा किया था।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय के बाहर काहे जाते हैं, विषय पर बोल दें। सब लोग थके हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

इस सरकार ने 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अध्यक्ष जी, यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इनके जितने भी चयन आयोग हैं, उनमें पिछले एक साल से आज तक कोई भी वैकेन्सी नहीं निकली है। लोक सेवा आयोग में 2015 से लेकर आज तक कोई भी वैकेन्सी नहीं निकली। आप, हम सब लोग सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तमाम छात्र बरसों-बरस तक इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली जैसी जगहों पर जाकर तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद वैकेन्सी न निकलने से तमाम अभ्यर्थी हताशा और निराशा के जीवन को जी रहे हैं। महोदय, इसी सरकार की गलत नीतियों के नाते अभी एस0एस0सी0 के नौजवान पिछले आठ दिनों से दिल्ली में धरना-प्रदर्शन पर हैं और कल यहीं लखनऊ में भी एस0एस0सी0 के छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया था। महोदय, उनकी मांग थी कि जो पेपर आउट हुए हैं उनकी सी0बी0आई0 जांच हो। साथ ही साथ वह वेण्डर जिसने पेपर आउट किया है उसके खिलाफ गम्भीर कार्रवाई हो और आश्वासन दिया जाए कि आने वाले समय में पारदर्शी परीक्षा होगी। ऐसा वे सरकार से चाहते हैं लेकिन अब इस सरकार ने उसके प्रति अपनी मंशा स्पष्ट नहीं की। पिछले समय में जो लोक सेवा आयोग अभ्यर्थी हुआ करते उन्हें दो बार मौका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिलता था लेकिन पिछले कुछ समय से उस दो वर्ष के मौके पर भी रोक लग गई। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहूंगा कि इस दो वर्ष की अवधि में अतिरिक्त अवसर दिए जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हजारों अभ्यर्थी जिनका केवल साक्षात्कार होना है उनका साक्षात्कार समय सीमा के अन्तर्गत कराकर उन्हें भी नौकरी देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही माध्यमिक शिक्षक चयन आयोग का गठन आज तक यह सरकार नहीं कर पाई इसलिए सरकार समयबद्ध तरीके से माध्यमिक शिक्षक चयन आयोग का भी गठन करे और उसमें वैकेन्सी निकालकर नौजवानों को रोजगार देने के प्रति अपनी मंशा जाहिर करे। अध्यक्ष जी, मैं इस उपरोक्त अविलम्बनीय, तात्कालिक, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने नियम-56 की सूचना के माध्यम से दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है और माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के बारे में भी अपनी बात कही है। मान्यवर, आप एक दल के नेता भी हैं और सभी प्रकार की जानकारी भी रखते हैं। लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा चयन की कार्रवाई निरन्तर चल रही है। इसमें वर्तमान में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। जो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की बात है उसका भी गठन 22.01.2018 को हो गया है। उसी के साथ-साथ उनके पांच सदस्यों की नियुक्ति भी हो गई है। वह आयोग भी क्रियाशील है और विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए चयन की कार्रवाई चल रही है। जिन लिखित परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं उनके साक्षात्कार कराए जाने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हो चुकी है। इस प्रकार जो रिक्त पद हैं उन पर पूरी तरह से अब चयन का रास्ता साफ हो गया है इसलिए इसमें भी कोई रुकावट नहीं है।

साथ ही साथ जो माध्यमिक सेवा चयन आयोग की बात कर रहे हैं उसका भी गठन प्रक्रियाधीन है। जल्दी ही उसका गठन हो जाएगा और हम समझते हैं कि यह देरी जो हुई हमारी यह कोशिश है कि उसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता हो किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो जो सही मायने में डिजर्व करते हैं, जो योग्य हैं जो क्वालिफाई करते हैं उसमें पारदर्शिता के आधार पर ही उनको सेवा मिले यह सरकार का प्रयास है। नियम-56 के अंतर्गत यह सूचना नहीं आती है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

आपने कहा कि लोक सेवा आयोग की भर्ती निरन्तर प्रक्रियाधीन है। महोदय वर्ष 2015 से आज तक लोक सेवा आयोग द्वारा एक भी वैकेन्सी नहीं निकली। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एस0एस0सी0 के लड़के आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाहाबाद में आज भी प्रदर्शन चल रहा है, धरने पर लोग बैठे हैं, दिल्ली में भी चल रहा है। तमाम जगहों पर एस0एस0सी0 से लेकर तमाम आयोगों की परीक्षाओं की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन चल रहा है।

मैं आपके माध्यम ये सिर्फ सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ यह बता दे कि लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेन्सी कब तक निकाल दी जाएगी कृपया यह बता दें क्योंकि वर्ष 2015 से अब तक एक भी वैकेन्सी नहीं निकली है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिस वजह से व्यवधान आया सबको मालूम है और उसका हम यहां पर बहुत लंबे तरीके से जिक्र नहीं करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

वैकेन्सीज की जानकारी सरकार के पास कहां होगी?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन मान्यवर, जिस वजह से देरी हुई और हम चाहते हैं जैसा कि मैंने कहा मान्यवर, पूरी तरीके से पारदर्शिता हो और जल्दी ही इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य की अपेक्षा है वह भी पूरी हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको नियम-56 में निरस्त करते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार लोक सेवा आयोग के प्रति गंभीर नहीं है और यह लगातार उत्तर प्रदेश के गरीब जनता को गुमराह कर रही है तथा इस सरकार की गलत नीतियों के कारण लाखों नौजवान जो तैयारी कर रहे हैं, वह बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इसलिए सरकार की इन नीतियों को विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् श्री अजय कुमार लल्लू जी अपने दल के अन्य सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गए)

श्री अध्यक्ष-

इसको हमने निरस्त किया। माननीय प्रभु नारायण यादव जी उपस्थित हैं? नियम-56 में हमने बाकी सूचनायें अस्वीकार कर दी हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, श्री राम अचल राजभर की सूचना सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

हमने उनको सेवेरे तो भेजा नहीं है। अगर वह उत्तर नहीं देंगे क्या फायदा?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पूरी बात सुन लीजिए, अगर उत्तर नहीं देंगे तो कोई बात नहीं आप पूरी बात सुन तो लीजिए। पूरी बात सदन में आ जाने दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आपके द्वारा यहां पर जो जारी हुआ उसमें नीचे लिखा है कि निम्न सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपको अधिकार है कि आप इसको सुन सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जब सूचनाएं अस्वीकार हो गयीं तो हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना आई नहीं और अब उधर से मान्यवर, कल समाचार पत्रों में छपेगा और सरकार का जवाब नहीं होगा। ये अपने आपमें उचित नहीं होगा। आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि इस सम्बन्ध में आगे जब सदन की कार्रवाई हो तो उसमें ले लिया जाए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक सूचना नियम-56 में दी गयी कि जनपद आजमगढ़ में मुकेश राजभर का फर्जी इनकाउण्टर हुआ। माननीय रामअचल राजभर जी ने सूचना दी है, मैंने भी दिया है, श्री उमाशंकर सिंह और इस तरह से 5-6 सदस्यों ने सूचना दी है। ठीक है, यह सूचना स्वीकार नहीं है माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था है वह उसको स्वीकार भी कर सकते हैं इसलिए टेन्टेटिव रिपोर्ट सब की बनायी जाती है। वह आपके पास लिखित में न आये तो दूरभाष से भी मॅगवा लेते कि सूचना हमारे पास है हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष जी अपने विवेक से इसको स्वीकार कर लें उस पर शासन तैयारी किये रहता है। शासन द्वारा हर नोटिस की तैयारी की जाती है हो सकता है कि माननीय अध्यक्ष जी का विवेक हो, बहुत बड़ा विवेक है दो मिनट हम लोगों को भी सुन लें। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इस घटना से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दो-चार मिनट कुछ अवगत कराएंगे अगर वह कुछ नहीं कर पाएंगे तो माननीय अध्यक्ष जी यह निर्देश दे दें कि मैं शासन का ध्यान इस घटना के प्रति आकर्षित कर दे रहा हूं। बगैर आपकी सूचना आये यह अधिकार तो है माननीय अध्यक्ष जी का कि वह आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। दो मिनट इनका सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

तो इस पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित कर देते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मान्यवर, आप सुन लें। आग्रह है आपसे कि सुन लें। टेन्टेटिव रिपोर्ट आ जाती है। फिर हाऊस में जवाब बाद में आ जाएगा। जवाब दूसरे दिन भी आ जाएगा आप सुन लें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, दो मिनट ये बोल देंगे और दो मिनट हम बोल देंगे आप सुन लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर आपकी तरफ से यह नहीं आता कि माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं तो मान्यवर, सूचना आ सकती थी लेकिन चूँकि सूचनायें अस्वीकार हो गयीं यह बकायदा आपके कार्यालय से लिखित रूप से मिला है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब आपने व्यवस्था दे दी कि शासन का ध्यान आकर्षित कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो लिखित सूचना आयी है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्यमंत्री आपको याद होगा कि अस्वीकृत सूचनाओं को भी आप निवेदन करके स्वीकार कराएं हैं, और स्वीकार किया गया है और मैंने सुना भी है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सूचना होती तो सुनवा देते लेकिन आपकी बात आये सरकार का पक्ष न आए यह भी ठीक नहीं है। आप तो इतने पुराने संसदीय मान्यताओं के नियमों के मर्मज्ञ है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, ठीक है, मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन मान लीजिए कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने रख दिया हमने भी रख दिया तो इसमें क्या दिक्कत है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिस दिन 12 तारीख को हाउस हो उस दिन रख लीजिएगा, घटना तो कोई चली नहीं गयी, मान्यवर, 12 तारीख को सुन लीजिएगा उस दिन हम इसका जवाब देंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसमें प्रतिष्ठा बनाने की क्या जरूरत है अस्वीकृत सूचनाओं के लिए भी आपका विवेक है वह जो सूची बन गयी है अस्वीकृत सूचनाओं की।

श्री अध्यक्ष-

यह तो ठीक नहीं है कि आज सवाल हो और जवाब 12 को हो लेकिन उसका हम ध्यानाकर्षण किए देते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उनका एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

सुन तो लेंगे चूंकि हमने सवेरे इसको अस्वीकृत कर दिया था, आपसे बात भी हुई थी, किसी की बात सुन लेने में दिक्कत नहीं है लेकिन संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसका उत्तर मेरे पास नहीं है और वह सही कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कई बार ऐसा हुआ है और माननीय खन्ना जी ने भी सुनाया है और कई बार दोबारा उत्तर दूसरे दिन भी दिया गया है। मान्यवर, आप उस पर सुन लें आपको स्वयं ग्राह्य-अग्राह्य करना है।

श्री अध्यक्ष-

हम अग्राह्य अब कहां कर रहे हैं हमने तो उसको कह दिया है कि इसे सरकार के पास भेज रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सुन लें इतना आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

मान जाइए, मा0 संसदीय कार्यमंत्री अभी तैयार नहीं है। मैंने प्रातःकाल उसको निरस्त सूची में लिख दिया था। अगर प्रातःकाल निरस्त सूची में न चला जाता तो हम सुन लेते।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, उत्तर आना जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

फिर कहने का क्या मतलब है, 12 को हम सुन लेंगे।

[04:37 बजे] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 06.03.2018 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री मनीष असीजा की, दूसरी रमेश चन्द्र मिश्र, तीसरी देवमणि द्विवेदी की, चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, इसमें भी हाजिरी ले ली जाये।

श्री अध्यक्ष-

हाजिरी ले लें तब तो बढ़िया रहेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले से भी यह व्यवस्था रही है कि नियम-51 लास्ट में इसीलिए रखा जाता है कि माननीय सदस्य अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे। इसीलिए अध्यक्ष जी, हाजिरी जरूरी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं हाजिरी लिए लेता हूं, मेरी हाजिरी में रुचि भी है क्योंकि मैं तो यहां पर अकेले बैठा हुआ हूं।

पहली सूचना श्री मनीष असीजा की सिरसा नदी हेतु समुचित कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई किये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की (माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर) तीसरी सूचना श्री देवमणि द्विवेदी की जनपद सुल्तानपुर की तहसील लम्भुआ को टूरिस्ट सर्किट में जोड़े जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम स्थित पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय कन्या महाविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति व अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में संचालित प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में किसान इण्टर कालेज में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री बम्बा लाल दिवाकर की (माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर) आठवीं सूचना मो0 असलम राइनी 'एडवोकेट' की (माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर) नवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह सांगा की (सदस्य के अनुपस्थित रहने पर), दसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में फैल रहे प्रदूषण के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तथा श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री बम्बा लाल, श्री मो0 असलम राइनी "एडवोकेट" श्री अभिजीत सिंह सांगा के सदन में अनुपस्थित रहने पर उनके स्थान पर सुश्री अदिति सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री रामअचल राजभर, श्री उमाशंकर सिंह की सूचनायें स्वीकृत की जाती है। शेष मा0 सदस्यों श्री अजय सिंह, श्रीमती साधना सिंह, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीमती जयदेवी, श्री ममतेश शाक्य, श्री अनिल पारासर, श्री संजीव कुमार गोड, श्री पूरन प्रकाश, श्री विक्रम सिंह सैनी, डा0 जी0एस0 धर्मेश, श्री बृजेश कुमार प्रजापति, श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भईया, श्री तसलीम अहमद, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री राहुल प्रकाश, श्री पारसनाथ यादव, श्री सुभाष पासी, श्री नरेन्द्र पाल सिंह, श्री हाकिम लाल बिंद, श्री अनिल सिंह, श्री शाहआलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजाद अरिमर्दन, सुश्री वन्दना सिंह, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री श्याम सुंदर शर्मा की सूचनायें अस्वीकार की गईं।

उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा वर्ष 2006 में जारी की गई नियमावली में किये गये संशोधन के अनुसार वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वित्त का वक्तव्य

(संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

उक्त सूचना के संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या ...

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वित्त मंत्री का वक्तव्य का संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[13/1297-का-1-2013, दिनांक 24-4-2013 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से, यथास्थिति, उक्त निरन्तर पद या पदों पर यथानिर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर सेवा की ऐसी विहित न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित शिथिलता प्रदान कर सकती है, परन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि प्रशासनिक विभाग पदोन्नति के लिए यथास्थिति निम्नतर पद या पदों पर विहित सेवा की न्यूनतम अवधि में 50 प्रतिशत से अधिक की शिथिलता प्रदान करने का औचित्य पाता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्मिक विभाग के माध्यम से एक समुचित प्रस्ताव मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा और समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुतियों को कार्मिक विभाग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को संसूचित किया जायेगा और तत्पश्चात पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम अवधि को उक्त संस्तुतियों के अनुसरण में प्रशासनिक विभाग द्वारा शिथिल किया जा सकता है।

2- उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा में ग्रेड वेतन रु0 10,000, रु0 8900, रु0 8700, रु0 7600, रु0 6600 एवं रु0 5400 के पद सृजित/चिन्हित हैं, जिनके संबंध में वर्तमान चयन वर्ष में पदोन्नति की कार्यवाही के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :-

(1) वर्तमान चयन वर्ष में ग्रेड वेतन रु0 10,000 में रिक्त/संभावित रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग के माध्यम से सम्पन्न करायी जा चुकी है और रिक्त 04 पदों पर पदोन्नति के आदेश दिनांक 11-12-2017 द्वारा निर्गत किये जा चुके हैं।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) ग्रेड वेतन रु0 8900 के रिक्त पदों पर चयन के लिए आवश्यक प्रस्ताव एवं अभिलेख कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं। कार्मिक विभाग द्वारा चयन कराये जाने के उपरान्त प्रदान की गयी संस्तुति के अनुसार पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(3) ग्रेड वेतन रु0 8700 में रिक्त पदों पर पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हता में 50 प्रतिशत की सीमा तक शिथिलीकरण प्रदान करते हुए चयन की कार्यवाही सम्पन्न कराते हुए 07 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश दिनांक 01-11-2017 को निर्गत कर दिये गये हैं, 02 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही लम्बित होने के कारण उनके लिए पद सुरक्षित रखा गया है।

(4) ग्रेड वेतन रु0 7600 में 02 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश दिनांक 07-12-2017 को निर्गत कर दिये गये हैं और 01 अधिकारी के नाम पर विचारण आस्थगित रखते हुए उनके लिए पद सुरक्षित रखा गया है।

(5) ग्रेड वेतन रु0 6600 में पदोन्नति ग्रेड वेतन रु0 5400 के अधिकारियों में से की जाती है। ग्रेड वेतन रु0 5400 की वरिष्ठता सूची दिनांक 29-8-2012 को निर्गत हुयी थी, तदोपरान्त लोक सेवा आयोग से प्राप्त संस्तुतियों के क्रम में नियुक्ति प्राप्त अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए समेकित वरिष्ठता सूची निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, तदोपरान्त ही ग्रेड वेतन रु0 6600 में पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

3-उक्त से स्पष्ट है कि उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा में पदोन्नति के लिए वित्त विभाग के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित शिथिलीकरण नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण का लाभ कार्मिक को अधिकार स्वरुप प्राप्त नहीं है। वस्तुतः अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण तथ्यों/परिस्थितियों के आधार पर ही विचारणीय होता है।]

श्री अध्यक्ष-

अगली मद, श्री नीरज बोरा जी की है।

(उपस्थित नहीं है)

जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 नीरज बोरा द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 2018 को दी गई सूचना पर नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह परम्परा रही है कि जो सदस्य अपनी सूचना के समय सदन में उपस्थित नहीं होगें, उनकी सूचना नहीं ली जाती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है, अतः यह मद व्यपगत रहेगी। अब हम अगली मद लेते हैं।

इस संबंध में अवगत कराना है कि इकौना बाजार जनपद श्रावस्ती की तहसील है, जो नगर पंचायत है ....

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[डा0 नीरज बोरा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13-02-2018 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में लखनऊ उत्तर विधान सभा, क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान हेतु सबमर्सिबल पम्प स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न तथ्यों से अवगत कराते हुए वक्तव्य की मांग की गई है :-

(1) लखनऊ उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न भागों में पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं है। जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से लगभग 90 स्थानों पर तत्काल समर्सिबल लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे सम्बन्धित प्रस्ताव सरकार के पास बहुत दिनों से विचाराधीन है।

(2) पेजयल आपूर्ति सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है इसलिए व्यापक जनहित में विभाग के पास विचाराधीन लगभग 80 चिन्हित स्थानों पर समर्सिबल पम्प स्थापित करवाकर पेयजल समस्या का निदान कराया जाय।

2-उक्त के संबंध में अवगत कराया जाना है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश वार्ड प्राइवेट सोसायटी द्वारा विकसित एक अनियोजित क्षेत्र है, जिसके मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। ऐसी अनियोजित कालोनियों में मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व यद्यपि नगर निगम, लखनऊ का नहीं है तथापि व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम, लखनऊ द्वारा अपने सीमित संसाधनों से उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 24 स्थानों पर सबमर्सिबल पम्पों की स्थापना की गयी है। अन्य स्थानों पर सबमर्सिबल पम्प की स्थापना किया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा तिलहर में दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को ग्राम कोटवारी में दीवाल गिरने से हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्री रोशन लाल वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13-02-2018 को मुख्य रुप से विषयगत मामले में नियम-51....

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[सूचना दी गयी थी कि दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा जनपद शाहजहांपुर में ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी को अधिकृत किया गया है, जिनका शाहजहांपुर में कोई आफिस भी नहीं है। इस कम्पनी को अरबों रुपया सरकार द्वारा दिया जा रहा है, किन्तु इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा दुर्घटना में पीड़ित लोगों को कोई न कोई आपत्ति लगाकर मुआवजा राशि नहीं दी जा रही है। कम्पनी के इस कृत्य के कारण प्रदेश भर में नाममात्र लोगों को बीमा राशि का लाभ दिया जा रहा है और करोड़ों रुपया बीमा कम्पनी द्वारा हड़प कर लिया जा रहा है। जनपद शाहजहांपुर में ही केवल 1371 लोगों को दुर्घटना के एवज में मुआवजा नहीं दिया गया, इस हिसाब से प्रदेश में मृतकों व घायलों की संख्या 50-60 हजार से भी बहुत होगी। प्रदत्त सूचना में यह भी उल्लेख है कि जनपद शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा में दिनांक 24-10-2017 को मृतक श्री स्वामी दयाल पुत्र झाऊ लाल, निवासी ग्रा0 कोटावारी, परगना बड़ा गांव, तह0 पुवांया, जिला शाहजहांपुर एवं उनकी पत्नी श्रीमती जयादेवी की कच्ची दीवाल गिरने के कारण मलबे में दबकर मौके पर ही मृत्यु हो गयी। इसी प्रकार ग्राम गिरगिचा, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर के तीन लोगों क्रमशः श्री कुनेन्द्र पाल सिंह पुत्र पुत्तु सिंह, श्री रामभजन लाल पुत्र मैकूलाल, श्रीमती रामवती पत्नी रामभजन लाल व अन्य दो लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है। इन सभी को मुआवजा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। बताया गया है कि वर्ष 2016-17 व फरवरी, 2018 तक जनपद शाहजहांपुर में 685 मृत्यु तथा दुर्घटना में घायल 688 कुल 1373 लोगों के परिवार वालों को अभी तक दुर्घटना बीमा राशि नहीं मिली है। उन्होंने यह भी संज्ञानित किया है कि पूर्व में दुर्घटना हेतु मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाता था, जिसमें किसी भी मृतक परिवार व घायलों को कोई असुविधा नहीं हुयी है। इस कारण दुर्घटना के पीड़ितों को पूर्व व्यवस्था के अनुसार ही मुआवजा दिलाये जाने की नितान्त आवश्यकता बतायी गयी है। मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना पर दिनांक 06-03-2018 को विधानसभा में वक्तव्य निर्धारित किया गया है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के संबंध में संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय से सूचना/आख्या मांगे गये, उनके द्वारा वांछित सूचना ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 से प्राप्त कर उपलब्ध करायी गयी है। जिसके अनुसार पूर्व में प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना राजस्व विभाग के माध्यम से लागू थी, जिसमें

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में रु0 5.00 लाख का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा सीधे वहन किया जाता था। अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा सीधे वहन किया जाता था। अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कृषकों (राजस्व अभिलेखों/खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार) तथा किसी भी व्यवसाय/कार्य में लगे प्रदेश के ऐसे निवासी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु0 75,000/- से कम है तथा योजना की अवधि में आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य है को सामाजिक सुरक्षा का आवरण देने हेतु दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से "मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना" लागू की गयी है। आच्छादित परिवार के मुखिया/रोटी अर्जक (बीमा धारक) को रु0 5.00 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं मुखिया/रोटी अर्जक एवं परिवार के सदस्य की दुर्घटना के उपरान्त 30 25,000/- तक प्राथमिक चिकित्सा सहित कुल रु0 2.50 लाख तक चिकित्सा लाभ तथा आवश्यकतानुसार रु0 1.00 लाख तक के कृत्रिम अंग प्राप्त कर सकेंगे। उक्त योजना की कार्यावधि अग्रेतर बढ़ाकर दिनांक 14 सितम्बर, 2018 तक कर दी गयी है। योजनान्तर्गत बीमा कम्पनी द्वारा निरस्त दावों के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति निर्णय लेने हेतु अधिकृत हैं, जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी है।

2-जिलाधिकारी, शाहजहांपुर और महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय ने ओरिएंटल इश्योरेंस कं0 से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत वक्तव्य के संबंध में शासन को प्रेषित की गयी है। प्राप्त सूचना के आधार पर निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट की गयी हैः-

1. दिनांक 24-10-2017 को मृतक स्वामी दयाल पुत्र झाऊलाल व उनकी पत्नी जयदेवी निवासी ग्राम कोटावारी तह0 पुवायां जनपद शाहजहांपुर के वारिसान/उनके पुत्रों द्वारा मुख्य मंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया गया था। बीमा कम्पनी दि0 ओरिएण्टल इंश्योरेंस लि0 के अनुसार मृतकों के पुत्र विवाहित है तथा मृतक पर आश्रित नहीं थे। कम्पनी द्वारा इस आधार पर दावा अस्वीकृत कर दिया था। पुनः बीमा कम्पनी के पत्र दिनांक 23-2-2018 के अनुसार मृतक स्वामीदयाल का दावा स्वीकृत कर दिया गया है।
2. ग्राम गिरगिया था निगोही जनपद शाहजहांपुर में मृतक तीन लोगों में से कुनेन्द्रपाल पुत्र पुत्तु सिंह के वारिसान द्वारा दावा प्रपत्र बीमा कम्पनी को प्रेषित किया गया था जिसे कम्पनी की आख्यानुसार दिनांक 23-2-2018 को स्वीकृत किया गया है।
3. मृतक रामभजन पुत्र मैकूलाल व रामवती पत्नी रामभजन (पति-पत्नी) के कोई पुत्र नहीं है मात्र 6 विवाहित पुत्रियां हैं, जो आश्रित की श्रेणी में न आने के कारण उनके द्वारा दावा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. बीमा कम्पनी से दावों के निस्तारण की स्थिति प्राप्त की गयी जिसके अनुसार दिनांक 15-2-2108 तक कुल प्राप्त 477 दावों में से 259 दावे स्वीकृत किये गये हैं एवं 152 दावे विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये है तथा 66 दावे निस्तारण हेतु लम्बित हे।

ओरियण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि0 अगवत कराया गया है कि ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी का पूर्णकालिक शाखा 280, सदर बाजार शाहजहांपुर में स्थित है। वर्ष 2016-17 व 13 फरवरी, 2018 तक जनपद-शाहजहांपुर में ओरियण्टल इंश्योरेंस कम्पनी को मृत्यु/विकलांगता के 452 दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 259 दावों हेतु रु0 12.95 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इनमें से रु0 11.25 करोड़ का भुगतान वर्ष 2016-17 में एवं रु0 1.70 करोड़ का भुगतान वर्ष 2017-18 में किया गया है। कुल 153 दावे निरस्त एवं 40 दावे प्रक्रियागत हैं तथा दुर्घटना उपरान्त उपचार के 24 दावे प्राप्त हुए थे, जिनमें से 18 दावों हेतु रु0 2,63,911 का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी को आवंटित समस्त 40 जिलों में दुर्घटना के उपरान्त इलाज हेतु वर्ष 2016-17 (योजना की अवधि दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से दिनांक 13 सितम्बर, 2017 तक) में 740 लाभार्थियों को रु0 1,26,33,212/- का भुगतान कम्पनी द्वारा किया जा चुका है।

ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी को वर्ष 2016-17 (योजना की अवधि दिनांक 14 सितम्बर, 2016 से दिनांक 13 सितम्बर, 2017 तक) हेतु ई-टेण्डर द्वारा 40 जिले आवंटित किये गये थे, जिसका प्रीमियम रु0 310.30 करोड़ प्रदान किया गया था, जिसमें से रु0 40.46 करोड़ सर्विस टैक्स घटाते हुए शेष राशि रु0 269.84 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 13 फरवरी, 2018 तक रु0 283.14 करोड़ की बीमा का भुगतान किया जा चुका है।]

जनपद श्रावस्ती के इकौना बाजार से सब्जी मण्डी को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामफेरन पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस संबंध में अवगत कराना है कि इकौना बाजार जनपद श्रावस्ती की तहसील है, जो नगर पंचायत है....

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[यह मण्डी समिति पयागपुर जनपद बहराइच का मण्डी क्षेत्र है, जो प्रधान मण्डी स्थल अथवा उप मण्डी स्थल घोषित नहीं है और न ही मण्डी समिति, पयागपुर द्वारा दुकानों आदि का कोई निर्माण कार्य कराया गया है। इकौना बाजार के चौक क्षेत्र में सब्जी की थोक व फुटकर दुकानें निजी भूमि पर व्यापारियों द्वारा लगायी जाती हैं तथा इकौना भिनगा मुख्य मार्ग पर पी0डब्लू0डी0 की सड़क के दोनों किनारों पर तथा सड़कों के किनारे स्थित दोनों पटरी पर भवन स्वामियों द्वारा किराये पर दुकानें लगवायी जाती हैं।

3-अतः इकौना बाजार में चौक स्थित सब्जी मण्डी को हटाये जाने का कार्य नगर पंचायत इकौना तथा स्थानीय प्रशासन की परिधि में आता है। यह कार्य मण्डी स्तर से वांछनीय नहीं है। इस प्रकार प्रश्नगत बाजार को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही मण्डी परिषद/मण्डी समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है।]

जनपद बुलन्दशहर के आवास विकास कालोनी में लिंक मार्ग पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र सिंह सिरोही द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इसे नियोजन विभाग में भेजा गया है इसलिये इसे स्थगित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त भी मण्डी शुल्क समाप्त न किये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गर्ग द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि विपणन मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इस संबंध में अवगत कराना है कि मण्डी शुल्क को जी0एस0टी0 में समाहित नहीं किया गया है ....

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[जी0एस0टी0 में कर (टैक्स) समाहित किये गये हैं, जबकी मण्डी शुल्क कर (टैक्स) नहीं है, बल्कि शुल्क (फीस) है। उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा-8(1)(क) के अन्तर्गत कुल 116 निर्दिष्ट कृषि उत्पाद अधिसूचित हैं, जिन पर मण्डी

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधिनियम, 1964 की धारा-17(3)(ख) के अन्तर्गत मण्डी शुल्क व विकास सेस देय है। इस प्राप्त धनराशि को मण्डियों/मण्डी क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ कृषक हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं में तथा व्यापारियों एवं कृषकों की सुख-सुविधाओं एवं विकास के कार्यों पर खर्च किया जाता है। निर्दिष्ट कृषि उत्पादों से मण्डी शुल्क समाप्त करने पर राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यों एवं कृषकों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं यथा-समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना, खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना एवं मण्डी आवक-किसान उपहार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसके दृष्टिगत निर्दिष्ट कृषि उत्पादों से मण्डी समाप्त किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण पूर्णतः नीतिगत है और अधिनियम में प्राविधानित है।

जहां तक दाल एवं धान के प्रोसेसिंग होने के उपरान्त मण्डी शुल्क लिए जाने का प्रश्न है। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वर्ष 1998 से एक सूत्रीय मण्डी शुल्क की व्यवस्था लागू होने के उपरान्त पूरे प्रदेश में किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर केवल एक बार मण्डी शुल्क एवं विकास सेस लिया जाता है।]

जनपद रायबरेली के सदर विधान सभा क्षेत्र में इन्दिरा उद्यान, बेहटा पुल एवं शहीद स्मारक का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री अदिति सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, उपरोक्त के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति..

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य नगर विकास मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[निम्नवत है :-

1. <u>इन्दिरा उद्यान</u>- उद्यान में जनोपयोगी सुविधाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। स्थानीय वन विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की लागत रु0 143.97 लाख की डी0पी0आर0 तैयार की गयी है।
2. <u>बेहटा पुल</u>- शारदा सहायक पोषक नहर के 232.800 किमी0 पर निर्मित सई एक्वाडक्ट जिसे स्थानीय लोगों द्वारा बेहटा पुल का नाम दिया गया है, रायबरेली

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शहर के समीप एक महत्वपूर्ण सिंचाई संरचना है, जिससे सई नई के ऊपर शारदा सहायक पोषक नहर गुजरती है। पोषक नहर के माध्यम से जनपद रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर एवं बनारस में सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। सई एक्वाडक्ट (बेहटा पुल) जर्जर एवं क्षतिग्रस्त न होने से एवं पोषक नहर की सुरक्षा के दृष्टिगत एक्वाडक्ट पर सौन्दर्यीकरण कार्य प्रस्तावित नहीं है।

3. शहीद स्मारक- रायबरेली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2003-04 में अवस्थापना निधि से मुंशीगंज रायबरेली स्थित शहीद स्मारक व भारत माता मंदिर का निर्माण कराया गया था। प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले श्रद्धाजंलि समारोह एवं मेले के आयोजन के समय मरम्मत, रंगाई, पुताई एवं उद्यान से सम्बन्धित कार्य कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थल के समीप से सई नदी की ओर जाने वाली सड़क के सुधार एवं रिटेनिंग वाल के कार्य हेतु अवस्थापना निधि से रु0 40.00 लाख के व्यय हेतु प्रस्ताव किया गया है।]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह मद स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद गोरखपुर के कतिपय राजस्व ग्रामों में किसानों की भूमि नदी के कटान से प्रभावित होने के संबंध में श्री संत प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, श्री संत प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर वक्तव्य निम्नवत है। नदी द्वारा कटान किया जाना...

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, पढ़ा हुआ माना गया।)

[एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है।

जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के बायें तट एवं कुआनों के नदी के दायें तट पर स्थित खड्गपुर शाहपुर सोपाई बांध के कि0मी0 0.000 से कि0मी0 26.300 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की परियोजना लागत 3749.56 लाख, उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की स्थाई संचालन समिति एवं भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग की सलाहकार समिति की 130वीं बैठक दिनांक 30-09-2016 द्वारा स्वीकृत है। परियोजना पर वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना का कार्य कराने हेतु निविदा दिनांक 30-12-2017 को आमंत्रित की गयी है। अनुबंध गठित होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

घाघरा नदी की कटान से राजस्व ग्राम कटया, समहुतापुर, नारायनपुर, राईपुर, शाहपुर आदि ग्राम एवं बांध को वर्तमान में कोई खतरा नहीं है।

भारत नेपाल सीमा पर अत्यन्त महत्वपूर्ण योजना नेपाल बार्डर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री) श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमादित भारत नेपाल सीमा पर...

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[इण्डो नेपाल बार्डर मार्ग निर्माण परियोजना का सैद्धान्तिक अनुमोदन वर्ष 2010 में 640 किमी0 लम्बाई एवं लागत रु0 1621.00 करोड़ प्रदान किया गया। प्राप्त अनुमोदन के अनुसार मार्ग निर्माण होने पर होने वाले व्यय भारत सरकार द्वारा एवं मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक भूमि क्रय कार्य एवं वन/वन्य जीव क्षेत्र में अनापत्ति प्राप्त किये जाने/वृक्षों के पातन इत्यादि पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त वास्तविक लम्बाई 574.58 किमी0 एवं लागत रु0 2805.00 करोड़ गठित कर भारत सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित कराया गया। भारत सरकार द्वारा (वित्तीय वर्ष 2012-13 में 11 कार्यों एवं 2014-15 में 01 कार्य) 257.02

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किमी0 लंबाई में लागत रु0 735.82 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष लंबाई में कार्यों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि वन/वन्य जीव क्लीयरेंस प्राप्त होने पर ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 257.02 किमी0 लम्बाई में 199.12 किमी0 में भूमि क्रय का कार्य आपसी समझौते से सीधे कृषकों से किया जा रहा था। किन्तु भारत सरकार द्वारा भूमि क्रय हेतु निर्गत नवीन पालिसी (2013) प्राख्यापित किये जाने के कारण भूमि क्रय का कार्य उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 19-03-2015 के अनुसार पुनः प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 257.02 किमी0 लंबाई के अन्तर्गत जनपद महाराजगंज में 67.60 लंबाई के कार्य स्वीकृत हैं, जिनकी प्रगति निम्नानुसार है :-

1. **ठूठीबारी से बरगदवा मार्गः-** उक्त मार्ग की लम्बाई 7.60 किमी0 है। मार्ग का निर्माण सीमेंट कंक्रीट के अन्तर्गत कराया जा रहा है जिसकी स्वीकृत लागत रु0 26.49 करोड़ है। मार्ग निर्माण पर रु0 23.16 करोड़ का व्यय करते हुए पी0क्यू0सी0 स्तर तक 6.8 किमी0 लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

2. **झुलनीपुर से पतलहवा मार्गः-** उक्त मार्ग की लम्बाई 60 किमी0 है। मार्ग का निर्माण बिटूमिनस के अन्तर्गत कराया जा रहा है, जिसकी स्वीकृति लागत रु0 173.09 करोड़ है। मार्ग पर रु0 45.67 करोड़ का व्यय करते हुए बी0सी0 स्तर तक 6.28 किमी0 लम्बाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, मार्ग निर्माण हेतु 59 किमी0 लम्बाई में भूमि क्रय की आवश्यकता थी, जिसके अंतर्गत पूर्व में अनुमोदित दर, जो वर्ष 2014-15 की सक्रिल दर के आधार पर थी। 14.78 किमी0 लम्बाई में भूमि क्रय का कार्य पूर्ण लिया गया है। शेष लम्बाई में कृषकों द्वारा पूर्व में अनुमोदित वर्ष 2014-15 की सर्किल दर के स्थान पर वर्ष 2016-17 की सर्किल दर के अनुसार शहरी क्षेत्रों में दो गुना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चार-गुने की दर से मांग किये जाने के कारण भूमि का क्रय बाधित है। कृषकों द्वारा मांगी गयी सर्किल एरिया के अनुसार दरों का अनुमोदन सक्षम स्तर से कराये जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जनपद महाराजगंज में निर्माणाधीन प्रश्नगत परियोजना को विभाग द्वारा पूर्ण कराये जाने में किसी प्रकार की उदासीनता/लापरवाही नहीं की गयी है।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में बी0एम0सी0टी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध मे श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद कुशीनगर में जिला मुख्यालय कुशीनगर को...

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

मान्यवर, यह जनहित से जुड़ा मामला है, यदि आपकी अनुमति हो तो एक अनुपूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

केवल वक्तव्य में अनुपूरक नहीं पूछा जाता है, यह गलत परम्परा मत डालिये।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[तमकुहीराज तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला मार्गबस्ती- मेंहदावल- कम्पियरगंज-तमकुही राज्य मार्ग संख्या-64 का भाग है, बस्ती-मेंहदावल-कम्पियरगंज-तमकुही राज्य मार्ग संख्या-64 के किमी0 106.00 से किमी0 174.110 लम्बाई 66.51 किमी0 रा0 मार्ग सं0-28 बी0 भाग को छोड़कर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु शासनादेश सं0- 324ई0/23-11-07-1/2 (7)/2008, दिनांक 14-03-2008 द्वारा 2683.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके विरुद्ध स्वीकृत लागत के अंतर्गत 43.50 किमी0 लम्बाई में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मार्ग के शेष भाग पडरौना से तमकुहीराज (चै0-150.50 से 174.110) लम्बाई 23.61 किमी0 लम्बाई में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 4397.46 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा बतायी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में विचारोपरांत शासन द्वारा पुनः कार्य का पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पुनरीक्षित आगणन के प्राप्त होने के उपरांत उसको स्वीकृत किये जाने एवं उक्त कार्य को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मथुरा में हो रही लूट-डकैती एवं हत्या को रोके जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, जनपद मथुरा के ईगल ग्राउण्ड के समीप....

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चॉदी कारोबारी से 16 किलो चॉदी की लूट के सम्बन्ध में दिनांक 04-01-2018 को थाना सदन बाजार जनपद मथुरा पर वादी श्री इन्द्रकुमार उफ्र चन्दू पण्डित पुत्र चन्द्रशुक्ला नि0 परास मन्दिर थाना वृन्दावन मथुरा द्वारा अज्ञात मोटर साइकिल सवार 03 बदमाशों द्वारा वादी से 15 किग्रा चांदी के घुघरू की गठरी लूट ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 2/2018 धारा 392 मादवि पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना व0उ0नि0 श्री श्याम सिंह थाना सदन बाजार जनपद मथुरा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से अभियुक्त 1. मुकुल चौधरी पुत्र देवेन्द्र सिंह नि0 वी 124 आनन्दवन थाना हाई-वे, जनपद मथुरा 2. अमन उफ्र सुनील पुत्र राजवीर सिंह नि0 धौकला थाना सादाबाद हाथरस 3. कलुआ पुत्र महावीर सिंह नि0 विसावर थाना सादाबाद हाथरस के नाम प्रकाश में आये तथा अभियुक्त मुकुल एवं अमन उपरोक्त को दिनांक 13-01-2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है इनसे 11 कि0ग्रा0 लूटी गयी चांदी के घुघरू बरामद किये गये हैं तथा अभियुक्त कलुआ उपरोक्त जनपद अलीगढ़ से गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है जिसका बी वारण्ट जिला कारागार अलीगढ़ में दाखिल कराया जा चुका है। इस प्रकार सभी प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महत्वपूर्ण अपराध होने के कारण उक्त अभियोग की विवेचना निरी0 श्री संतोष कुमार त्यागी द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की जा रही है। अविलम्ब विवेचना निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

3-दिनांक 06-01-18 को थाना नौहझील की बाजना चौकी से चंद कदमों की दूरी पर महारामगढ़ी पुलिया के समीप गुटखा व्यापारी से पांच लाख की लूट के सम्बन्ध में दिनांक 06-01-2018 को थाना नौहझील जनपद मथुरा पर वादी श्री किशनचन्द्र पुत्र रघुवर दयाल नि0 बाजना, थाना नौहझील जनपद मथुरा द्वारा अज्ञात 03 मोटर साईकिल पर सवार 05 बदमाशों द्वारा स्वयं वादी की मेक्स पिकअप गाड़ी रूकवाकर गोल्ड मोहर पान मसाला की बिक्री के 05 लाख रुपये का थैला सिर में तमंचे की वट मारकर छीन ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 06/2018 धारा 395 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना थानाा प्रभारी नोहझील, उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार, जनपद मथुरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना के अनावरण/संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/लूटे गये माल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण/क्षेत्राधिकारी मांट के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। घटना के अनावरण हेतु जनपदीय स्पाट टीम को भी लगाया गया। विवेचना अभियुक्तगण 1- राजू पुत्र विजेन्द्र 2- रोकश पुत्र विजेन्द्र निवासीगण खुसलागढ़ी थाना नौहझीन, मथुरा 3- योगेन्द्र पुत्र अजब सिंह नि0 अनारदा गढ़ी थाना नौहझील मथुरा 4- महावीर पुत्र अमर सिंह 5- कालू उफ्र इन्द्रजीत पुत्र रनवीर उफ्र रन्नौ निवासीगण मकरन्दगढ़ी थाना नौहझील, मथुरा प्रकाश में आये जिनमें से अभि0 गण 1- राजू 2- राकेश उपरोक्त को दिनांक 11-02-2018 को गिरफ्तार कर इनकी निशादेही पर इनके कब्जे से 01 लाख 7 हजार रु0 बरामद करते हुए जेल भेजा गया है। अभि0 योगेन्द्र दिनांक 09-02-2018 को मा0 न्यायालय मथुरा में हाजिर होकर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया हैं शेष अभि0 गण की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं धारा 412 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी है। विवेचना प्रचलित है।

4-दिनांक 07 जनवरी 2018 को गोकुल रेस्टोरेन्ट फ्लाई ओवर से उतरते वक्त चालक से ट्रैक्टर की लूट के सम्बन्ध में दिनांक 07-01-2018 को थाना हाइ-वे जनपद मथुरा पर वादी श्री धीरेन्द्र चौधरी पुत्र कलेश चौधरी नि0 106डी कृष्णानगर थाना कोतवली जनपद मथुरा द्वारा चार मोटर

साइकिल सवार बदमाशों द्वारा वादी का टैक्टर रूकवाकर ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर टैक्टर को लूट ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 13/18 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्र0नि0 हाइ-वे जनपद मथुरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त घटना के अनावरण/संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/लूटे गये माल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी के निर्देशन में टीम का गठन किया गया है, उक्त घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में लोकेशन प्राप्त की जा रही है। घटना के अनावरण के प्रयास जारी है। विवेचना प्रचलित है।

5-थाना हाई-वे में चन्द्रपुरी विराहा के समीप मंत्री के गैस एजेन्सी के कर्मचारी से 4.50 लाख रु0 की लूट के सम्बन्ध में दिनांक 07-01-2018 को थाना हाइ-वे जनपद मथुरा पर चांदी श्री नवीन पुत्र सूर्यप्रकाश नि0 हिम्मतपुर धौली प्यांउ थाना कोतवाली जनपद मथुरा द्वारा अज्ञात तीन मोटर साइकिन सवार बदमाशों द्वारा वादी के साथी लोकमन जो श्रीकृष्ण गैस सर्विस मयूर विहार का कर्मचारी है, से गोली मारकर 350000 रुपया लेट ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 15/2018 धारा 394/307 भादवि पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्र0नि0 हाइ-वे जनपद मथुरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। घटना के अनावरण/संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/लूटे गये माल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी रिफाइनरी जनपद मथुरा के निदेश में टीम का गठन किया गया हैं सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। उक्त अभियोग के अनावरण के प्रयास जारी है। विवेचना प्रचलित है।

6-थाना मॉट के नसीटी रोड पर बाईक सवार से दो मोबाइल और पांच हजार रु0 की लूट के सम्बन्ध में थाना मॉट पर किसी के द्वारा सूचना अंकित नहीं करायी गयी है। दिनांक 14 जनवरी 2018 को थाना मॉट के गांव मॉट राजा में किराना कारोबारी से 3.08 लाख की लूट के सम्बन्ध में दिनांक 14-01-2018 को थाना मॉट जनपद मथुरा पर वादी श्री राजीव कुमार अग्रवाल पुत्र स्व नानकचन्द्र नि0 मॉट राजा थाना मॉट द्वारा मोटर साइकिल सवार 02 बदमाशों द्वारा वादी से बैग जिसमें 3 लाख 8 हजार रुपये लूट ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 49/18 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्रभारी निरी0 श्री रमेश चन्द्र शर्मा ाीना मॉट, जनपद मथुरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त अभियोगा की घटना के अनावरण/संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/लूटे गये माल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/क्षेत्राधिकारी मॉड के निर्देशन में टीम का गठन किया गया है। सर्विलांस के सहयोग से घटना स्थल से बीटीएस उठवाकर संदिग्ध मोबाइल नम्बरों के सम्बन्ध में लोकेशन प्राप्त की जा रही है।

7-दिनांक जनवरी 15, 2018 को थाना गोविन्दनगर में सुनार के सिर पर पत्थर मारकर 4. 50 लाख की लूट के सम्ब्ध में दिनांक 15701-2018 को थाना-गोविन्दनगर जनपद मथुरा पर वादी श्री अरमान फारूकी पुत्र मोहम्मद रफीक नि0 गली अहेरियान, मोहल्ला मेवाती थाना गोविन्दनगर, जनपद मथुरा द्वारा वादी के पिता मोहम्मद रफीक जो दुकान बन्द करके एक बैग जिसमें 20 ग्राम सोना व 15-20 कान की बालियां तथा चांदी का समान लगभग 50 ग्राम लेकर घर आते समय घर से कुछ दूरी पर तीन अज्ञात लड़कों द्वारा सिर में पत्थर मारकर घायल कर जेवरात से भरा बैग छीन ले जाने के सम्बन्ध में तथा संदिग्ध (वाइस्तवाह) रईस कटिंग तेली पाडा, रोबिन तथा राहुल के होने की

सम्भावना के सम्बन्ध में मु0अ0स0 39/19 धारा 394 भादवि पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्र0नि0 गोविन्दनगर जनपद मथुरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त घटना के अनावरण/संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/लूटे गये माल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मथुरा के निर्देशन में टीम गठित की गयी है। सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की लोकेशन आदि से प्राप्त जानकी से अभियुक्त जीशान, इमरान एपं काले के नाम प्रकाश मं आये हैं। प्रकाश में आये अाीयुक्त जीशान पुत्र जाहिद व इमरान उफ्र भईया पुत्र इलियास, निवासीगण मेवाती, मोहल्ला थाना कोतवाली नगर मथुरा को दिनांक 23701-2018 को गिरफ्तार किया गया, जिके कब्जे से लूटी गयी गले की चेन 04, कान बाली 16 नग झुमकी 02 नग टोप्स 02 नग झुके, चांदी की खेरिज 50 ग्राम बरामद की गयी साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त जीशान व इमरान उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र सं0 74, दिनांक 12-02-18 को मा0 न्यायालय प्रेषित कर विवेचना समाप्त की गयी।

8-थाना गोवर्धन में मथुरा अलवर मार्ग पर गांव गाठौली के समीप डीग के किराना कारोबारी के मुनीम से 04 लाख की लूट के सम्बन्ध में दिनांक 16-01-2018 को समय लगभग रा़त्रि 08.00 बजे थाना-गोवर्धन, जनपद मथुरा पर वादी श्री खेम चन्द्र पुत्र गडडरमल नि0 लक्ष्मणजी मंदिर घण्टा घर डींग भरतपुर राजस्थान द्वारा सूचना अंकित करायी कि सायं 07.10 बजे वादी व उसका साथी नरेश शर्मा पुत्र सतीशचन्द्र शर्मा नि0 राया गेट डीग भरतपुर राजस्थान अलवर डिपो की गाडी सं0 आरजे 06-3712 में गोवर्धन से बैठकर जा रहे थे तो गोवर्धन मण्डी से आगे गाठौली के बीच मोटर साइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने गाड़ी को रूकवाकर तमंचा दिचााते हुए वादी व साथी नरेश शर्मा उपरोक्त को गाड़ी से नीचे उतार कर बैग जिसमें 04 लाख रुपया व डिमाण्ड बाजार के कागज व मोबाइल लूट लेने तथा तमंचाा लहराते हुए भाग जाने के सम्बन्ध मु मु0अ0स0 27/2018 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार मलिक द्वारा सम्पादित की गयी। उक्त अभियोग की घटना के अनावरण/संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी/लूटे गये माल की बरामदगी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/क्षेत्राधिकारी गोवर्धन जनपद मथुरा के निर्देशन में टीम गठित की गयी है। सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की लोकेशन ज्ञात करायी गयी। अभियोग की विवेचना के दौरान अभियुक्त 1. रनवीर उफ्र रन्नो पुत्र यादराम नि0 हाथिया, थाना बरसाना जनपद मथुरा 2. धीरेन्द्र उफ्र धीरू पुत्र पप्पू नि0 मुडसैरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा 3. शिवसिंह पुत्र नेक्सिया नि0 गढी चिरमरा, थाना फरह जनपद मथुरा 4. खुल्ली उफ्र खालिद पुत्र गनीमेव, नि0 हाथिया, थाना बरसाना, जनपद मथुरा 5. दिग्गो उफ्र दिगम्बर पुत्र मोहन पहलवान नि0 जानू थाना बरसाना जनपद मथुरा के नाम प्रकाश में आये। अभियुक्त रनवीर, धीरेन्द्र एवं शिवसिंह उपरोक्त को दिनांक 04-02-2018 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जिनके कब्जे से लूटे गये रुपये 103500 रुपये व एक सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया है तथा अभियोग में धारा 395/412 भादवि की बढोत्तरी की गयी है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। वर्तमान में अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक श्री संसार सिंह राठी थाना गोवर्धन मथुरा द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।

9-दिनांक 17 जनवरी 2018 को मॉट के गांव बढ़ौक्न के समीप सिपाही की बाइक व नकदी की लूट के सम्बन्ध में थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया गया हैं मंत्री के घर डकैती एवं मंत्री के रिश्तेदार की दिन दहाड़े हत्या के सम्बन्ध में दिनांक 13-01-18 को वादी श्री देवेन्द्र पुत्र सरमन सिंह, नि0 गौहारी थाना छाता जनपद मथुरा ने स्वयं के पिता श्री सरमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 20/8 धारा 146, 148, 149, 302, 120बी0 भा0द0वि0 विरुद्ध सतीराम, प्रदीप, धर्मवीर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 13-01-2018 थाना छाता जनपद मथुरा पर पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थानाध्यक्ष छाता द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से अभि0 गण अशोक कुमार, मनोज कुमार, राधाचरण व कर्मवीर प्रकाश में आये हैं जिनमें से अभि0गण प्रदीप पुत्र राधाचरन नि0 गुहारी थाना छाता मथुरा व अशोक कुमार पुत्र अभय सिंह नि0 रान्हेरा थाना शेरगढ़ मथुरा को दिनांक 16-01-2018 को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया उनके कब्जे से नाजायज शस्त्र 01 सी0एम0पी0, एक खोखा चैम्बर में फंसा, 05 जिन्दा कारतूस, 04 खोखा कारतूस, 22400 रु0 नकद, 01 मोबाइल एक मोटरसाइकिल पल्सर बरामद हुये जिनका मु0अ0सं0 24/2018 धारा 307 (पु0मु0) भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। मु0असं0 25/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (आला कत्ल) बरामद किया गया। अभियुक्त सतीराम पुत्र रेखपाल दिनांक 20-01-18 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसर्मपण कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। अभियुक्त कर्मवीर पुत्र प्रहलाद नि0 गौहारी, थाना छाता मथुरा द्वारा पूरी घटनाक्रम की योजना एवं सरमन सिंह की हत्या साजिश कर पूर्व के अन्य मुकदमें एसटी नं0 178/16 धारा 307, 384, 394, 411, 34 भा0द0वि0 में मा0 न्यायालय एडीजे-05 मथुरा में आत्मसर्मपण कर जेल गया है जिसे मु0अ0सं0 20/18 में भी तलब कर वारण्ट बनवाया गया है तथा अभियुक्त मनोज दिनांक 16-02-18 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है जिसके कब्जे से नाजायज 01 सी0एम0पी0 315 बोर व 02 कारतूस जिन्दा बरामद हुये है। अभियुक्त धर्मवीर व राधाचरन उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। अभियुक्त राधाचरन की गिरफ्तारी पर 15,000 रु0 का इनाम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा घोषित किया गया है। गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विवेचना प्रचलित है।

जनपद औरैया स्थित तिलक महाविद्यालय से सेवानिवृत्त एसो0 प्रो0 (शा0 शि0) को सामान्य भविष्य निधि का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जन्मेजय सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास (श्री सुरेश कुमार खन्ना)

मान्यवर, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद की आख्यानुसार तिलक महाविद्यालय, औरैया....

श्री सुखेदव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(उच्च शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

[में कार्यरत डा0 हरि किशोर मिश्र, एसो0 प्रोफेसर, बी0पी0 एड0 विभाग दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्त हुये हैं। डा0 मिश्र के जी0पी0एफ0 से सम्बन्धित प्रपत्र अग्रसारण हेतु महाविद्यालय के पत्रांक 339/2017-18 दिनांक 15-02-2018 द्वारा ई-मेल से क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया गया तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर द्वारा ई-मेल के माध्यम से दिनांक 20-02-2018 को अग्रसारित कर उच्च शिक्षा निदेशक को प्रेषित किया गया है। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर की आख्यानुसार डा0 मिश्र के सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित समस्त पत्रजात पर कार्यवाही महाविद्यालय स्तर पर विलम्ब किया गया है, जिसके लिये महाविद्यालय उत्तरदायी है। निदेशक की आख्यानुसार डा0 मिश्र के सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित प्रपत्र, जी0पी0एफ0 लेजर मूलरूप में निदेशालय में अद्यतन अप्राप्त है। डा0 मिश्र के भविष्य निधि से सम्बन्धित पत्रजात प्राप्त होते ही निदेशालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर दिया जायेगा।

प्रदेश के राजस्व विभाग भू-लेख अधिष्ठान समूह 'घ' के अन्तर्गत मौलिक रूप से नियुक्त चैन मैनों का समूह 'ग' के पद पर पदोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुनारायण सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (स्थगित)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास (श्री सुरेश कुमार खन्ना)

मान्यवर, यह मद स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

जनपद बांदा में दिनांक 12 एवं 13 जनवरी, 2018 को हुये ओलावृष्टि से किसानों को हुये नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश द्विवेदी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास (श्री सुरेश कुमार खन्ना)

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड के जनपद....

श्री सुखेदव राजभर-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[बांदा में 12 एवं 13 फरवरी, 2018 को हुई प्राकृतिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से जनपद की तीन तहसीलों के कृषकों की फसलों की क्षति 33 प्रतिशत से अधिक हुई है, जिसका विवरण निम्न है :-

क्र0-सं0	तहसील	प्रभावित ग्रामों का विवरण	प्रभावित ग्रामों की संख्या
1	बांदा	बसरही, चमरहा, हरदोनी मजरा मटौंध, गछा, डिगवाही, रेउना, पडुई, बाधा पुरवा, सोहाना	9
2	अतर्रा	खुरहण्ड, जमरेही, खम्हौरा, नगनेधी, नंदना, सेमरिया, मिरदहा, तेन्दुही, रहुसत, छिबांव, करगेहना, महुआ, सेमरिया, जदीद, अधरोरी, चकतकुली, चकअमहर, चकमोचहा, हस्तम, तकुली, दुरईमाफी, जखनी, बरसडा, बुजुर्ग, बरसडा खुर्द, हटरा खुर्द, डोगरी, शिवहद, बिलगांव, बहोरवा पुरवा, घुरौंडा, अजीतपारा, सहेवा, नाई, बिगहना, मकरी, बिसण्डा, अमवा, पुनाहुर, चन्द्रायल, पिण्डखर, इटरमिलौली, सिकलोढी	40
3	नरैनी	मलेहरा नेवादा, गोपालखेड़ा, मनीपुर, माधौपुर, भसरौड, बडोखर बुजुर्ग, खेडिया, बलखेड़ा, तेरा गिरवां, सौंता कालीजर	10
		कुल ग्राम	**59**

3-उक्त ग्रामों में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों की फसली की क्षति का आंकलन कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सर्वे कराकर किया गया, जिसके अनुसार जनपद की तीन तहसीलों (बांदा, अतर्रा, नरैनी) में क्षति का विवरण निम्नवत् है :-

17016 लघु सीमांत कृषक का 10256 हेक्टेयर क्षेत्रफल (33 प्रतिशत से अधिक)	2923 वृहद् कृषक को 33 प्रतिशत से अधिक 36117 हेक्टेयर क्षेत्रफल (अधिकतम 2 हे0 की सीमा तक)

मांगी गयी धनराशि एवं आवंटित धनराशि का विवरण

जनपद द्वारा मांगी गयी धनराशि		आवंटित धनराशि	
लघु सीमान्त कृषकों हेतु	वृहद् कृषकों हेतु		
		15 फरवरी, 2018	10,00,00,000
6,41,67,600	11,23,92,732	21 फरवरी, 2018	7,65,60,332
रु0 6,41,67,600	रु0 11,23,92,732	कुल	रु0 17,65,60,332

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

4-कृषि फसलों की 33 प्रतिशत से अधिक क्षति वाले 6501 लघु एवं सीमान्त कृषकों को रु0 398.72/- लाख तथा 1610 वृहद् कृषकों (अधिकतम 2 हे0 की सीमा तक) को रु0 331.719/- लाख (कुल रु0 730.439/-लाख) की धनराशि कृषि निवेश अनुदान के रूप में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों के बैंक खातों में नियमानुसार ई-पेमेंट के माध्यम से उपलब्ध करा दी गयी है। अवशेष लघु एवं सीमान्त तथा वृहद कृषकों के बैंक खातों में कृषि निवेश अनुदान की धनराशि त्वरित गति से ई-पेमेंट के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इस प्रकार प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा जनपद स्तर पर निवारणत्मक कार्रवाई की गयी है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, दिनांक 12-03-2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(तत्पश्चात् सदन को कार्यवाही स्थगित हुई।)

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 46 मिनट पर सोमवार दिनांक 12 मार्च, 2018 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 06 मार्च, 2018

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न सं0-02 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21-22 पर)

(जनपद बिजनौर की घटना की अद्यतन स्थिति)

जनपद बिजनौर की सामप्रदायिक घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 10-02-2017 का हेमन्द सिंह पुत्र श्री हारी सिंह निवासी नया गांव थाना-कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर की तहरीर पर म0अ0स0-197/17 धारा-147/148/149/504/307/302 भा0द0वि0 विरुद्ध 1-इकबाल पुत्र हाजी अब्दुल करीब, 2-नफीस पुत्र रमजानी, 3-फरकान पुत्र हसन, 4-इफ्तार पुत्र हनीफ, 5-अकबर पुत्र जमील, 6-हनीफ पुत्र नन्हे, 7-शमीमी पुत्र मन्न खां व 8-अनीस पुत्र शराफत निवासीगण पदा थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर, विशाल पुत्र संजय की हत्या के सम्बन्ध में नामजद पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा सम्पादित की गयी और नामित अभियुक्त हनीफ पुत्र नन्हे का गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जो दिनांक 11-02-2017 से जिला कारागार-बिजनौर में निरुद्ध है। इस प्रकरण में स्थानीय पुलिस द्वारा कल 17 अभियान दनिकी दिनांक 12-03-2017 तक किता की गयी।

शासन के पत्र संख्या-576/छ-प-12-2017 दिनांक 10-03-2017 के क्रम में प्रकरण की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सम्पादित की गयी व प्रकरण से सम्बन्धित साक्षीगण के कथन दौरान विवेचना लिया गया व सम्बन्धित अभियुक्तगण 1-इकबाल पुत्र हाजी अब्दुल करीब, 2-नफीस पुत्र रमजानी, 3-फरकान पुत्र हसन, 4-इफ्तार पुत्र हनीफ, 5-अकबर पुत्र जमील, 6-हनीफ पुत्र नन्हे, 7-अनीस पुत्र शराफत निवासीगण पदा थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर के कथन लिये गये व इनके द्वारा अपने पक्ष में दी गयी साक्ष्य का भी विश्लेषण किया गया। विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर हनीफ पुत्र नन्हे के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-4/17 दिनांक 05-05-2017 सक्षम न्यायालय में पारित किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है। शेष नामित अभियुक्तगण 1-इकबाल पुत्र हाजी अब्दुल करीब, 2-नफीस पुत्र रमजानी, 3-फरकान पुत्र हसन, 4-इफ्तार पुत्र हनीफ, 5-अकबर पुत्र जमील, 6-हनीफ पुत्र नन्हे, 7-अनीस पुत्र शराफत निवासीगण पदा थाना कोतवाली शहर, जनपद बिजनौर के विरुद्ध न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्ल्यू0 जारी किया जा चुका है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक-बिजनौर से अनुरोध किया गया है। इस अभियुक्तों के विरुद्ध धारा-82/83 द0प0स0 के आदेशों प्राप्त करने हेतु प्रयास सक्षम न्यायालय से किये जा रहे है।

नत्थी-ख

देखिए अतारांकित प्रश्न सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41-42 पर।

संख्या-01/2018/45/62-1-2018-04आर/2009

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

4-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

5-समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 2018

विषय-भूगर्भ जल संसाधनों के 31 मार्च, 2013 पर आधारित आकलन के अनुसार विकासखण्डों के वर्गीकरण की सूची का प्रेषण।

महोदय,

आप अवगत हैं कि भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश में भूजल संसाधनों के विकासखण्डवार वर्गीकरण सूची आकलन वर्ष 2008-09 के आधार पर शासनादेश संख्या-486/62-1-2012-04आर/2009, दिनांक 15-05-2012 एवं दिनांक 31 मार्च, 2011 पर आधारित आकलन के आधार पर शासनादेश संख्या-5/1373/62-1-2014-04आर/2009, दिनांक 13-10-2014 द्वारा निर्गत की गयी है। इस क्रम में भूजल आकलन समिति-1997 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूगर्भ जल विभाग द्वारा 31 मार्च, 2013 के आंकड़ों के आधार पर प्रदेश में भूजल संसाधनों का नवीन आकलन किया गया है, जिस पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। रिपोर्ट में प्रदेश में भू-जल संसाधनों की विकासखण्डवार उपलब्धता एवं दोहन की स्थिति के साथ अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमीक्रिटिकल व सुरक्षित श्रेणियों में वर्गीकृत विकासखण्डों की नवीन सूची सम्मिलित हैं।

2-उक्त अध्ययन रिपोर्ट में प्रदेश के 75 जनपदों के 820 विकासखण्डों में भूजल संसाधनों का आकलन किया गया है, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा उक्त समस्त विकासखण्डों में से

113 विकासखण्ड अतिदोहित, 59 विकासखण्ड क्रिटिकल, 45 विकासखण्ड सेमीक्रिटिकल तथा शेष 603 विकासखण्ड सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किये गये है।। वर्तमान आकलन के अनुसार कुल 172 विकासखण्ड संकट ग्रस्त स्थिति में है, जो चिन्ता का विषय है।

3-राजकीय योजनाओं के अन्तर्गत बोरिंग/नलकूपों के निर्माण पर प्रतिबन्ध :

(i) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार नवीन भूजल संसाधन आकलन (मार्च, 2013 पर आधारित) में वर्गीकृत किये गये 113 अतिदोहित एवं 59 क्रिटिकल विकासखण्डों यानि कुल 172 विकासखण्डों (संलग्न-1) जो प्रदेश के 39 जनपदों में अवस्थित हैं, में लघु सिंचाई विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा निःशुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग, सामूहिक नलकूप योजना तथा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की राजकीय नलकूप योजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने वाले सभी प्रकार के नलकूपों के निर्माण पर इस शासनादेश की निर्गम तिथि से प्रतिबन्ध होगा।

(ii) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित राजकीय नलकूप योजना के अन्तर्गत इस सीमा तक छूट रहेगी कि उक्त 172 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में ऐसे राजकीय नलकूप, जो निष्क्रिय/असफल हो गये हैं, उन नलकूपों के स्थान पर सम्बन्धित नलकूप के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सतत रूप से बनाये रखने हेतु नलकूप का निर्माण (रिबोर) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अनुमोदनोपरान्त कराया जा सकता है।

4-निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण :

प्रदेश के सभी विकासखण्डों में निजी नलकूपों के उर्जीकरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या-5/1373/62-1-2014-04आिर/2009, दिनांक 13.10.2014 के प्रस्तर-3 (ब) अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखण्डों में कृषकों द्वारा अपने स्रोतों से निर्मित किये जाने वाले निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण पर लगाए गए प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

5-कृपया अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित संगठनों को भी उक्त से सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही किये जाने के निर्देश देने का कष्ट करें। उक्त को गम्भीरता से लिए जाने की इसलिए आवश्यकता है, जिससे कि संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संरक्षण/प्रबन्धन की प्रभावी कार्यवाही द्वारा भूजल की स्थिति में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।

6-उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए निदेशक, भूगर्भ जल विभाग की वेबसाइट : www.upgwd.in तथा निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0, नवां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ (दूरभाषः 0522-2287233, 2287068, फैक्सः 0522-2286471, ई-मेलः upgwd.in@gmail.com) एवं उनके क्षेत्रीय खण्डीय कार्यालयों से सम्पक्र किया जा सकता है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

राज प्रताप सिंह

कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या-01/2018/45(1)/62-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग, उ0प्र0शासन।

(2) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) अध्यक्ष, केन्द्रीय भू-जल परिषद, नई दिल्ली।

(5) मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक लि0 10 माल एवेन्यू, लखनऊ।

(7) क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद (उ0क्षे0), लखनऊ।

(8) निदेशक, भू-गर्भ जल विकास, उ0प्र0।

(9) गार्ड फाइल।

भवदीय,

मोनिका एस0गर्ग,

प्रमुख सचिव।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2018 के 02-मंगलवार हेतु निर्धारित श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-01 की अनुपूरक सामग्री

प्रदेश में भूजल विकास की स्थिति : विकासखण्डों का क्षेत्रवार/जनपदवार वर्गीकण

(31 मार्च, 2013)

क्र0 सं0	क्षेत्र	विकासखण्डवार वर्गीकरण		
		अतिदोहित	क्रिटिकल	सेमी क्रिटिकल
1	2	3	4	5
1	बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3	2	2
2	मध्य क्षेत्र	4	8	5
3	पूर्वी क्षेत्र	28	19	22
4	पश्चिमी क्षेत्र	78	30	16
	कुल योग	**113**	**59**	**45**

प्रदेश में भूजल विकास की स्थिति : विकासखण्डों का क्षेत्रवार/जनपदवार वर्गीकरण (31 मार्च, 2013)

क्र0 सं0	क्षेत्र/जनपद	विकासखण्डवार वर्गीकरण		
		अतिदोहित	क्रिटिकल	सेमी क्रिटिकल
1	2	3	4	5
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र			
1	बांदा	-	-	तिंदवारी
2	चित्रकूट	कवी	-	-
3	हमीरपुर	-	-	सुमेरपुर
4	महोबा	जैतपुर	चरखरी	-
		पनवारी	कबरई	-
	योग	3	2	2
	मध्य क्षेत्र			
1	फतेहपुर	भिटौरा	ऐरायॉ	हथगाम
		-	अमौली	-
		-	बहुआ	-
		-	धाता	-
		-	हसवा	-
		-	मलवॉ	-
		-	तेलियानी	-
2	कानपुर-नगर	कल्यानपुर	-	घाटमपुर
		-	-	सरसौल
		-	-	शिवराजपुर

3	लखनऊ	चिनहट	–	–
		सरोजनीनगर	–	–
4	रायबरेली	–	सरेनी	–
5	उन्नाव	–	–	सिकंदर सरौसी
	योग	**4**	**8**	**5**
		पूर्वी क्षेत्र		
1	इलाहाबाद	बहरिया	बहादुरपुर	–
		चाका	होलागढ़	–
		धनूपुर	प्रतापपुर	–
		मऊ आईमा	–	–
2	अम्बेडकर नगर	–	–	जहाँगीरगंज
3	अमेठी	–	–	भादर
		–	–	संग्रामपुर
4	आजमगढ़	सठियांव	पल्हनी	–
5	बलिया	–	–	रसड़ा
6	गाजीपुर	–	गाजीपुर	बाराचवर
		–	मनिहारी	देवकली
		–	मुहम्मदाबाद	सादात
7	जौनपुर	बदलापुर	बक्सा	बरसठी
		करन्जाकला	डोभी	धर्मापुर
		केराकत	–	मड़ियाहूँ
		महराजगंज	–	रामनगर
		मुफ्तीगंज	–	रामपुर
		सिकरारा	–	–
		सिरकोनी	–	–
8	कौशाम्बी	चायल	कड़ा	–
		मूरतगंज	मंझनपुर	–
		सिराधू	नेवादा	–
9	मिर्जापुर	–	छानबे	सीटी
		–	कोन	सीखड
		–	मझवॉ	–
10	प्रतापगढ़	आसपुरदेवसरा	बाबा बेलखर नाथ धाम	–
		गौरा	–	–
		लक्ष्मणपुर	–	–

		लालगंज	–	–
		मान्धाता	–	–
		मंगरौरा	–	–
		पट्टी	–	–
		सदर	–	–
		रामपुर संग्रामगढ़	–	–
		सण्डवाचन्द्रिका	–	–
		शिवगढ़	–	–
11	सन्त रविदास नगर	–	भदोही	अभोली
		–	ज्ञानपुर	औराई
		–	–	डीघ
		–	–	सुरियावॉ
12	सोनभद्र	–	–	घोरावल
13	वाराणसी	आराजी लाइन्स	पिण्डरा	बड़ागॉव
		हरहुआ	–	चिरईगाव
		–	–	चोलापुर
	योग	**28**	**19**	**22**
पश्चिमी क्षेत्र				
1	आगरा	अछनेरा	–	जगनेर
		अकोला	–	खैरागढ़
		बरौली अहीर	–	–
		बिचपुरी	–	–
		एतमादपुर	–	–
		फतेहाबाद	–	–
		फतेहपुर सीकरी	–	–
		खदौली	–	–
		सैयॉ	–	–
		समसाबाद	–	–
2	अलीगढ़	चन्दौस	–	–
		इगलस	–	–
3	अमरोहा	अमरोहा	–	–
		धनौरा	–	–
		गजरौला	–	–
		हसनपुर	–	–
		जोया	–	–

4	बागपत	बिनौली	बागपत	बड़ौत
		पिलाना	छपरौली	-
		-	खेकड़ा	-
5	बरेली	-	-	रामनगर
6	बिजनौर	स्योहारा (बुधानपुर)	नहटौर (आकू)	-
		जलीलपुर	-	-
		नूरपुर	-	-
7	बदायूँ	अम्बियापुर	इस्लामनगर	आसफपुर
		-	कादर चौक	बिसौली
		-	सहसवान	-
		-	उझानी	-
8	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	बी0बी0नगर	डिबाई
		गुलावटी	दानपुर	जहॉगीराबाद
		सिकन्दराबाद	खुर्जा	स्याना
		-	पहासू	ऊँचागॉव
		-	शिकारपुर	-
9	एटा	जलेसर	निधौलीकलॉ	अवागढ़
10	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	अरॉव	-
		खैरगढ़	-	-
		नारखी	-	-
		शिकोहाबाद	-	-
		टूण्डला	-	-
11	गौतमबुद्ध नगर	बिसरख	-	दादरी
		जेवर	-	दनकौर
12	गाजियाबाद	भोजपुर	-	-
		लौनी	-	-
		रजापुर	-	-

13	हापुड़	गढमुक्तेश्वर	–	–
		हापुड़	–	–
		सिम्भावली	–	–
14	हाथरस	मूरसान	हाथरस	साहाबाद
		सहपऊ	–	–
		सासनी	–	–
15	कन्नौज	जलालाबाद	–	–
		तालग्राम	–	–
16	कासगंज	कासगंज	–	गंजडुण्डावारा
		सहावर	–	सोरों
17	मैनपुरी	वरनावल	–	–
18	मथुरा	बल्देव	फरह	–
		नौह झील	–	–
		राया	–	–
19	मेरठ	खरखौदा	माछरा	–
		रजपुरा	मेरठ	–
		–	परीक्षितगढ़	–
20	मुरादाबाद	बिलारी	भगतपुरटांडा	–
		डिलारी	छजलेट	–
21	मुजफ्फरनगर	बघरा	शाहपुर	–
		बुढ़ाना	–	–
		चरथावल	–	–
22	रामपुर	चमरौआ	–	–
		सैदनगर	–	–
		शाहाबाद	–	–
		स्वार	–	–
23	सहारनपुर	बलियाखेड़ी	मुजफ्राबाद	–
		देवबन्छ	पुवारका	–
		गंगोह	–	–

		नागल	-	-
		नकुड़	-	-
		नानौता	-	-
		रामपुर	-	-
		सढोली कदीम	-	-
		सरसावा	-	-
24	सम्भल	बहजोई	असमौली	-
		बनियाखेड़ा	गुन्नौर	-
		पँवासा	जूनावई	-
		सम्भल	-	-
25	शामली	कैराना	शामली	-
		कांधला	थानाभवन	-
		ऊन	-	-
	योग	**78**	**30**	**16**
	कुल योग	**113**	**59**	**45**

राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित विकास खण्ड

पश्चिमी क्षेत्र

क्र0 सं0	जनपद	क्र0 सं0	विकासखण्ड	श्रेणी
1	आगरा	1	अछनेरा	अतिदोहित
		2	अकोला	अतिदोहित
		3	बरौली अहीर	अतिदोहित
		4	बिचपुरी	अतिदोहित
		5	एतमादपुर	अतिदोहित
		6	फतेहाबाद	अतिदोहित
		7	फतेहपुर सीकरी	अतिदोहित
		8	जगनेर	सेमी क्रिटिकल
		9	खंदौली	अतिदोहित
		10	खैरागढ़	सेमी क्रिटिकल
		11	सैथों	अतिदोहित
		12	समसाबाद	अतिदोहित
2	अलीगढ़	1	चन्दौस	अतिदोहित
		2	इगलस	अतिदोहित
3	अमरोहा (जे0पी0 नगर)	1	अमरोहा	अतिदोहित
		2	धनौरा	अतिदोहित
		3	गजरौला	अतिदोहित
		4	हसनपुर	अतिदोहित
		5	जोया	अतिदोहित
4	बागपत	1	बागपत	क्रिटिकल
		2	बड़ौत	सेमी क्रिटिकल
		3	बिनौली	अतिदोहित
		4	छपरौली	क्रिटिकल
		5	खेकड़ा	क्रिटिकल
		6	पिलाना	अतिदोहित
5	बरेली	1	रामनगर	सेमी क्रिटिकल
6	बिजनौर	1	नहटौर (आकू)	क्रिटिकल
		2	स्योहारा (बुधानपुर)	अतिदोहित

		3	जलीलपुर	अतिदोहित
		4	नूरपुर	अतिदोहित
7	बदायूं	1	अम्बियापुर	अतिदोहित
		2	आसफपुर	सेमी क्रिटिकल
		3	बिसौली	सेमी क्रिटिकल
		4	इस्लामनगर	क्रिटिकल
		5	कादर चौक	क्रिटिकल
		6	सहसवान	क्रिटिकल
		7	उझानी	क्रिटिकल
8	बुलन्दशहर	1	बी0बी0 नगर	क्रिटिकल
		2	बुलन्दशहर	अतिदोहित
		3	दानपुर	क्रिटिकल
		4	डिबाई	सेमी क्रिटिकल
		5	गुलावटी	अतिदोहित
		6	जहांगीराबाद	सेमी क्रिटिकल
		7	खुर्जा	क्रिटिकल
		8	पहासू	क्रिटिकल
		9	शिकारपुर	क्रिटिकल
		10	सिकन्दराबाद	अतिदोहित
		11	स्याना	सेमी क्रिटिकल
		12	ऊंचागांव	सेमी क्रिटिकल
9	एटा	1	अवागढ़	सेमी क्रिटिकल
		2	जलेसर	अतिदोहित
		3	निधौलीकलां	क्रिटिकल
10	फिरोजाबाद	1	अरांव	क्रिटिकल
		2	फिरोजाबाद	अतिदोहित
		3	खैरगढ़	अतिदोहित
		4	नारखी	अतिदोहित
		5	शिकोहाबाद	अतिदोहित
		6	टूण्डला	अतिदोहित
11	गौतमबुद्ध नगर	1	बिसरख	अतिदोहित
		2	दादरी	सेमी क्रिटिकल
		3	दनकौर	सेमी क्रिटिकल

		4	जेवर	अतिदोहित
12	गाजियाबाद	1	भोजपुर	अतिदोहित
		2	लौनी	अतिदोहित
		3	रजापुर	अतिदोहित
13	हापुड़	1	गढ़मुक्तेश्वर	अतिदोहित
		2	हापुड़	अतिदोहित
		3	सिम्भावली	अतिदोहित
14	हाथरस	1	हाथरस	क्रिटिकल
		2	नूरसान	अतिदोहित
		3	साहाबाद	सेमी क्रिटिकल
		4	सहपऊ	अतिदोहित
		5	सासनी	अतिदोहित
15	कन्नौज	1	जलालाबाद	अतिदोहित
		2	तालग्राम	अतिदोहित
16	कासगंज	1	गंजडुण्डावारा	सेमी क्रिटिकल
		2	कासगंज	अतिदोहित
		3	सहावर	अतिदोहित
		4	सोरो	सेमी क्रिटिकल
17	मैनपुरी	1	बरनावल	अतिदोहित
18	मथुरा	1	बल्देव	अतिदोहित
		2	फरह	क्रिटिकल
		3	नौह झील	अतिदोहित
		4	राया	अतिदोहित
19	मेरठ	1	खरखौंदा	अतिदोहित
		2	माछरा	क्रिटिकल
		3	मेरठ	क्रिटिकल
		4	परीक्षितगढ़	क्रिटिकल
		5	रजपुरा	अतिदोहित
20	मुरादाबाद	1	भगतपुरटांडा	क्रिटिकल
		2	बिलारी	अतिदोहित
		3	छजलेट	क्रिटिकल
		4	डिलारी	अतिदोहित
21	मुजफ्फरनगर	1	बघरा	अतिदोहित

		2	बुढ़ाना	अतिदोहित
		3	चरथावल	अतिदोहित
		4	शाहपुर	क्रिटिकल
22	रामपुर	1	चमरौआ	अतिदोहित
		2	सैदनगर	अतिदोहित
		3	शाहाबाद	अतिदोहित
		4	स्वार	अतिदोहित
23	सहारनपुर	1	बलियाखेड़ी	अतिदोहित
		2	देवबन्द	अतिदोहित
		3	गंगोह	अतिदोहित
		4	मुजफ्फराबाद	क्रिटिकल
		5	नागल	अतिदोहित
		6	नकुड़	अतिदोहित
		7	नानौता	अतिदोहित
		8	पुवारका	क्रिटिकल
		9	रामपुर	अतिदोहित
		10	सढोली कदीम	अतिदोहित
		11	सरसावा	अतिदोहित
24	सम्भल	1	असमोली	क्रिटिकल
		2	बहजोई	अतिदोहित
		3	बनियारखेड़ा	अतिदोहित
		4	गुन्नौर	क्रिटिकल
		5	जूनावई	क्रिटिकल
		6	पवासा	अतिदोहित
		7	सम्भल	अतिदोहित
25	शामली	1	कैराना	अतिदोहित
		2	काधला	अतिदोहित
		3	शामली	क्रिटिकल
		4	थानाभवन	क्रिटिकल
		5	ऊन	अतिदोहित

पूर्वी क्षेत्र

क्र0 सं0	जनपद	क्र0 सं0	विकासखण्ड	श्रेणी
1	इलाहाबाद	1	बहादुरपुर	क्रिटिकल
		2	बहरिया	अतिदोहित
		3	चाका	अतिदोहित
		4	धनूपुर	अतिदोहित
		5	होलागढ़	क्रिटिकल
		6	मऊ आईमा	अतिदोहित
		7	प्रतापपुर	क्रिटिकल
2	अम्बेडकर नगर	1	जहांगीरगंज	सेमी क्रिटिकल
3	अमेठी	1	भादर	सेमी क्रिटिकल
		2	संग्रामपुर	सेमी क्रिटिकल
4	आजमगढ़	1	पल्हनी	क्रिटिकल
		2	सठियांव	अतिदोहित
5	बलिया	1	रसड़ा	सेमी क्रिटिकल
6	गाजीपुर	1	बाराचदर	सेमी क्रिटिकल
		2	देवकली	सेमी क्रिटिकल
		3	गाजीपुर	क्रिटिकल
		4	मनिहारी	क्रिटिकल
		5	मुहम्मदाबाद	क्रिटिकल
		6	सादात	सेमी क्रिटिकल
7	जौनपुर	1	बदलापुर	अतिदोहित
		2	बरसठी	सेमी क्रिटिकल
		3	बक्सा	क्रिटिकल
		4	धर्मापुर	सेमी क्रिटिकल
		5	डोभी	क्रिटिकल
		6	करन्जाकला	अतिदोहित
		7	केराकत	अतिदोहित
		8	मड़ियाहूं	सेमी क्रिटिकल
		9	महराजगंज	अतिदोहित
		10	मुफ्तीगंज	अतिदोहित

		11	रामनगर	सेमी क्रिटिकल
		12	रामपुर	सेमी क्रिटिकल
		13	सिकरारा	अतिदोहित
		14	सिरकोनी	अतिदोहित
8	कौशाम्बी	1	चायल	अतिदोहित
		2	कड़ा	क्रिटिकल
		3	मंझनपुर	क्रिटिकल
		4	मूरतगंज	अतिदोहित
		5	नेवादा	क्रिटिकल
		6	सिराधू	अतिदोहित
9	मिर्जापुर	1	छनावे	क्रिटिकल
		2	सीटी	सेमी क्रिटिकल
		3	हलिया	सुरक्षित
		4	जमालपुर	सुरक्षित
		5	कोन	क्रिटिकल
		6	लालगंज	सुरक्षित
		7	मझवां	क्रिटिकल
		8	मडिहान	सुरक्षित
		9	नरायनपुर	सुरक्षित
		10	पहाड़ी	सुरक्षित
		11	राजगढ़	सुरक्षित
		12	सीखड़	सेमी क्रिटिकल
10	प्रतापगढ़	1	आसपुरदेवसरा	अतिदोहित
		2	बाबा बेलखर नाथ	क्रिटिकल
		3	गौरा	अतिदोहित
		4	लक्ष्मणपुर	अतिदोहित
		5	लालगंज	अतिदोहित
		6	मान्धाता	अतिदोहित
		7	मंगरौरा	अतिदोहित
		8	पट्टी	अतिदोहित
		9	सदर	अतिदोहित
		10	रामपुर संग्रामगढ़	अतिदोहित
		11	सण्डवाचन्द्रिका	अतिदोहित

		12	शिवगढ़	अतिदोहित
11	सन्त रविदास नगर	1	अभोली	सेमी क्रिटिकल
		2	औराई	सेमी क्रिटिकल
		3	भदोही	क्रिटिकल
		4	डीघ	सेमी क्रिटिकल
		5	ज्ञानपुर	क्रिटिकल
		6	सुरियावां	सेमी क्रिटिकल
12	सोनभद्र	1	बभनी	सुरक्षित
		2	चतरा	सुरक्षित
		3	चोपन	सुरक्षित
		4	दुद्धी	सुरक्षित
		5	घोरावल	सेमी क्रिटिकल
		6	म्योरपुर	सुरक्षित
		7	नगवां	सुरक्षित
		8	राबर्टसगंज	सुरक्षित
13	वाराणसी	1	आराजी लाइन्स	अतिदोहित
		2	बड़ागांव	सेमी क्रिटिकल
		3	चिरईगांव	सेमी क्रिटिकल
		4	चोलापुर	सेमी क्रिटिकल
		5	हरहुआ	अतिदोहित
		6	पिण्डरा	क्रिटिकल

पश्चिमी क्षेत्र में चिन्हित विकास खण्डों की संख्या-124

पूर्वी क्षेत्र में चिन्हित विकास खण्डों की संख्या-83

राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत चिन्हित विकास खण्ड

बुन्देलखण्ड क्षेत्र

क्र0 सं0	जनपद	क्र0 सं0	विकासखण्ड	श्रेणी
1	बांदा	1	बबेरु	सुरक्षित
		2	बड़ोखर खुर्द	सुरक्षित
		3	बिसण्डा	सुरक्षित
		4	जसपुरा	सुरक्षित
		5	कमासिन	सुरक्षित
		6	महुआ	सुरक्षित
		7	नरैनी	सुरक्षित
		8	तिंदवारी	सेमी क्रिटिकल
2	चित्रकूट		चित्रकूटधाम कर्वी	अतिदोहित
			मानिकपुर	सुरक्षित
			मऊ	सुरक्षित
			पहाड़ी	सुरक्षित
			रामनगर	सुरक्षित
3	हमीरपुर	1	गोहाण्ड	सुरक्षित
		2	कुरारा	सुरक्षित
		3	मौदहा	सुरक्षित
		4	मुस्करा	सुरक्षित
		5	राठ	सुरक्षित
		6	सरीला	सुरक्षित
		7	सुमेरपुर	सेमी क्रिटिकल
4	जालौन	1	डकौर	सुरक्षित
		2	जालौन	सुरक्षित
		3	कदौरा	सुरक्षित
		4	कोंच	सुरक्षित
		5	कुठोन्द	सुरक्षित
		6	माधौगढ़	सुरक्षित
		7	महेवा	सुरक्षित
		8	नदीगांव	सुरक्षित
		9	रामपुरा	सुरक्षित

5	झांसी	1	बबीना	सुरक्षित
		2	बामौर	सुरक्षित
		3	बंगरा	सुरक्षित
		4	बड़ागांव	सुरक्षित
		5	चिरगांव	सुरक्षित
		6	गुरसराय	सुरक्षित
		7	मऊरानीपुर	सुरक्षित
		8	मोंठ	सुरक्षित
6	ललितपुर	1	बार	सुरक्षित
		2	बिरधा	सुरक्षित
		3	जखोरा	सुरक्षित
		4	मडावरा	सुरक्षित
		5	महरौनी	सुरक्षित
		6	तालबेहट	सुरक्षित
7	महोबा	1	चरखारी	क्रिटिकल
		2	जैतपुर	अतिदोहित
		3	कबरई	क्रिटिकल
		4	पनवाड़ी	अतिदोहित

मध्य क्षेत्र

क्र0 सं0	जनपद	क्र0 सं0	विकासखण्ड	श्रेणी
1	फतेहपुर	1	ऐरायां	क्रिटिकल
		2	अमौली	क्रिटिकल
		3	बहुआ	क्रिटिकल
		4	भिटौरा	अतिदोहित
		5	धाता	क्रिटिकल
		6	हसवा	क्रिटिकल
		7	हथगाम	सेमी क्रिटिकल
		8	मलवां	क्रिटिकल
		9	तेलियानी	क्रिटिकल

2	कानपुर-नगर	1	घाटमपुर	सेमी क्रिटिकल
		2	कल्यानपुर	अतिदोहित
		3	सरसौल	सेमी क्रिटिकल
		4	शिवराजपुर	सेमी क्रिटिकल
3	लखनऊ	1	चिनहट	अतिदोहित
		2	सरोजनीनगर	अतिदोहित
4	रायबरेली	1	सरेनी	क्रिटिकल
5	उन्नाव	1	सि0 सरोसी	सेमी क्रिटिकल

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चिन्हित विकास खण्डों की संख्या-47

मध्य क्षेत्र में चिन्हित विकास खण्डों की संख्या-17

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे अतारांकित प्रश्न सं0-185 का उत्तर पृष्ठ 123 पर)

कार्यालय जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर।

पत्रांक 1714/आर0ए0/शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम रोस्टर/2018 दिनांक 25 जनवरी, 2018

आदेश

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-9, लखनऊ के पत्र संख्या-2110/एक-9-2017-1(11)/99, दिनांक 19-12-2017 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उ0प्र0 अनुभाग-4, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-962/4-62जी/2005 दिनांक 21-12-2017 के अनुपालन में वर्ष 2017-2018 हेतु शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम निम्नवत् किया जायेगा।

क्रमांक	दिनांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	निरीक्षक अधिकारी का पदनाम
01	27-01-2018	भीटी	चन्दौका	जिलाधिकारी
02		जलालपुर	कबूलपुर	अपर जिलाधिकारी
03	30-01-2018	जलालपुर	करौदी	जिलाधिकारी
04		टाण्डा	ऐनवा	अपर जिलाधिकारी
05	03-02-2018	टाण्डा	इब्राहिमपुर बड़ागांव	जिलाधिकारी
06		भीटी	शेरवा	अपर जिलाधिकारी
07	06-02-2018	आलापुर	अकथरा नरायनपुर	जिलाधिकारी
08		जलालपुर	दरियापुर	अपर जिलाधिकारी
09	13-02-2018	अकबरपुर	औलियापुर	जिलाधिकारी
10		आलापुर	करौदी	अपर जिलाधिकारी
11	17-02-2018	भीटी	अतरौरा	जिलाधिकारी
12		अकबरपुर	मखदूमपुर	अपर जिलाधिकारी
13	20-02-2018	जलालपुर	हैदराबाद	जिलाधिकारी
14		आलापुर	परसौना	अपर जिलाधिकारी
15	24-02-2018	टाण्डा	डाड़ी	जिलाधिकारी
16		भीटी	मिझौड़ा	अपर जिलाधिकारी
17	27-02-2018	आलापुर	बहरामपुर	जिलाधिकारी

18		टाण्डा	ब्राहिमपुर कुसुमा	अपर जिलाधिकारी
19	03-03-2018	अकबरपुर	भड़सार	जिलाधिकारी
20		आलापुर	गोवड़ौर	अपर जिलाधिकारी
21	06-03-2018	भीटी	असगवा	जिलाधिकारी
22		जलालपुर	टिकरी	अपर जिलाधिकारी
23	13-03-2018	अकबरपुर	दहीरपुर	जिलाधिकारी
24		भीटी	अभयचन्दपुर	अपर जिलाधिकारी
25	17-03-2018	टाण्डा	पूरा बक्सराय	जिलाधिकारी
26		अकबरपुर	सहनेमऊ	अपर जिलाधिकारी
27	20-03-2018	आलापुर	जल्लापुर	जिलाधिकारी
28		टाण्डा	धौरहरा	अपर जिलाधिकारी

उपरोक्त प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण हेतु शासन के प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम के सम्बन्ध में सम्बन्धित ग्राम में प्रस्तावित कार्यक्रमों से सम्बन्धित सूचना भ्रमण के समय अवलोकनार्थ तथा स्थलीय सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाय तथा निरीक्षण के समय उपस्थिति सुनिश्चित किया जाय।

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित है।

1-मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
2-पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।
3-अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, अम्बेडकरनगर।
4-जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5-जिला पंचायत राज अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
6-उपजिलाधिकारी, अकबरपुर, भीटी, जलालपुर, टाण्डा तथा आलापुर।
7-तहसीलदार, अकबरपुर, भीटी, जलालपुर, टाण्डा तथा आलापुर।
8-समस्त खण्ड विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
9-आशुलिपिक, आवासीय कार्यालय, अम्बेडकरनगर।

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

पत्रांक : 16046/र0का0/शीत कालीन भ्रमण/2017 दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

समस्त राजस्व निरीक्षक,

तहसील-अकबरपुर।

डॉ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन कार्यालय के पत्र संख्या : जी0 962 दिनांक 21-12-2017 में दिये गये निर्देश के क्रम में तहसील अकबरपुर में शीत कालीन भ्रमण हेतु कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

क्रमांक	दिनांक/दिन	भ्रमण हेतु अधिकारी	राजस्व ग्राम का नाम	लेखपाल का नाम	मोबाइल नं0
1	2	3	4	5	6
1	01-01-2018 सोमवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	गौहन्ना	श्री रवीन्द्र प्रताप मिश्र	8005021743
		तहसीलदार, अकबरपुर।	बावनपुर	श्री मनीराम वर्मा	9648036463
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	समैसाखास	श्री राहुल सिंह राना	8948242735
2	03-01-2018 बुधवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	नैली	श्री राम केवल	9459154378
		तहसीलदार, अकबरपुर।	भरथीपुर	श्री जसवन्त सिंह	9648660450
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	मूसेपुर गिरन्ट	श्री राधेश्याम वर्मा	9628359131
3	04-01-2018 गुरुवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	बहोरिकपुर	श्री अखिलेश कुमार सिंह	9648070685
		तहसीलदार, अकबरपुर।	खुलासपुर	श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी	9169311658
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	केशवपुर	कु0 शालू पटेल	9935074640

1	2	3	4	5	6
4	05-01-2018 शुक्रवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	बरौरा	श्री रामबली	9005476289
		तहसीलदार, अकबरपुर।	मलिकपुर दियरा	श्री नीरज यादव	9565236983
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	गोधनी	श्री ज्ञान प्रकाश	8004020993
5	08-01-2018 सोमवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	कदनापुर	श्री विजय कुमार श्रीवास्तव	7408514003
		तहसीलदार, अकबरपुर।	कौरा	श्री जगदीश चन्द्र यादव	9918785434
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	दुर्गूपुर	श्री विश्वनाथ यादव	9838380234
6	10-01-2018 बुधवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	ख्वाजापुर	श्री राज बहादुर तिवारी	9452485719
		तहसीलदार, अकबरपुर।	मीरपुर शेखपुर	श्री त्रिभुवन लाल श्रीवास्तव	9936916278
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	मल्हीं विश्वनाथपुर	कु0 किरन	9554768278
7	11-01-2018 गुरुवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	गौसपुर	श्री सियाराम प्रजापति	9616088842
		तहसीलदार, अकबरपुर।	मेहनपुर गिरन्ट	श्री मिश्रीलाल	7376113510
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	दाउदपुर	श्री शशिभूषण वर्मा	9450765517
8	12-01-2018 शुक्रवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	विजयगांव	श्री रामशेष वर्मा	9792463109
		तहसीलदार, अकबरपुर।	अमरतल	श्री दिनेश कुमार तिवारी	9451204939
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	नरायनपुर	श्री गौरव उपाध्याय	7388317788

1	2	3	4	5	6
9	15-01-2018 सोमवार	उपजिलाधिकारी, अकबरपुर।	कालेपुर	श्री हेमन्त कुमार पाण्डेय	9838558852
		तहसीलदार, अकबरपुर।	लोदीपुर	श्री ओम प्रकाश वर्मा	8004475789
		नायब तहसीलदार, अकबरपुर।	सिवलीपुर	श्री संजय कुमार	9984280289

पी0एस0यू0पी0-एल0 129 विधान सभा (234)-14-11-2018-631 प्रतियां (कम्प्यूटर)।